खण्ड-366, अंक-9
सोमवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1906
(2 अप्रैल, 1984 ई0)

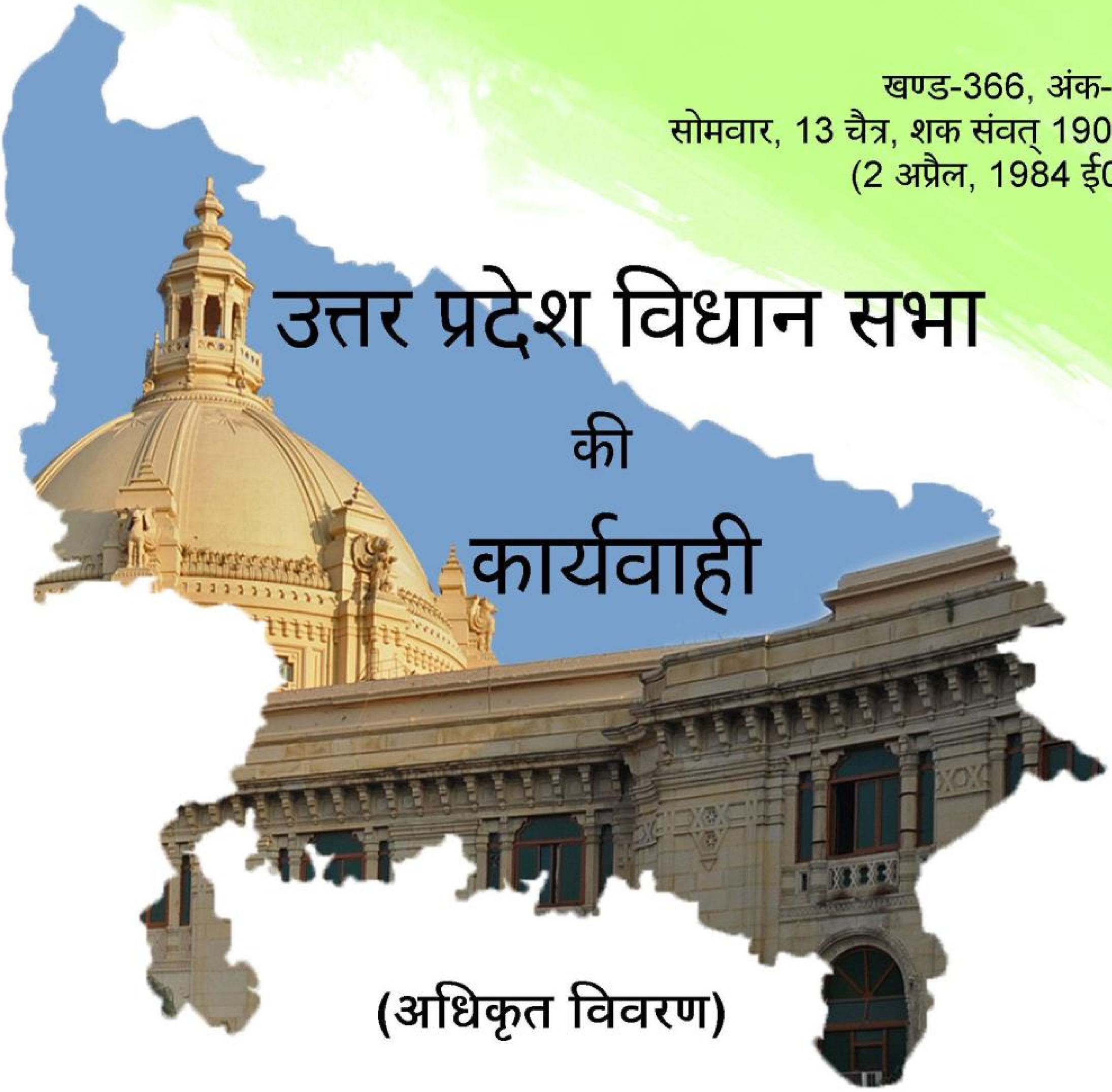

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 को स्थगित किए जाने की सूचना एवं उस पर आपत्ति	6–7
प्रश्नोत्तर	7–83
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	83–86
डायमण्ड डेरी, लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
फतेहपुर सीकरी आगरा में अवैध रूप से हो रहे खनन कार्य के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86–87
मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में व्याप्त गन्दगी व नगरपालिका की लापरवाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात की पुलिस द्वारा पिपरी गाँव के गुलजारी हरिजन आदि को बेकसूर पीटने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
मिर्जापुर जनपद में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद जालौन में लालाराम श्रीराम डकैतों के गिरोहों द्वारा की जा रही वारदातों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88–89
जनपद गोरखपुर व देवरिया में बाढ़ कार्यों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत लिए गये फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण देते समय गारंटी न लिए जाने सम्बन्धी उद्योग मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	89–91
श्रीदत्त गंज के हरिजन विकास खण्ड अधिकारी की जान की सुरक्षा न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	91
26 मार्च, 1984 को रसूलाबाद थाने (कानपुर) में 4 लोगों की हत्या सम्बन्धी वक्तव्य के समय गृह राज्य मन्त्री द्वारा दिए गये आश्वासन की पूर्ति न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	91–94
विधायक निवास में एक औरत को लेकर दो मन्त्रियों के बीच हुई मारपीट के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	94–97
बुलन्दशहर के अन्दर पुलिस अत्याचार के सम्बन्ध में दिए गये सी0आई0डी0 जाँच के निर्देशों का पालन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97
चुनार के पीपे के पुल पर पथकर समाप्त न किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	97–98
कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	98

विषय	पृष्ठ संख्या
कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की सूचना	98—99
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	99—105
1984—85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जारी)	105—151
तिलक हाल में सदन के सदस्यों को संस्कृत पढ़ाए जाने का आयोजन संस्कृत परिषद् द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में सूचना	151
1984—85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	151—152
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	152
लखनऊ शहर के महानगर के एक दुकानदार श्री अनूप सिंह उनके बड़े भाई और पिता की पुलिस द्वारा पिटाई से उत्पन्न असन्तोष होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	152—154
ग्राम उदयपुर, जिला कानपुर देहात के श्री पुत्तीलाल की हत्या में पुलिस का कथित हाथ होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	154—155
नत्थियां	156—162

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 2 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 4 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य–313

अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया
किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शेद अहमद, श्री — बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा

गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चारु चन्द्र आभा, श्री	पिथौरागढ़
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर,	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़

बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह 'खुर्जेवाला', श्री — बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री — देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भागीरथ, श्री — झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भूपसिंह केन, श्री — गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबराज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा — आगरा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश चन्द्र, श्री — मेरठ
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री — वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री — एटा
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेंहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन सिंह, श्री — देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डा0 — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
रवीन्द्र, श्री — आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री — प्रतापगढ़

रामपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम लाल, श्री सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री हरदोई
राम शिरोमणि, श्री जौनपुर
राम समुझावन, श्री जौनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
राम सिंह, श्री सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री बरेली
रामसिंह रावल, श्री एटा
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री बहराइच
राम हर्ष राय, श्री गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री देवरिया
रूप राम, श्री शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
लालसा, श्री आजमगढ़
लोक मणि शर्मा, श्री मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री गाजीपुर
विजय सिंह, श्री मिर्जापुर
विद्यासागर नौटियाल, श्री टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री कानपुर
विशन लाल, श्री बिजनौर
विश्वनाथ, श्री देवरिया

विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
वृद्धि नारायन सिंह, श्री वाराणसी
शंकर सिंह, श्री जालौन
शम्भूनाथ, श्री आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री मुरादाबाद
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिव नरेश, श्री बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिव बालक, श्री रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
शैलनाथ सिंह, श्री बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
सईदुल हसन, श्री बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री खीरी
सत्यपाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री मथुरा
सिकन्दर अली खां शाहजहांपुर
नवाब, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री बहराइच

सुमन लता, श्रीमती कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री गाजियाबाद
(उर्फ मुन्नी)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री बुलन्दशहर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री सीतापुर
हरदेव, श्री बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरी शंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

नोट :—गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा ग्राम्य विकास पंचायती राज राज्य मंत्री श्री रामसजीवन भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 को स्थगित किए जाने की सूचना एवं उस पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बारे में मुझे एक बात कहनी है। एक महत्वपूर्ण कार्य से माननीय पर्वतीय विकास राज्यमंत्री को बाहर जाना पड़ रहा है। चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए नत्थी 'क' अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 को आज न लिया जाय। अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या एक के बारे में कहा है। दूसरा ले लिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो भी आप अनुमति देंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक मुझे संस-दीय इतिहास की जानकारी है ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रश्नों को स्थगित करने के लिए प्रक्रिया दी हुई है उसके लिए लिखित सूचना आनी चाहिये। एजेंडा छपने से एक दो दिन पहले इस तरह की सूचना आनी चाहिए। जब एजेन्डा पर छप गया और प्रश्न पुकारने की स्थिति पैदा हो गयी उस समय माननीय मंत्री जी को उपस्थित रहना चाहिए। वैसे आप सक्षम हैं लेकिन ऐसा संसदीय इतिहास में कभी कोई ऐसी परम्परा नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी अनुमति न दें जिससे आदरणीय सदन के अधिकार कुंठित हो रहे हैं। इसी संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोरम का मासला है इसमें मैं सत्तारूढ़ दल की भर्त्सना करना चाहता हूं। यह सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है कोरम बनाने की हमारी नहीं है, यह सरकार कर्तव्यच्युत हो रही है, जो संसदीय इंस्टीट्यूशन है उनका अवमूल्यन करने पर यह उतारू है। मैं प्रतिपक्ष के अधिकारों की रक्षा करने की प्रार्थना करना चाहूंगा चाहे इसके लिए आप सदन के नेताओं की बैठक बुला लें और इस पर विचार कर लें। प्रश्नों के समय कोरम का न होना आज ही नहीं है यह रोजाना अक्सर हो रहा है। जब लंच आवर होता है उसमें हम कोरम की डिमांड नहीं करते हैं। ऐसे ही प्रश्न काल में क्या होना चाहिये क्योंकि कोरम की दुहाई दे कर यह सरकार एक दिन तय कर लेगी कोई अगर महत्वपूर्ण सवाल हमारा होगा, सरकार के लोग एबसेन्ट हो जायेंगे। प्रतिपक्ष का जो अधिकार है सवालों के जरिये महत्व-पूर्ण जानकारी देने का, या सेंसर करने का वहां पर इनकी अकर्मण्यता के कारण और आपकी इजाजत के कारण, हमारा जो अधिकार है वह कुंठित हो जायेगा। इसलिए प्रश्न काल और कोरम के बारे में मेरी यह दो प्रार्थनायें हैं।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, एक घंटा 20 मिनट केवल प्रश्न काल के लिए समय निर्धारित है। इस तरह रोजाना 10, 5 मिनट हमारा मारा जाता है। हमें सूचना मिली है कि कल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब यहां आई थीं तो दो दिन की छुट्टी दी गयी है। इसी खुशी में जो उनका यू0 पी0 में प्रोग्राम था, तो कहीं यह लोग भी छुट्टी तो नहीं मना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं है जो माननीय रियासत साहब कह रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, एक बात मुझे कहनी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के बारे में आपको क्या कहना

है। (संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर) माननीय संसदीय मंत्री जी आपको क्या कहना है? क्या उत्तर दे सकते हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, दे सकता हूं।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मुझे भी एक निवेदन करना है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि माननीय मंत्री जी भागते नजर आयेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जब मैंने स्वयं देखा, महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके न होने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकेगी। इसलिए मैंने यह किया हालांकि उन्होंने प्रार्थना की है। यह बात सही है ऐसी परम्परा नहीं पड़नी चाहिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

इसको आज स्थगित कर दें।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, इसको कल न लें क्योंकि मैं कल बाहर रहूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसको आज स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में इस तरह की परम्परा न पड़े और मैं इसको आज स्थगित करता हूं। जब कोई माननीय सदस्य बाहर रहेंगे और बता देंगे तो हम उनकी सुविधानुसार लगा देंगे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 2 अप्रैल, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पर्वतीय विकास परिषद् की उप समितियों का विघटन

**1–श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास परिषद् की उप समितियां हाल ही में विघटित कर दी गई हैं? यदि हां, तो इनके विघटन के क्या कारण हैं? क्या इनके पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)–

जी हां। चूंकि तत्कालीन पर्वतीय विकास परिषद् का विघटन 5 अगस्त, 1983 को किया गया था।

जी हां। परिषद् का पुनर्गठन 6 अगस्त, 1983 को किया गया है तथा परिषद् की उप समितियों के पुनर्गठन का प्रश्न सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है। आदेश शीघ्र ही प्रसारित हो जायेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा बैंक से निकाली गयी धनराशि के विरुद्ध श्री त्रिवेणी सहाय, भूतपूर्व विधायक का पत्र

*1–श्री रियासत हुसैन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, सन् 1983 की अवधि में शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद गोण्डा द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ रुपया नकद निकाला गया? यदि हां, तो नकद भुगतान किए जाने हेतु इतनी बड़ी रकम

किन परिस्थितियों में निकाली गयी ? क्या इस सम्बन्ध में भू0पू0 विधायक (श्री त्रिवेणी सहाय) द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 409, 406 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किए जाने हेतु कोई नोटिस शासन को दिसम्बर, 1983 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उन्हें अनुमति प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जी हां ।

त्योहार होने तथा जनपदीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति उपरान्त वित्तीय परामर्शदाता की सहमति से नकद भुगतान हेतु चेक निर्गत किये गये थे। शासन को श्री त्रिवेणी सहाय का पत्र जिस पर तिथि 17-1-83 अंकित है (जो कदाचित 17-1-84 की तिथि की जगह लिख गयी है) प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि यदि बिना सरकारी आदेश के इतनी बड़ी रकम निकाल कर नकद वितरित करना नाजायज हो तो उपर्युक्त जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के खिलाफ 406 का मुकदमा भी कायम करने का निर्देश दिया जाय । इस पत्र के आधार पर श्री त्रिवेणी सहाय को स्वयं मुकदमा कायम करने की कोई अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्होंने ऐसी अनुमति नहीं मांगी थी ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, आपके आस-पास के लोग कहां गये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, उनको कुछ आवश्यक कार्य था । इसलिये बाहर गये हुये हैं ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निकाला, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आपके रूल्स के मुताबिक बेसिक शिक्षा अधिकारी बिना शासन की अनुमति के इतनी बड़ी रकम निकाल सकता है कि नहीं ।

दूसरी बात क्या कुछ और जिले भी ऐसे हैं, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इतनी बड़ी रकम निकाली हो । चूंकि त्योहार हर जिले में समान होते हैं, इसलिये श्री त्रिवेणी सहाय का पत्र जो है उसका आपरेटिव पार्ट क्या है उन्होंने अनुमति मांगी है, तो उसको पढ़कर क्या सुनायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, पहला प्रश्न कि यह धनराशि अनुमति के बिना निकाली गयी । उत्तर में देखें लिखा है कि उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति उपरान्त वित्तीय परामर्शदाता की सहमति से नकद भुगतान हेतु चेक निर्गत किये गये थे ।

दूसरा उनका प्रश्न है कि क्या दूसरी जगहों पर ऐसी मिसालें हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है या जैसे त्योहार आ जाता है । और गोंडा में जैसे एस0डी0आई0 के सर्किल का रिआर्गनाइजेशन हो रहा था, इसलिये सर्किल के पुनर्गठन के समय खाते और बैंक भी प्रभावित थे, इसलिये धनराशि जमा नहीं की जा सकती थी, इसलिये यह ऐसी व्यवस्था की गयी । तो जब कभी त्योहार आ जाता है और धनराशि की जरूरत होती है तो चेक से धनराशि निकालकर एस0डीआई0 वितरित करते हैं। यह नहीं कि जहां बैंक नहीं हैं या बैंक से आने में दो-तीन दिन लग जाते हैं, जहां नदी या पहाड़ हैं, तो वहां यह व्यवस्था की गयी है कि

यह पैसा उनके स्थान तक पहुंचा दिया जाये, तो इसमें कोई ऐसी अनियमितता नहीं बरती गयी है। श्री त्रिवेणी सहाय ने जो पत्र लिखा है उसके अंत में है कि—"ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत पाने के बाद विभाग चुप है, मेरा अनुरोध है कि इनके खिलाफ आप जांच कराये।" और आगे कहा है कि "यदि बिना सरकारी आदेश के इतनी बड़ी रकम निकाल कर नकद वितरित करना नाजायज हो तो उपर्युक्त जिला बेसिक अधिकारी के खिलाफ 406 का मुकदमा भी कायम करने का निर्देश दिया जाय।" यह आपरेटिव पार्ट है। यह बिना अनुमति के निकाला जाता तो मुकदमा चलाने का प्रश्न था लेकिन एस0 डी0 आई0 को चूंकि इस बात का अधिकार था, अनुमति भी ली गई है और यह एक जगह केन्द्रित नहीं किया गया है, पैसे का वितरण हुआ है और यह भी साथ में ठीक है कि वहां पर त्यौहार करीब थे। यह भी देखते हुए कि डी0 आई0 एस0 सर्किल का रिआर्गनाइजेशन हो रहा था, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मुकदमा चलाया जाए।

श्री रियासत हुसैन—

जब डिप्टी डायरेक्टर की अनुज्ञा उसमें है, वह वहां उनको अधिकार है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों इसमें शासन से उन्होंने पूर्व अनुमति प्राप्त की थी और यदि निकालने के पहले वह किसी कारण से शासन की अनुमति नहीं प्राप्त कर सके थे तो क्या बाद में उन्होंने इसे शासन की फारमल एप्रूवल के लिए भेजा है: और भेजा तो कब भेजा? यह रुपया कहां और कैसे रखा गया? कितने दिन बाद उसका वितरण हुआ? इस बीच जहां और जिस हालत में वह धन रहा, क्या वह मिसएप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य को विदित होगा और मैंने, लगा भी जाता है कि हर जिले में जो पैसा तनख्वाह का बटता है, उसके लिए शासन से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। यह सारा पैसा चेकों के द्वारा निकाला गया है। एक चेक नं0 50/4091, दिनांक 11-10-83 द्वारा 32,04,150 रुपया निकाला गया है, दूसरी चेक नम्बर 16/4092, दिनांक 1-11-83 द्वारा 32,27,701 रुपया निकाला गया है। चेक नम्बर 27/4092, दिनांक 8-12-83 द्वारा 9,87,806 रुपया निकाला गया है, और चेक नम्बर 23 । 4092, दिनांक 8-12-83 द्वारा 25,09,501 रुपया निकाला गया है, इसी तरह से आगे भी है। यह चेक के द्वारा पैसा निकालकर एस0 डी0 आई0 को दे दिया गया था और उन्होंने वितरित किया है। हमारे अधिनियम में सेलरी बांटने की जो बात है, उनके अनुसार इसमें देखने से ऐसा लग सकता है कि अनियमितता हुई है, लेकिन सारी परिस्थितियों और प्रक्रिया का परीक्षण करने के बाद यह सिद्ध होता है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। उस समय की इमरजेंसी पोजीशन को देखते हुए ऐसा करना अनियमित नहीं था।

श्री मुईद अहमद—

मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी0 ए0 एस0, गोंडा ने जो डेढ़ करोड़ रुपया शिक्षकों के वितरण के लिए निकाला, उसके बारे में उनको शिक्षक

यूनियन का कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है ? और यदि प्राप्त हुआ है तो वह क्या है और वह किस आधार पर निकाला गया था ?

श्री अम्मार रिजवी–

यह दिनांक 4-10-83 का, श्री राम वर्ण पाण्डेय, अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का पत्र है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम है, जिसमें उन्होंने लिखा है–जनपद में शिक्षा क्षेत्रों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सैकड़ों अध्यापकों के बैंक खाते नये बैंक में खुलने हैं इस परिवर्तन के कारण वेतन वितरण बैंक दवारा होने में कठिनाई अनुभव की जा रही है । चूंकि निकट भविष्य में दशहरा और महर्रम के त्यौहार भी पड रहे हैं । ऐसी दशा में आप से अनुरोध है कि जबतक सभी क्षेत्रों के शिक्षकों के बैंक-खाते व्यवस्थित न हो जायं नकद वेतन वितरण उप वि0 नि0 प्रति उप0 वि0 नि0 के माध्यम से कराने की व्यवस्था करें।

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चेक से यह रुपया कब-कब निकाला गया है क्योंकि मोहर्रम और दशहरा गत वर्ष 17-20 अक्टूबर के बीच पड़े थे ?

श्री अम्मार रिजवी–

पहले जो निकाला है वह 11-10-83 को निकाला है, फिर 1-11-83 को फिर 8-12-83 को ।

श्री पंचानन राय–

शासन का जो वेतन संबंधी नियम है उसके अनुसार भुगतान बैंकों से चेक दवारा होना है जो इस नियम को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तोड़ा है, यह अधिकार उसको कहां से मिला है ? किस विधि सम्मत व्यवस्था के अनुसार उसने नियमों को स्वेच्छा से तोड़ कर रुपया निकाला ? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस 4-10-83 के पत्र का हवाला दिया गया है, वह कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे बाद में लिखवा लिया गया हो, तो जो नोट है उसमें क्या उस पत्र का जिक्र है ?

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय पंचानन राय जी बड़े ही विद्वान और शिक्षकों की समस्याओं के पंडित हैं । मैं समझता हूं कि इस समय प्राथमिक शिक्षक संघ की समस्याओं की जगह माध्यमिक शिक्षकों का प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम उनके जहन में है । मान्यवर, अधिनियम में शब्द 'वितरण' है । अधिनियम में ऐसा नहीं है कि केवल चेक दवारा ही भुगतान किया जायेगा। जहां पर बैंक नहीं हैं, वहां कैसे चेक से भुगतान होगा ? मेरे क्षेत्र में ही बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां बैंक नहीं हैं । अब अगर अध्यापक वहां का जायेगा चेक से लेने तो 3 दिन उसे चाहिये । इसलिये कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार पैसा मंगाकर भी वितरित किया जाता है ।

जहां तक उस पत्र की बात कही है, वह उसके पहले प्राप्त हुआ था और इसकी पूरी तरह से छानबीन कर ली गयी है ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज एवं राजकरण वैदिक इण्टर कालेज, फैजाबाद के प्रबंधकों के विरुद्ध संस्था की समाप्ति के दुरुपयोग करने सम्बन्धी शिकायती पत्र

*2–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, फैजाबाद तथा राज करण वैदिक इण्टर कालेज, फैजाबाद के प्रबन्धकों द्वारा संस्था

की सम्पत्ति का दुरुपयोग किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 जनवरी, 1983 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी है, उनके क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा की गई। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई जांच अधूरी पाई गई। अतः शिक्षा निदेशक को कहा गया है कि वह जांच अधिकारी को निर्देशित करें कि वह शिकायत कर्ता से सम्पर्क कर जांच पूरी करे और अपनी आख्या प्रस्तुत करें। अभी जांच आख्या प्राप्त नही हुई है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मंत्री जी विद्वान आदमी हैं। मान्यवर, यह सवाल तीसरे सोमवार को आया था, उस समय जो मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, उन्होंने लिखित उत्तर में स्वीकार किया था कि आर्य कन्या इंटर कालेज, फैजाबाद के संबंध में हरिजन छात्रावास बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति से बेचने की बात सही पाई गयी थी। उन्होंने कहा कि विद्यालय के हित में बेंच दिया। हरिजनों के लड़कों को रहने के लिए जो हास्टल बना, सरकार के अनुदान से बना और दो लाख रुपये में बेंच दिया गया और 20 साल पहले जो लागत थी, वह आज नहीं है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आस्तियों के स्थानान्तरण पर रोक अधिनियम के उल्लंघन के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी–8 के अन्तर्गत विद्यालय के प्रबंधाधिकरण को निलंबित कर साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर क्रिमनल केस चलाने का कष्ट करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह प्रश्न विधान सभा के प्रथम सत्र के तीसरे सोमवार में आया था। इसका नम्बर 4 था। यह जो माननीय पंचानन राय जी ने बतायी, उसकी आखिरी ये चार लाइनें हैं। अगर आज कार्यवाही देखें, उसमें माननीय पंचानन राय जी ने आपत्ति उठाई कि जो शिकायत कर्ता हैं, जांच में उनसे सम्पर्क नहीं स्थापित किया गया था। मान्यवर, जहां तक यह बात है, जो इलजाम है, वह साबित हो चुका है, जो अधिनियम है, उसके तहत कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, उसको पुनः जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के समय इनसे भी सम्पर्क स्थापित कर, उसमें इनको भी सम्मिलित कर लें और इस सिलसिले में जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही सम्भव होगी, वह मान्यवर, की जायगी।

किसान इण्टर कालेज, बभनान, जिला बस्ती को जिला गोण्डा में स्थानान्तरित किया जाना

*3–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इण्टर कालेज, बभनान का भवन ग्राम करनपुर तहसील उतरौला, जिला गोण्डा में स्थित है? क्या यह सही है कि उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर की संस्तुति के आधार पर किसान इण्टर कालेज, बभनान जिला बस्ती को जिला गोण्डा में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या कहूं, सरकार को यह प्रश्न 7-12-83 को भेजा गया था, दिनांक 12-3-84 को प्रथम सत्र में यह 12वें नम्बर पर लगा हुआ था, उस समय भी यही उत्तर दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। आज भी सही उत्तर दिया जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, केवल एक विद्यालय का मामला है, एक स्थान का मामला है, केवल एक कार्यालय से जानकारी करनी है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, ये उत्तर देना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, मुझको सही उत्तर दिलवा दें?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह सही है कि इसमें देर हुई है। एक हफ्ते के अन्दर मान्यवर, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को सूचना उपलब्ध करा दी जायगी।

[दिनांक 2 अप्रैल, 1984 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बाराबंकी जिले के ग्राम महादेवा के लोधेश्वर एवं किन्तूर स्थित कुन्तेश्वर महादेव के मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित कर विश्राम स्थल के निर्माण की योजना

*1–श्री श्यामलाल वाजपेयी–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी जनपद के ग्राम महादेव एवं किन्तुर में क्रमशः लोधेश्वर एवं कुन्तेश्वर महादेव के पांडव कालीन देश प्रसिद्ध मन्दिर हैं? यदि हां, तो क्या शासन उक्त दोनों पवित्र स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करके शिवरात्रि के महापर्व पर आने वाले यात्रियों एवं कावर्तियों के ठहरने हेतु कोई विश्राम स्थल बनाने की घोषणा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)–

जी हां।

जनपद बाराबंकी के महादेवा में तीर्थ यात्रियों के विश्राम स्थल निर्माण की योजना विचाराधीन है। कुन्तेश्वर महादेव में इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने की अभी योजना नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि महाराज धर्मराज, युद्धिष्ठिर द्वारा स्थापित भगवान लोधेश्वर का मंदिर और महारानी कुन्ती ने ग्राम किन्तूर में कुन्तेश्वर महादेव की स्थापना की थी। पारिजात का वृक्ष इन तीनों राष्ट्रीय स्तर के पवित्र स्थानों को पर्यटन स्तर के हिसाब से विकसित करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करेंगे? इन तीनों को राजकीय संसाधनों से अपने पर्यटन साहित्य में समावेश करके विदेशों के जो गौरांग प्रभु लोग भ्रमण के लिए आते हैं, उन लोगों को वहां तक पहुंचायेंगे?। जिसके लिये आप यह सुविधा प्रदान करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्री जी इसे पर्यटन स्थल घोषित करेंगे। नवम्बर 2 लोधेश्वर, मंत्री जी ने कहा कि विश्राम स्थल बनाने की योजना विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि वह विश्राम स्थल किस प्रकार का होगा। लम्बी दौड़ के हिसाब से टिन शेड का होगा या वहां हजारों आदमी आते हैं, शिव रात्रि में और वह महाभारतकालीन है, इसके देखते हुए कोई भवन बनवायेंगे या टिन शेड होगा?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

पर्यटक स्थल तो स्वयं में घोषित है। जहां तमाम लाखों धर्मार्थी वहां जाते हैं।

केवल कागज पर दिखाने में क्या विशेषता है। प्रदेश स्तर पर कोई रेकार्ड नहीं है और तमाम बहुत सारे स्थल ऐसे हैं, जिनके बारे में कागज में कुछ है ही नहीं लेकिन साधन न केवल सीमित हैं, बल्कि नगण्य हैं, इसको देखते हुये, प्रत्येक सम्भव प्रयास करेंगे, इसे निभाने का और इसे पूरा करने का।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मंत्री जी के प्रश्न के उत्तर के बारे में। पर्यटन स्थल का तात्पर्य यह है कि सरकारी साधनों द्वारा, जब उसका प्रचार होता है, सरकार के साहित्य द्वारा ऐसा प्रचारित करें कि लोगों के मन में यह भावना हो कि पर्यटन स्थल है, सरकारी साधन से आवागमन की सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाय ताकि पर्यटक आकर्षित हो सकें। विश्राम स्थल योजना बनने की बात मंत्री जी ने स्वीकार किया कि यह विचाराधीन है। मंत्री जी भवन बनवायेंगे या लम्बी दौड़ के हिसाब से टिन शेड बनवायेंगे। क्योंकि यह जाड़े के महीने में फाल्गुन में पड़ता है। यह बताने की कृपा करें कि भवन होगा या टिन शेड?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

बाजपेयी जी बहुत बड़े जानकार हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि.....

श्री अध्यक्ष–

क्या कहा आपने बहुत बड़े जालसाज हैं?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

साधन हमारे विभाग के पास नगण्य हैं। जब हमारे पास पैसा का ठिकाना ही नहीं है, तो भवन या टिन शेड वगैरह में क्या बता दूं। वैसे जिलायोजना के अन्तर्गत केवल दो लाख की व्यवस्था की गयी थी, उसके विपरीत वहां की समस्या तथा ज्यादा भीड़ को देखते हुये, 6 लाख 9 हजार की योजना प्रस्तावित की गयी थी, जो विचाराधीन है। उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, भवन से कल्याण नहीं होगा, टिन शेड वगैरह के बारे में जो मुनासिब होगा विचार किया जायेगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जानकार कहा था, जालसाज नहीं। एक लाख से 6 लाख, 9 लाख कर दिया, इसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आपके पास पैसा बड़ा सीमित है, नगण्य है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं पर्यटन महत्वपूर्ण विभाग है और आप जैसा चरित्रवान और धर्मनिष्ठ मंत्री अगर संशाधन नहीं है, तो इसको समाप्त करने पर विचार करेंगे ? जब आपके पास साधन नहीं तो इस विभाग को समाप्त करने पर विचार करेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

बाजपेयी जी शासन के सामने इस तरह का प्रस्ताव करेंगे, तो शासन सोचेगा। अभी एक दिन पहले ही 43 लाख का बजट आगे इसके लिये स्वीकार किया है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति के विषय में शिकायती-पत्र

*2–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ में अध्यापकों के पद पर जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति सम्बन्धी अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 9 फरवरी, 1983 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी है? जांच के क्या परिणाम निकले तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

पत्र में जनपद आजमगढ़ में फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की शिकायतें की गई हैं। मामले की जांच सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा कराई जा रही है। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, पिछले सोमवार को प्राइमरी अध्यापकों का, जो प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया गायब हो गया उसकी जांच हो रही है। फर्जी प्रमाण-पत्र पर 83 में अध्यापकों की नियुक्ति हो गई, अब मान्यवर, 1984 हो गया और उनको वेतन मिल रहा है। इसके अलावा क्या प्रागदर्शन में कुछ ऐसी शिकायतें सही पाई गईं जो फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर थीं और उनकी जांच भी की गई है? या बिना किसी प्रारम्भिक जांच के इसे सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, क्योंकि यह मामला बहुत पेचीदा है, इसमें यह पता लगाना मुश्किल है कि किसका जाली प्रमाण-पत्र है किसका नहीं है? अगर कुछ लोगों का पता लग जाता है तो जांच हो जाती है इसलिए इसको सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया। केवल यह कहने से कि उसका जाली सार्टिफिकेट है उसकी रोजी-रोटी छिन जाएगी इसलिए सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए यह कार्यवाही की गई है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि प्रारम्भिक जांच के दौरान कुछ ऐसे लोग प्रकाश में आए जिनके प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गये? यदि हां, तो उनके खिलाफ जांच से पहले क्या कार्यवाही की गई जिन अधिकारियों ने यह नियुक्तियां की हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और सी0 आई0 डी0 जांच कितने दिन में समाप्त हो जाएगी?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, पहली बात जो माननीय सदस्य ने कही उसके बारे में कहना चाहूंगा कि यह सब बातें मालूम हो जातीं, तो सी0 आई0 डी0 की जांच क्यों की जाती दूसरी बात सी0 आई0 डी0 विभाग से कहा जाएगा कि वह जल्दी से जल्दी अपनी बात पूरी कर ले।

पंचायत इण्टर कालेज, बोदरबार, देवरिया के सम्बन्ध में एक पक्षीय स्थगन आदेश

*3–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ– (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने दिनांक 30-4-83 को पंचायत इण्टर कालेज, बोदरबार, देवरिया के सम्बन्ध में संशोधित शिक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 16–क(7) के तहत एक पक्षीय कोई स्थगन आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश नियमों के अनुकूल है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल ने 30-4-83 के अपने आदेश से जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के 29-4-83 के उस निर्णय को स्थगित किया था जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ने पंचायत इन्टर कालेज बोदरवार, देवरिया में प्रबंध समिति के

विवादित चुनावों में चयनित अलग-अलग दो समितियों में से एक समिति को मान्यता प्रदान की थी। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 क(7) में प्रबन्धकीय विवाद में निर्णय का अधिकार संभागीय उप शिक्षा निदेशक को ही है जिला विद्यालय निरीक्षक को नहीं। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

बरेली जिले के लाल जीवन हायर सेकेन्डी स्कूल अजमेर की ही दो प्रबन्ध समितियों को अलग-अलग मान्यता प्रदान किया जाना

*4—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 6-4-83 को लाल जीवन हायर सेकेन्ड्री स्कूल अजमेर, जिला बरेली की एक प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान की गयी और तत्पश्चात 5-5-83 को दूसरी प्रबन्ध समिति को भी मान्यता प्रदान की गयी? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस बात पर गौर करें तीन महीने हो गये इस प्रश्न को किये हुए पहले 21-11-83 को प्रश्न दिया उसके बाद 13-12-83 को इसमें समय दिया गया। एक स्कूल को मान्यता दी गई 6-4-83 को एक महीने के भीतर ही 5-5-83 को दूसरी मान्यता प्रदान कर दी गई और अब इसमें जवाब आ रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसको हमने देख लिया है इसका उत्तर अगले हफ्ते में दे दिया जाएगा।

फैजाबाद जिले के ग्राम चमरूपुर में हरिजन उत्पीड़न की घटना एवं कथित अभियुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, सर्वोदय इण्टर कालेज, रामगंज, फैजाबाद

*5—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 29-12-80 को ग्राम चमरूपुर थाना खण्डासा, फैजाबाद में कोई हरिजन उत्पीड़न की घटना घटी है और उक्त घटना के मुख्य अभियुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, सर्वोदय इण्टर कालेज, रामगंज, फैजाबाद निवासी ग्राम चमरूपुर स्वयं है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध विभागीय स्तर से अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र) में लेखा अधिकारी (अराजपत्रित) के सृजित नए पदों पर अनियमित नियुक्तियां

*6—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान एवं फल उपयोग (मैदानी क्षेत्र) में मार्च, 1982 में लेखा अधिकारी (अराजपत्रित) के आठ पद वेतनमान रु0 570—1100 में शासन द्वारा सृजित किये गए ? क्या यह सही है कि इन पदों पर ऐसे लेखाकार जो पुराने वेतनमान रु0 350—700 में थे डी0 टी0 व एम0 काम0 उत्तीर्ण नहीं थे, की पदोन्नति तत्कालीन निदेशक ने अपनी सेवा निवृत्ति से पूर्व कर दी जबकि वे लेखाकार के नए वेतनमान के भी पात्र नहीं थे ? यदि हां, तो इस वित्तीय

अनियमितता तथा शासनादेशों के उल्लंघन तथा इन अनियमित नियुक्तियों को निरस्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)–

जी हां ।

शासनादेश संख्या-वे0 आ0-1-1902/दस-34(एम)/83, दिनांक 11 अगस्त, 1983 के अनुसार यह सभी अभ्यर्थी लेखाकार के पद के पात्र हो गये । अतः अब इन पदोन्नतियों को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । इसमें उन्होंने उसी परम्परा का निर्वहन किया है कि इन्दिरा गांधीजी चुनाव हाईकोर्ट से हार गयीं और उससे बचने के लिए उन्होंने उस कानून में ही परिवर्तन कर दिया और जैसे अंतुले फंसे हैं तो कानून में परिवर्तन करा रहे हैं । इसमें भी ऐसा ही है कि जो नियुक्ति की गयी मार्च, 1982 में 8 लेखाकारों के अराजपत्रित पदों पर, वे उस समय योग्य नहीं थे। जिन पदों पर नियुक्ति की गयी उन पर उस समय वे अर्ह नहीं थे। इसके लिए एक साल बाद शासनादेश निकाल दिया 11-10-1983 को जिसमें उनके लिए अर्हता में कमी करके उन्हें उक्त पदों के लिए पात्र करार दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह पद सृजित किये गये, और उन पर जो नियुक्ति की, उस समय इन पदों के लिए क्या अर्हता थी और बाद में अर्हता क्या रखी गयी और अर्हता में कमी क्यों की गयी ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, इसमें जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि 29 दिसम्बर, 1972 के अनुसार यह था कि सिद्धांततः जो अभ्यर्थी डी0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, वह लेखाकार के पद के लिये उपयुक्त होंगे, लेकिन उसमें वरिष्ठता की भी बात कही गयी है कि जिनका 10 साल का एक्सपीरिएन्स हो तो वे लेखाकार तथा उसके बाद लेखाधिकारी भी हो सकते हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने खुद जो प्रश्न का उत्तर दिया, उसमें यह कहा था कि जो हमने पूछा था कि पदोन्नति तत्कालीन निदेशक ने अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व कर दी थी जबकि वे वेतनमान के भी पात्र नहीं थे । मेरा साफ सवाल यह था कि जो आपने 8 लोगों की नियुक्ति की है, वह उस पद के लिये पात्र नहीं थे । मंत्रीजी ने उत्तर दिया "जी हां", अब जब उस समय पात्र नहीं थे तो इन्होंने शासनादेश के बाद में निकाला 1983 में, एक साल के बाद, जो उस समय पात्र नहीं थे उनको पात्र बनाने के लिये, यह शासनादेश निकाला । मान्यवर, गम्भीर सवाल यह है कि जिस उद्यान निदेशक ने नियुक्ति की वह सेवा निवृत्त होने वाले थे, अतः जाते-जाते उन्होंने गलत नियुक्तियां कीं और शासन ने गलत नियुक्ति के एक साल बाद शासनादेश निकाला । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि एक साल बाद वह शासनादेश निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्रीमती बेनी बाई–

मान्यवर, यह पात्र थे, तभी तो लिये गये थे । दूसरे एक बात और निवेदन कर दूं कि यह जो एमेंडमेंट हुआ 11 अगस्त, 1983 को, लेखाकार के पद पर पदोन्नति हेतु, उसमें 10 वर्ष का अनुभव वांछित है ।

इसके लिए डी0टी0 की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है । इसीलिए उनकी पदोन्नतियां की गयीं ।

*7–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

[7वें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*8–श्री सरदार सिंह–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

बस्ती जिले में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों/कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि और उसके ब्याज का कोषागार से आहरण और जमा करने में प्रक्रिया का पालन न किया जाना

*9–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि राजाज्ञा संख्या 2429/15–(5)–33473, दिनांक लखनऊ 2 जून, 1975 शिक्षा अनुभाग-5 (जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों/कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि तथा उसके ब्याज को राजकीय कोषागार में जमा/आहरित करने के प्रक्रिया सम्बन्धी है), में दर्शायी गयी प्रक्रिया में किसी का पालन बस्ती जनपद में आज तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिए कौन उत्तरदायी तथा दोषी है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सूचना एकत्र करने में बहुत तेज हैं। मान्यवर, आप इस प्रश्न को देखें, यह प्रश्न शासन को 23 दिसम्बर, 1983 को भेजा गया था, आज 3 महीने बीत चुके हैं। यह मामला बस्ती जनपद में कार्यरत समस्त बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का था। सन् 1975 में शासन ने एक राजाज्ञा निकाली। तब से उस राजाज्ञा की वहां पर अवहेलना की जा रही है। माननीय मंत्री जी भी उसी परिवार के हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्ती जनपद में जो यह अनियमितता बरती जा रही है, इसकी जांच कराकर, इसी सत्र के सत्रावसान होने से पहले, उसकी जानकारी इस माननीय सदन में देने की कृपा करेंगे?

श्रीमती बेगी बाई–

मान्यवर, जब यह नियुक्तियां की गयीं, तो उनकी योग्यता थी। ये नियुक्तियां 29 दिसम्बर, 1972 के पैरा 4 के अनुसार की गयीं थीं। ये उस समय लेखाकार के पद पर उपयुक्त थे, इसलिए ये नियुक्तियां की गयीं।

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिस समय ये नियुक्तियां की गयीं, उस समय अर्हताएं क्या मांगी गयीं थीं, और नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों की क्या योग्यताएं थीं? और पुनः योग्यता में कमी करने के क्या कारण था?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसकी जांच कराकर, आपके माध्यम से इसकी सूचना माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

*10–श्री रियासत हुसैन–

[13वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कानपुर के जूनियर इंजीनियर, श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गयी आत्म हत्या एवं उसके जांच-परिणाम

*11–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कानपुर के जूनियर इंजीनियर श्री अनिल श्रीवास्तव) ने दिनांक 26 मार्च, 1982 को आत्म हत्या की थी? यदि हां, तो क्या आत्म-हत्या की जांच शासन ने सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या-क्या

तथ्य पाए गए हैं और इसके आधार पर 16-8-83 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री सजीवन सिंह)–

जी हां। अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के निकट प्रवेक्षण में सर्वप्रथम विशेष विवेचना प्रकोष्ठ व तत्पश्चात थानाध्यक्ष डेरापुर द्वारा मामले की विवेचना की गयी। दिनांक 16-8-83 तक मामला विवेचनाधीन था।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। एक अधिशासी अभियन्ता ने एक जूनियर इन्जीनियर को इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि उसे अपनी आत्म हत्या करनी पड़ी। माननीय मंत्री जी ने जैसा कि उत्तर दिया है कि अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवेक्षण के बाद थानाध्यक्ष डेरापुर को इसके जांच हेतु आदेश दिये गये। अब मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी0 आई0डी0 की रिपोर्ट क्या थी, जिसके आधार पर आपने थानाध्यक्ष, डेरापुर को जांच के आदेश दिये, कृपया इसे बताने की कृपा करें ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में कहा है कि तत्पश्चात् थानाध्यक्ष डेरापुर द्वारा मामले की विवेचना की गई। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आयी होगी और शायद माननीय मंत्री जी उस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए होंगे, इसीलिए उन्होंने इस मामले की गम्भीर जांच करने हेतु आदेश थानाध्यक्ष, डेरापुर को दिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थानाध्यक्ष, डेरापुर को जांच हेतु जो आदेश दिये गये, वह क्या प्रकरण है और उसके क्या-क्या बिन्दु हैं ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि पुलिस द्वारा मामले की जो विवेचना की गई है, वह अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में एफ0आई0आर0 लिखाई गई होगी और किसी एस0 आई0 ओ0 ने इसकी जांच की होगी और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही माननीय मंत्रीजी ने जांच हेतु सी0आई0डी0 को आदेश दिये। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस द्वारा रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या-क्या तथ्य आपके सामने आये, इसे कृपा करके आप बताने की कृपा करें ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, अभी 29 मार्च, 1984 को हमें एक पत्र मिला है, उसमें यह कहा गया है कि जो यह आत्म हत्या हुई है और इसमें जो परिस्थितियां पैदा की गई हैं उसमें अधिशासी अभियंता, श्री बजाज और सहायक अभियन्ता श्री मिश्रा का हाथ है, वे लोग दोषी पाये गये हैं, मुझे अभी इतनी ही जानकारी दी गई है।

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मृतक अभियन्ता के घरवालों से या उनकी पत्नी से आपको क्या कोई शिकायती पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने यह

लिखा हो कि ये लोग मेरे पति को प्रताड़ित करते हैं, और उस पत्र में क्या-क्या बिन्दु अंकित किये गये हैं ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं उपलब्ध हुई है ।

श्री मोती लाल देहलवी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जांच सी0आई0डी0 को किन परिस्थितियों में दी गयी ? और मान्यवर, क्या प्रागदर्शन में यह बात प्रमाणित हुई कि अधिशासी अभियंता के उत्पीड़न के कारण ही, इस जूनियर इंजीनियर ने आत्महत्या की है ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, इसके लिये बता दिया कि यह जो हमको 29 मार्च, को पत्र मिला है, जिससे आत्महत्या हुई है। आपका परिस्थितियां उनके द्वारा पैदा की गयी है, जिससे आत्महत्या हुई है ? आपका जो पहले का सवाल है, उसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विभागीय जांच के दौरान और सी0आई0डी0 की रिपोर्ट के अनुसार तथ्य प्रकाश में आये, मुझे सुनिश्चित जानकारी है कि उसमें बजाज-अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को दोषी पाया गया है, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसको अभी तक पदमुक्त न करने के क्या कारण हैं?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, श्री मिश्रा जो सहायक अभियंता हैं, उन्होंने 21 दिसम्बर, 1982 को ही अपनी जमानत करा ली थी, जब विवेचना चल रही थी । वह जमानत पर रिहा हैं। मान्यवर, जो अधिशासी अभियंता हैं, हमारे विभाग से, उनका स्थानांतरण कर दिया गया था पहले ही जून 1982 में । अभी हमको यह रिपोर्ट पुलिस से नहीं मिली कि उनके ऊपर क्या अभियोग लगाये गये हैं । मान्यवर, जैसे ही हमको जानकारी करायी जायेगी पुलिस से और उनके ऊपर कार्यवाही करने को पुलिस हमको लिखेगी, तो हम उन पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह सदन को जानकारी दी है कि अधिशासी अभियंता को, उनके विभाग से, स्थानांतरण कर दिया गया था, उसी समय में । माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री बजाज जो अभियंत्रण सेवा कानपुर में अधिशासी अभियंता थे, क्या आज वे आगरा में इसी विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियंता हैं या नहीं ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, इनका स्थानांतरण कानपुर से कर दिया गया था, यह तो मैंने कहा ही ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न कर रहे हैं कि आगरा में हैं या नहीं, उसी पद पर कार्यरत हैं या नहीं?

श्री राम सजीवन सिंह–

उसी पद पर कार्यरत हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

माननीय अध्यक्ष जी, आप अपना संरक्षण प्रदान करें । माननीय मंत्री जी ने यह जानकारी दी है कि सहायक अभियंता ने तो अपनी जमानत करा ली, वह दोषी पाये गये थे, जो अधिशासी अभियंता कानपुर में आर0ई0एस0 विभाग में

कार्यरत थे, उसको इस विभाग से कहीं दूसरे विभाग में स्थानांतरण कर दिया गया आज वह विभाग में सेवारत हैं या नहीं ? माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित जानकारी है कि उस दोषी अधिशासी अभियंता को, जिसके लिये कह रहे हैं, उसको विभाग से हटाया नहीं गया ? मैंने उनसे पूछा कि क्या वह आगरा में कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उनको वहां से तुरन्त हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि श्री मिश्रा के दोषी पाये जाने पर, उन्होंने अपनी जमानत करा ली । जब विवेचना चल रही थी विवेचना चलने के अन्तर्गत ही उन्होंने अपनी जमानत करा ली थी। 21-12-82 को जमानत अपनी करा ली थी, जब कि विवेचना चल रही थी। **मान्यवर, यह उत्तर में नहीं कहा कि उसको विभाग से ही स्थानांतरित कर दिया गया था अधिशासी अभियंता श्री बजाज को ।**

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त–

मान्यवर, आप देखें मामला कितना गंभीर है और मंत्री जी के उत्तरों से बिल्कुल स्पष्ट है कि दोषी अधिकारियों को बचाने का कितना निर्लज्ज व्यवहार किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । पहले तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मामला पुलिस विवेचना में है । फिर तस्लीम किया कि सहायक अभियंता जो हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कुछ आरोप लगाये थे और उन्होंने जमानत करा ली । माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कौन से आरोप लगाये थे, वह कौन से दोष उन पर लगाये गये थे, जिसके कारण श्री मिश्रा ने जमानत करा ली थी ? जो अधिशासी अभियंता, जिनका विभाग से ट्रांसफर कर दिया गया था, जब यह चीज आपके पास आ गयी और यह जांच भी मिल गयी थी कि विभागीय उत्पीड़न के कारण एक नवयुवक अवर अभियंता ने इस मुसीबत से, कुंठा महसूस होने के कारण, आत्महत्या की ।

मैं जानना चाहता हूं कि विभागीय जांच क्या हुई और दोनों दोषी व्यक्तियों सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्या हुई ?

श्री राम सजीवन सिंह–

मैंने यह नहीं कहा । मैं फिर दोहराता हूं कि मैंने कहा है कि मिश्रा ने जो जमानत करायी है, विवेचना पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही जमानत करायी है। क्या विवेचना की गयी है, उसकी जानकारी नहीं दी गयी। यह मैंने उत्तर में कहा है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि अभी जो अभियोग लगाया गया है उसकी सूचना मंत्री जी **ने दी है। तो मैंने कहा है कि** 29 मार्च, 1984 को उसकी जानकारी जो आयी है . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह मैंने नहीं पूछा था। मैं जानना चाहता हूं कि विभागीय कार्यवाही क्या की गयी है?

श्री राम सजीवन सिंह–

जैसा कि दोषारोपण किया जा रहा है, दोषी व्यक्तियों को शासन बचाना नहीं चाहता है। जैसे ही विवेचना की प्रतिलिपि हमको मिलेगी, जो विभाग द्वारा नियमानुसार हो सकेगा, उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द कर रहा हूं ताकि इसकी जांच हो सके।

अप्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारियों की सेवा समाप्ति

*12–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्ष 1976 के बाद नियुक्त कृषि स्नातक ग्राम सेवकों (वर्तमान ग्राम्य विकास अधिकारी कृषि) की सेवाएं समाप्त किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम सजीवन सिंह–

ग्राम्य विकास अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों के सुलभ हो जाने पर वर्ष 1976 के उपरान्त अप्रशिक्षित कृषि स्नातक ग्राम विकास अधिकारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो अप्रशिक्षित स्नातक काम कर रहे हैं 1976 से और शासन की नीति भी है कि जो 5 वर्ष की अवधि में तदर्थ रूप से नियुक्त थे और जिनकी सेवा 3 वर्ष की हो गयी है, उनको स्थायी कर दिया जाय, क्या इनकी विगत सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए इन्हें विभाग में समायोजित किया जायगा? प्रशिक्षित स्नातकों के उपलब्ध हो जाने के बाद इनकी सेवायें समाप्त तो नहीं कर दी जायेंगी?

श्री राम सजीवन सिंह–

शासन ने यह तय किया था कि 1 जुलाई, 1976 में ऐसे स्नातक जो कृषि से हैं और विभाग में कार्यरत हैं, उनको पृथक न किया जाय। इसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं, यह स्थानीय व्यवस्था है। समय-समय पर यह स्थान रिक्त होते रहते हैं और जहां पर प्रशिक्षित ग्राम अधिकारी उपलब्ध नहीं होते, उन स्थानों पर, कार्य में अवरोध न हो, इस दृष्टि से स्थानापन्न नियुक्तियां अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी अपने स्तर से कर लेते हैं, जब उनके स्थान पर प्रशिक्षित अधिकारी मिल जाते हैं, तो वहां पर प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति करके ऐसी स्थानापन्न नियुक्तियों को समाप्त कर देते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाते हैं। हम ऐसा भी नहीं कर सकते अपनी समझने की बुद्धि उन्हें दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बुद्धि उन्हें दे दें, समझ लेंगे।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, यह लेते ही नहीं हैं।

जो इतने वर्ष तक काम करते रहे, जब प्रशिक्षित लोग इनको मिल जायेंगे, तो उनको निकाल देंगे। मैंने कहा कि शासन की नीति भी है कि एक निर्धारित अवधि तक जो लोग तदर्थ आधार पर कार्य करते रहते हैं, रिक्ति होने पर उनको समायोजित कर लिया जाता है और उनको छटनी शुदा कर्मचारी समझा जाता है। ऐसी स्थिति में, शासन की नीति के आधार पर, जब प्रशिक्षित कर्मचारी मिल जायं तो क्या शासन इन अप्रशिक्षित लोगों को नौकरी से पृथक नहीं करेगा और कहीं न कहीं समायोजित करने पर विचार करेगा?

श्री राम सजीवन सिंह–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि और जिलों का मामला तो ऐसा हमारे प्रकाश में नहीं आया, यह व्यवस्था जैसी आपने कहा यह स्थानीय स्तर पर होती

है, लेकिन प्रतापगढ़ एक ऐसा जनपद है, जहां पर इस प्रकार के मामले की जानकारी प्रकाश में आयी है कि 1977 में 11 अधिकारी, सन् 1980 में 9 और 1981 में 2, कुल 22 अधिकारी अप्रशिक्षित थे, उनको रखा गया था और जब उनके स्थान पर प्रशिक्षित अधिकारी आ गये, तो उन अधिकारियों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। मान्यवर, उच्च न्यायालय से जो आदेश होंगे, उसी के अनुसार निर्णय होंगे और कार्यवाही तभी होगी, इसलिए पूर्व कोई आश्वासन देना उचित न होगा।

उप निदेशक, कृषि, फैजाबाद द्वारा एक लाख रुपये मूल्य के त्रिपाल की खरीद

*13—श्री जनार्दन प्रसाद आभा—
(अनुपस्थित)

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक (कृषि) फैजाबाद मण्डल ने गत वर्ष एक लाख रुपए का त्रिपाल खरीदा है? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति शासन से ली गयी थी? यदि नहीं, तो खरीद करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

जी हां, वर्ष 1982-83 में उप निदेशक कृषि फैजाबाद मण्डल द्वारा रु0 105472/- का त्रिपाल खरीदा गया था।

जी नहीं।

इस विषय में संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो) से जांच कराई गयी है और जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

इलाहाबाद की सैदाबाद-गनेशीपुर कछार मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

*14—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सड़क निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान गनेशीपुर, विकास क्षेत्र सैदाबाद, जिला इलाहाबाद का दिनांक 15-8-83 का कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम्य विकास मंत्री एवं विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित कार्य पूरा करा दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री राम सजीवन सिंह—

जी हां।

श्री भगौती प्रसाद सिंह, प्रधान, ग्राम सभा गनेशीपुर, विकास क्षेत्र सैदाबाद इलाहाबाद का दिनांक 15-8-83 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के विचारार्थ भेजा जा चुका है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के आदेश दिनांक 19 मार्च, 1984 द्वारा सैदाबाद से गनेशीपुर-कछार मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है तथा निर्माण हेतु 2.40 लाख रुपये अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सैदाबाद से गनेशीपुर कछार मार्ग का जो निर्माण कार्य सौंपा गया है, उसकी लम्बाई कितनी है और इस सड़क का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा और कब तक बन कर तैयार हो सकेगी?

श्री राम सजीवन सिंह—

मान्यवर, सड़क की लम्बाई की सूचना की तो आवश्यकता है, परन्तु इस सड़क के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित कर दी गयी है, जिससे आशा है कि शीघ्र ही सड़क पूरी हो जायेगी।

*15–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

श्रमदान द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग को सोलिंग तथा पुलियों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

*16–श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन-जिन ग्रामों के लिए जनता ने श्रमदान के द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्मित कराये हैं, उन मार्गों पर सरकार प्रथम वरीयता देकर सोलिंग तथा पुलियों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि शासन के पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं, है, तो क्या सरकार श्रमदान को प्रोत्साहन देने हेतु इस प्रकार की योजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक?

पंचायतीराज, ग्राम्य तथा नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

श्रमदान द्वारा निर्मित कार्यों पर वरीयता पर सोलिंग कराने या उन पर पुलियों का निर्माण कराने के लिये कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की प्रोन्नति पर लगायी गयी रोक

*17–श्री राजकुमार राय–

(अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में प्रोन्नतियों पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो इन प्रोन्नतियों में आने वाले रिक्त पदों को सरकार का भरने का इरादा कब तक है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

मान्यवर, शिक्षा व्यवस्था के कार्य संचालन में अध्यापकों का बहुत बड़ा हाथ है इसलिए यदि अध्यापकों को प्रोन्नतियां नहीं दी जायेंगी, तो निश्चित ही उनके कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होगा और शिक्षा व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। यह नीति संबंधी प्रश्न है, कहीं से किसी प्रकार की सूचना एकत्रित करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि प्रोन्नतियों पर जो रोक लगा दी गयी है, इसको खोल देंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

जो नियमानुसार प्रोन्नतियां होनी चाहिये, उन पर कोई रोक नहीं लगायी जायेगी, उनको जरूर प्रोन्नति किया जायेगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो इसके लिये योग्य होंगे उन पर रोक नहीं लगायी जायेगी और उन्हें प्रोन्नति का अवसर प्रदान किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों से जो भी प्रोन्नतियां शिक्षा विभाग में रोकी गयी हैं अध्यापकों की तो क्या उनकी निरन्तरता को देखते हुए निश्चित रूप से प्रोन्नत किया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

इसके लिये सूचना एकत्रित की जा रही है।

सी0 एल0 इण्टर कालेज, चोलावन चावली, जिला बुलन्दशहर के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती पत्र

*18–श्री किरनपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 17 श्री प्रभू नारायण सिंह की रुचि पर लिया गया।

27-12-82 सी0 एल0 इण्टर कालेज, चोलावन चावली, जनपद बुलन्दशहर में प्रधानाचार्य व प्रबन्ध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा गम्भीर घपले के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 82 में इस सम्बन्ध में मैंने एक पत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा था और उसका आज जवाब आ रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है, लेकिन मान्यवर, मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि जो हमारी शिकायतें थीं उनकी जांच होकर जिले से जानकारी पहले आ चुकी है, और जिनके विरुद्ध आरोप हैं, वह लोग भी पिछले हफ्ते से यहां पर चक्कर काट रहे हैं और वह लोग हमारे पास भी आये थे, इसलिये मेरी सूचना तो यह है कि इस मामले की जांच होकर सूचना यहां आ चुकी है, परन्तु क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि सत्रावसान खत्म होने से पहले इस मामले की सूचना एकत्र कर जवाब दिलवा सकेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय किरनपाल जी ने तो इस संबंध में मुझे काफी समय दे दिया है, वैसे मैंने इस सम्बन्ध में पत्रावली में सम्बन्धित अधिकारी से यह पूछा है कि इस मामले में इतनी देर क्यों हुयी और एक हफ्ते के अन्दर इसका जवाब दिया जाए, लेकिन इन्होंने छूट बहुत दे दी है।

गाजीपुर जिले के ग्राम बरार स्थित बेसिक प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

*19–श्री राम करन (अनुपस्थित) तथा श्री रामधीन (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद तहसील के विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम बरार में बेसिक प्राइमरी पाठशाला, बरार के भवन निर्माण हेतु अक्तूबर, 1983 में श्री सरजू पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 तथा अगस्त, 1983 में श्री राम नारायण, एम0 एल0 ए0 का पत्र जिलाधिकारी, गाजीपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर व अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गाजीपुर को प्राप्त हुआ है? क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, गाजीपुर ने 29 अक्तूबर, 83 को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के पश्चात् निर्धारित स्थान को उपयुक्त पाकर भवन निर्माण हेतु आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर एवं अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गाजीपुर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं यह सही है कि जिला अधिकारी गाजीपुर ने 29-10-83 को स्थल निरीक्षण करके अपनी सहमति व्यक्त की कि जहां विद्यालय बन रहा है वही बनना ठीक रहेगा इस तथ्य से अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को अवगत करा दिया गया। भट्ठे वालों की हड़ताल के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। अब यह कार्य शीघ्र आरम्भ किया जावेगा।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 19 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की रुचि पर लिया गया।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूल जो कि शिक्षा विभाग के मूल हैं और उन प्राईमरी स्कूलों के पास भवन नहीं हैं, तो उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उनके भवन निर्मित कराने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस प्रश्न पर जिस पर शासन ने सदैव विचार किया है, हमारे पास आंकड़े हैं, जहां पर स्कूलों के लिये भवन नहीं हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं धन की उपलब्धता को देखते हुए कि जहां-जहां पर स्कूलों के लिए भवन नहीं हैं, उन्हें शीघ्र ही बनवा दिया जाय और यदि धन पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिये व्यवस्था की जाय।

श्री छत्तर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों के भवनों के लिए वर्ष 1982-83 और 1983-84 में धन आवंटित किया गया था और उनके भवन नहीं बने हैं, तो संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां पर भवन नहीं बने हैं, तो एकदम आर्डर देना उपयुक्त न होगा। भवन न बनने का कोई कारण हो सकता है, मान्यवर भट्ठे की हड़ताल रही है, ईंटें नहीं मिल सकीं, बहुत से कार्य जो होने वाले थे, वह नहीं हो सके, दूसरी जो बात है जहां पर कोई विद्यालय जब स्वीकृत होता है तो पहले वह किसी दूसरी बिल्डिंग में होता है। वहां पर जो साइट का एलाटमेंट है, उसके अन्दर बहुत सी बाधायें आती हैं, मान्यवर, जिस पर प्रश्न किया गया है यह 135 नम्बर का प्लाट था फिर उससे हट कर 215 पर बनने का सवाल हुआ। वहां पर जिलाधिकारी भी गये और बाद विवाद हुआ आखिर में यह तय हुआ कि 215 पर ही बनेगा। तो इस तरह के विवाद होते रहते हैं, जहां पर कोई विवाद नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हैं, वहां पर अगर यह नहीं बने हैं, और विलम्ब हुआ है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को संस्था के उच्चीकृत होने पर प्रोन्नति दिया जाना

*20–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि हाई स्कूल से इण्टरमीडिएट होने पर जो प्रधान अध्यापक के पद पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें पदोन्नति दे दी जाती है? यदि हां, तो क्या यही व्यवस्था जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को भी शासन देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, अनुपयुक्त को छोड़कर। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने हेतु हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का चुनाव सीधी भर्ती से रखा गया है। जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों को संस्था के उच्चीकरण की स्थिति में हाईस्कूल का प्रधानाध्यापक बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

प्राइमरी पाठशाला, गोभेवार, जिला इलाहाबाद के बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित पत्र

1—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978-79 की भयंकर बाढ़ से बेसिक प्राइमरी पाठशाला, गोभेवार, ब्लाक जसरा, जनपद इलाहाबाद का सम्पूर्ण भाग गिर जाने के सम्बन्ध में सांसद श्री रामायण राय का पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1982 व दिनांक 2 जून, 1982 को मुख्य मंत्री के नाम सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो उक्त पाठशाला का नया भवन कब तक बना दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। प्राइमरी पाठशाला गोभेवार जनपद इलाहाबाद के सम्बन्ध में माननीय सांसद का पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1982 तथा 2 जून, 1982 प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद को नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

राजकीय इण्टर कालेज, मथुरा के नाम के पूर्व "वृन्दावन दास प्रकाशवती" नामों का जोड़ा जाना

2—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कि मथुरा जनपद में राजकीय इण्टर कलेज मथुरा का नाम बदल कर बाबू वृन्दावन दास व उनकी पत्नी के नाम से बदल दिया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत उसको बदला गया है और इसके क्या कारण हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। राजकीय इण्टर कालेज, मथुरा के पूर्व "वृन्दावनदास प्रकाशवती" जोड़ दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1982 तक किये गये आगरा व मेरठ मण्डल के दौरे

3—श्री बदन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् निदेशालय, इलाहाबाद ने जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1982 तक आगरा व मेरठ मण्डल में क्रमशः कितने दौरे किए हैं और उन पर कितना सरकारी व्यय किया गया है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

4—श्री गजेन्द्र सिंह—

[दिनांक 26-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-162 द्वारा उत्तरित।]

मान्यता प्राप्त विद्यालयों को संस्कृत एवं उर्दू अनुदान का भुगतान

5—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1978 से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालों को संस्कृत, उर्दू अनुदान का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि अन्य विद्यालयों को 80-81, 81-82 तक विधिवत् भुगतान किया जा चुका है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कुमाऊं, मेरठ, झांसी, फैजाबाद, गढ़वाल, आगरा, इलाहाबाद एवं गोरखपुर मण्डलों में सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन के भुगतान में विलम्ब

6—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में सहायता प्राप्त

माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

7–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं? किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

8–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

9–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमांऊ मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं, जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

10–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

निम्न शिक्षकों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है:–

सर्वश्री

1–होशियार सिंह
2–कांति प्रसाद
3–धर्म सिंह
4–रघुवीर सिंह
5–जे0 सी0 मांगलिक
6–हरिशरण शास्त्री
7–उर्मिला रस्तोगी
8–सावित्री मेहरा
9–एल0 जे0 पीटर
10–रणजीत जसपाल
11–कमला चौहान
12–तारावती
13–प्रमिला हंस
14–लालमन शर्मा
15–शंकर लाल शर्मा
16–कुंवर पाल सिंह
17–जमुना प्रसाद शर्मा
18–राम चरण वर्मा
19–दलीप चन्द्र शर्मा
20–भगवत प्रसाद गुप्त
21–रामेश्वरी देवी
22–कृपाल सिंह
23–दयाराम
24–जय भगवान शर्मा
25–सौरभ सिंह
26–भोला सिंह
27–राधा कृष्ण शास्त्री
28–कैलाश चन्द्र शर्मा
29–रघुवीर शरण शास्त्री
30–राम प्रसाद
31–धर्म पाल सिंह
32–शान्ति देवी भार्गव
33–चमन लाल यादव

34–रामेश्वर दयाल
35–पूर्ण चन्द्र शास्त्री
36–मनफूल सिंह
37–शान्ता शर्मा
38–अब्दुल वहाब
39–जयपाल सिंह
40–सीता राम शर्मा
41–पद्मा कौशिक
42–शिव नारायण गौतम
43–बल्देव शास्त्री
44–काली चरण
45–आर0 के0 जैन
46–विशेश्वर दयाल गुप्ता
47–आशा राम
48–ओम प्रकाश गर्ग
49–बलबीर सिंह
50–शान्ति गुप्ता
51–बनवारी लाल गुप्ता

11–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

12–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

13–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ

श्री अम्मार रिजवी–

ऐसे बारह शिक्षक हैं जिनके नाम नीचे लिखे हैं:–

1–कुमारी हेमलता सरकार
2–श्री नन्द किशोर
3–श्री राम पाल सिंह
4–श्री हरीश चन्द्र सिंह
5–श्री ई0 बेज्यमिन
6–श्री जे0 एन0 पाण्डेय
7–श्री राम चन्द्र
8–श्री पद्म बहादुर
9–श्री बी0एस0 महेन्द्रा
10–श्री राम चन्द्र चावला
11–कुमारी सुशीला
12–श्री पूर्णानन्द डोरियाल

14–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो दिनांक 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

15–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु

उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

16–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद

17–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद

18–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी मण्डल के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों की पेंशन का भुगतान

19–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल में सहयता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो 30 जून, 1983 को अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, किन्तु उन्हें पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, कुमायूं, बरेली एवं गढ़वाल मण्डलों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद

20–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

21–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

22–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

इलाहाबाद मण्डल के 16 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद था।

23–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में

दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

24–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

25–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

26–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

27–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

28–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

बरेली मण्डल के 4 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था।

29–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को प्रबन्धकीय विवाद था?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गढ़वाल, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कुमायूं, आगरा एवं मुरादाबाद मण्डलों में माध्यमिक विद्यालयों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही

30–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को फैजाबाद मण्डल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

31–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध दिनांक 31-10-83 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

32–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को वाराणसी मण्डल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

33–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को इलाहाबाद मण्डल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

34–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को गढ़वाल मण्डल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

35–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को मेरठ मण्डल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

36–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को बरेली मण्डल के कौन से माध्यमिक हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

बरेली मण्डल के निम्नलिखित विद्यालयों में दिनांक 31-10-83 को माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है :—

1–जे0 पी0 एन0 इण्टर कालेज, नवाबगंज, बरेली,

2–राजेन्द्र प्रसाद इण्टर कालेज, मीरगंज, बरेली,

3–सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज, शाहजहांपुर,

4–रेलवे इण्टर कालेज, रौजा, शाहजहांपुर,

5–स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज, अल्लागंज, शाहजहांपुर,

6–काकोरी शहीद हायर सेकेण्डरी स्कूल, खुटार, शाहजहांपुर,

7–पंचायत राज हायर सेकेण्डरी स्कूल, बड़ागांव, शाहजहांपुर।

37–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को गोरखपुर मंडल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजावी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

38—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को झांसी मंडल में कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

39—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को कुमाऊं मंडल के कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

40—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को आगरा मंडल में कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

41—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-10-83 को मुरादाबाद मंडल में कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

मुरादाबाद मंडल में निम्नांकित 7 विद्यालयों में 16 डी0 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है:—

1—श्यामलाल उ0 मा0 वि0, मुरादाबाद

2—जी0 जी0 हिन्दू इं0 का0, मुरादाबाद

3—शिव इन्टर कालेज, गजरौला, मुरादाबाद,

4—राष्ट्रीय इं0 का0 जब्दा, मुरादाबाद,

5—किसान इं0 का0 असमौली, मुरादाबाद

6—श्रीमती सुखदेवी इं0 का0 हसनपुर, मुरादाबाद।

7—हिन्दू इं0 कालेज, चांदपुर, बिजनौर।

श्री बलबीर सिंह, रू0वि0स0 का शासन के शिक्षा अनुभाग-5 को प्रेषित पत्र

42—श्री बलबीर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 11949/83, दिनांक 6-9-83 जिसके पाने की सूचना उनके अ0शा0प0 सं0 5233/15—(5)—8339 (25) 80 शिक्षा (5) अनुभाग दिनांक 12-10-83 द्वारा दी गयी है, के बारे में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नकर्ता विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-11949/83, दिनांक 6-9-83 शासन के शिक्षा (5) अनुभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता और न उसके पाने की सूचना में अ0शा0प0 सं0 5233/15 (5) 8339/25/80 दिनांक 12-10-83 शिक्षा (5) अनुभाग द्वारा जारी की गयी प्रतीत होती है। फिर भी इसकी छान बीन की जा रही है।

जौनपुर जिले में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या एक से अधिक बढ़ाया जाना

43—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतालायेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा

परिषद द्वारा संबोधित कितने जूनियर बेसिक विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक ही नियुक्त है ? क्या छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार ऐसे विद्यालयों में और शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

10 जूनियर बेसिक विद्यालयों में एक एक अध्यापक कार्यरत है । संसाधनों की उपलब्धता पर छात्रों की संख्या के आधार पर नियमानुसार एक से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति करना संभव हो सकेगा ।

राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के सेवा निवृत्त शिक्षकों को राहत की किश्तों का भुगतान

44—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों को 1-1-80 के पश्चात् राहत की कितने किश्तें स्वीकृत की गयी हैं ? और सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के सेवा निवृत्त शिक्षकों को इन किश्तों के भुगतान के आदेश कब कब निर्गत हुये हैं? क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सेवा निवृत्त शिक्षकों को इन किश्तों (1-1-80 के बाद की किश्तों) के भुगतान के आदेश अभी तक निर्गत नहीं हुये हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह आदेश कब निर्गत होंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है । बेसिक शिक्षा परिषद के सेवा निवृत्त शिक्षकों को 1-1-80 के बाद की राहतें अभी स्वीकृत नहीं की जा सकी हैं । प्रकरण विचाराधीन है और यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ के प्रवक्ता श्री गोपाल सरन सक्सेना एवं श्री अनिल कुमार का त्याग पत्र एवं बकाये वेतन का भुगतान

45—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमीनाबाद इण्टर कालेज लखनऊ जो नगर-पालिका, लखनऊ के अन्तर्गत है, के कितने ऐसे प्रवक्ता हैं, जिन्होंने वर्ष 1976 से 1980 के मध्य त्याग पत्र दिया है ? क्या सरकार उनके देय वेतन तथा भत्ते आदि देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इण्टर कालेज, लखनऊ के केवल दो प्रवक्ताओं, क्रमशः श्री गोपाल सरन सक्सेना तथा श्री अनिल कुमार, ने वर्ष 1976 से 1980 के मध्य अपनी सेवाओं से त्याग पत्र दिया है। इनमें से श्री गोपाल सरन सक्सेना को उनके देय वेतन एवं भत्ते का भुगतान हो चुका है । श्री अनिल कुमार को देय वेतन एवं भत्ते के भुगतान का प्रकरण विद्यालय स्तर पर अभी विचाराधीन है ।

सुल्तानपुर जिले के विकास खण्ड शुकुल बाजार ग्राम सभा रसलपुर में मिनीकिट योजना के अन्तर्गत बीज एवं कलचर का विवरण

46—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा रसलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1983 की रबी की बुवाई के लिये किन-किन व्यक्तियों को बीज एवं कल्चर आदि का किट-वितरण किए गये हैं। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह—

ग्राम सभा रसलपुर, विकास खण्ड बाजार शुकुल, जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1983

को रबी दलहनी तिलहनी फसलों की बुवाई के लिए विशेष मिनीकिट योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित 6 पात्र कृषकों को चने बीज का मिनीकिट पैकेट वितरित किया गया है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 156 पर।)

बेसिक शिक्षा परिषद् (नगर क्षेत्र) शाहजहांपुर के अध्यापकों के भविष्य निधि की पास बुकें न बनना

47—श्री सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, (नगर क्षेत्र) शाहजहांपुर के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के भविष्य निधि की पास बुकें अब तक न बनने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई0 के अन्तर्गत लम्बित अपीलें

48—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई0 (10) के अन्तर्गत कितनी अपीलें 31-10-83 को शासन में और कितनी अपीलें शिक्षा निदेशालय में अनिर्णीत पड़ी हुई हैं। इनके निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके निस्तारण में अभी और कितना समय लगेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन का विलम्ब से भुगतान किया जाना

49—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1981-82 में प्रत्येक माह में अलग-अलग कौन से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान आगामी माह की 20 तारीख के बाद किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के विद्यालयों में प्रबन्धाधिकरणों के स्थान पर साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

50—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इण्टरमीडिएट एक्ट की धारा 16 डी0—8 के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर, 1983 तक प्रदेश में कुल कितने प्रबन्धधिकरणों को निलंबित कर उनके स्थान पर साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी —

प्रदेश के 9 विद्यालयों में इन्टरमीडिएट एक्ट की धारा 16डी0—8 के अन्तर्गत प्रबन्धाधिकरणों को निलम्बित कर उनके स्थान पर प्रबन्धाधिकरणों की नियुक्ति की गयी है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम्य विकास अधिकारियों के भविष्य निधि की पास बुकें

51—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में ग्राम्य विकास अधिकारियों के भविष्य निधि की पास बुकें तैयार नहीं हैं? यदि हां,

तो इन्हें कब तक तैयार करके उन्हें दे दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। छपी पास बुकों की मांग राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से की गई है। उनके उपलब्ध होने पर ग्राम्य विकास अधिकारियों के भविष्य निधि की पास बुकें तैयार की जायेंगी

52—श्री पंचानन राय—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

प्रदेश के हाई स्कूलों एवं इण्टरमीडिएट कालेजों की संख्या एवं उनमें विभिन्न वेतनमानों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी

53—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज हैं तथा इनमें विभिन्न वेतनक्रमों में कितने शिक्षक एवं कर्मचारी दिनांक 31-10-83 को कार्यरत थे?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड जहानागंज के ग्राम विकास अधिकारी, श्री रघुवंश राय एवं श्री कमल किशोर सिंह का निलम्बन एवं आरोप-पत्र

54—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के जहानागंज विकास खण्ड में कौन-कौन से ऐसे विकास अधिकारी हैं जिनको निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया, किन्तु उन्हें आरोप पत्र नहीं दिया गया है?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ जिले के जहानागंज विकास खण्ड के सर्वश्री रघुवंश राय एवं कमल किशोर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी एक वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं तथा श्री रघुबंश राय को दिनांक 25-10-83 तथा श्री कमल किशोर सिंह को दिनांक 7-11-83 को आरोप-पत्र निर्गत किये गये।

कृषि विभाग के कर्मचारियों का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

55—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग 3 से 2, 2 से 1 तथा 1 से श्रेणी 2 में तदर्थ पदोन्नति कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग से विभाग द्वारा पिछले 20 वर्षों से अनुमोदन नहीं कराया गया है? यदि हां, तो उन कर्मचारियों का अनुमोदन जब तक हो जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि कुछ कर्मचारियों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जा चुका है तथा कुछ कर्मचारियों के मामले लोक सेवा आयोग के अभी विचाराधीन हैं। शेष कर्मचारियों के मामलों में लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास जारी है।

शाहाबाद, चमख्या जिला रामपुर में धान, सोयाबीन आदि के वितरण एवं प्रदर्शन से लाभान्वित कृषकगण ...

56—श्री बंशीधर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ 1983 में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र 39-शाहाबाद, चमख्या, जनपद रामपुर में सोयाबीन, धान तथा खाद नरसरी व प्रदर्शन हेतु कितने कृषक लाभान्वित हुए?

श्री यशपाल सिंह—

खरीफ वर्ष 1983 में शाहाबाद एवं चमख्या, जनपद रामपुर में धान की सामुदायिक पौधशाला, खाद, निःशुल्क वित-

रित धान मिनीकिट, सोयाबीन के सामान्य प्रदर्शन से कुल 555कृषक लाभान्वित हुए।

57—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर जिले की प्राइमरी पाठशाला, सिसवां बाबू के अध्यापकों के विरुद्ध कथित शिकायत की जांच

58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक महाराजगंज के प्राइमरी पाठशाला, सिसवां बाबू के किन-किन सहायक अध्यापकों के विरुद्ध विद्यालय में उपस्थित न रहकर कचहरी में रजिस्ट्रार कानूनगो के कार्यालय में सरकारी कागजों की लिखा पढ़ी करने, विद्यालय की भूमि को निजी उपयोग में लाने आदि के सम्बन्ध में माह सितम्बर, 82 से 25-5-83 तथा प्रश्नकर्ता की संस्तुति से स्थानीय जनता द्वारा की गयी शिकायतों की जांच कौन अधिकारी कर रहे हैं और जांच में कौन-कौन से तथ्य प्रमाणित हुए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या इस सन्दर्भ में प्रमुख शिकायतकर्ता से भी पूछताछ की गयी यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री योगेन्द्र दास, सहायक अध्यक्ष श्री मुन्नी, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सिसवा बाबू के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुयी थी जिसकी जांच क्षेत्रीय प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा करायी गयी। जांच में कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है अतः कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। जी हां। शिकायतकर्ता श्री राधेश्याम से साक्ष्य देने को कहा गया था किन्तु कुछ कहने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की।

इण्टरमीडिएट कालेजों के व्यायाम शिक्षकों का वेतनमान

59—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों में जो व्यायाम शिक्षक एम0 ए0 डी0 पी0 एड0 के कार्यरत हैं इनका वेतनमान इस समय क्या है? क्या इनको प्रवक्ता वेतनक्रम देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सम्प्रति इण्टरमीडिएट कक्षाओं को अध्यापन करने वाले एम0 ए0 डी0 पी0 एड0 योग्यताधारी व्यायाम शिक्षकों को प्रशिक्षित स्नातक वेतनमान (540-910) अनुमन्य किया गया है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति शासन की नीति इन्हें प्रवक्ता वेतनमान देने की नहीं है।

गण्डक समादेश परियोजना की गोरखपुर इकाई एवं निचलौल इकाई के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

60—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के गंडक समादेश परियोजना की इकाई, गोरखपुर व निचलौल की जांच मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक, लखनऊ ने दिनांक 17-4-83 को दिया था और निर्माण कार्यों में सरकारी धन की खुली लूट की रिपोर्ट शासन को भेजा था? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में संदर्भित मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक लखनऊ द्वारा जनपद गोरखपुर के गण्डक समादेश परियोजना की गोरखपुर व निचलौल इकाइयों की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई थी।

प्रशासक गण्डक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना को इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश दिये गये थे। रिपोर्ट में किये गये काम के स्तर की खराबियों का उल्लेख किया गया है। आवश्यकतानुसार किये गये कार्य के दोषों के निवारण तथा इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ जिले के निजामुद्दीनपुर, चाहन एवं फरीदनगर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कुलाबों का निर्माण एवं कुलाबा समिति का गठन तथा नालियों का निर्माण

61—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के सातवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—50 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि संबंधित ग्रामों में कुल कितने कुलाबा हैं? क्या प्रत्येक कुलाबा हेतु नियमानुसार कमेटियां बनाई गयी हैं यदि हां, तो कब? क्या सरकार प्रत्येक कुलाबा कमेटी के सदस्यों के नाम अलग-अलग बतायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

संबंधित ग्रामों में खड़गपुर अल्पिका पर कुल 4 कुलाबों (नं0 7, 8, 9 व 10) का निर्माण शारदा सहायक कमाण्ड प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रत्येक कुलाबे के लिए कुलाबा समितियों का गठन किया गया है। समितियों के गठन की तिथि व सदस्यों के नाम संलग्नक "एक" में दर्शाये गये हैं।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 157 पर।)

62—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

उक्त संदर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य का अनुमोदन क्या संबंधित ग्राम सभाओं से करा लिया गया था? यदि हां, तो किस तिथि को? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 एवं भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 में प्रक्षेत्र विकास कार्यों का अनुमोदन ग्राम सभाओं से कराने का कोई प्राविधान नहीं है।

63—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित ग्राम में जो कुलाबे बनाए गए हैं इनमें कितनी मात्रा में कच्ची व पक्की नालियां बनाई गयी हैं? क्या यह भी सत्य है कि जो कुलाबे बनाए गए हैं वे कन्ट्रेक्टस के मुताबिक न बनाकर निचले भूभाग में बना दिए गए हैं जिसके कारण पानी की आबपासी नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो इन बातों के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्राधिकारी द्वारा निर्मित चार कुलाबों (नं0 7, 8, 9 एवं 10) पर निष्पादित कराये गये कच्चे एवं पक्के कार्यों का विवरण संलग्नक "दो" में दिया गया है। जो कुलाबे बनाये गये हैं वह कंटूर के मुताबिक बनाये गये हैं। निष्पादित कार्य समोच्च रेखीय सर्वेक्षण के अनुरूप है। आबपासी के लिए पानी उपलब्ध न होने का मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध आपूर्ति स्तर नियोजित पूर्ण आपूर्ति स्तर (फुल सप्लाई लेबिल) से कम है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया है। पूर्ण स्तर पर नहर में पानी की आपूर्ति होने पर कृषकों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 158 पर।)

गोरखपुर व देवरिया से संबंधित गंडक समावेश परियोजना में व्याप्त अनियमितताओं से संबंधित शिकायती पत्र

64—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर व देवरिया से संबंधित गंडक समादेश परियोजना के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं के संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता के कितने शिकायती-पत्र जिसमें सीमेंट न लगाकर ईंट रखने व बाहर से दिखाने मात्र के लिए सीमेंट लगाने, अनियमित भर्ती, 53 लाख रुपए की सीमेंट का गोलमाल करने आदि से संबंधित मामले हैं, माह अप्रैल, 83 से मई, 83 के बीच उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। इस अवधि में 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। शिकायती पत्र में उल्लिखित सीमेंट न लगाकर ईंट रखने का मामला प्रकाश में नहीं आया है। दो मामलों में सीमेंट के सही अनुपात में प्रयोग न किये जाने का मामला प्रकाश में आया है जिस पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। शिकायती पत्र में अनियमित भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है। 53 लाख रुपये के सीमेंट के गोलमाल का कोई मामला इस समादेश में प्रकाश में नहीं आया है। रु0 87,560/- के छः मामले सीमेंट के दुरुपयोग के प्रकाश में आये हैं जिस पर जांच व अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

उन्नाव जिले के ग्राम दौलत खेड़ा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायती पत्र

65—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-4-84 को ग्राम दौलत खेड़ा, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के विद्याधर व कई सदस्यों ने एक शिकायती-पत्र परगनाधिकारी, हसनगंज को उपरोक्त ग्राम के प्रधान के विरुद्ध दिया था? यदि हां, तो उक्त शिकायतें क्या थीं तथा उसकी जांच किस अधिकारी ने कब की? जांच रिपोर्ट क्या है और उसके अनुसार उपरोक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

किशोरी रमन इण्टर कालेज, मथुरा के सहायक अध्यापक, श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी के वेतन, नियुक्ति आदि का मामला

66—श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्री पंचानन राय विधायक एवं अन्य मा0 विधायकों की संस्तुति के साथ श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक किशोरी रमन इण्टर कालेज, मथुरा के वेतन, नियुक्ति कार्यभार ग्रहण आदि के संबंध में मा0 स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी का दिनांक 21 फरवरी, 83 का लिखित पत्र, 24 फरवरी, 83 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो संबंधित मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी को सेवा में मानते हुए प्रबन्धाधिकरण को उनका अधावधिक वेतन बिना प्रस्तुत करने को 22-3-83 को लिखा गया। इसके विरुद्ध प्रबन्धाधिकरण मा0 उच्च में चले गये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वेतन भुगतान पर कोई रोक नहीं लगायी गयी। अतः श्री चतुर्वेदी को माह अप्रैल, 1983 से वेतन भुगतान करना प्रारम्भ किया गया।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, महुआ टोला, जिला हरदोई में दो प्रधानाध्यापिकाओं को वेतन दिया जाना

67—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक कन्या जूनियर हाई स्कूल, महुआ टोला, शाहाबाद, जिला हरदोई में इस समय दो प्रधानाध्यापिकाओं को वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो एक विद्यालय में दो प्रधानाध्यापिकाओं की नियुक्ति का औचित्य क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

कन्या जूनियर हाई स्कूल महुआ टोला शाहाबाद, जिला हरदोई के प्रधानाध्यापिक के पद पर पदोन्नति से संबंधित रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण।

आर्य कन्या महा विद्यालय, हरदोई की प्राचार्या, श्रीमती सुधा चौधरी के विरुद्ध जांच आख्या

68—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

विधान सभा के दिनांक 5-9-1983 को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 201 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जांच पूरी हो गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई प्रबन्ध समिति द्वारा प्राचार्या श्रीमती सुधा चौधरी के विरुद्ध आरोपों की कराई गई जांच आख्या में बिजली फिटिंग, भवन निर्माण सामग्री, स्टेशनरी तथा फर्नीचर सम्बन्धी सामग्री के क्रय करने में अनियमितताओं का उल्लेख है। जांच आख्या में प्राचार्या को अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने एवं प्रबन्ध के आदेश का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है।

69—श्री विजय सिंह राना—

-[दिनांक 22-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या—57 द्वारा उत्तरित।]

70—श्री राम स्वरूप वर्मा—

-[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

71—श्री प्रियदर्शी जेतली—

-[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-4 द्वारा उत्तरित।]

मिर्जापुर जिले के बरईपुर डुमरी मार्ग का निर्माण

72—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के ब्लाक जमालपुर के अन्तर्गत बरईपुर-डुमरी मार्ग का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया और इस पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया? क्या सरकार इस मार्ग की शीघ्र लेपन कराकर जनता के आवागमन हेतु उपलब्ध कराएगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, हरदोई का आडिट

73—श्री हरी शंकर तिवारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1983 के पहले सोमवार के उत्तरित अता0 प्र0 सं0 34 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 घ की नोटिस का उत्तर कब प्राप्त हुआ और प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रबन्धक ने माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (3) में दिये गये नोटिस का उत्तर आपने 31-10-83 के पत्र द्वारा भेजा। मामले में शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

बस्ती जिले के कतिपय विकास खण्डों में तैयार की गयी धान की सामूहिक नरसरी

74–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 में खरीफ की फसल के धान की सामूहिक नरसरी, बस्ती जनपद के विकास खण्ड रुधौली, सांथा तथा खेसरहा में किन-किन कृषकों के यहां कितने-कितने रकबे में विभाग द्वारा तैयार कराया गया और किन-किन किसानों के यहां उनका रोपण कराया गया तथा कौन सी किस्म के धान की नरसरी तैयार करायी गयी? क्या माननीय मंत्री सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री यशपाल सिंह–

वर्ष 83-84 में खरीफ की फसल के धान की सामूहिक नरसरी विकास खण्ड रुधौली, सांथा तथा खेसरहा के 78 कृषकों के यहां 12 हेक्टेयर क्षेत्र में विभाग द्वारा तैयार करायी गयी और उक्त विकास खण्डों के 415 कृषकों के यहां रोपण कराया गया धान की साकेत-4, प्रसाद एवं जया किस्म की नरसरी तैयार करायी गयी। पौध तैयार करने वाले तथा उनका रोपण करने वाले कृषकों की सूची क्रमशः तालिका†-1 व 2 के रूप में संलग्न है।

75–श्री बदन सिंह–

[दिनांक 26-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-178 द्वारा उत्तरित]

अल्मोड़ा जिले के आ0 इन्टर कालेज, सुरईखेत के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

76–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, आ0 इण्टर कालेज, सुरईखेत, पो0 विठौली, जनपद अल्मोड़ा के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र शासन को वर्ष 83 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रधानाचार्य के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

77–श्री रेवती रमण सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी–

[दिनांक 28-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-61 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व संगठन के अवर अभियन्ता एवं अनुरक्षण अभियन्ताओं की अर्हता

78–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग में प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार का कार्य किस सक्षम अभियन्ता की देख रेख में कराया जाता है और क्या वह उक्त कार्य देखने के लिए तकनीकी दृष्टि से सक्षम है? यदि नहीं, तो सक्षम अभियन्ता का पद अब तक क्यों सृजित नहीं किया?

श्री अम्मार रिजवी–

उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व संगठन के संरक्षित स्मारकों के जीर्णोद्धार आदि का कार्य इस समय संगठन में उपलब्ध एक अवर अभियन्ता तथा एक अनुरक्षण सहायक की देख रेख में

† (छापी नहीं गयी।)

कराया जाता है। ये दोनों ही कर्मचारी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं और संरक्षित स्मारकों के मरम्मत अनुरक्षण तथा जीर्णोद्धार कार्य के लिए ही रखे गये हैं।

79—श्री भीखा लाल—

[दिनांक 12-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-132 द्वारा उत्तरित]

80—श्री भीखा लाल—

[दिनांक 12-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-129 द्वारा उत्तरित]

प्राइमरी पाठशाला, पिढ़हतिया, हरदोई के अध्यापक, श्री श्याम किशोर मिश्र द्वारा राजनीति में भाग लेने का औचित्य

81—श्री खैरुल बशर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि श्री श्याम किशोर मिश्र पुत्र श्री जगदीश चन्द्र मिश्र, सहायक अध्यापक प्रा0 पा0 पिढ़हतिया, जनपद हरदोई एक सक्रिय राजनीतिक एवं जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी हैं? यदि हां, तो क्या राजकीय कर्मचारी होने के नाते उनका राजनीति में भाग लेना उचित है? यदि नहीं, तो क्या श्री मिश्र सहायक अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जी नहीं। श्री श्याम किशोर मिश्र राजकीय कर्मचारी नहीं हैं अपितु बेसिक शिक्षा परिषदीय अध्यापक हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई से प्राप्त सूचनानुसार अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

82-83—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने के कारण निरस्त।]

वाराणसी जिले में पंचायत सेवक के पद हेतु मांगे गये प्रार्थना-पत्र

84—श्री ऊदल—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में पंचायत सेवकों की भर्ती हेतु अक्टूबर, 82 में प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे और परीक्षा 31 अक्टूबर, 82 तथा इण्टरव्यू 7 नवम्बर, 82 को था? यदि हां, तो इसको अभी तक रोके रहने का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 के तहत जनपद वाराणसी में पंचायत सेवक (ग्राम पंचायत अधिकारी) के रिक्त पदों पर चयन कराये जाने हेतु निदेशक पंचायतराज को निर्देशित कर दिया गया है।

जूनियर बेसिक शिक्षकों के पुत्र/पुत्रियों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा जारी रखे जाने की मांग

85—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 41/1844/15-7-2 (28)-77, दिनांक 4 दिसम्बर, 1978 द्वारा शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 107 में संशोधन के परिणाम स्वरूप जूनियर बेसिक शिक्षकों के पुत्र अथवा पुत्रियों को निःशुल्क शिक्षा सुविधा से वंचित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों का पुनः उक्त सुविधा देने पर विचार करेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

शिक्षा संहिता के प्रस्तर 107 के अन्तर्गत जूनियर बेसिक शिक्षकों के पुत्रों/पुत्रियों को प्रश्नगत सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन शिक्षकों के पाल्यों को भी यह सुविधा देने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्रीमती कटोरी देवी, अध्यापिका, निवासी दलपति खिड़की, मथुरा का स्मृति पत्र

86–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कटोरी देवी, अध्यापिका, निवासी दलपति खिड़की, मथुरा का स्मृति पत्र दिनांक 29-8-83 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं और उनकी मांगों पर सरकार ने अभी तक क्या निर्णय लिया है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में जिला परिषदों को होने वाले स्थानीय दर (लोकल रेट्स) के घाटे की प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने की मांग

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा जिला परिषदों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली लोकल रेट्स अनुदान जो वर्ष 1947-48 में निर्धारित की गयी थी लगान इत्यादि के रेटों में बढ़ोत्तरी करने में क्या कठिनाई है?

श्री अम्मार रिजवी–

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के लागू होने के फलस्वरूप वर्ष 1949 के आंकड़ों के आधार पर जिला परिषदों को स्थानीय दर (लोकल रेट) से होने वाली आय के घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए प्रतिवर्ष जिला परिषदों को अनुदान निर्धारित प्रतिकर के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है। चूंकि यह एक निर्धारित प्रतिकर है, अतः इसमें वर्षानुवर्ष वृद्धि सम्भव नहीं है।

88–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शासन को ज्ञात है कि इस अनुदान के न बढ़ाये जाने के कारण प्रदेश की अनेक जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनुदान को बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, यह सही है कि कुछ जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। वे सम्पत्ति एवं विभव कर जैसे अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि कर सकती हैं। अनुदान को बढ़ाना शासन के लिए सम्भव नहीं है।

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का वेतन मान

89–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद के कार्य अधिकारियों जिनका वेतन क्रम 850–1720 है, को अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर ही पदोन्नति का अवसर उपलब्ध है, परन्तु अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद के लिये 1250–2050 का वेतन क्रम अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) ने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद के लिए कोई वेतनमान संस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए अतिरिक्त मुख्य

अधिकारी के पद के लिये कोई वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

हरदोई के जनता इण्टर कालेज, कछौना केन्द्र की व्यक्तिगत परीक्षार्थिनी कु0 स्नेहलता गुप्ता का परीक्षाफल घोषित न किया जाना

90—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 में जनपद हरदोई के जनता इण्टर कालेज, कछौना केन्द से कु0 स्नेह लता गुप्ता रोल नं0 454806 इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुई थी? यदि हां, तो उनका परीक्षाफल अभी तक घोषित न किये जाने का क्या कारण है तथा उक्त परीक्षा फल कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

हां, कु0 स्नेहलता गुप्ता अनुक्रमांक 454806 का वर्ष 1982 की इण्टर व्यक्तिगत परीक्षा का परीक्षाफल निर्धारित परीक्षा शुल्क की कमी के कारण रोका गया था। परीक्षार्थिनी द्वारा प्रतिबन्धों की पूर्ति करने पर उक्त परीक्षाफल दिनांक 20-1-84 को घोषित किया जा चुका है।

पीलीभीत के भरतपुर कालोनी निवासी श्रीमती अल्ला रखी व श्री भूरे खां का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

91—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्ला रखी पत्नी मकसूद हुसैन, भूरे खां, पुत्र मोहम्मद, निवासी भरतपुर कालोनी, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-1-83 व 19-8-83 शासन को प्राप्त हुआ है? क्या यह भी सच है कि शासनादेश संख्या 3682, दिनांक 16-1-75, कृषि अनुभाग-6, उ0 प्र0 के अनुसार उक्त अल्ला रखी व भूरे खां आवंटन के पात्र हैं? यदि हां, तो अब तक आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। केवल दिनांक 19-8-83 का संयुक्त प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है।

भूमि आवंटन की कार्यवाही जिलाधिकारी, पीलीभीत के स्तर पर विचाराधीन है।

लखीमपुर खीरी जिले की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की अपर्याप्त संख्या

92—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पलिया ब्लाक, जनपद लखीमपुर खीरी में कितने बेसिक प्राथमिक पाठशाला हैं? पाठशालाओं हेतु कितने अध्यापक आवंटित हैं? क्या यह भी सच है कि आवंटित संख्या के एक तिहाई भी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं? यदि हां, तो क्या शासन शिक्षकों के अभाव को पूरा करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी जिले की नगर पालिका भदोही स्थित प्राइमरी पाठशाला के भवन के निर्माण में अवरोध

93—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के नगरपालिका भदोही की प्राइमरी पाठशाला के भवन की दीवालें छत स्तर तक बनाकर उक्त निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिये तत्काल अतिरिक्त धन स्वीकृत किया

जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निर्माण कार्य पूर्ण कराने की निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

वाराणसी जिले की प्राइमरी पाठशाला, परगासपुर के भवन की मरम्मत

94–श्री बनवारी राम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड भदोही में प्रा0 पा0 परगासपुर का भवन जो 35 हजार रुपये खर्च करके निर्माण किया गया था, की हालत जीर्ण हो गई और उससे खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करायेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

भवन निर्माण नहीं अपितु भवन की मरम्मत 30,132/- रु0 से करायी गयी भवन अच्छी दशा में है तथा किसी प्रकार का खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के हथिवार स्थित प्राइमरी पाठशाला के भवन के निर्माण की मांग

95–श्री बनवारी राम–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी में वि0 क्षे0 पिंडरा के प्रा0 पा0 हथिवार जो 50 वर्ष से चल रहा है, के पास कोई अपना भवन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार भवन निर्माण कराने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

जी हां।

यह धन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

वाराणसी जिले की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

96–श्री बनवारी राम–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के अधीन प्रा0 पाठशालाओं में जनवरी, 82 से जून, 83 तक कितने सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार बच्चों की शिक्षा में हो रही क्षति को रोकने हेतु अविलम्ब नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ के श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अनुसूचित जाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा

97–श्री बनवारी राम–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के अध्यापक हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कोटे के आधार पर हरिजन जाति के अध्यापकों की नियुक्ति करेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

60 अध्यापक हैं, जिसमें एक अध्यापक अनुसूचित जाति के हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिनियम/परिनियमों में ऐसा प्राविधान नहीं है।

वाराणसी मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पद

98—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय वाराणसी मण्डल के राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, एक पद रिक्त है। जुलाई, 1984 तक भरे जाने की सम्भावना है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के मुख्य अभियन्ता का रिक्त पद

99—श्री बनवारी राम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का पद लगभग दो वर्ष से रिक्त चला आ रहा है? यदि हां, तो अब तक नियमित न करने का क्या कारण है? क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि कार्मिक विभाग के आदेशानुसार तदर्थ नियुक्ति एक वर्ष से अधिक नहीं चलायी जा सकती है? यदि हां, तो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के मुख्य अभियन्ता का पद भार स्थानीय प्रबन्ध से विगत दो वर्षों से क्यों चलाया जा रहा है तथा उसे मुख्य अभियन्ता के पद का वेतन भी दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत तथा सरकार कब तक मुख्य अभियन्ता के पद का चयन करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, मुख्य अभियन्ता का नियमित चयन कुछ अपरिहार्य कारणों से अब तक नहीं किया जा सका। नियमित चयन के लिए मामला सक्रिय रूप से शासन के विचाराधीन है।

वाराणसी जिले की नगर पालिका भदोही की प्राइमरी पाठशाला का निर्माणाधीन भवन एवं अध्यापकों के वेतन का भुगतान

100—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की नगरपालिका भदोही की प्रा0 पा0 का भवन निर्माण की नीव 1 वर्ष पूर्व डाली गयी थी? यदि हां, तो भवन निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

विद्यालय भवन निर्माणाधीन है। निर्माण पूरा कराने की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

101—श्री बनवारी राम—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका भदोही में प्रा0 पा0 के समस्त अध्यापकों का वेतन का चेक हर माह की 1 तारीख को प्राप्त हो जाता है? यदि हां, तो 20—25 दिन बाद भुगतान होने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

अध्यापकों के वेतन का चेक सामान्यतया हर माह की 1 से 5 तारीख के अन्दर निर्गत कर दिया जाता है। कभी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कुछ दिन का विलम्ब हो सकता है अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं किया जाता।

आजमगढ़ के लोक शिक्षा परिषद् इण्टर कालेज, सरदहा के परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक एवं निरीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान की मांग

102—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक शिक्षा परिषद् इन्टर कालेज, सरदहा आजमगढ़ केन्द्र के निरीक्षकों एवं केन्द्र व्यवस्थापक का वर्ष 1969 की परीक्षा के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया

गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापक का वर्ष 1969 की परीक्षा के पारिश्रमिक का दयेक 27 जनवरी, 1970, को पारित किया जा चुका है। जहां तक उक्त परीक्षा केन्द्र के कक्ष निरीक्षकों आदि के वर्ष 1969 के पारिश्रमिक के भुगतान का संबंध है, उसका दयेक 2-4-74 को पारित कर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 19-4-74 को पूर्व जांच हेतु महालेखाकार उ0प्र0 को प्रेषित किया गया। किन्तु कई अनुस्मारकों के उपरान्त भी उक्त दयेक का महालेखाकार द्वारा निर्गत अधिकार पत्र उनसे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस हेतु महालेखाकार को पुनः स्मरण कराया गया है और उनसे अधिकार-पत्र प्राप्त हो जाने पर उसे भुगतान हेतु प्रधानाचार्य को भेज दिया जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रेनेज प्रखण्ड तथा बाढ़ खण्ड गोरखपुर में गबन संबंधी आरोप पत्र

103–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग को प्रश्नकर्ता के आरोप पत्र के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 एनेक्सी भवन का पत्र सं0 एम0/10888/सी0 एम–2/83 दिनांक 21-12-83 मिला है? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं? क्या उनकी जांच कराई गई? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां। उक्त पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रेनेज (नाला) प्रखण्ड तथा बाढ़ कार्य खण्ड, गोरखपुर को दी गई धन-राशि के गबन के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

इस सम्बन्ध में जांच की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी, कर्मचारी संघ की मांग

104–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-6-83 को उ0 प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी कर्मचारी यूनियन द्वारा शासन को यह सूचित किया गया था कि यदि उनकी मांगों के सम्बन्ध में जुलाई, 83 के अन्त तक कार्यवाही पूरी नहीं की गई तो दिनांक 1-8-83 को मंडी भवन पर प्रदर्शन किया जायेगा तथा दिनांक 1-9-83 के संघर्ष के प्रथम चरण में क्रमिक अनशन भी करने की सूचना दी गई है? यदि हां, तो शासन द्वारा उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

मण्डी कर्मचारी यूनियन द्वारा 18-6-83 को यह सूचित किया गया था कि विभाग के सेवा विनियमनों का प्रकाशन 31-7-83 तक कराया जाये। यदि निर्धारित अवधि तक प्रकाशन नहीं होता है तो 1-8-83 को मण्डी भवन पर प्रदर्शन किया जायेगा। उक्त सूचना में 1-9-83 से क्रमिक अनशन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था। मण्डी परिषद् एवं मण्डी समिति की सेवा विनियमावलियां न्याय विभाग से विधीक्षित कराकर शासन द्वारा पूर्वानुमोदित कर दी गई हैं और उन्हें लागू करने की नियमानुसार कार्यवाही मण्डी परिषद् द्वारा की जा रही है।

शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की प्रोन्नति में बरती गयी अनियमितता की जांच

105—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के 83 के प्रथम सत्र के 6ठे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 12 में दिये गये उत्तर के अनुसार शिक्षा सचिवालय के शिक्षा अनुभाग-2 के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, न्याय विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा कराई गई है, तथा उस जांच में क्या-क्या तथ्य सामने आये हैं? तथा उक्त विभागों के परामर्श से क्या-क्या आवश्यक निर्णय उच्च स्तर पर लिये गये? क्या यह सही है कि उक्त जांच पड़ताल के पश्चात् यह आदेश जारी किया जा चुका है कि प्रत्येक प्रकार की आरक्षित रिक्तियों पर सम्बन्धित आरक्षित कोटे के ही व्यक्तियों को प्रत्येक संवर्ग एवं वेतनमान में नियुक्त, पदोन्नत, तदर्थ पदोन्नत, एवं वैकल्पिक रूप से पदोन्नत किये जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आये अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में पदोन्नति सम्बन्धी नीति न तो मनमानी है और न ही अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों के साथ कोई भेदभाव अथवा अन्याय ही किया जा रहा है क्योंकि

1—अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में शासनादेश सं0 ख-1/3/1/69/15 दि0 9-9-69 के अनुसार पदोन्नतियां दी जाती हैं।

2—शासनादेश दि0 9-9-69 विधिक दृष्टिकोण से मान्य तथा तब तक प्रभावी शासनादेश है जब तक कि इस सम्बन्ध में किसी नियमावली का निर्माण नहीं हो जाता।

3—उक्त शासनादेश में उल्लिखित अर्हता/योग्यता, शर्तों को केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों के लिए शिथिल नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग कार्मिक विभाग तथा न्याय विभाग के परामर्श से निम्नलिखित उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया:—

लोक सेवाओं का स्वरूप एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाया जाता है जिसमें प्रोन्नति का विशेष महत्व होता है। प्रोन्नति द्वारा सेवाओं की कुशलता एवं दृढ़ता को बनाये रखा जाता है। प्रोन्नति के लिये निर्धारित अर्हताओं की शर्तों में वर्ग विशेष के लिए शिथिलीकरण प्रदान करना लोक सेवाओं के स्वरूप को आघात पहुंचाना है। चूंकि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनक्रम का पद लोक सेवा का पद है, अतएव केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों को पदोन्नति हेतु अर्हताओं को शिथिल करना सम्भव नहीं है।

प्रश्नोक्त जांच पड़ताल के पश्चात शिक्षा निदेशक को यह आदेश जारी किये गये थे कि अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (मा0) को यह जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वह विशेष अधीनस्थ सेवा राज0 के पदों (जिससे अधीनस्थ शिक्षा सेवा राज0 के पदों पर प्रोन्नति की जाती है) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामलों को देखें ताकि अस्थायी पद धारकों को शीघ्र स्थायी करके उनकी प्रोन्नति की जा सके।

आजमगढ़ जिले के ग्राम लुचुई में कुएं का एक जरसे से निर्माणरत होना

106—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ वि0 खं0 के ग्राम लुचुई में एक कुएं का निर्माण ब्लाक की ओर से वर्ष 81 में प्रारम्भ किया गया जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड के ग्राम लुचुई में विकास खण्ड की ओर से एक पेयजल कूप का निर्माण वर्ष 1981-82 में जनवरी, 1982 में प्रारम्भ किया गया था जो अभी तक अपूर्ण है।

इस कार्य को क्षेत्रीय ग्राम पंचायत अधिकारी श्री भुवाल यादव को सौंपा गया था। अब तक कार्य पूर्ण न कराने के आरोप में श्री यादव को निलम्बित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

107—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[8वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्व0 महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की जन्म भूमि, ग्राम कनैला करनहट में पर्यटन-स्थल के निर्माण संबंधी जानकारी

108—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जन्म भूमि ग्राम कनैला करनहट में पर्यटन-स्थल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका कार्यान्वयन कब तक होना है? विलम्ब का कारण क्या है?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

109—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[7 वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मथुरा, गोकुलमहावन स्थित कवि रसखान की समाधि के जीर्णोद्धार की मांग

110—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक भक्त प्रवर कवि रसखान की गोकुलमहावन (मथुरा) स्थित समाधि का जीर्णोद्धार करने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो समाधि का जीर्णोद्धार कब तक पूर्ण हो जायेगा और उस पर कितनी लागत आयेगी? क्या मंत्री जी पूर्ण योजना को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, जीर्णोद्धार के पूर्व समाधि को राज्य सरकार के संरक्षण में लेना अनिवार्य है जिसके संबंध में विचार किया जा रहा है। तत्पश्चात ही जीर्णोद्धार की योजना की रूप-रेखा तैयार करना संभव होगा।

प्रदेश के शिशु मंदिरों के स्थान पर शासन द्वारा चलाए जा रहे बेसिक विद्यालयों के शिक्षा स्तर में सुधार करने की मांग

111—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सम्पूर्ण उ0 प्र0 में 31-12-1983 तक कितने शिशु मंदिर कायम हुये हैं? क्या सरकार इन शिशु मंदिरों को समाप्त करके शासन की नीतियों के अनुरूप

चलाये जा रहे बेसिक विद्यालयों में शिक्षा के इस स्तर में सुधार करने की दिशा में कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड हरैया में मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को बीज का वितरण

112–श्री पंचानन राय–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आजमगढ़ जिले के हरैया वि0 खं0 में किन-किन लघु, सीमान्त तथा हरिजन कृषकों को कितना-कितना, किसका किसका बीज वर्ष जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक अलग-अलग मुफ्त वितरित किया गया?

श्री यशपाल सिंह–

वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक किसी भी बीज का मुफ्त वितरण नहीं किया है। वर्ष 1983-84 में दिसम्बर, 83 तक सामान्य एवं विशेष मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त बीज के पैकेट के वितरण का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम-सं0	वर्ष	नाम बीज एवं जाति	वितरित मात्रा (कुं)	लघु कृषक सं0	सीमान्त कृषक सं0	हरिजन कृषक सं0	सामान्य कृषक सं0	योग कृषक सं0
	1983-84 दिसम्बर, 83 तक							
1		चना एच208	306–00	209	16	30	..	225
2		मटर टा-163	12–00	71	16	13	..	100
3		सरसों	2–30	180	35	15	..	230
4		चना सामान्य	1–20	10	..	..	10	20
	योग	..	321–50	470	67	58	10	605

कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं है। जिसे एकत्रित किया जा रहा है। जिसे आपको उपलब्ध करा दिया जायगा।

श्रीमती नमित्ता दत्त, प्रधानाचार्य, वैदिक कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल, गंजडुडवारा, जिला एटा का कथित ज्ञापन

113–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्हें श्रीमती नमित्ता दत्त, प्रधानाचार्य वैदिक कन्या हा0 से0 स्कूल गंजडुडवारा जनपद एटा का दिनांक 22-5-82 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो ज्ञापन के प्रमुख बिन्दु क्या है तथा उन पर दिनांक 8-11-83 तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो उसके क्या कारण है तथा उसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड बिलरियागंज के अंतर्गत बीज का वितरण

114—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज वि0 खं0 में किन-किन लघु, सीमान्त तथा हरिजन कृषकों को कितना-कितना किसका-किसका बीज वर्ष 80 से 83 तक अलग-अलग मुफ्त वितरित किया गया?

श्री यशपाल सिंह—

वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक किसी बीज का मुफ्त वितरण नहीं किया गया है। वर्ष 1983-84 में दिसम्बर, 83 तक सामान्य एवं विशेष मिनीकिट प्रदर्शन के अन्तर्गत मुफ्त बीज के पैकेट के वितरण का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम-सं0	वर्ष	नाम बीज व प्रजाति	वितरित मात्रा (कुं0)	लघु कृषक सं0	सीमान्त कृषक सं0	हरिजन कृषक सं0	योग कृषक सं0
	1983-84 दिसम्बर, 83 तक						
1		चना एच 208 सी-235	24—84	134	40	33	207
2		मटर टा-136	17—76	116	25	7	148
3		राई टा-59 सामान्य मिनीकिट	2—55	184	50	21	255
4		चना राधे	1—20	12	6	2	20
		योग ..	46—35	446	121	63	630

कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं है जिसे एकत्रित किया जा रहा है। जिसे आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा।

एम0 एम0 हायर सेकेण्डरी स्कूल, कन्नौज, फर्रुखाबाद के प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर वरिष्ठतम शिक्षक को कार्य करने का अवसर न दिया जाना

115—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि क्या यह सही है कि एम0 एम0 हा0 से0 स्कूल, कन्नौज, फर्रुखाबाद में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर वरिष्ठतम शिक्षक को कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है? क्या यह भी सही है कि शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक को निदेश दिया है कि किन्तु इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड के अन्तर्गत मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज का वितरण

116—श्री पंचानन राय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ वि0 ख0 में किन-किन लघु, सीमान्त तथा हरि-

जन कृषकों को कितना-कितना किसका-किसका बीज जून, 80 से दिसम्बर, 83 तक अलग-अलग मुफ्त वितरित किया गया।

श्री यशपाल सिंह—

वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक किसी भी बीज का मुफ्त वितरण नहीं किया गया है। वर्ष 1983-84 में दिसम्बर, 83 तक सामान्य एवं विशेष मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुफ्त बीज के पैकेट वितरण का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्रम-सं0	वर्ष नाम बीज व प्रजाति	वितरित मात्रा (कुं0)	लघु कृषक सं0	सीमान्त कृषक सं0	हरिजन कृषक सं0	सामान्य कृषक सं0	योग कृषक सं0
	1983–84 दिसम्बर, 83 तक						
1	चनाएंच 208	27–96	124	95	14	..	233
2	मटर टा0-163	12–48	65	34	5	..	104
3	राई टा-59	2–73	166	94	13	..	273
	योग	43–17	355	223	32	..	610
	सामान्य मिनीकिट 1983-84						
1	तोरिया टा0-9	0–40	..	..	..	40	40
2	चना राधे	1–14	..	..	..	19	19
3	मटर चना	0–48	..	..	..	8	8
	योग	2–02	..	..	..	67	67
	योग	45–19	355	223	32	67	677

कृषकों को सूची उपलब्ध नहीं है जिसे एकत्रित किया जा रहा है। जिसे आपको उपलब्ध करा दिया जायगा।

अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान को रसीदें तथा झंडे बेचकर एकत्रित की गयी धनराशि की जनपदों से वसूली

117—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की रसीदें तथा झंडे बेचकर एकत्रित किया गया लगभग 30 लाख रुपया विभिन्न जनपदों में बाकी है? यदि हां, तो किन-किन जनपदों में कितनी-कितनी धनराशि बाकी है? इन्हें वसूल करने के क्या प्रयास किये गये हैं तथा बकाया रखने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

इस समय (31-12-83) तक केवल रु0 11,92,312-68 पै0 की धनराशि अवशेष है जिसका हिसाब शिक्षक कल्याण कोष में नहीं हुआ है।

इस धनराशि की जनपदवार तालिका† संलग्न है।

†छापी नहीं गयी।

उक्त धन की वसूली के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों को कड़े निर्देश दिये गये और लेखे के रख-रखाव के लिये प्रतिष्ठान के सहायक सचिव द्वारा विभिन्न जनपदों में जाकर जांच की गयी और उसे सही कराया गया तथा अवशेष धनराशि को यथा संभव जमा कराया गया। अवशेष धनराशि का हिसाब प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कुक्कुट विकास केन्द्र, बेलीकला, जिला लखनऊ में निर्माण कार्य

118—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक कमाण्ड परिक्षेत्र विकास के अन्तर्गत विकास खण्ड गोसाईगंज जनपद लखनऊ के बैली कलां कुक्कुट विकास केन्द्र पर कुल कितना निर्माण कार्य कराया गया? वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84 में दिसम्बर माह तक अलग-अलग उसका विवरण क्या है और निर्माण कार्य पर कितना व्यय हुआ है? योजना में कितने लाभार्थियों को प्रति माह कितना मिल रहा है? क्या यह योजना घाटे पर चल रही है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है? यदि नहीं तो कितने प्रतिशत लाभ उद्यमियों को मिल रहा है?

श्री बलराम सिंह यादव—

कुक्कुट विकास केन्द्र बेलीकलां, विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ में अभी तक चहार दीवारी, एक ब्रूडरशेड तथा एक केज हाउस का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तीन केज हाउस, कार्यालय भवन एवं उद्यमियों के लिये शेड आदि निर्माणाधीन हैं।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में केवल चहार दिवारी ही निर्माणाधीन थी।

1983-84 में माह दिसम्बर, तक निर्माण कार्यों का अलग-अलग विवरण निम्नवत् है:—

निर्माण कार्य	निर्माण कार्य की स्थिति
1—भूमि विकास बाउंड्री वाल एवं फेंसिंग	पूर्ण
2—ब्रूडर शेड—एक	पूर्ण
3—केज हाउस—एक	पूर्ण
4—आंतरिक सड़क	पूर्ण
5—केज हाउस—तीन	निर्माणाधीन
6—ट्यूबवेल, पम्प हाउस, टंकी, जेनरेटर आदि	निर्माणाधीन

उपरोक्त कार्यों पर दिसम्बर, 1983 तक कुल रु0 13,34,780.48 व्यय हुआ है।

प्रथम चरण (नवम्बर, 1983) में केवल 5 सदस्यों को कुक्कुट व्यवसाय में सम्मिलित किया गया था उन्हें रु0 200 प्रति माह का लाभ मिल रहा है।

योजना घाटे पर नहीं चल रही है। चूंकि अभी योजना आंशिक रूप से ही चली है अतः इस समय लाभ की प्रतिशतता निकालना सम्भव नहीं है।

राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर की छात्राओं की संख्या एवं छात्रावास के निर्माण की मांग

119—श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर नगर में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में इस समय कितनी छात्रायें विभिन्न कक्षाओं में हैं तथा इनके लिए छात्रावास निर्माण कराने के लिये अब तक सरकार द्वारा कौन से प्रभावी कदम उठाये गये हैं? उसका विवरण क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर में इस समय बी0 ए0 प्रथम वर्ष में 128, बी0 ए0 द्वितीय वर्ष में 147, बी0 एस-सी0 प्रथम वर्ष में 9, बी0 एस-सी0 द्वितीय वर्ष में 5, एम0 ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष में 45 एम0 ए0 (हिन्दी) द्वितीय वर्ष में 27, एम0 ए0 (अर्थशास्त्र) प्रथम वर्ष में 12, एम0 ए0 (अर्थशास्त्र) द्वितीय वर्ष में 9 छात्रायें हैं।

इस महाविद्यालय के पास अभी पर्याप्त भूमि नहीं है अतएव छात्रावास निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड अजमतगढ़ में एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत ऋण का वितरण

120—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 81-82 तथा 82-83 में किन-किन को किस-किस कार्य के लिए कितना-कितना ऋण वितरित किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खण्ड में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में ऋण वितरण की सूचना निम्नवत है:—

वर्ष		लाभार्थियों की संख्या	वितरित ऋण की धन-राशि रु0
1980—81	..	144	4,46,787.00
1981—82	..	246	7,26,714.00
1982—83	..	311	9,30,202.00

लाभार्थियों के नाम, व्यवसाय तथा वितरित ऋण की धनराशि सम्बन्धी सूचना अति विस्तृत है। यह सूचना माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

रजा पुस्तकालय, रामपुर द्वारा क्रय की गयी पुस्तकें, पत्रिकाओं एवं पाण्डुलिपियों का लेखा-जोखा

121—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वित्तीय वर्षों में रजा पुस्तकालय रामपुर में वर्षवार क्रमशः कितनी पुस्तकें, पत्रिकायें, पाण्डुलिपियां क्रय की गयीं व कितनी खोयीं और कितनी नष्ट हो गयीं? इस पुस्तकालय को आग-पानी से पूर्णतया सुरक्षित रखने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय इण्टर कालेज, थल, जिला पिथौरागढ़ की छात्राओं के लिए आवास व्यवस्था

122–श्री जसवन्त सिंह विष्ट –

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-12-83 को लिखा पत्र कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज थल के नवीन भवन बनने के बाद इसी स्थान पर पूर्ववर्ती विद्यालय भवन पूर्णरूपेण रिक्त है, मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी छात्राओं की अत्यधिक संख्या व स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुये इसी इण्टर कालेज की बालिकाओं की हाई स्कूल तक की कक्षायें उपरोक्त रिक्त भवन में लगाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

यह पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । फिर भी राजकीय इण्टर कालेज, थल का पुराना भवन न तो पूर्णतया रिक्त है और न कालेज में पढ़ रही कक्षा 6 से 10 तक की छात्राओं के लिये अलग से पढ़ाने की व्यवस्था किया जाना ही सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि बालिकाओं की हाई स्कूल तक की कक्षायें अलग लगाने से कालेज के वर्तमान अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्य करना सम्भव न हो सकेगा ।

पिथौरागढ़ जिले के थल में पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं अधिकारियों का यात्रा-भत्ता

123–श्री जसवन्त सिंह विष्ट –

क्या पंचायत राज मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 से स्थान थल जनपद पिथौरागढ़ में छः विकास खंडों के पंचायत अधिकारियों के प्रशिक्षण का तीन दिवसीय कैम्प आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो इस प्रशिक्षण हेतु किन-किन प्रधानों को किस माध्यम से सम्बन्धित सूचना दी गयी ? कितने प्रधानों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया ? उपरोक्त अवधि में क्रमशः किन-किन अधिकारियों ने कितने समय तक प्रशिक्षण दिया और उन्हें कितना यात्रा भत्ता भुगतान किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव–

स्थान थल जनपद पिथौरागढ़ में तीन दिवसीय नहीं बल्कि छः दिवसीय कैम्प आयोजित किया गया था ।

प्रशिक्षण हेतु छः विकास खण्डों के 62 प्रधानों को सम्बधित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से सूचना दी गयी थी । सभी 62 प्रधानों ने उक्त कार्यक्रम में भाग लिया ।

उक्त प्रशिक्षण कैम्प में निम्न अधिकारियों ने उनके सम्मुख अंकित समय तक प्रशिक्षण दिया । इन अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता भुगतान नहीं किया गया:–

1–जिला कृषि अधिकारी	1 दिन
2–खण्ड विकास अधिकारी (दिगतड) डीडीहाट	2 दिन
3–उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (तृतीय)	1 दिन
4–ए0 एम0 डी0 आई0 सी डीडीहाट	1 दिन
5–खण्ड विकास अधिकारी-बेरीनाग	1 दिन
6–विशेषज्ञ उद्यान, बेरीनाग	1 दिन
7–शाखा प्रबंन्धक, स्टेट बैंक, थल	1 दिन

8–सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) डीडीहाट	6 दिन
9–सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) गंगोलीहाट	6 दिन
10–सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मुनिस्यारी	6 दिन
11–सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कनाली दीना	6 दिन
12–पंचायत निरीक्षक (उद्योग) पिथौरागढ़	6 दिन

124–श्री सन्त बख्श रावत–

[दिनांक 21-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–33 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ जिले में सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि

125–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में जिला योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी हेतु वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83 और 83-84 में कुल कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और उसका उपयोग किन-किन विकास खण्डों में किन-किन स्थानों पर किया गया? क्या दर्शाए गये आंकड़ों के अनुसार वृक्षारोपण न करके इस योजना में दी गयी धनराशि का भारी घोटाला हुआ है? यदि हां, तो किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच करवा कर जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

126–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा
श्री राम स्वरूप वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

पौड़ी गढ़वाल जिले में सहायक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति

127–श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो यह नियुक्ति कब की गयी और इन्हें क्या-क्या अधिकार दिए गये हैं तथा इनकी नियुक्ति का औचित्य क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी

128–श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र में अध्यापकों की भारी कमी से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 12-9-83 को नियम 301 के अन्तर्गत विधान सभा में सरकार को क्या कोई सूचना दी गयी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और विलम्ब से स्थिति स्पष्ट करने के कारण क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। रिक्तियों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की गयी। प्रश्नकर्ता ने पर्वतीय क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषद, राजकीय हाईस्कूल व राजकीय इंटर कालेजों में रिक्त अध्यापकों/प्रवक्ता के पदों तथा प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेजों के रिक्त पदों के भरने के संबंध में विस्तृत प्रश्न किया था जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के जिला/मंडल स्तर के अधिकारियों से विस्तृत सूचना एकत्र करने में समय लगा।

पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की संख्या

129—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है? इसके क्या कारण हैं और कब तक निर्धारित मानक के अनुसार नियुक्ति होने की संभावना है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल जिले के गेंड स्थित प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग

130—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह नवम्बर, दिसम्बर, 1983 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के प्रधान ग्राम सभा, गेंड पट्टी, बनेलस्यूं ने प्राइमरी स्कूल गेंड में कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग की है? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है तथा इन अध्यापकों का कब तक स्थानान्तरण किया जा सकेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पौड़ी गढ़वाल जिले के गढ़वेशधार स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल को बालक जूनियर हाई स्कूल बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव

131—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड कोट के अन्तर्गत कन्या जूनियर हाई स्कूल गढ़वेशधार को बालक जूनियर हाई स्कूल में परिणित करने का क्या कोई प्रस्ताव वर्ष 1982 या 1983 में सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी और गढ़वेशधार कन्या विद्यालय को कब तक बालक विद्यालय में परिणित किया जाना संभव हो सकेगा?

श्री अम्मार रिजवी—

एसा कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में दिनांक 24-12-83 को जिला बेसिक शिक्षा समिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि कन्या जूनियर हाई स्कूल गढ़वेशधार को बालक जूनियर हाई स्कूल बनाया जाय। उक्त प्रस्ताव उक्त अधिकारी द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है।

132—श्री कुंवर सिंह नेगी—

—[पुनर्विचार पर निरस्त।]

133—श्री कुंवर सिंह नेगी—

—[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा सी0 टी0 एवं एल0टी0 ग्रेड के (हिन्दी) अध्यापकों का स्थायीकरण

134—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1/108/25 (1)/167/73 शिक्षा (1) अनुभाग, दिनांक 4 जनवरी, 1974 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश को क्या-क्या आदेश निर्गत किए गए थे तथा शिक्षा निदेशक उ0प्र0 ने उक्त शासनादेश के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में सी0टी0 (हिन्दी) में विभागीय पदोन्नत एवं लोक सेवा आयोग

की चयन समिति द्वारा विभागीय कोटे में अनुमोदित कितने एल0टी0 (हिन्दी) पदाधिकारियों को स्थायी किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

135–श्री प्रदीप कुमार यादव–

[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–14 द्वारा उत्तरित।]

फैजाबाद जिले के टाण्डा स्थित त्रिलोक नाथ महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षा खोलने संबंधी ज्ञापन

136–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 27-11-83 को टाण्डा, फैजाबाद के आगमन पर त्रिलोक नाथ महाविद्यालय, टाण्डा, फैजाबाद के अध्यापकों एवं जन-प्रतिनिधियों की तरफ से कोई ज्ञापन उक्त महाविद्यालय में एम0 ए0 (स्नातकोत्तर कक्षा) खोलने से संबंधित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाए जाने हेतु सरकार ने आदेश जारी कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

दिनांक 27-11-83 का ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता किन्तु इस कालेज में एम0 ए0 संस्कृत, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, में सम्बद्धता हेतु क्लियरेन्स प्रदान करने हेतु दिनांक रहित ज्ञापन केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

कालेज के प्रबंधक को प्रारूप भेजकर सूचना मंगाई गई है। जिस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायगा।

137–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या–183 द्वारा उत्तरित।]

शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा

138–श्री रामस्वरूप वर्मा–

विधान सभा प्रथम सत्र 1983 के छठे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव के जिन पत्रों के प्रकरणों का जांच परीक्षण किया गया, वह किस अधिकारी अथवा एजेंसी द्वारा कराई गयी है? मुख्य सचिव के जिन पत्रों का उल्लेख तारांकित प्रश्न संख्या 17 में किया गया है, उनमें पृथक-पृथक क्या-क्या कहा गया है?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रकरण का परीक्षण न्याय विभाग के परामर्श से किया गया। प्रसंगत पत्रों में कतिपय शिकायतें की गयी हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 159 पर।)

झांसी जिले की तहसील मऊरानीपुर के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के वेतन का भुगतान

139–श्री बलवीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि झांसी की तहसील मऊरानी के अन्तर्गत चलने वाले प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों, अध्यापिकाओं को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन नहीं मिलता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार इसके लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करेगी और विलम्ब से वेतन वितरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री अम्मार रिजवी–

बेसिक शिक्षा परिषद्, जनपद झांसी के प्राथमिक अध्यापकों/अध्यापिकाओं को

वेतन सामान्यतः प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान किया जाता है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दू इंटर कालेज, मुगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के अनुदान का निलम्बन

140—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू इंटर कालेज, मुगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर का अनुदान 1967 में किन कारणों से निलम्बित किया गया था? क्या उन कारणों को दूर किए बिना जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने बिल प्रबंधक के माध्यम से मंगाकर पारित कर दिया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी—

विद्यालय का अनुदान उसकी प्रशासन योजना स्वीकृत न होने तथा पिछले 10 वर्षों से प्रबन्ध समिति का चुनाव न होने के कारण निलम्बित किया गया था।

जी नहीं। विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा उक्त आपत्तियों का निराकरण कर दिये जाने के बाद विद्यालय का बिल प्रबंधक के माध्यम से प्राप्त कर पारित किया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के अवैतनिक नामावली लेखकों का पारिश्रमिक

141—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में कार्यरत नामावली लेखकों को बिना कोई वेतन दिए मात्र वाहन भत्ते पर कार्य कराया जाता है? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनसे बिना वेतन के ही कार्य किन नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जाता है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रकार के बंधुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाने के लिए भी सरकार कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो यह प्रयास कब तक सफल हो सकेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

हां, माध्यमिक शिक्षा परिषद् में कार्यरत नामावली लेखकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है अपितु उन्हें जिस कार्य के लिये बुलाया जाता है उसके लिये कार्यालय आने जाने का 10 रु0 प्रतिदिन की दर से वाहन व्यय दिया जाता है। ये नामावली लेखक केवल परीक्षा संबंधी कार्य एवं नामावली सूची तैयार करने का कार्य करने हेतु ही परिषद् कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं। इनकी कोई नियमित पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की जाती है। ये कार्य पर आने व जाने के लिये स्वतंत्र होते हैं। अस्तु इनकी गणना पूर्णकालिक कर्मचारियों में नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में इन्हें बंधुवा मजदूर की श्रेणी में रखने या इन्हें मुक्ति दिलाने का प्रश्न नहीं उठता है। नामावली लेखक के रूप में कार्य करने वाले बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर अन्यत्र चले गये हैं और अब नहीं आते। वर्तमान में कार्यरत नामावली लेखकों की कुल संख्या—124 है। यह व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है।

श्री सत्य नारायण वर्मा, प्रवक्ता, रायबरेली का, शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कथित शिकायती पत्र

142—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सत्य नारायण वर्मा प्रवक्ता रायबरेली का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र संख्या 4970 दिनांक 20-12-83 को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग

व उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विगत के त्रुटिपूर्ण अविधिक, आरक्षण विहीन विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री सत्यनारायण वर्मा का दिनांक 20-12-83 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर काशी और टिहरी गढ़वाल के आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन मान का पुनरीक्षण

143–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल में कितने आदर्श विद्यालय (माडल स्कूल) हैं और उनके अध्यापकों के वेतन किन कारणों से 31-12-83 तक पुनरीक्षित नहीं किए गये थे और कब तक पुनरीक्षित कर दिए जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में कुल 68 आदर्श विद्यालय हैं। अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान के आदेश दिनांक 31-12-83 के पूर्व ही शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जिले के साहित्यकार स्व0 श्रीकृष्ण बिहारी द्विवेदी 'नलिनीश' की पेंशन

144–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल –

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के साहित्यकार स्व0 कृष्णबिहारी द्विवेदी, 'नलिनीश' जिन्हें शासनादेश सं0 3/4/26 दिनांक 21 अप्रैल, 1972 द्वारा पेंशन मिलती थी, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को नहीं मिल रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

दिसम्बर, 1972 में श्री कृष्णबिहारी द्विवेदी 'नलिनीश' के देहान्त के पश्चात नियमानुसार आर्थिक सहायता बंद कर दी गई थी। उनके परिवार के किसी सदस्य से इस बारे में नियमित प्रार्थना पत्र अप्राप्त रहने से सहायता देने के प्रश्न पर विचार न हो सका।

एस0एस0 ई0 एस0 प्रवक्ताओं का चयन वेतनमान

145–कुंवर योगेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एस0ई0एस0 प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान की सुविधा के आदेश निर्गत किए गये हैं? यदि हां, तो मुख्यालय में व उसके अधीन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों, जिनमें प्रवक्ता भी शामिल हैं, का चयन वेतनमान स्वीकृति का आधार क्या होगा? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि मंडल के उप शिक्षा निदेशक को चयन वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तथा जिनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा हो। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक को चयन वेतनमान स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के सेवा निवृत्त अध्यापकों के भविष्य निधि का भुगतान एवं पेंशन

146—श्री राज कुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30-6-79 से दिनांक 30-6-83 तक कुल कितने अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् आजमगढ़ के रिटायर हुए हैं तथा मरे हैं और उनमें कितने लोगों के भविष्य निधि का ब्याज देकर भुगतान कर दिया गया है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

147—श्री राज कुमार राय —

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 79 से 83 तक रिटायर हुए कितने शिक्षकों को नियमित पेंशन दी जा रही है और कितने लोग दिसम्बर, 83 तक पेंशन पाने से वंचित रहे हैं ? इसका कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद् के कर्मचारियों को अनुमन्य मकान किराया भत्ता

148—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कर्मचारियों के लिए हाल में ही सरकार ने मकान भत्ता दिया जाना स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो इसकी दर क्या होगी तथा व्ययभार शासन वहन करेगा अथवा परिषदें अपने संसाधनों से देंगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला परिषद् कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उन्हीं दरों और शर्तों पर दिया जाता है जो राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य है। इस पर होने वाले व्यय को जिला परिषदें स्वयं अपने निजी संसाधनों से वहन करेंगी।

प्रदेश के मण्डी स्थल की दुकानों के आवंटन में आरक्षण कोटा दिये जाने की मांग

149—श्री राम स्वरूप निम तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति में 1982-83 दिसम्बर, तक निर्मित दुकानों में आरक्षण कोटा रखा गया है? यदि हां, तो कितनी दुकानें 1982-83 दिसम्बर, तक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, हाथरस, मथुरा में बनाई गयी और उनमें से कितने हरिजनों को दुकानें दी गयीं? यदि नहीं, तो क्यों? भविष्य में आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए सदन को आश्वासन देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

मंडी स्थल की दुकानें लाइसेंसी व्यापारियों को उनके द्वारा देय मण्डी शुल्क के आधार पर आवंटित की जाती है अतः आरक्षण कोटे का प्रश्न नहीं उठता ।

विकास कार्यालय, फिरोजाबाद में श्री रामानन्द चपरासी के छद्म नाम से फर्जी वेतन के आहरण सम्बन्धी कथित जांच

150—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनता पार्टी के नेता एवं भू0पू0 विधायक, श्री रघुवर दयाल वर्मा, फिरोजाबाद (आगरा) की शिकायत पर उप विकास आयुक्त ने जांच में यह पाया है कि विकास कार्यालय, फिरोजाबाद में रामानन्द नाम का कोई चपरासी कार्यरत ही नहीं है एवं करीब एक वर्ष से उसके नाम से जो वेतन निकल रहा है, वह भी फर्जी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं धन की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आगरा जिले के ग्राम दीदामह में छद्म नाम से अनेक निवासियों को दिये गये कथित फर्जी ऋण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

151–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री गौरी शंकर भैय्या–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि भू0पू0 विधायक श्री रघुवर दयाल वर्मा, फिरोजाबाद (आगरा) ने 24/12 एवं माह नवम्बर, 83 में एक शिकायती-पत्र इस आशय का दिया कि गांव दीदामह एवं रसूलपुर विकास क्षेत्र, फिरोजाबाद में चयनित सूची के अतिरिक्त करीब दो सौ ऐसे लोगों के नाम पर ऋण दिया गया है, जिन नाम के व्यक्ति उन गांवों में हैं ही नहीं और इसकी जांच उप विकास आयुक्त ग्रामीण एवं परगनाधिकारी, फिरोजाबाद ने भी किया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है एवं दोषी अधिकारियों के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

भूतपूर्व विधायक श्री रघुवर दयाल वर्मा का 24/12 एवं नवम्बर, 83 का कोई शिकायती-पत्र उप विकास आयुक्त आगरा के पास जांच हेतु नहीं है, किन्तु उप विकास आयुक्त को श्री वर्मा के 7-10-83 तथा 21-1-84 के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें इसी आशय की शिकायत करते हुए 39 कथित फर्जी व्यक्तियों की सूची दी गयी थी । उप विकास आयुक्त ने इसकी जांच की और किसी फर्जी व्यक्ति को ऋण दिया जाना नहीं पाया। इसी विषय पर श्री वर्मा के शिकायती पत्र 7-10-83 तथा 5-12-83 की परगनाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री दीना नाथ, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ की प्राविधिक योग्यता

152–श्री प्रदीप कुमार यादव –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीनानाथ सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (प्रथम) उप खण्ड लखनऊ में कार्यरत हैं, जिनकी प्राविधिक योग्यता आई0 टी0 आई0 से ड्राफ्ट्समैन है ? क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता की प्राविधिक योग्यता सिविल इंजीनिरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए? यदि हां, तो इन्हें उक्त पद पर नियुक्त करने का क्या औचित्य है ? इनके मूल विभाग में कब तक वापस कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव –

जी हां । श्री दीनानाथ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता के पद पर लखनऊ जनपद में कार्यरत है । इनकी प्राविधिक योग्यता इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ से ड्राफ्ट्समैन (सिविल) है ।

जी हां । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु तकनीकी योग्यता सिविल शाखा में डिग्री होनी चाहिए । परन्तु सहायक अभियन्ता के पद पर अवर अभियन्ता (सहायक विकास अधिकारी)/कम्प्यूटर के पद से पदोन्नति देकर भी भरे जाते हैं । श्री दीनानाथ जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत थे की ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई नियुक्ति की गयी है ।

यथा समय विभाग की आवश्यकतानुसार इनके पैतृक विभाग को वापस करने पर विचार किया जायेगा।

श्री कस्वी दास कन्याल, प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज गोपेश्वर, चमोली की प्रोन्नति से संबंधित शिकायत

153—श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा-2 अनुभाग के शासकीय पत्रांक 7087(3)/15-2-82—36 (26) /82, दिनांक लखनऊ 3 जनवरी, 1983 में जिन दिनांक 20 अप्रैल, 1982, दिनांक 21 जून, 1982, दिनांक 2 अगस्त, 1982, दिनांक 28 सितम्बर, 1982 तथा दिनांक 15 अगस्त, 1982 के पत्रों में क्या-क्या मांगें, शिकायतें एवं संस्तुतियां पृथक-पृथक रूप से की गयी हैं ? शासन के शिक्षा-2 अनुभाग के उक्त पत्रांक के आश्वासन के अनुसार आरक्षित कोटे के अन्तर्गत प्रश्नगत पदोन्नतियां की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो तिथि सहित सूची क्या है ? यदि नहीं, तो इस अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी —

शिकायतों, संस्तुतियों एवं मांगों की सूची संलग्न है। श्री कस्वीदास कन्याल, प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज, गोपेश्वर (चमोली) को अभी अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में पदोन्नति नहीं दी जा सकी है क्योंकि सम्प्रति वह उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं हैं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 160-161 पर)।

श्री कस्वी दास कन्याल, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, गोपेश्वर, चमोली की पदोन्नति से संबंधित शासनादेश

154—श्री रामस्वरूप वर्मा —

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग से संबंधित उपायुक्त अल्पसंख्यक के पत्र संख्या 1532/चालीस 1-82-13(310)/78, राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-1 दिनांक 22 अप्रैल, 1982 मुख्य सचिव, उ0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या 255/पी0 एस0 एम0 एस0/एम0 एल0ए0 सी0/82, दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 तथा उप सचिव शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 7087(3) /15-82-36(26)/82 (शिक्षा-2 अनुभाग) दिनांक 3 जनवरी, 1983 द्वारा क्या-क्या पृथक-पृथक शासकीय आश्वासन दिये गये हैं ? उक्त शासकीय आश्वासनों के अनुसार क्या सम्बन्धित अध्यापकों को पदोन्नति दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस अनावश्यक विलम्ब की जांच कराकर संबंधित दोषी को दण्ड देकर न्याय प्रदान करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी —

क्रमशः निम्नलिखित आश्वासन दिये गये:-

1—मामले में आवश्यक छानबीन की जा रही है और वस्तु स्थिति से आपको यथाशीघ्र अवगत कराया जायेगा।

2—पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु शिक्षा सचिव को भेज दिया गया है।

3—श्री कन्याल की प्रोन्नति के प्रकरण में तत्परता से कार्यवाही की जा रही है।

श्री कस्वीदास कन्याल अभी अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतन-मान में पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं हो पाये हैं जिससे उन्हें उक्त वेतन क्रम में प्रदोन्नति नहीं दी जा सकी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती रजनी सिंह, प्रधानाचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

155—श्री रामनारायण सिंह एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रजनी सिंह, प्रधानाचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर के विरुद्ध उक्त विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संघ ने भ्रष्टाचार तथा गलत आचरण करने के संबंध में अनेकों शिकायती-पत्र वर्ष 1982-83 में सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये तथा क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती रजनी सिंह को गाजीपुर में नियुक्त हुए 3 वर्ष से अधिक हो गये और अब तक इनका स्थानान्तरण दूसरे जनपद में क्यों नहीं किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी —

जी हां ।

उप निदेशक (उ0शिक्षा) द्वारा प्रधानाचार्या-राजकीय महिला महाविद्यालय, गाजीपुर के ऊपर लगाये गये आरोपों की जांच की गयी ।

जी हां ।

राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षिक पदों पर साधारणतया स्थानान्तरण करने की परम्परा नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

156—श्री पंचानन राय —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक(गोरखपुर) के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13-10-83 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम दवर, ग्राम नेवादा, जिला आजमगढ़ का मकान बरसाती पानी से क्षतिग्रस्त, होने एवं पुलिया के निर्माण की मांग

157—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दवर, ग्राम नेवादा, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ के मकान को बरसाती पानी द्वारा क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु प्रश्नकर्ता का प्रश्न दिनांक 9-10-82 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या हैं तथा उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु में नेवादा से बीबीपुर मार्ग के चैनेज 120 मीटर पर पुलिया को गलत ढंग से साइफन में बदलना तथा उसके निकट एक पुलिया का निर्माण न कराया जाना है। साइफन का निर्माण उचित पाये जाने के फलस्वरूप किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । जहां तक साइफन के निकट पुलिया निर्माण का प्रश्न है, मुख्य अभियन्ता द्वारा माह फरवरी, 82 में किये गये निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार पुलिया निर्माण के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में पुलिया निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ अवश्य की गयी। ग्राम प्रधान के पुनः अनुरोध पर सर्वेक्षण पुनः कराया गया और वर्तमान समय में पुलिया निर्माण की आवशकता न पाये जाने पर इंगित स्थल पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया।

श्री विजय कुमार शर्मा, लिपिक, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, सहारनपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

158—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय कुमार शर्मा, लिपिक, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, सहारनपुर के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-10-82 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। इसे शिक्षा निदेशक ने आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। कृत कार्यवाही की स्थिति शिक्षा निदेशक से ज्ञात की जा रही है।

159—श्री यमुना प्रसाद तथा श्री माधव प्रसाद—

[दिनांक 26-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-183 द्वारा उत्तरित]

शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अध्यापकों का आरक्षण कोटा एवं प्रोन्नति में कथित भेदभाव

160—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के छठे सोमवार के ता0 प्र0 सं0 12 के उत्तर के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा शासन की आरक्षण नीति को विफल करने तथा समस्त आरक्षित राजपत्रित तथा अराजपत्रित रिक्तियों पर सामान्य वर्ग के अध्यापकों को पदोन्नत करने और पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति तथा जन-जाति के अध्यापकों की राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति के मामलों में अनावश्यक विलम्ब करने सम्बन्धी जांच परीक्षण में क्या-क्या तथ्य सामने आये हैं? क्या सरकार उक्त जांच में पाये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और राजाज्ञा संख्या 43/21/66-नियुक्ति (ख), दिनांक 23 अप्रैल, 1966 तथा राजाज्ञा संख्या 42/6/68-नियुक्ति (ख), दिनांक 29 जून, 1968 के अनुसार आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर पर शिक्षा सचिवालय में तथा शिक्षा निदेशालय में वांछित अधिकार सम्पन्न संगठन का सृजन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जांच परीक्षण में निम्नलिखित तथ्य सामने आये :—

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में पदोन्नति संबंधी नीति न तो मनमानी है और न ही अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों के साथ कोई भेदभाव अथवा अन्याय ही किया जा रहा है क्योंकि—

1—अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में शासनादेश संख्या ख 5—1/3/1/69/15, दिनांक 9-9-69 के अनुसार पदोन्नतियां की जाती हैं।

2—शासनादेश दिनांक 9-9-69 विधिक दृष्टिकोण से मान्य तथा तब तक प्रभावी शासनादेश है जबकि इस सम्बन्ध में किसी नियमावली का निर्माण नहीं हो जाता।

3—उक्त शासनादेश में उल्लिखित अर्हता/पात्रता शर्तों का केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यापकों के लिये शिथिल किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। शासनादेश संख्या

43/21/66 नियुक्ति (ख) दिनांक 23 अप्रैल, 1966 तथा संख्या 42/6/68-नियुक्ति (ख), दिनांक 29 जून, 1968 के प्राविधानों के अनुसार शिक्षा विभाग में शासन स्तर पर संयुक्त सचिव, शिक्षा अनुभाग-4 तथा निदेशालय स्तर पर वरिष्ठ उप शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0, इलाहाबाद अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनीत हैं।

शिक्षा विभाग में अधिनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में अनुसूचित जन जाति के अध्यापकों के आरक्षण कोटे की पूर्ति

161—श्री राम स्वरूप वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के ता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग सम्बन्धी जिन पत्रों का उल्लेख प्रश्नोत्तर में किया गया है वे किन किन व्यक्तियों के शिकायती अथवा सुझाव सम्बन्धी पत्रों के उत्तर में दिये गये हैं? उक्त शिकायती पत्रों में शिक्षा विभाग के विषय में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं ? तथा शासनादेश संख्या 5-एस0 सी0/2 बी0-303-64, दिनांक 19 मार्च, 1964 के अनुसार शासन स्तर पर तथा शिक्षा निदेशालय स्तर पर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षित कोटापूर्ति हेतु विधान सभा प्रथम सत्र 1983 के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के संदर्भ में किन-किन उत्तरदायी अधिकारियों को नियुक्ति किया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रसंगत सभी पत्र श्री कुंवर सिंह नेगी, विधायक के हैं। मुख्य शिकायतों की सूची संलग्न है। तारांकित प्रश्न संख्या 13 अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान के अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटा के पूर्ति के सम्बन्ध में था जिसके उत्तर में सूचित किया गया था कि चूंकि अनुसूचित जाति कोटा सम्पूर्ण कार्यालय (निदेशालय) में प्रथम नियुक्ति/प्रोन्नति पर सामान्य रूप से लागू होता है न कि वितरण अनुभाग के अनुसार, अतएव उक्त सम्वर्ग के आरक्षित कोटापूर्ति हेतु शासन तथा निदेशालय स्तर पर अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी/कर्मचारी नियुक्ति नहीं है। शासनादेश संख्या 5-एस0 सी0/2बी-303-64, दिनांक 19 मार्च, 1964 के अनुसार शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व हेतु शासन स्तर पर संयुक्त सचिव, शिक्षा (4) अनुभाग तथा निदेशालय स्तर पर वरिष्ठ उप शिक्षा निदेशक को मनोनीत किया गया है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 162 पर)।

श्री राम बाबू कटियार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उरसान, जिला कानपुर का शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी पत्र

162—श्री राम स्वरूप वर्मा तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित श्री राम बाबू कटियार, उ0 मा0 विद्यालय उरसान, जिला कानपुर देहात का प्रार्थना पत्र दिनांक 8-9-83 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन

भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नेशनल एग्रो सीड कारपोरेशन से कृषि विभाग द्वारा गेहूं के बीज की खरीद एवं हिसार से चने के बीज की खरीद और कृषकों को उर्वरक वितरण पर दी गयी छूट

163–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीन माह पूर्व कृषि विभाग ने कृषि सचिव, उ0 प्र0 के आदेशानुसार दिल्ली की किसी प्राइवेट संस्था से गेहूं का बीज खरीदा था जो बोने के लिए उपयुक्त नहीं था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री यशपाल सिंह–

भारत सरकार ने बीस हजार कुंतल प्रमाणित बीज निजी बीज उत्पादक व वितरक संस्थाओं के पास उपलब्ध होने का संकेत दिया था अतः नेशनल एग्रो सीड कारपोरेशन जो कि एक निजी बीज उत्पादक एवं वितरक संस्था है, से 2920 कुन्तल गेहूं का प्रमाणित बीज कृषि निदेशक के प्रस्ताव पर शासकीय आदेश से खरीदा गया था, इसमें से 359.20 कुन्तल बीज घुन से प्रभावित पाया गया ।

खराब बीज का वितरण तुरन्त रोक दिया गया इसके साथ ही उक्त मात्रा के मूल्य का भुगतान भी रोका गया और संस्था को बीज वापस ले जाने हेतु लिखा गया । अब तक उक्त फर्म ने गाजियाबाद में रोके गये 27.10 कुन्तल खराब गेहूं बीज को वापस उठा लिया है ।

164–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष में हिसार से चने का बीज सरकार ने खरीदा था जो बीज के अयोग्य पाया गया ? यदि हां, तो उस पर सरकार को कितनी धनराशि की क्षति उठानी पड़ी तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां । परन्तु वह बीज के अयोग्य नहीं था । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

165–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वित्तीय वर्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर छूट देने का शासनादेश विलम्ब से हुआ जबकि बोआई का समय निकल गया था जिससे भारत सरकार की योजना का लाभ कृषकों को नहीं मिल सका ? शासनादेश देर से जारी करने के लिये दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह–

जी नहीं ।

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अपेक्षित धनराशि दिनांक 24-11-82 को अवमुक्त की गई थी जिसकी स्वीकृति पूर्ण औपचारिकतायें प्राप्त करने के बाद तुरन्त 8-12-82 को प्रदान कर दी गई ।

इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

गोरखपुर जिले में सम्पत्ति एवं विभव कर के निर्धारण से सम्बन्धित स्थगन आदेश

166—श्री राम गोविन्द तथा श्री मुख्तार अनीस—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर जिला मेजिस्ट्रेट (विकास) मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, गोरखपुर ने दिनांक 11-1-84 को जिला परिषद से सम्पत्ति एवं विभव कर के निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही तत्कालिक प्रभाव से स्थगित करने का कोई आदेश दिया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

प्रशासनिक आधार पर कर निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया गया।

गोरखपुर जिले की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूलों के लिए उर्दू अध्यापकों के पद के सृजन की मांग

167—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से डी0 आई0 बस्ती ने अपने पत्रांक 450, दिनांक 28 जनवरी, 83 को किसी पत्र द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद से प्राइमरी पाठशालाओं में उर्दू अध्यापक के 108 पद तथा जू0 हा0 स्कूलों में 24 पद के सृजन के लिये स्वीकृति मांगी थी? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। पद सृजन का यह प्रकरण सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजा गया जो उनके विचाराधीन है।

राजकीय इण्टर कालेज, फर्रूखाबाद में वेतन बिल में निकाली गयी रुपये दस हजार की अतिरिक्त धन

168—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, फर्रूखाबाद में मार्च, 1982 में दस हजार रुपया वेतन बिल में अधिक निकाल लिया गया, जो शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त ट्रेजरी में जून, 1983 में जमा किया गया? यदि हां, तो इस गबन काण्ड की एफ0 आई0 आर0 सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कब दर्ज कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव सभा नरवैहंसी, जिला मथुरा के प्रधान एवं सदस्यों का निर्वाचन

169—श्री सरदार सिंह—

क्या पंचायत राज मंत्री को जानकारी है कि जिला अधिकारी, मथुरा एवं ग्राम सभा के मतदाताओं की आपत्ति के बावजूद भी ग्राम सभा नरवैहंसी के प्रधान एवं सदस्यों के चुनाव पंचायत राज एक्ट की भावनाओं के विरुद्ध जुलाई, अगस्त, 1982 में कराए गए थे? यदि हां, तो क्या शासन अनियमित गठित ग्राम सभा को भंग कर पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पुनः नये चुनाव कराने की कृपा करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में गांव सभा स्थापना सम्बन्धी प्राविधानों के अनुसार स्थापित गांव सभा नरवैहंसी के प्रधान तथा सदस्यों का निर्वाचन 4-7-82 को कराया गया है। सामान्य निर्वाचन के पूर्व कुछ नागरिकों द्वारा गांव सभा-नरवैहंसी के गठन पर आपत्ति

उठाई गयी थी। जांच से यह पाया गया कि गांव सभा नरवैहंसी 1972 से स्थापित चली आ रही है तथा यह गांव सभा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। ऐसी दशा में गांव सभा नरवैहंसी को भंग कर पुनः चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

170—श्री प्रदीप कुमार यादव—

(विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।)

जिला परिषद्, हरदोई के डाक बंगले में स्थित मकान का आवंटन

171—श्री राम कुमार भार्गव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला मैजिस्ट्रेट हरदोई ने जिला परिषद् के डाक बंगले में स्थित मकान जिला परिषद्, हरदोई के कार्य अधिकारी को न एलाट करके अपने कार्यालय अधीक्षक को एलाट कर दिया? क्या यह सत्य है कि शासनादेश संख्या यू0 ओ0 41 पी0 आर0/33-1-47 सी0 (2)/80, दिनांक 24 अप्रैल, 1980 द्वारा उक्त कार्य करने को मना किया गया है? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या आधार था?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। शासनादेश संख्या-यू0 ओ0 41 पी0 आर0/33-1-47सी0(2)/80 दिनांक 24 अप्रैल, 1980 में परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार उनकी मांग पर परिषदीय आवास आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु इसी शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में इस आशय के भी निर्देश दिये गये हैं कि जहां परिषदीय कर्मियों की आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त जिला परिषदीय आवास रिक्त हो वहां पर बाजार भाव पर अन्य लोगों को भी किराये पर दिया जाय। दिनांक 26-7-1983 तक परिषदीय कर्मियों द्वारा आवास आवंटन की मांग न किये जाने की स्थिति में ही कलेक्ट्रेट के कार्यालय अधीक्षक को आवास आवंटित किया गया।

वर्तमान कार्य अधिकारी को परिषदीय आवास संख्या-8 जिसमें पूर्व कार्य अधिकारी रहते थे, आवंटित किया गया है।

शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित अधिकारियों की पात्रता

172—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि संयुक्त सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र संख्या 1-3-69-15 दिनांक 9 सितम्बर, 1969 में शिक्षा विभाग में कार्यरत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को लोक सेवा आयोग की परीक्षा विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया और व्यवस्था बताई गई है? यदि हां, तो उक्त पत्र के अनुच्छेद 4(ख) में जो पात्रता का जिक्र हुआ है, वह पात्रता शासन के किस आदेश अथवा अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई है जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा अन्य संवर्गों के पदोन्नति हेतु निर्धारित की गई है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। शासनादेश सं0 स-1/3/1/69/15 दिनांक 9-9-69 के अतिरिक्त अन्य किसी शासनादेश अथवा अधिसूचना में निर्धारित नहीं है। उक्त शासन का पत्र संख्या ख-1/3/1/69/15 दिनांक 9-9-69 स्वयंविधिक दृष्टिकोण से मान्य तथा प्रभावी शासनादेश है।

शारदा सहायक समावेश क्षेत्र के विकास हेतु आयोजित सेमीनार पर व्ययित धनराशि एवं निष्कर्ष

173—श्री मित्रसेन

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो दिवसीय दिनांक 17 व 18

नवम्बर, 1983 को शारदा सहायक समादेश क्षेत्र के विकास पर आयोजित गोष्ठी पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है तथा इस गोष्ठी के आयोजन का निष्कर्ष क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक 17 एवं 18 नहीं बल्कि 18 एवं 19 नवम्बर, 1983 को कमाण्ड एरिया प्रोग्राम पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार पर रु0 1,74,086.10 पैसे की धनराशि व्यय की गयी है। इस सेमीनार में कमाण्ड एरिया प्रोग्राम को अधिक प्रभावी एवं क्रियाशील बनाने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई हैं।

गोरखपुर के कौड़ी राम स्थित सर्वोदय किसान इण्टर कालेज के सहायक अध्यापक की प्रोन्नति सम्बन्धी पत्र

174—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सर्वोदय किसान इण्टर कालेज, कौड़ीराम से संबंधित अध्यापकों/आध्यापिकाओं से संबंधित शिकायती पत्र जिसमें एल0 टी0 वेतन क्रम पदोन्नति के आधार पर देने की बात उठाते हुए प्रश्नकर्त्ता ने आपको दिनांक 4-10-83 में पत्र लिखा है तथा जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्रांक 2874/एम0/83, दिनांक 20-10-83 द्वारा किया है, पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी

इस विद्यालय की एक सहायक अध्यापक को एल0 टी0 वेतनक्रम में प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में माननीय सदस्य का 4-10-83 का पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को छानबीन करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रदेश में एम0 ए0 डी0 पी0 एड0 अध्यापकों को प्रवक्ता वेतनमान दिये जाने की मांग

175—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि प्रदेश में एम0 ए0, डी0 पी0 एड0 अध्यापक जो एल0 टी0 वेतन क्रम में शिक्षण कार्य कर रहे हैं को प्रवक्ता वेतन क्रम में पदोन्नति देने का मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस समय कुल कितने ऐसे अध्यापक-अध्यापिकाएं हैं तथा इनकी कब तक प्रोन्नति कर दी जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, सहारनपुर में की गयी नियुक्तियां

176—श्री रामस्वरूप निम—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में जिला परिषद् में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1983 में नयी नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो उक्त नियुक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया तथा रोजगार दफ्तर से नाम मांगे गये तथा विधिवत् चयन समिति द्वारा नियुक्तियां की गई? यदि नहीं, तो उक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुए दोषी अधिकारी को निलम्बित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

माह दिसम्बर, 1983 में लिपिकों के पदों पर नियुक्तियां की गयी जिसके लिए रोजगार दफ्तर से भी नाम मांगे गए व नियुक्तियां विधिवत चयन समिति द्वारा की गयी अतः उन्हें निरस्त करने व संबंधित अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जिला परिषदों में टैक्स अफिसर्स की नियुक्ति

177—श्री लल्लूसिंह चौहान—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने प्रदेश की 22 जिला परिषदों में टैक्स आफीसर्स नियुक्त किए हैं? उपरोक्त जिला परिषदों में से किस-किस जिला परिषद ने सरकाम्स्टेन्सेज एण्ड प्रापर्टी टैक्स को आरोपित करने हेतु नियमावली शासन की स्वीकृति हेतु भेज रखी है? क्या सरकार जिन जिला परिषदों में कर अधिकारी नियुक्त हैं उक्त टैक्स से संबंधित नियम स्वीकृत कर उन परिषदों की आय में वृद्धि करने का निर्णय लेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत 22 जिला परिषदों में से 3 जिला परिषदों (देवरिया, रायबरेली एवं देहरादून) में पहले से विभव एवं सम्पत्ति कर लागू है। शेष सभी जिला परिषदों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी जिले में अल्प सिंचाई के लिये कृषकों को दिये गये अनुदान के लम्बित बिल

178—श्री बनवारी राम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में अल्प सिंचाई कार्यों पर वर्ष 1982-83 के वित्तीय सहायता प्राप्त कृषकों की अनुदान बिलें 6 लाख रुपये का लम्बित पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त अनुदान के बिलों के निस्तारण हेतु धन आवंटित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1982-83 के वित्तीय सहायता प्राप्त कृषकों की अनुदान बिले मू0 3-50 लाख रुपये की लम्बित हैं। वर्ष 1983-84 में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला सेक्टर के अन्तर्गत अनुदान मद में 00-675 लाख परिव्यय स्वीकृत है। स्वीकृत परिव्यय के विपरीत धन का आवंटन किया जा चुका है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिव्यय न होने के कारण अतिरिक्त धन आवंटन की सम्भावना नहीं है।

वाराणसी जिले के धनापुर-असोगापुर-मइहरदोपट्टी मार्ग का निर्माण

179—श्री बनवारी राम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में विकास खण्ड भदोही के धनापुर-असोगापुर-मइहरदोपट्टी मार्ग पर सोलिंग हेतु धन स्वीकृत है? यदि हां, तो उस पर काम न लगाने का क्या कारण है और कब तक कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी, वाराणसी से स्पष्ट सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसे भेजने हेतु पुनः निर्देशित कर दिया गया है।

राजकीय इण्टर कालेज, गरुड़, जिला अल्मोड़ा के भूतपूर्व प्रधानाचार्य, डा0 बुद्धि सागर के विरुद्ध शिकायती पत्र

180—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, गरुड़, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा के भूतपूर्व प्रधानाचार्य, डा0 बुद्धि सागर दिनांक, 24 सितम्बर, 1982 से 14 जून, 1983 तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे? मा0 शिक्षा मंत्री जी व अन्य विभागीय अधि-

कारियों को जनता द्वारा डा0 बुद्धि सागर के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राम दास रावत, कनिष्ठ उप प्रमुख, विकास खण्ड, बंकी, जिला बाराबंकी द्वारा आलू बीज वितरण में की गयी कथित अनियमितता

181–श्री राम सागर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-11-83 को श्री राम दास रावत कनिष्ठ उप प्रमुख विकास खंड बंकी जिला बाराबंकी द्वारा आलू बीज वितरण में की गई अनियमितता के संबंध में कोई पत्र मुख्य मंत्री को भेजा है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह–

जी हां।

मुख्य शिकायतें जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी द्वारा आलू बीज वितरण में की गयी अनियमितता एवं श्री रामदास रावत के साथ दुर्व्यवहार किये जाने से संबंधित है। इन शिकायतों की जांच अपर जिलाधिकारी (विकास) बाराबंकी तथा उप निदेशक, उद्यान (फैजाबाद) से करायी गयी, किन्तु उक्त शिकायतें निराधार पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी, डी0 आई0, हरदोई के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

182–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी डी0 आई0 हरदोई ने बरेली, ददरौल (शाहजहांपुर) के कार्य से सम्बन्धित भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच डी0 डी0 आर0 बरेली (डा0 चन्दोला) ने की है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा सरकार इसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

डा0 एस0 पी0 चन्दोला तत्कालीन मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक बरेली की जांच आख्या के अनुसार श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी के अपर उप विद्यालय निरीक्षक बरेली तथा प्रधानाध्यापक राजकीय दीक्षा विद्यालय, ददरौल (शाहजहांपुर) के कार्यकालों से संबंधित अनेक अनियमिततायें प्रमाणित पायी गई। जिनके लिए शिक्षा निदेशक के निर्णयानुसार श्री द्विवेदी की दो वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी गई हैं और उनकी वर्ष 1973-74 तथा 79-80 की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गई है।

श्री गांधी इण्टर कालेज छुर, जिला मेरठ में प्रशासक नियुक्त किये जाने के संबंध में पत्र

183–श्री मोहन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री गांधी इण्टर कालेज, छुर, जनपद मेरठ में भ्रष्टाचार के कारण उप शिक्षा निदेशक ने अपने पत्रांक 2828-31-4-10-83, दिनांक 16-10-83 को विद्यालय में रिसीवर बैठाने हेतु शासन को भेजा है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में रिसीवर कब तक बैठा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

उप शिक्षा निदेशक, मेरठ के पत्र दिनांक 16-9-83 का पृष्ठांकन, जो प्रबंध अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, शासन को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक से आख्या एवं संस्तुति प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायगी।

उप बेसिक शिक्षा परिषद्, ज्ञानपुर जिला वाराणसी के अवकाश प्राप्त अध्यापकों की पेंशन

184—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप बेसिक शिक्षा परिषद् ज्ञानपुर जिला वाराणसी से सन् 81 व 82 तथा 83 में कितने सहायक व प्रधान अध्यापक रिटायर हो गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितनों की पेंशन आज तक स्वीकृत नहीं की गयी ? क्या यह सही है कि राजकरन मिश्र प्र0अ0जू0 हाई स्कूल अमवां, ब्लाक भदोही ज्ञानपुर वाराणसी ने 19 फरवरी, 82 को अवकाश ग्रहण किया ? यदि हां, तो इनकी पेंशन अभी तक स्वीकृत क्यों नहीं की गयी और इनका अन्य देय क्यों नहीं दिया गया ? क्या इसकी जांच की जायगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी से प्राप्त सूचनानुसार ज्ञानपुर ईकाई के वर्ष 81, 82 तथा 83 में सेवा निवृत्त प्रधान अध्यापक/सहायक अध्यापकों की जिनकी पेंशन अभी तक स्वीकृत नहीं की जा सकी है वर्षवार स्थिति निम्नवत् है:—

जिनकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई—

	प्रधान अध्यापक	सहायक अध्यापक
	14	5
	9	4
	9	4

वर्ष	सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक	सहायक अध्यापक
1981	15	5
1982	14	6
1983	9	4

श्री राज करन मिश्र, प्रधानाध्यापक ने 30-6-82 को अवकाश ग्रहण किया। इनकी पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है उसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। जीवन बीमा की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जिला परिषद्, पौड़ी गढ़वाल का अप्रयुक्त अनुदान

185—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में 30-6-83 तक शिक्षा अनुदान में कितनी धनराशि अवशेष थी ? इस धनराशि का उपभोग यथासमय न किये जाने के कारण क्या है और इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पौड़ी गढ़वाल की प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के मरम्मत के सम्बन्ध में पत्र

186—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल को प्रश्नकर्त्ता के पत्रांक 3/शिक्षा 83-84 दिनांक 21-8-83 के द्वारा जनपद की कतिपय प्राइमरी स्कूल भवनों की मरम्मत के सुझाव प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो परिषद् द्वारा उन स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की गई है और कब तक उन स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला पौड़ी गढ़वाल के अधिकारियों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

187—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद पौड़ी में कौन-कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें इस जनपद में 3 वर्ष से अधिक समय हो गया है? सरकार ऐसे अधिकारियों को कब तक स्थानान्तरित करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिला परिषद् पौड़ी गढ़वाल में केवल एक अधिकारी जो कि अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पद पर कार्यरत है 3 वर्ष से अधिक समय से है। इनके स्थानान्तरण के विषय में वार्षिक स्थानान्तरण के समय गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

188—श्रीमती गौरी देवी—

—[दिनांक 5-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या-1 द्वारा उत्तरित।]

शिक्षा विभाग में क्लास टू के अधिकारियों की रिक्त पदों पर प्रोन्नति

189—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग में क्लास टू के दो सौ से अधिक पद इस समय रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो इन पर पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। तदर्थ पदोन्नतियों का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तथा इस दिशा में अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरे होने के बाद ही पदोन्नतियां हो सकेंगी।

190—श्रीमती गौरी देवी—

—[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-45 द्वारा उत्तरित।]

191—श्रीमती गौरी देवी—

—[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-24 द्वारा उत्तरित।]

हरदोई जिले के अटिया-मझिगांवा तथा हत्याहरण मार्ग पर पुलिया का निर्माण एवं मजदूरों की मजदूरी

192—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1981-82 के हरदोई जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित मार्ग अटिया मझिगांवा व हत्याहरण में कुछ पुलियों के निर्माण कराये गये थे? यदि हां, तो क्या इन पुलियों के निर्माण में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1981-82 में हरदोई जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उपप्रखण्ड द्वितीय हरदोई द्वारा अटिया मझिगांवा संपर्क मार्ग तथा हत्याहरण संपर्क मार्ग पर पुलियों का निर्माण कराया गया था निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान चावल के रूप में किया जा चुका है। नकद धन-राशि के रूप में किये जाने वाला भुगतान मस्टररोल की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका है। जिसकी जांच चल रही है। जांच कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना संभव होगा।

193—श्रीमती गौरी देवी—

—[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-44 द्वारा उत्तरित।]

194—श्रीमती गौरी देवी—

—[दिनांक 5-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-23 द्वारा उत्तरित।]

फैजाबाद के 'नरेन्द्रालय भवन' के लिये सरकार द्वारा कुर्सियों की व्यवस्था

195—श्री निर्मल खत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 मार्च, 1983 को फैजाबाद शहर में नवनिर्मित "नरेन्द्रालय भवन" का उद्घाटन करते समय उनके द्वारा भवन में कुर्सियां लगाने के लिए आवश्यक धन-

राशि सरकार द्वारा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो क्या यह अनुदान नगरपालिका फैजाबाद को दिया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। नगर पालिका, फैजाबाद को उक्त कार्य कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। अनुदान स्वीकार किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर के ग्राम चिलौली, शाही और टिढ़वा में हरिजनों के लिये कूप निर्माण

196–श्री रामस्वरूप वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामों में पेय जल योजना के लिए हरिजनों हेतु बनने वाले कुओं का निर्माण स्वीकृत होने के कितने दिनों में पूरा होता है? कानपुर देहात के अंतर्गत विकास क्षेत्र डेरापुर में कितने कुएं अभी निर्माणाधीन हैं तथा हरिजन कूप ग्राम सभा चिलौली, ग्राम शाही और टिढ़वा के कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट लग चुकी है, किन्तु यह कुएं अभी तक अधूरे पड़े हैं? क्या यह भी सत्य है कि गांव सभा चिलौली का कुआं अभी अधूरा है और इस पर श्री रवीन्द्र तिवारी नामक सवर्ण ने अपना कब्जा कर लिया है और कुएं को अपने मकान की खिड़की के अन्दर कर लिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सुल्तानपुर जिले के ग्राम रसूलपुर में आई0 आर0डी0 परियोजनान्तर्गत बनाई गयी सूची

197–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में कौन-कौन से व्यक्ति ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक आय 3,500 रुपया या उससे कम है? क्या उनका नाम आई0 एस0 वी0 सूची में अंकित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में लाभान्वित करने हेतु प्रत्येक विकास खंड में 3500 रु0 तक वार्षिक आय के पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है। उक्त सूची में से ही आई0 एस0 वी0 सेक्टर हेतु लाभार्थियों का चयन किया जाता है तद्नुसार सुल्तानपुर जनपद के विकास खण्ड शुकुल बाजार को रसूलपुर ग्राम सभा में 220 व्यक्तियों की सूची आई0 आर0 डी0 परियोजना हेतु तैयार की गयी है। इन 220 व्यक्तियों की सूची+संलग्न है। इनमें से 72 व्यक्तियों को आई0 एस0 वी0 कार्यक्रम हेतु चयन किया गया है।

जौनपुर जिले के विकास खण्ड, जलालपुर के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों से राष्ट्रीय बचत पत्र हेतु काटी गयी धनराशि का भुगतान

198–श्री प्रभूनारायण सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या उक्त कटौती का भुगतान संबंधित अध्यापकों को कर दिया गया? प्रश्नगत अनियमितता के लिए दोषी कौन था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री [illegible] रिजवी–

[illegible] की जा रही है।

+(छापी नहीं गयी।)

आजमगढ़ जिले के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

199—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में अप्रैल, 1982 में अक्तूबर, 83 तक प्रत्येक माह में अलग-अलग कौन से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान आगामी माह की 20 तारीख के बाद किया गया है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़ में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षाओं में प्रति छात्र उत्तर पुस्तिकाओं पर व्यय

200—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83 की जूनियर हाईस्कूल परीक्षा में सादी उत्तर पुस्तिकाओं के क्रय में आजमगढ़, वाराणसी, लखनऊ तथा अलीगढ़ जनपदों में प्रति छात्र अलग-अलग क्या व्यय हुआ?

श्री अम्मार रिजवी—

लखनऊ जनपद में प्रति छात्र 2 रु0 82 पैसा और वाराणसी जनपद में प्रति छात्र 3 रु0 38 पैसा व्यय हुआ। शेष जनपदों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हो पाई है जिसे प्राप्त करने का प्रयास जारी है।

हरदोई जिले के हामिद अली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिहानी में अवैध धन की वसूली संबंधी प्रार्थना पत्र

201—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ष 1982-83 में इंटर की अनाधिकृत कक्षाएं चलाए जाने एवं अवैध धन वसूल किए जाने के सिलसिले में श्री प्रकाश चन्द्र बाजपेयी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र सितम्बर, अक्तूबर, 1982 में उप निदेशक शिक्षा, लखनऊ, मंडल लखनऊ को दिया गया? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही क्या हुई?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद्, हरदोई के सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री लाल बहादुर सिंह एवं श्री राम पाल सिंह को पेंशन पर राहत सुविधा से वंचित रखा जाना

202—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् की सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन पर राहत की सुविधा से बेसिक शिक्षा परिषद् हरदोई के 1973 में सेवा निवृत्त प्रधान लिपिक, श्री लाल बहादुर सिंह एवं 1977 में सेवा निवृत्त श्री राम पाल सिंह को वंचित रखा जा रहा है? क्या यह सही है कि उक्त दोनों सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा 30-9-82, 6-11-82, 11-4-83 तथा 21-7-83 में बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को देय राहत सुविधा के भुगतान के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र भी दिए गये हैं? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दुर्गेश्वर विद्या मंदिर, जूनियर हाई स्कूल, बांगरमऊ, उन्नाव के संस्कृत अध्यापक के वेतन की पूर्ण धनराशि का भुगतान

203—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गेश्वर विद्या मंदिर, जू0 हा0 स्कूल, बांगरमऊ, जिला उन्नाव में शासन द्वारा अनुमोदित संस्कृत अध्या-

पक को स्वीकृत वेतन की पूर्ण धनराशि नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो विद्यालय के प्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार प्राइवेट विद्यालयों के ऐसे अध्यापकों के वेतन को क्षतिपूर्ति प्रबंधकों को न करके बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बैंक के माध्यम से सीधे अध्यापकों को देने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संस्था के प्रबंधक द्वारा संबंधित अध्यापक को नियमित एवं पूर्ण भुगतान किया जा रहा है।

ग्राम सभा अबैरनी, जिला मथुरा के प्राइमरी स्कूलों के भवनों के मरम्मत संबंधी शिकायती पत्र

204–श्री सरदार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अबैरनी, ब्लाक बल्देव, जिला मथुरा के प्रा0 स्कूलों के भवनों के मरम्मत के संबंध में 4 फरवरी, 83 को प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव जिले के ग्राम मटुकरी निवासी श्री लखपति राय, अवकाश प्राप्त अध्यापक को पेंशन का भुगतान न किया जाना

205–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम मटुकरी, पो0 लटवा बैंक निवासी श्री लखपति राय, जो वर्ष 1980 में अध्यापक पद से सेवा मुक्त हुए थे, को राजाज्ञा जुलाई, 1979 द्वितीय प्रक्रिया के अनुसार (मूल वेतन 450 रु0 तथा समयवद्ध वेतनमान मिलाकर कुल 510 रु0 पर) पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव से प्राप्त सूचनानुसार श्री लखपति राय, सेवा निवृत्त अध्यापक द्वारा पेंशन संशोधन हेतु निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति न किए जाने के कारण नवीन वेतनमान में पेंशन का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, गढ़ुरही बाजार, फैजाबाद को जूनियर स्तर पर कक्षाएं चलाने की मान्यता प्रदान किया जाना एवं अनुसूचित जाति के चपरासी का कोटा पूरा करने के संबंध में

206–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, गढ़ुरही बाजार, फैजाबाद को सत्र 1980-81 अथवा 1981-82 में जूनियर कक्षाओं को चलाने की मान्यता प्रदान की गयी है? जूनियर स्तर तक अध्यापन हेतु कितने अध्यापकों एवं चपरासियों की नियमित नियुक्ति की गयी है? क्या अध्यापकों एवं चपरासियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा कर लिया गया है? यदि हां, तो अनुसूचित जाति के अध्यापकों एवं चपरासियों के नाम क्या हैं?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री चन्द्र पाल को हाई स्कूल का परीक्षा-फल न दिए जाने के संबंध में पत्र

207–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रपाल को वर्ष 1977 का हाई

स्कूल परीक्षाफल अभी तक न दिए जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 30-3-83 उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो परीक्षाफल दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी और इसके लिए दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कला, रायबरेली को प्रधान अध्यापिका का चार्ज दिए जाने एवं उनके अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में पत्र

208–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव को कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां में प्रधान अध्यापिका के पद का चार्ज दिलाने के संबंध में तथा उनका पिछले तीन साल के बकाया वेतन के संबंध में सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद का अर्द्ध0 शा0 पत्र संख्या बे0 शि0 प0/8254/57/एक-1/82-83 दिनांक 10 जून, 1982 जो जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को सम्बोधित है और जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली का पत्र संख्या शि0प0/2100-1/82-83, दिनांक 22-7-82 को अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) रायबरेली को संबोधित है, का परिपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? इसके परिपालन न करने का कौन दोषी है?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

209–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव, प्रधान अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, बेहटा कलां, जिला रायबरेली के पिछले तीन साल के वेतन के भुगतान के संबंध में डा0 जेड0 ए0 अहमद, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1983 उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वेतन का भुगतान करा दिया गया है, अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनता आदर्श कालेज, गौरा बाजार, जिला बस्ती के कक्षा दस के छात्रों का विवरण

210–श्री मोहन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-1984 के शिक्षा सत्र में जनता आदर्श कालेज, गौराबाजार, जनपद बस्ती के कक्षा 10 में कुल कितने छात्र नामांकित हैं तथा उनका नाम व स्थायी पता क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस समय माह नवम्बर, तक कुल कितने कक्षा 10 के नामित छात्रों के परीक्षा फार्म वर्ष 1983-84 की परीक्षा के लिए प्रधानाचार्य ने अग्रसारित किया है?

श्री अम्मार रिजवी–

उपलब्ध सूचनानुसार शिक्षा सत्र 1983-84 में प्रश्नगत विद्यालय की कक्षा 10 में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 554 है जिनके नाम व पतों का विवरण† संलग्न है। वर्ष 1984 की संस्थागत परीक्षा हेतु माह नवम्बर, 1983 तक विद्यालय के प्रधानाचार्य से अग्रसारित होकर कुल 553 छात्रों के आवेदन-पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त हुये हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती द्वारा प्रेषित सूची में 10 ऐसे छात्रों के नाम हैं, जिनके आवेदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं तथा 10 ऐसे छात्रों के आवेदन पत्र प्राप्त

† छापी नहीं की गयी।

हुए हैं जिनके नाम इस सूची में नहीं हैं। इस भिन्नता के संबंध में प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती से पूछ-तांछ की गयी है।

इंटर बी0टी0सी0 अध्यापकों के वेतन मान का पुनरीक्षण

211—श्री थम्मन सिंह गहलौत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंटर बी0टी0सी0 अध्यापकों के वेतनमान रुपया 200—320 को राजकीय आदर्श विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों की भांति राजकीय इंटर कालेजों में भी दिसम्बर, 1977 से 210-330 में पुनरीक्षित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा।

ए0 एम0 इंटर कालेज, मवाना, मेरठ के भूतपूर्व सहायक अध्यापक, श्री श्याम लाल गुप्त के अवशेष वेतन एवं पेंशन का भुगतान

212—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या 10086/83, दिनांक 24 मार्च, 83 जिसमें श्यामलाल गुप्त, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, ए0एम0 इंटर कालेज, मवाना, मेरठ का अवशेष वेतन, पेंशन का भुगतान अभी तक न किए जाने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी—

उक्त पत्र तो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है परन्तु श्री श्याम लाल गुप्त सहायक अध्यापक को प्राविजनल पेंशन शिक्षा उप निदेशक मेरठ के पत्रांक पेंशन/(1) 87—93/83-84, दिनांक 6-2-83 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है संस्थाधिकारियों को बराबर स्मरण कराने पर भी स्थाई पेंशन की स्वीकृति देने हेतु विकल्प पत्र, वेतन निर्धारण तालिका तथा औसत वेतन तालिका आदि प्राप्त नहीं हुई थी जो संस्था से जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ के यहां दिनांक 3-12-83 को प्राप्त हुई। इसे जांचोपरान्त उप शिक्षा निदेशक मेरठ को 12-12-83 को भेजा गया है। अवशेष वेतन के भुगतान के संबंध में भी कार्यवाही की जा रही है।

जिला बेसिक शिक्षक संघर्ष समिति, ललितपुर का मांग पत्र

213—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 82 प्राप्त हुआ है, जिसमें जिला बेसिक शिक्षक संघर्ष समिति, ललितपुर द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बांदा जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान

214—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के अशासकीय अस्थायी एवं स्थायी मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6 के छात्रों को एवं कक्षा 7-8 की छात्राओं को विगत कई वर्षों से क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो पूर्ण ब्योरा एवं कारण क्या है? क्षतिपूर्ति अनुदान कब तक दिला दिया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं। जिन-जिन विद्यालयों से इस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये और जिनकी स्वीकृति शिक्षा निदेशालय से प्रदान की गई उन्हें भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा अनुभाग दो के शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 1982 में अंकित पदों की अर्हता एवं वेतन मान

215–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3669/15-2-27 (11)/82, शिक्षा–2 दिनांक 28 जुलाई, 1982 के संलग्नक में क्रम संख्या एक से तैंतीस तक के पदों की क्या अर्हता एवं किस संवर्ग में उन पदों के क्या-क्या वेतन-मान रखे गये हैं? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्र0 सं0 एक से तैंतीस के पदों में से किन-किन पदों की लोक सेवा आयोग से भर्ती की जाती है और किन-किन पदों की विभागीय प्रोन्नति द्वारा किस संवर्ग से भरी जाती है?

श्री अम्मार रिजवी–

शासनादेश सं0 3669/15-2-27–(11)/82 दिनांक 28 जुलाई, 1982 के संलग्नक के क्रम संख्या 25 पर उल्लिखित सहायक शोध अधिकारी के पद की सूचना छोड़कर शेष 32 पदों की सूचना† सलंग्न है। इस पद के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है।

शिक्षा विभाग के पर्वतीय संवर्ग के एल0 टी0 एवं एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनमानों में की गयी तदर्थ नियुक्तियां

216–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में पर्वतीय संवर्ग के अन्तर्गत वर्ष 1982 में एल0 टी0 तथा एस0 एस0 ई0 एस0 वेतनमानों में कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गयीं? इनमें से पर्वतयी क्षेत्र के कितने अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गयीं? इस प्रकार नियुक्त कितने अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण किया?

श्री अम्मार रिजवी–

एल0टी0 में पुरुष 132, महिला 27 एवं एस0एस0ई0एस0 में पुरुष 46 तथा महिला 11 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई।

एल0टी0 में पुरुष 22, महिला 9 एवं एस0 एस0 ई0 एस0 में पुरूष 17 महिला 6 नियुक्ति।

एल0टी0 में पुरुष 22, महिला 4 एवं एस0 एस0 ई0 एस0 में पुरूष 9 महिला 4 पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण किया।

श्रीमती कमला देवी, अध्यापिका जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी के चिकित्सा अवकाश की अवधि का वेतन

217–श्री कुंबेर भण्डारी तथा श्री हरिवंश सहाय–

प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन समायोजित करने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया? क्या अगले माह में वेतन समायोजित कर लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सम्बन्धित अध्यापिका, माह सितम्बर, 80 में अवकाश पर रहीं? यदि हां, तो वेतन क्यों आहरित किया गया तथा आहरित होने के बाद समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान क्यों नहीं कराया गया?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

†छापी नहीं गयी।

गोरखपुर के स्वावलम्बी इण्टर कालेज, बिशुनपुरा में जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति

218—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इण्टर कालेज बिशुनपुरा में जुलाई, 1963 में जे0टी0 सी0 वेतनक्रम में कौन-कौन से सहायक शिक्षक नियुक्त हुए और पांच साल की शिक्षण अवधि पूरी करने के बाद की तिथि से सुमोटी पद्धति में वर्ष 1974 से वर्ष 1979 के बीच पदोन्नति दे दी गयी? इस श्रेणी में आने वाले किन-किन शिक्षकों ने पांच साल पूरा होने के बाद जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम में किए गये कार्य पर सी0 टी0 वेतनक्रम की धनराशि की मांग प्रबन्धक अंशदान कोष से देने हेतु स्थानीय अधिकारियों व शासन से माह जनवरी, 1982 से माह अक्टूबर, 1982 के अन्दर कितनी बार सूचना देकर मांग किया है ? इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राइमरी पाठशाला, लारपुर, फैजाबाद में कथित भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र

219—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला लारपुर, जनपद फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 4-10-82 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को की गयी तथा जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता से भी लिखित या मौखिक बयान लिया गया ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

माध्यमिक विद्यालयों द्वारा भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर से अनिवार्य किस्त की धनराशि का वापस लिया जाना एवं उसका भुगतान

220—श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि ऐसे माध्यमिक विद्यालय कितने हैं जिन्होंने भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर के यहां से एक भी अनिवार्य जमा किस्त वापस लेकर 31-12-81 तक स्टाफ को वितरित नहीं की है ? सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अध्यापकों की संख्या

221—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में 3 मार्च, 1982 को कुल कितने अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अलग-अलग थीं तथा उनमें से कितने अनुसूचित जाति के, कितने जन जाति के, कितने पिछड़े वर्ग के तथा कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है जिसके प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा प्रश्न में वांछित सूचना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की पाठशालाओं से संबंधित है।

फैजाबाद प्राइमरी पाठशाला, अमोला की सहायक अध्यापिका, श्री मती लालती देवी का सस्पेंस एकान्ट से धन निकाले जाने संबंधी प्रार्थना पत्र

222—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि लालती देवी, सहायक अध्यापिका, प्राइमरी कन्या पाठशाला अमोला, शिक्षा क्षेत्र बसखारी, ब्लाक रामनगर, जिला फैजाबाद ने दिनांक 8-10-80 को उप जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद दिनांक 10-1-83 को मंत्री जी को मुख्यालय बाबू द्वारा सस्पेंस एकाउन्ट से धन निकालने के बारे में प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । जहां तक श्रीमती लालती देवी, सहायक अध्यापिका, के सस-पेन्स लेखें में जमा धनराशि के भुगतान का संबंध है अध्यापिका को चेक संख्या–217317 दिनांक 12-3-84 द्वारा रु0 302.05 पैसे का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रदेश के इण्टरमीडिएट विद्यालयों में नियुक्त सैन्य विज्ञान विषय के अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता

223–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के ऐसे कितने अध्यापक हैं, जो प्रवक्ता वेतनक्रम पा रहे हैं तथा वह केवल बी0 ए0 अथवा बी0 एस0 सी0 सैन्य विज्ञान सहित तथा एन0 सी0 सी0 कमीशन्ड अधिकारी हैं तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखते हैं ? क्या अध्यापक राजाज्ञा संख्या 8239/पन्द्रह 7-76-2-(1)-1975 दिनांक 9-12-76 द्वारा सैन्य विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं में किए गए संशोधनों के आधार पर सैन्य विज्ञान प्रवक्ता वेतन-मान (रू0 400-750) पाने के अधिकारी हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के ऐसे माध्यमिक विद्यालयों, जिन्हें गत वर्षों से कक्षा छः के विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क का भुगतान नहीं हुआ है, का विवरण

224–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत पिछले वर्षों से किन-किन विद्यालय को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की प्राइमरी पाठशालाओं में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या नियुक्ति एवं अवशेष रिक्त स्थान

225–श्री फख्रे आलम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्ति हुई तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त हैं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी–

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना नुसार प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स के 6082 स्थान हैं और उनमें से 4812 स्थानों पर उर्दू अध्यापक नियुक्त हैं तथा 1270 स्थान रिक्त हैं । रिक्त का कारण पद सृजन के समय अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता, उर्दू अध्यापकों का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण त्याग पत्र तथा मृत्यु है। रिक्त स्थानों के भरे जाने के निर्देश दे दिए गये हैं ।

बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा गोसाइपुर जिला वाराणसी की अध्यापिका, श्रीमती विमला श्रीवास्तव का फर्जी ट्रांसफर के आधार पर कार्य भार ग्रहण करना

226—श्री उदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी पाठशाला, मढ़वा गोसाईपुर शिक्षा क्षेत्र, बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में श्रीमती विमला श्रीवास्तव फर्जी ट्रांसफर आदेश, गाजीपुर का बनाकर ता0 30-7-80 से कार्यभार ग्रहण किया था ? क्या यह सही है कि पद स्थापन आदेश श्रीमती कालिन्दी पाण्डेय, बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला, वाराणसी के आदेश से था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि बे0 प्रा0 पा0 मढ़वा, ब्लाक हरहुआ, जिला वाराणसी के प्रधान अध्यापक अमरनाथ लाल ने 20-7-82 को एक रिपोर्ट प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक, हरहुआ वाराणसी को लिखित दिया है कि उक्त आदेश को उन्होंने श्रीमती कालिंदी पाण्डेय को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्ताक्षर है उसको कार्यभार ग्रहण करा दीजिये? क्या लाक बुक पर भी सभी आदेश संख्या अंकित है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिल्ली, जिला बदायूं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सी0 डी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान की मांग

227—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फण्ड कमिश्नर, कानपुर से धनराशि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त धनराशि को प्रश्न से सम्बन्धित समस्त अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को जुलाई, 1974 से 1977 तक सी0 डी0 एस0 का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक बकाया भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर की प्राइमरी पाठशाला बरमही सिसवा एवं पकड़िया बुजुर्ग के अध्यापकों का निलम्बन

229—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा व सिसवा के कौन-कौन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षक दिनांक 6-8-82 से निलम्बित हैं, और किस कारण ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राइमरी पाठशाला पकड़ियों बुजुर्ग तथा प्राइमरी पाठशाला बरमही सिसवा के क्रमशः प्रधानाध्यापक व एक सहायक अध्यापक दिनांक 6-8-82 के आदेश द्वारा निलम्बित किये गये थे जिन्हें दिनांक 11-5-83 के आदेश से न्यायालय में चल रहे वाद के निर्णय तक बहाल कर दिया गया था ।

एस0 के0 पी0 इण्टर कालेज आजमगढ़ के अध्यापकों का अनियमित भुगतान

230—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5-11-81 तक कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है तथा 15-4-83 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शिक्षा निदेशक कार्यालय, लखनऊ पर धरना

231—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संलग्न 12 शिकायतों के सन्दर्भ में अलग-अलग क्या निर्णय लिए गये तथा शेष आठ प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायगा?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मिर्जापुर जिले के कतिपय ग्रामों में शून्य तथा अन्यत्र अनेक प्राइमरी पाठशालाएं

232—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 118 प्राइमरी पाठशाला बालक एवं बालिकाओं के ऐसे भी हैं जो एक ही गांव में चल रहे हैं। यदि हां, तो सरकार उन प्राइमरी पाठशालाओं को एक वहां छोड़कर दूसरे को अन्यत्र गांव में, जहां पाठशाला नहीं है, स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती जिले के जोगिया गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल का वर्षों से निष्क्रिय होना

233—श्रीमती कमला साहनी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड जोगिया के जोगिया गांव में स्थित जूनियर हाई स्कूल कितने वर्षों से निष्क्रिय है और सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है? क्या सरकार उक्त विद्यालय को विकास खण्ड के किसी अन्य गांव में स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

क्षेत्र समितियों में बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की सदस्यता

234—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने अध्यापक क्षेत्र समितियों के सदस्य हैं? अध्यापकों का उक्त क्षेत्र समिति का सदस्य रहने का क्या औचित्य है।

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

(12 बजकर 7 मिनट पर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न संख्या 7 आप देखें।

श्री अध्यक्ष—

अगर इस प्रश्न के संबंध में कुछ पूछना है तो पूछें।

*श्री रियासत हुसैन–

मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या 10की ओर दिलाना चाहता हूं। यह लखनऊ स्थित कालर पैलेस से सम्बन्धित प्रश्न है इसको मैंने 18-11-1983 को दिया था 7-12-1983 को सरकार को यह भेजा गया और आज लिखा है कि 13 वें सोमवार के लिए स्थानान्तरित किया गया है। यह सदन 2 सप्ताह और चलेगा तो 7वां सोमवार आ सकेगा। प्रश्न 13 वें सोमवार के लिए स्थगित किया गया है। 3 महीने हो गये, लखनऊ से संबंधित प्रश्न है तो मैं श्रीमन, जानना चाहता हूं कि 6ठें सोमवार को इसका उत्तर आप दिला दें. यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है। मान्यवर, इसका उत्तर आप 6ठें सोमवार को दिला दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर. इसका उत्तर दिला दिया जायगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप के द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी करण (षष्ठ संस्करण) के नियम 31 में है कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि सूचना एकत्र की जा रही है तो ऐसे उत्तर का आशय यह समझा जायगा कि सरकार उस प्रश्न को स्थगित करना चाहती है। ऐसा स्थगन केवल दो सप्ताह के लिए होगा और अंतिम माना जायेगा। इस प्रकार प्रश्नों को उत्तर की तिथि से दो सप्ताह बाद पुनः कार्यसूची पर रख दिया जायेगा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि उसका उत्तर दे दिया जाये। यदि उस समय भी अन्तरित उत्तर देना अनिवार्य हो जाय तो उसके साथ संक्षेप में उसका कारण भी लिखा होना चाहिए। आज जो कार्य सूची है उसका प्रश्न 213 देखें, उसमें प्राइमरी शिक्षक संघ ललितपुर ने मांग पत्र दिया है, मैंने चिट्ठी भेजी थी। यह दो बार स्थगित हुआ है, फिर सूचना एकत्र की जा रही है। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। शिक्षा विभाग की गम्भीर अनियमिततायें हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

इसके पहले यह सवाल दो बार स्थगित हो चुका है और इस बार इसी लिये इसको रिपीट किया है कि यह सार्वजनिक महत्व का सवाल था कि जो लोग अर्हता नहीं रखते हैं उनकी नियुक्ति कर ली जाती है और जो अर्ह हैं उनकी नियुक्ति नहीं किया जाता है। इसी लिये सरकार की इस अनियमितता की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया था। इस में भी दिनांक 12-3-84 को यह सवाल आया था और उसमें कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, इससे पहले स्वरूप कुमारी बख्शी शिक्षा मंत्री थी और उस समय भी सवालों के जवाब में सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना एकत्र की जा रही है, कहा जाता रहा है। जब से माननीय अम्मार साहब शिक्षा मंत्री हुए हैं तो हम लोगों को एक आशा की किरण यही क्योंकि वे पढ़े-लिखे हैं, विभाग ठीक तरह से काम करेगा लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि इस विभाग की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

दूसरा कौन सा सवाल आपने बताया?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 223 नम्बर का सवाल है। इसमें भी कहा गया है सूचना एकत्र की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रही है। सवाल आपने ग्राह्य कर दिया और इस तरह से चार बार यह सवाल स्थगित हो गया। जैसा कि करण में दिया गया है।

श्री मुईद अहमद–

आज आपका गला बैठ गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप लोगों को टोकते-टोकते मेरा गला बैठ गया है लेकिन फिर भी मैं आपको सही रास्ते पर नहीं ला पाया। मान्यवर, इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और आपसे चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जब हम लोग सवाल देते हैं, हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिसके द्वारा हम सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का परदा फास करें, गरीबों को सरकार के शोषण और अन्याय से बचायें, और उनकी भावनाओं को सरकार में बैठे लोगों के बहरे कानों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिये हम आपसे इस सम्बन्ध में संरक्षण चाहते हैं। मान्यवर, यही नहीं, इस तरह के 11 व 12 मामले हैं जिसमें कहा गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, इस तरह से करण में दी गई व्यवस्थाओं, और आपके आदेशों की खुली अवहेलना की जा रही है, जनहित का हनन किया जा रहा है जिस पर शासन द्वारा अंकुश रखना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जिन दो प्रश्नों के उत्तर के बारे में माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है उसमें प्रश्न संख्या 223 का जहां तक सम्बन्ध है उसका 15 दिन बाद मंत्री जी अवश्य उत्तर देंगे। जहांतक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है और यह कहा गया है कि करण संख्या 31 की अवहेलना हुई है इसके सम्बन्ध में कौन इसके लिये जिम्मेदार है, किस वजह से ऐसा हुआ है, कौन दोषी है इसकी पूरी छानबीन के लिये मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं।

*श्री श्यामलाल बाजपेयी–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न संख्या 7 देखने की कृपा करें। यह नीति सम्बन्धी सवाल है। प्रदेश की बेसिक शिक्षा बिलकुल नष्ट हो चुकी है और उसी से संबंधित यह सवाल है। मान्यवर, इसको स्थानान्तरित कर के 7वें सोमवार को 19 वें प्रश्न के उत्तर में रखने के लिये कहा गया है। मान्यवर, 19वां प्रश्न कभी नहीं आयेगा। मान्यवर, यह 7वें सोमवार के लिए आया है लेकिन 19वें प्रश्न पर रखने के कारण यह आदरणीय सदन उस पर अपने विचार प्रकट करने से वंचित रह जायेगा इस लिये इसे 7वें प्रश्न पर रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो बाजपेयी जी कह रहे हैं उनकी तरफ आप ध्यान देंगे और मुझको भी सूचित करेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझको लिखकर दे दीजिये। क्या सही कहते हैं, क्या गलत है, जब तक मैं यह जानकारी न कर लूं तब तक यह मेरे लिये सम्भव नहीं है कि मैं उसका उत्तर दिला दूं। इसलिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य जो कुछ कहना चाहते वे पहले मुझको लिखकर दे दें ताकि उसका परीक्षण हो सके और उस पर कार्यवाही हो सके । तभी उस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। इसलिये जब तक आप मुझे लिखकर नहीं देंगे, मेरे लिये सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

जिन-जिन की सूचना आई है, सब का उत्तर मंत्री जी दे दें। जिस-जिस विषय में उन्होंने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं तब तक कोई बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। कृपया बैठें।

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा आप लिख कर दे दीजिये बिना लिख कर दिये मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं छानबीन करके निर्देशित करूंगा ।

डायमंड डेरी, लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में पानी की कमी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे आज 31 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें माननीय जसवंत सिंह विष्ट, माननीय बदन सिंह, माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, माननीय खैरुल बशर, माननीय मोतीलाल देहलवी, माननीय यदुनाथ सिंह, माननीय रियासत हुसैन एवं माननीय अकबर हुसैन की सूचनाएं मैंने स्वीकार की हैं । बाकी को अस्वीकार किया है ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान डायमंड डेरी, लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में पानी की भीषण समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । गर्मी अभी आरम्भ भी नहीं हो पायी है कि वहां पर पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। गत कई वर्षों से इस समस्या की ओर बार-बार ध्यान आकृष्ट करने पर इस वर्ष शासन द्वारा अनुपूरक अनुदानों के अन्तर्गत पानी की व्यवस्था करने हेतु धनराशि आवंटित की गयी लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है और आशंका है कि कहीं वह धन लैप्स न हो जाय ।

यहां पर रहने वालों से जलकर के रूप में लगभग 28 रुपया प्रतिमाह वसूला जाता है जब कि आजकल दिन भर में चार पांच बाल्टी पानी भी नहीं मिलता है । खासकर ऊपर की मंजिलों में तो यह स्थिति और भी जटिल है ।

अतः पानी जैसी आवश्यक वस्तु को उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

फतेहपुर सीकरी, आगरा में अवैधानिक रूप से हो रहे खनन कार्य के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी आगरा के ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा को खतरा पहुंचने की आशंका से इन भवनों के पास खनन कार्य को सरकारी आदेशों से रोक दिया गया है । पर सत्ता पार्टी के कुछ राजनैतिक प्रभावशाली ठेकेदार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सीकरी हिस्सा–2 और मंडी गुड़ के बीच, कानदऊबारऊ और तेहरा रावत मुहालों में अनधिकृत खनन कार्य पहाड़ों की नीलामी बंद होने पर भी मौके पर चला रहे हैं जिसे लाखों की सरकारी राजस्व की हानि हो रही है और सिकरवालों के किले तथा हाड़ा रानी के मुहल्लों के ऐतिहासिक महत्व के गुम्बद एक आध को छोड़ कर सभी ध्वस्त हो चुके हैं। इस तरह कागज पर रुका खनन कार्य स्थल पर लगभग 100 बारूदी विस्फोटक प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक खनिज विभाग और जिले के उच्चाधिकारियों की साजिश से नित्य प्रति कराकर पुरातत्व विभाग के विश्व-विख्यात ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा जिनमें भारतीय सभ्यता संस्कृति निहित है, खतरे में पड़ गयी है।

श्री अध्यक्ष–

यह जो हमारे इधर के स्विच हैं इसमें स्पार्किंग हो रही है इसलिए आज्ञा हो तो उधर की लाइट बंद कर दी जाय। 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना चाहता हूं। माननीय बदन सिंह जी जहां तक आपने पढ़ दी है उससे आगे पढ़ें।

*श्री बदन सिंह–

मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करके फतेहपुर सीकरी आगरा के ऐतिहासिक भवनों को खतरे से बचाने के लिए तुरन्त ही खनन कार्य को मौके पर रोकवाने तथा ठेकेदारों व सांठ-गांठ रखने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मऊनाथ भंजन जिला आजमगढ़ में व्याप्त गंदगी व नगर पालिका की लापरवाही के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका मऊनाथ भंजन जो पूर्वांचल में वाराणसी और गोरखपुर के बाद कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा नगर है। जो भारत सरकार को आजमगढ़ के कुल राजस्व का 60 प्रतिशत अकेले देता है की स्वास्थ्य संबंधी हालत चिंतनीय दशा में हो गयी है। सवा लाख जनसंख्या के लोगों का मलमूत्र नगर में सड़ गल कर लाखों मच्छर और मक्खियां रोजाना पैदा होते हैं। जिससे नागरिकों का जीवन अत्यंत दुखी अवस्था में पहुंच गया है।

अंधी गूंगी और बहरी नगरपालिका की सफाई की हालत अत्यंत जटिल है सड़कों पर कूड़े, करकट के अम्बार लगे रहते हैं। वर्षों से नगर में छिड़काव नहीं हुआ है। जिससे नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं।

नगर की 75 प्रतिशत जनसंख्या मांसाहारी है। परन्तु 100 साल पूर्व निर्मित स्लाटर हाउस और मीट मार्केट ध्वस्त हो चुके हैं। मरम्मत के अभाव में सड़कें टूट रही हैं। बार-बार मांग करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह-जगह पर जल जमाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है।

लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या को सरकार के संज्ञान में लाकर समस्या का समाधान चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भोगनीपुर जिला कानपुर (देहात) की पुलिस द्वारा पिपरी गांव के गुलजारी हरिजन आदि को बेकसूर पीटने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोतीलाल देहलवी–

अध्यक्ष महोदय, विगत 27 मार्च, 1984 को जनपद कानपुर (देहात) के थाना भोगनीपुर के दो सिपाही इसी थाने से संबंधित गांव पिपरी पहुंचे और गुलजारी हरिजनों व उसके परिवार-जनों को पीटने लगे। गुलजारी हरिजन का मात्र दोष था कि वह अपना खेत काट रहा था और इन सिपाहियों ने अनधिकृत रूप से उसे खेत काटने से रोका, जिसे वह नहीं माना। पुलिस द्वारा उक्त गरीब हरिजन व उसके परिवार की निर्दयता पूर्वक पिटाई से गांव के लोग द्रवित हुए और उन्होंने सिपाहियों को मना किया। सिपाही इसी रोक को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बड़ी संख्या में पुलिस ले आये। बगैर कुछ पूछताछ किए पुलिस घरों में घुस गये और स्त्रियों-पुरुषों व बच्चों पर खूंखार भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। स्त्रियों-पुरुषों व बच्चों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया। स्त्रियों के साथ अभद्रता एवं अमर्यादित दुर्व्यवहार कर उन्हें अपमानित किया। पुलिस कर्मी भय व आतंक के वातावरण का अनुचित लाभ उठा कर रुपये जेवर तथा सामान लूट ले गये। डकैती के अभियोग से बचने के लिये पुलिस द्वारा मनगढ़ंत कहानी रची गयी है और राजनीतिक संरक्षण लिया जा रहा है। पुलिस के विरुद्ध समुचित धारा के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराके समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा है।

मिर्जापुर जनपद में पेय जल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अतिआवश्यक है। पूरे मिर्जापुर जनपद में पेयजल का भारी संकट है, पहाड़ी इलाका होने के कारण ज्यादातर कुंए सूख गये हैं, जिसकी वजह से बहुत दूर से नदी नालों से पानी लाना पड़ता है पानी गंदा होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता है। ज्यादातर नदी नाले सूख भी गये हैं। इस पेयजल के गंभीर संकट से लोगों में बेचैनी पैदा हो गयी है।

अतः शासन से अपेक्षा है कि ब्लाक धोरावल के ग्राम सभा सिरसिया, ठकुराई ओला खैरपुर, बकाही, बहेरा, रावर्टगंज, ब्लाक के खेराही रेलवे स्टेशन एवं एलाही, राजगढ़ ब्लाक के तालर ग्राम सभा एवं नारायण पुर ब्लाक के ग्राम सभा नियामतपुर कला, फतेहपुर, बधेड़ा हरिजन बस्ती बिजुरका, खरसीपुर, भड़कुड़ा, तथा जमालपुर ब्लाक के भाइपुर खुर्द, उल्हापुर, जोगवा मठना, गोरखी, शिवपुर में पेय जल की सुविधा हेतु हैंड पंप लगाकर पेय जल के संकट को दूर करें।

जनपद जालौन में लालाराम, श्रीराम डकैतों के गिरोहों द्वारा की जा रही वारदातों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, लालाराम और श्रीराम डकैतों का गिरोह पूरी तौर से सक्रिय हो गया है। उनके साथ कुसुमा नाइन नाम की औरत भी है। थाना कालपी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कुछ लोगों ने चश्मदीद बयान भी दिये हैं कि इन डकैतों के गिरोह ने एक गांव में 15 आदमियों को कुसमा नाइन ने गोलियां मारी जिनको अस्पताल में दाखिल किया गया है। चूंकि इन लोगों से कुछ रुपये की मांग थी जो उन्होंने नहीं दिये। थाना चौबेपुर और घाटमपुर के इलाके के लोग अगर जंगलों में पहुंच जाते हैं, तो उनको पकड़ कर पेड़ों में लटका दिया जाता है। लालाराम और श्रीराम का गिरोह पहले विक्रम के गिरोह में था, परन्तु विक्रम को मारने के बाद इन लोगों ने अलग गिरोह बनाया और इनके गिरोह और फूलन के गिरोह में आपस के टकराव के कारण बेहमई कांड हुआ।

लालाराम और श्रीराम के गिरोह के दुबारा सक्रिय होने से जनपद जालौन के कालपी क्षेत्र, चौबेपुर और घाटमपुर क्षेत्र की जनता में भय, असुरक्षा, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गयी है चूंकि बड़ी-बड़ी वारदातें होने के बावजूद भी पुलिस लालाराम और श्रीराम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद गोरखपुर व देवरिया में बाढ़ कार्यों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत लिए गये फर्जी भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं एक अति अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन व सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद गोरखपुर व देवरिया में बाढ़ कार्य खंडों व नारायणी तथा मधुबनी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत हुये कार्यों पर वित्तीय वर्ष 1982-83 में व 1983-84 में हुए कार्यों पर अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर व मुख्य अभियन्ता (गंडक) को एक ही स्थान पर के कार्यों पर भिन्न-भिन्न समयों में कई बार धनराशि बढ़ा-बढ़ा कर भुगतान का क्लेम भेजकर भुगतान लेकर लगभग 70 लाख का फर्जी भुगतान ले लिया गया है। अभी कुछ फर्जी भुगतान होने का प्रयत्न जारी है। इस प्रकार खुली लूट की जांच कराने हेतु एक अधिकार प्राप्त तकनीकी समिति के गठन की मांग करता हूं जो कार्य स्थलों को देखकर अभिलेखानुसार निर्णय करे और अपनी आख्या शासन को प्रेषित करे ताकि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के कोष का दुरुपयोग करने का साहस कोई न करे।

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण देते समय गारंटी न लिये जाने संबंधी उद्योग मंत्री के वक्तव्य के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास औचित्य के प्रश्नों के बारे में कुछ सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जिस समय मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो हमने उनके विभाग के संबंध में आरोप लगाया था कि स्वतः रोजगार योजना के अन्दर जो ऋण देने की बात है उसमें बैंक वाले प्रार्थियों से गारंटी और जमानत मांग रहे हैं, बिना उसके उनको ऋण नहीं दे रहे हैं, तो उस समय उसका प्रतिवाद करते हुए मंत्री जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कहा था कि स्वतः रोजगार योजना में गारन्टी नहीं ली जा रही है। इस पर फिर मैंने कहा था, पर मंत्री जी ने पुनः यही कहा था और जब मैं इस विषय पर उनके चेम्बर में उनसे मिला था, तब भी उन्होंने इसी बात को कहा था कि कहीं किसी किस्म की गारन्टी नहीं ली जाएगी। परन्तु कल छुट्टी थी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर में गया हुआ था। वहां पर मुझ से अनेक बेरोजगार युवकों ने शिकायत की है कि उनसे जमानत आवश्यक रूप से मांगी जा रही है। बैंक आफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर कोई, श्री दीक्षित जी हैं, मैं उनका नाम निकाल देना चाहता हूं, क्योंकि वह इस सदन के नहीं हैं, उनके बारे में मुझे बताया गया है कि जब लोग उनके यहां कर्जा लेने गये तो उन्होंने उनसे कहा कि बिना गारंटी के, बिना जमानत के ऋण किसी हालत में नहीं दिया जाएगा। इस पर जब उन्होंने उनसे कहा कि सीतापुर के विधायक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उद्योग मंत्री जी से विधान सभा में जानकारी करके बताया है कि यह ऋण बिना जमानत के दिये जाने चाहिए। तो उन्होंने इस पर कहा, मैं उनके स्वभाव को नहीं जानता हूं, पर उन्होंने अत्यन्त अभद्र, निन्दनीय और निर्लज्जतापूर्वक व्यवहार किया है। उन्होंने उनसे कहा कि विधान सभा में झूठ का व्यवसाय होता है, वहां पर तो सब झूठ बोलते हैं, यही है तो आप उद्योग मंत्री से जाकर लोन ले लीजिए। नैनीताल बैंक में भी वही स्थिति है। पंजाब नेशनल बैंक तो उनसे हाईस्कूल के सार्टीफिकेट बंधक रखवा लेता है। उद्योग कार्यालय को वापस कर दिये हैं बनारस स्टेट बैंक ने तो बहुत साफ तरीके से प्रार्थियों के आवेदन ही जिला उद्योग कार्यालय को वापस कर दिये हैं और वह पुनः वहां से दूसरे बैंक में भेजे जा रहे हैं।

मैंने अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर यह सब कहा है। इस बात की सदन में मंत्री द्वारा घोषणा हुई और वह आपके संज्ञान में है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उसकी सफलता के मार्ग में बैंक के लोग इस तरह से बाधा निर्माण कर रहे हैं। इससे हमारी जो घोषित योजना है बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार मुहय्या कराने की वह पूरी नहीं होगी। मैंने उस दिन भी यही नाम लेकर मंत्री जी से कहा था, तो उन्होंने अपनी सूचना को सही बताया था और हमारी सूचना को गलत बताया था। मैं समझता हूं कि मंत्री जी जानबूझकर, शासन और बैंक के मध्य जो तालमेल का अभाव है, उसको छुपाने के लिए, सदन को गुमराह किया था, सदन की अवमानना की थी। सरकार अगर यह समझती है कि उसने जानबूझकर नहीं अज्ञानता में ऐसा कहा है तो यह हालत उनकी ढिलाई के कारण है। यह दो बिन्दु मैं आपके सामने उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने गुप्त जी को सुना, उनका कहना है कि मंत्री जी ने जो आदरणीय सदन के समक्ष आश्वासन दिये थे, उसके बावजूद बैंकों द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इसे मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में तो स्वीकार नहीं करता हूं किन्तु शासन को निर्देश देता हूं कि वह इसे अवश्य देखें। मैं उनके पत्र की प्रतिलिपि भी माननीय मंत्री जी को प्रेषित कर रहा हूं। वे इस मामले में मुझे अवगत करायेंगे ताकि मैं माननीय सदस्य को, जो तथ्य माननीय सदस्य ने उठाये हैं और लिख कर दिये हैं, उनके बारे में सूचित कर सकूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मान्यवर, कांग्रेस (आई) के लोगों को

रुपया मिल रहा है, और लोगों को नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री दत्तगंज के हरिजन विकास खण्ड अधिकारी की जान की सुरक्षा न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, मैंने जनपद गोंडा, विकास खंड श्री दत्तगंज के बारे में औचित्य का एक प्रश्न सदन में उठाया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी शासन द्वारा हरिजन विकास खंड अधिकारी की जान खतरे में है, वहां का प्रमुख उन्हें मारने के लिये रिवाल्वर ले कर घूम रहा है और हरिजन विकास अधिकारी छुट्टी लेकर भाग रहा है। शासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। इस वजह से वहां के सारे 20 सूत्रीय कार्यक्रम ठप्प पड़े हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप शासन को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय मसरूर जाफरी को, जो उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में, अपना प्रश्न उठाया है, सुना। इसमें प्रक्रिया संबंधी कोई चीज नहीं है, न ही यह उस नियम के अन्तर्गत उठता है जिस नियम का उन्होंने उल्लेख किया है। इसलिये मैं उनके औचित्य के प्रश्न को स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं यह निर्देश देता हूं कि शासन इस मामले को विशेष रूप से देखे। मैं माननीय सदस्य के पत्र की प्रतिलिपि भी माननीय मंत्री जी के पास भेजता हूं। वे कृपया इस मामले में विशेष जानकारी प्राप्त करें।

(श्री केदारनाथ सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केदारनाथ सिंह–

मान्यवर, मैंने 30 तारीख को औचित्य का प्रश्न उठाया था. . . .

श्री अध्यक्ष–

मेरे कक्ष में आपसे मेरी बात हुई थी। इसका पहले मैं परीक्षण करा लूं, जो कुछ आपने लिखा है, इसे देख लूं, उसके बाद ही मैं कुछ उत्तर दे सकूंगा। मैं आपको बुलाकर आपसे भी विचार विमर्श कर लूंगा। 4 बजे के करीब आप मेरे कक्ष में कृपया एक प्याला चाय पीने आ जायें, आपसे उसी वक्त बात भी हो जायेगी।

26 मार्च, 1984 को रसूलाबाद थाने (कानपुर) में 4 लोगों की हत्या संबंधी वक्तव्य के समय वह राज्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, नियमावली के नियम 56 और 51 के तहत माननीय मंत्रियों के वक्तव्य सदन में आते हैं और उन पर माननीय सदस्य स्पष्टीकरण हेतु कुछ अनुपूरक प्रश्न भी पूछते हैं और इसका उनको अधिकार है। 26 मार्च, 1984 को, जनपद कानपुर की रसूलाबाद थाने के अन्तर्गत पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर 4 लोगों की हत्या करने के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य आया।

मान्यवर, उस वक्तव्य पर कई माननीय सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न किये थे। माननीय रियासत साहब ने एक प्रश्न किया था जो आप कृपया देख लें वह कार्यवाही के पृष्ठ 151 पर अंतिम पैरा में है। इसमें माननीय रियासत हुसैन ने प्रश्न किया था कि कितनी गोलियां चलीं और इसमें पुलिस वाले क्यों नहीं घायल हुये। तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे। तो माननीय गृह मंत्री ने जवाब दिया कि इस संबंध में मैंने पहले भी कहा था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य को यह सूचना चाहिए तो मैं उन्हें कल यह सूचना दे दूंगा और सदन को भी बतला दूंगा। तो मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है कि माननीय रियासत साहब को आज तक यह सूचना माननीय मंत्री जी ने उपलब्ध नहीं करायी।

मान्यवर, यह भी आश्वासन दिया था कि सदन को सूचना दूंगा तो मान्यवर, आपको भी जानकारी है कि आजतक सदन में कोई जानकारी नहीं दी गयी। तो इस मामले से पूर्णतः सिद्ध है कि उस दिन माननीय मंत्री जी इस मामले को टालते गये। अगर उन्होंने इन प्रश्नों का जवाब दिया होता तो फर्जी मुठभेड़ का और हत्या का मामला स्वतः सिद्ध हो गया होता। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिया। कृपया उस दिन की कार्यवाही का पृष्ठ 152 देखने का कष्ट करें। उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डायरी जो मिली है उसमें किसी का नाम नहीं है। और इसके पहले माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बदमाशों के पास डायरी मिली जिसमें बदमाशों के नाम पते लिखे हैं। तो यह परस्पर विरोधी वक्तव्य है। तो मैंने यह प्रश्न इसलिये उठाया है कि प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। यह बड़े खेद की बात है कि हत्या जैसे मामले और फर्जी मुठभेड़ जैसे मामले को शासन इतने हल्केपन से लेता है और गंभीर प्रश्नों को अगंभीर बना दिया जाता है। आपने मान्यवर, उस दिन देखा होगा कि गृह मंत्री जी कितने बचकाने तरीके से इस मामले में जवाब दे रहे थे। पुलिस द्वारा 4 निर्दोष लोगों की हत्या की गयी है। मान्यवर, आपके इस पीठ पर आसीन रहते हुए इतने गंभीर मामले को इतने छोटेपन से लिया जा रहा है। मेरी अभिलाषा है कि आपके इस पीठ पर आसीन रहते हुए इस मामले को इतने साधारण तरीके से न लिया जाय। मेरा अनुरोध है कि इस मामले में सी0आई0 डी0 की जांच कराने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप यदि इस सारे मामले को देखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने देख लिया है।

श्री मोती लाल देहलवी–

अगर आपका विवेक यह कहे कि यह इंकाउन्टर है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इस मामले को आपके विवेक पर छोड़ता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, माननीय देहलवी जी ने मेरे मुताल्लिक बात कही है इसलिये मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रथा बना रखी है कि जिसका प्रश्न है वही अपनी बात कहेगा।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, अब यह प्रश्न उठता है कि सूचना मेरे पास आयी है या नहीं। यह तो मान्यवर, मैं ही बतलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

मुझे मालूम है कि आपको सूचना नहीं मिली है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, इसी के मुताल्लिक में कहना चाहता हूं कि सूचना मेरे पास निश्चित तौर से नहीं आयी है। जिस इंकाउंटर से संबंधित यह मामला है उसी से संबंधित चीज को मैंने नियम 56 में उठाया था चतुर्भुज त्रिपाठी के बारे में यह मामला था जिसको 22 तारीख को उठाया था और 26 तारीख को वक्तव्य के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा गया था। तो 26 तारीख को वक्तव्य नहीं आया। उसके बाद 29 तारीख को स्थगित हो गया और फिर 31 तारीख के लिये यह लगाया गया था। लेकिन 31 को सूचना मिली कि 11 तारीख के लिये यह लगाया गया था। श्रीमन्, आपने इसको नियम 56 में एक्सेप्ट किया था। लेकिन किस तरह से सरकार ने इसको 4 बार टाला है ताकि इसकी इम्पारटेन्स न रहे। मेरे पास निश्चित सूचना है कि थाने में ट्राली में भरकर 3 लाशों को और एक लड़की को लाया गया। एक ट्रैक्टर वाले से कहा गया लेकिन उसने मना कर दिया था तो दूसरे ट्रैक्टर वाले को बुलाया गया और उस लड़की को साथ लेकर लाशों को रखकर ले जाया गया। अरहर के खेत में ले जाकर लड़की को गोली से मारा गया और लाशों का इन्काउन्टर दिखाया गया। इसलिए इसकी सी0आई0डी0 से इन्क्वायरी करायें तथा 11 तारीख को जो वक्तव्य है उसको कल या परसों दिलवा दीजिए ताकि इसका निर्णय हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप जूदेव जी को मेरे कक्ष में भेजियेगा ताकि इस तरह के जो प्रश्न आते हैं . . .

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–**

मान्यवर, गृह राज्य मंत्री जी को आपके कक्ष में अवश्य भेजा जायेगा।

एक सदस्य–

आप भी साथ जाइयेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मेरे साथ जाने से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, जो माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक बड़ी दुखद दुर्घटना की बात की उस पर पहले ही बातचीत और चर्चा हो चुकी है। इसकी इन्क्वायरी सी0 आई0 डी0 से करा दी जायेगी। मान्यवर, इसके अलावा जो माननीय मोती लाल दहेलवी जी ने इन्काउन्टर का प्रश्न उठाया और गृह राज्य मंत्री के बयान का हवाला दिया तो मान्यवर, 151 पृष्ट पर जो लिखा है उसको मान्यवर, देखने की कृपा करें। "इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था कि इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य को यह सूचना चाहिए . . . ." तो मान्यवर, यह कंडीशनल है, अगर माननीय सदस्य को चाहिये उसके बाद माननीय रियासत हुसैन साहब का भाषण है वह पढ़ लें कहीं उन्होंने यह नहीं कहा है कि आप सूचना मेरे पास भेज दें। अगर कह देते कि सूचना मेरे पास भेज दें तो कोई औचित्य का प्रश्न बनता। माननीय सदस्य ने कहीं पर सूचना मंगाने पर बल नहीं दिया है। तो मान्यवर, कहीं किसी प्रकार का औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। माननीय मोती लाल दहेलवी जी एक बड़े पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं, मान्यवर, यह कहीं भी औचित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसे वरिष्ठ सदस्य को ऐसा औचित्य का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था। माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कंडीशनल बात कही है। दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस हो, कोई इन्फारमेशन मांगी जाय तो माननीय रियासत साहब ने नहीं मांगा है। इसलिए यह न औचित्य का प्रश्न, न विशेषाधिकार का प्रश्न, न किसी प्रकार का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय मोतीलाल दहेलवी, माननीय रियासत हुसैन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना और दिनांक 26 मार्च, 1984 की असंशोधित कार्यवाही का अवलोकन भी किया। उक्त कार्यवाही के पृष्ठ 151 पर माननीय रणजीत सिंह जूदेव ने सदन में कहा था कि अगर माननीय सदस्य को यह सूचना चाहिये तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं उन्हें कल यह सूचना दे दूंगा और सदन को भी बताला दूंगा। उक्त आश्वासन का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। अतः मैं निदेश देता हूं कि माननीय मोती लाल देहलवी की प्रश्नगत सूचना और दिनांक 26 मार्च, 1984 को सदन में श्री रणजीत सिंह जूदेव द्वारा दिये गये आश्वासन की प्रतिलिपि उनके पास भेज दी जाय और उनसे अपेक्षा की जाय कि वे अपेक्षित सूचना चालू सत्र में ही माननीय सदस्य को भेजे तथा उसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी भेजने का कष्ट करें।

विधायक निवास में एक औरत को लेकर दो मंत्रियों के बीच हुई मारपीट के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शंकर सिंह–

मैंने जो आज औचित्य का प्रश्न उठाया है, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं कि मुझे बहुत दुःख के साथ इस विषय को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रश्न उठा है, उसका सम्बन्ध पूरे सदन के माननीय सदस्यों से है और मान्यवर, इससे पूरे सदन के माननीय सदस्यों की गरिमा गिरी है। मान्यवर, आपको याद होगा आज से तीन दिन पूर्व शुक्रवार के दिन माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया था जिसमें एक विधायक के पुत्र का अपहरण हो गया था और उसी दिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा विधायक निवासों में शराब पीने तथा अनैतिक कार्य होने एवं असामाजिक तत्वों के इकट्ठा होने की शिकायतें की गयी थीं, उस पर आपने आदेश दिया था कि भविष्य में विधायक निवासों में विधायकों की सुरक्षा का प्रबन्ध शासन करे और असामाजिक तत्व विधायक निवासों में न आने पावें और न ही अनैतिक कार्य हों, इन पर कड़ी नजर रखी जाय। इससे माननीय विधायकों की गरिमा गिरती है। आश्चर्य की बात है कि दो दिन के बाद ही विधायक निवास नं0 3 में ही घटना घटती है, जिसमें एक महिला के पीछे दो माननीय मंत्रियों एवं उनके सहयोगियों में झगड़ा होता है, मारपीट होती है और एक माननीय मंत्री के चोटें भी आती हैं। उनके कपड़े फाड़ दिये जाते हैं। पूरे घटना की रपट हुसैनगंज थाने में करायी जाती है।

श्री हरदेव–

मान्यवर, उसकी प्रतिलिपि आपको देना चाहिये, और सम्बन्धित मंत्री को भी देनी चाहिये, तब वह चर्चा का विषय होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उसको देख लिया है।

श्री मोहन सिंह–

उसी दिन अम्मार साहब अपना डाक्टरी परीक्षण भी कराये हैं।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, एक महिला के पीछे मंत्रियों में मारपीट हुई है और मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी पिटे हैं, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री श्री गंगवार हैं और दूसरे मंत्री कौन हैं, इसके बारे में मान्यवर, श्री गंगवार बता सकते हैं और पुराने विधायक निवास के निवासी जो हैं, वे लोग बता सकते हैं। यह मान्यवर, झगड़ा क्यों हुआ? यह झगड़ा एक महिला के पीछे हुआ।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, उस महिला को दूसरे मंत्री अपने कब्जे में करना चाहते थे, नतीजा यह हुआ कि श्री गंगवार पर मार पड़ गयी, उनके सहयोगी अलग हो गये और माननीय मंत्री जी, वहां पर मार खा गये।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो घटना घटी है, उसको मैं अपनी निजी जानकारी एवं अपने साथियों विधायकों की जानकारी के बल पर कह रहा हूं। लेकिन फिर भी अपनी बात को बल देने के लिए यह आज का "स्वतंत्र भारत" भी दिखा रहा हूं, जिसके मुख्य पृष्ठ पर यह समाचार छपा है। अन्य समाचार पत्रों में भी छपा है। इससे पूरे सदन की गरिमा गिरी है और जनता में माननीय विधायक और मंत्रियों के प्रति घृणा पैदा हुई है। मेरा अनुरोध है कि दोषी मंत्रियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय और उनको मंत्रिमण्डल से तत्काल निकाला जाय।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या ये भी शामिल थे?

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, उसी दिन अम्मार साहब अपना डाक्टरी परीक्षण भी कराये हैं।

(व्यवधान)

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–**

मान्यवर, उसमें हम तो बिल्कुल बेकार पाये गये। मान्यवर माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ऐसी जितनी घटनायें होती हैं, सब के साक्षी होते हैं। मान्यवर, जिन दो लोगों का जिक्र किया गया है, वह इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं। मेरा विचार है कि अगर किसी सम्मानित सदस्य के बारे में कोई बात कही जाती है तो शिष्टाचार के हिसाब से, रूल्स के प्राविधान के हिसाब से उसकी प्रतिलिपि उनको भेजी जानी चाहिये। ताकि वह सदस्य सदन में आकर अपनी सफाई कर सकें। जिनके बारे में यह बात कही गयी है, वह दोनों व्यक्ति इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं, अखबार के जरिये से बात कही जा रही है, यह बिल्कुल यकीन के साथ कोई बात नहीं कही जा सकती है। यह गम्भीर मामला है। इस प्रकार से अगर आज किसी के बारे में कहा जायेगा, तो कल किसी और के लिये कहा जायेगा। हम सब इस सदन के सदस्य हैं। यहां कोई ऐसी परम्परा नहीं पड़नी चाहिये। सम्बन्धित दोनों सदस्यों को बिना इसकी सूचना भेजे इस प्रकार की चर्चा की अनुमति न दी जाय। मेरा निवेदन है कि इस मामले में शंकर सिंह को अपने कक्ष में आप बुला लें और उन दोनों को बुला लें। आप संतुष्ट हो जायें कि यह सदन में उठना जरूरी है, तो सदन में उठाया जाय। नहीं तो इस तरह की चीज नहीं उठनी चाहिये। इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाना उचित नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

व्यवस्था का प्रश्न है। सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आ। बैठें। क्या सुन लूं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी माननीय शंकर सिंह ने एक गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ बातें रखीं। मैं उनसे कुछ हद तक सहमत होते हुए, एक व्यवस्था का बिन्दु उठाना चाहता हूं। संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं। जिस मंत्री का उसमें नाम है, उनका रहना जरूरी है। मेरी सही जानकारी है कि श्री शंकर ने जो नोटिस दी है, हमारे नियमों में व्यवस्था है कि औचित्य के प्रश्न की जो सूचना दी जायेगी वह दो प्रति में दी जायेगी, आपका करण कहता है इसलिये देनी चाहिये, ताकि उसको उस समय टाइप न कराना पड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और तुरन्त वह सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को भेज दी जाय। मैंने शंकर सिंह को कहा वह मेरे दल के सदस्य हैं। मैंने उनसे पूछा कि सूचना में माननीय मंत्री का नाम था। शंकर सिंह ने बताया कि माननीय गंगवार का नाम सूचना में दिया गया है। उन्होंने दिखाया कि सूचना में माननीय गंगवार का नाम था। आपने नियमों का पालन जरूर कराया होगा, क्योंकि आप तो नियमों के रक्षक हैं। कापी माननीय गंगवार के पास गई होगी और वह आज यहां हैं। सूचना जाने के बाद माननीय गंगवार का सदन में न आना, मौनम स्वीकार लक्षणम् है। उन्होंने जो बिन्दु शंकर सिंह ने उठाया है, उसको स्वीकार कर लिया है यह समझा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

इतना बड़ा व्यवस्था का प्रश्न कहां होता है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह शंकर सिंह ने कहा कि दूसरा नाम गंगवार साहब बतायेंगे आप अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख लें, माननीय गंगवार साहब को तलब कर लें, उनकी बात बिना सुनें कोई व्यवस्था न दें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

सदन के संज्ञान में व्यवस्था के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं। यह गम्भीर मामला है, यह मामूली घटना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

अध्यक्ष जी, सुन लें, निर्णय लेने में आपको सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं नहीं सुनूंगा। मैंने श्री शंकर सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और अन्य माननीय सदस्यों को सुना, माननीय संसदीय कार्य-मंत्री को सुना।

जहां तक औचित्य के प्रश्नों का संबंध है इनमें किन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, न ही यह प्रश्न नियम 300 की परिधि में आता है। इसके पूर्व मैंने यह निर्णय लिया था और कहा भी था कि शासन इस मामले को देखे। आप लोग, जो विधायकगण आते हैं अपने-अपने क्षेत्र से आते हैं, जब एक विधायक या मंत्री गड़बड़ी कर देते हैं तो तमाम विधायकों पर उसका असर पड़ता है। इस बात के लिए मैंने विशेष रूप से नेताओं की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही जो इसमें श्री तेज बहादुर गंगवार का जो नाम लिखा है इसकी प्रतिलिपि मैं उनको भेज रहा हूं। इसमें संसदीय कार्य मंत्री को भी मैं बुलाऊंगा इसमें आपस में बात कर ली जायगी। एक अखबार में यह बात निकलने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह सच्चाई है। मैं इसको उठाने की आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सिर्फ अखबार की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने औचित्य के प्रश्न को कहा है कि अखबार की बात है। मैं स्वयं पुराने विधायक निवास में रहता हूं। इसके बारे में जानता हूं। श्री शंकर सिंह जी ने जो औचित्य का प्रश्न दिया है इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। मान्यवर, वहां ऐसे तथ्यों की भरमार हो गई है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

बुलन्दशहर के अन्दर पुलिस अत्याचार के संबंध में दिए गए सी0 आई0 डी0 जांच के निर्देशों का पालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यह सरकार जो समय-समय पर आश्वासन देती है उनको पूरा तो करती नहीं है लेकिन जो आपके द्वारा दिए हुए निर्देश होते हैं उनको मानने के लिए सरकार बाध्य है, या नहीं ?

मान्यवर, मैंने पिछली 21 तारीख को "बुलन्दशहर के अन्दर थाना अगौला की पुलिस का अत्याचार" इस बारे में कामरोको प्रस्ताव दिया था और व्यवस्था के रूप आपने उसमें सरकार को निर्देशित किया था कि सी0 आई0 डी0 की जांच होगी । लेकिन आपके निर्देश का पालन नहीं किया गया है । मान्यवर, जो जनपद में आन्दोलन हो रहा था वह दब गया था अब दुबारा किया जायेगा क्योंकि वहां सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश कभी जनपद तक नहीं पहुंचे हैं। मैंने सरकार स्तर पर जानकारी चाही तो जवाब यह मिला कि सिर्फ अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए थे उस निर्देश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया. . . . ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । यह मेरे सचिवालय से गलती हुई है मैं उसको नहीं भेज सका। आज मैंने भेज दिया है, सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी के लिए । यह मेरे यहां से गलती हुई है। पत्र मैंने आज भेज दिया है और प्रश्न विभाग द्वारा मुझे सूचित कर दिया गया है कि उसको भेज दिया गया है । उसके बाद जो बात होगी उसको मैं देखूंगा ।

चुनार के पीपे के पुल पर पथकर समाप्त न किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, पिछले साल चुनार का पीपे का पुल, जिस समय अम्मार साहब पी0 डब्ल्यू0 डी0 मंत्री थे, तब स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए उस वक्त रामनगर के पीपे के पुल को समाप्त कर दिया गया लेकिन आज तक वह चुनार के पीपे के पुल का पथकर समाप्त नहीं किया गया जबकि पथकर समाप्त करना औद्योगिक प्रगति के बढ़ावा में सहायक होगा ।

पथकर समाप्त नहीं हुआ और जो टोल टैक्स पुराना ठेकेदार गोरखनाथ उपाध्याय था, वही ले रहा है । मान्यवर, वही चुनार के पीपे के पुल का ठेकेदार है। जबकि मान्यवर, सरकार की नीति के अनुसार चुनार के पीपे के पुल का पथकर समाप्त होना चाहिए। इसके बारे में इस सदन में माननीय मंत्री जी के पूर्ण आश्वासन के बावजूद कि उन्होंने बार-बार कहा था कि ठेका नहीं होगा, जबकि जो पुल बनता है, जब उसकी लागत वसूल हो जाती है, तो पथकर नहीं लगता है, किन्तु अभी तक वहां पथकर समाप्त नहीं हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं किस नियम के तहत उसी डिवीजन में वाराणसी मंडल के अंतर्गत रामपुर नगर में जो पीपे का पुल है, उसका पथकर समाप्त है, जबकि चुनार के गंगा के पीपे के पुल का पथकर समाप्त नहीं किया गया है । यह पूर्ण रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है । वह बहुत जबर्दस्त ठेकेदार है और वहां गुण्डई के बल पर

टिप्पणी–[* * *]यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वसूली कर रहा है । इसके बारे में उस समय पी0 डब्ल्यू0 डी0 मिनिस्टर की ओर से सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने, जब मैंने इस मामले को नियम 51 में उठाया था, तो कहा था, उसके बावजूद पथकर समाप्त नहीं किया है । रामनगर के पीपे का पुल काशी नरेश दान में दिए हैं यह झूठ है वह भी सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री यदुनाथ सिंह को सुना और माननीय लोकपति त्रिपाठी, स्वास्थ्य मंत्री ने जो उत्तर दिया था, उसको देखा । उन्होंने कहा था कि रामनगर का पुल काशी नरेश ने दान में दिया था । उसी में नीचे की पंक्ति में है कि वहां पथकर माफ करने के लिए प्राविधान कर दिया गया है । आपका कहना कि पथकर समाप्त नहीं किया गया है, उस संबंध में मंत्री जी ने जो कहा था, उसकी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, और उसके उपरान्त माननीय सदस्य को सूचित करूंगा । मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे अस्वीकार करता हूं।

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें कानपुर विश्वविद्यालय की सभा पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (XV) के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें कानपुर विश्वविद्यालय की सभा पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड ( ) के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कानपुर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार कानपुर विश्वविद्यालय की सभा पर सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:–

(1) नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 11 अप्रैल, 1984 को 4 बजे अपराह्न तक ।
(2) नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 12 अप्रैल, 1984 को 2 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 13 अप्रैल, 1984 को 4 बजे अपराह्न तक ।
(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	दिनांक 18 अप्रैल, 1984 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

2—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा।

3—इन निर्वाचनों से संबंधित नाम-निर्देशन पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जो इस प्रकार हैं —(1) श्री कुंवर सिंह नेगी, (2) श्री बदन सिंह, (3) श्री यदुनाथ सिंह, (4) श्री रुद्र प्रताप सिंह, (5) श्री सरदार सिंह, (6) श्री मुख्तार अनीस (7) श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, (8) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, (9) श्री मोहन सिंह, (10) श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, (11) श्री शंकर सिंह, (12) श्री मोती लाल देहलवी, (13) श्री छत्तर सिंह, (14) श्री सन्त बख्श रावत तथा श्री मसरूर जाफरी।

इनमें से जहां तक पहली चार सूचनाओं का सम्बन्ध है जो—(1) श्री कुंवर सिंह नेगी की देहरादून में कब्रिस्तान की भूमि पर जबरन कब्जे से भयंकर तनाव उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है, (2) श्री बदन सिंह की राजस्थान के राजनैतिक संरक्षण में डाकुओं द्वारा जनपद आगरा के क्षेत्र से किये गये अपहरण के संबंध में है, (3) श्री यदुनाथ सिंह की मिर्जापुर जनपद में 4 लाख पाषाण खदान मजदूरों के समक्ष भुखमरी की समस्या के सम्बन्ध में है तथा (4) श्री रुद्र प्रताप सिंह की ग्राम राउतपुर देवरिया में पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के घरों की तोड़फोड़ किये जाने के सम्बन्ध में है, को मैं जांच के लिए शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। और सभी माननीय सर्वश्री सरदार सिंह, मुख्तार अनीस और राजेन्द्र अग्निहोत्री को ग्राह्यता पर बोलने के लिए इजाजत देता हूं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ?

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होकर बोलते रहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं उनका कोई भी शब्द नहीं लिखा जायगा।

*श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि हमारे प्रदेश में सिक्ख उग्रवादी प्रवेश कर रहे हैं। 30 तारीख को मान्यवर, लखनऊ नैनीताल जो बस जा रही थी तथा इसमें जो यात्री बैठे हुए थे, इनसे इन सिक्ख उग्रवादियों ने 50 हजार रुपए की संपत्ति लूट ली लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस को भी इन उग्रवादियों ने लूटने का प्रयास किया। जैसे ही रेलवे पुलिस ने इनको देखा तो, उग्रवादियों की तरफ से गोली चलाना शुरू कर दिया गया। इसमें एक उग्रवादी पकड़ा गया है। जब उसका इन्टोगेशन हुआ तो, उसने अपने को अमृतसर का बताया है और आल इण्डिया सिक्ख स्टूडेन्ट्स फेडरेशन का सक्रिय सदस्य भी बताया है। अभी भी उससे इन्टोगेशन चल रहा है। उससे बहुत से ऐसे तथ्य मिले हैं, जिससे यह विदित हुआ है कि अमुक-अमुक बैंक डकैतियों में उन उग्रवादियों का हाथ है। कानपुर में, आगरा में, और नैनीताल में इन्होंने बड़े-बड़े व्या-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पारियों और राजनैतिक नेताओं को धमकी भरा पत्र लिखा है, इस तरह से पूरे तराई के इलाके में उनकी गतिविधियां सक्रिय हैं और पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। इन उग्रवादियों ने नानकमत्ता को अपना केन्द्र बना रखा है। अभी-अभी 31 व पहली तारीख को भिण्डारवाले ने अपने उग्रवादियों को वहां भेजा है, जिनकी दो दिन तक वहां मीटिंग चली। वहां पर इन लोगों द्वारा ऐसे-ऐसे नक्शे वितरित किये जा रहे हैं, जिनमें पर्वतीय अंचल के 8 जिलों को खालिस्तान की सीमा के अन्दर दर्शाया गया है। मान्यवर, हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस विषय को लेकर काफी चिन्तित हैं। हमारे विधान परिषद् के माननीय सदस्य श्री तीरथ सिंह जी को भी इन उग्रवादियों ने एक धमकी भरा पत्र दिया है। कानपुर के व्यापारियों को भी इन लोगों ने धमकी भरा पत्र दिया है। मान्यवर, यह एक बहुत ही अहम प्रश्न है और पूरे प्रदेश से संबंधित है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक घण्टे की चर्चा करवा दें ताकि इन उग्रवादियों की और भी गतिविधियों के बारे में मालूम हो जायेगा। आज इससे पूरा प्रदेश परेशान है और यह आदरणीय सदन भी इससे बहुत चिन्तित है। आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस पर चर्चा करवा दें क्योंकि सभी माननीय सदस्यों की यह इच्छा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बरेली-नैनीताल और लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस को उग्रवादियों द्वारा लूटे जाने और उन्हें रोकने के बारे में बात कही है। मान्यवर, इसके लिए डी0 आई0 जी0 बरेली और डी0आई0जी0 नैनीताल को आदेश दिया गया है कि वह इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करें कि जो बसें या ट्रेनें वहां जाती हैं, उनके ऊपर पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो ताकि इस प्रकार की जो घटनायें हो रही हैं, वे न हों। जिस घटना का यहां पर जिक्र किया गया है, उसकी जांच कराई जा रही है, जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आयेगा, उस पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

(श्री यदुनाथ सिंह खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहे)

*श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, सीतापुर जिले में श्री रामलाल राही, संसद सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इससे पहले भी वह दो बार भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और आज तीसरी बार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी दशा बहुत ही गम्भीर हो रही है, उनको कल रात उल्टी हो रही थी। सीतापुर जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जितना मजाक उड़ाया जा रहा है, शायद उतना किसी और जिले में उड़ाया जा रहा है।

(1 बजकर 10 मिनट पर)

स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत सारे जिले के अन्तर्गत दुकानें बननी चाहिए हरिजनों के लिए, मकान बनने चाहिए, जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिये आवास योजना के अन्तर्गत। कुछ जगहों पर यह बन भी गये, विशेषकर जहां पर दो मंत्रियों का क्षेत्र है, उनके विधान सभाई क्षेत्रों को छोड़कर के, शेष हर जगह को, उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हालत यह है कि जो दुकानें बन गयी हैं। जो मकान बन गये हैं, उनमें दो दर्जे का ईंट निहायत ही खराब किस्म का, लगाया गया है। साथ ही साथ, कहना चाहूंगा कि खाद्यान्न योजना के तहत पिछले साल का, 50 लाख रुपया वहां गया था, उसमें अंगूठा लगवा कर के जाली दस्तख्त करवा करके, उस सब का पेमेंट हो गया, किसी मजदूर को वह नहीं मिला, इसमें बहुत बड़ी बंगलिंग की गयी है, इस खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत। एलिया ब्लाक और हरगांव ब्लाक के अन्तर्गत और महमूदाबाद के अन्तर्गत हालत यह है कि अभी जो बाढ़ आयी थी, उसका 200-200 रुपया पीड़ित लोगों में बंटना था, उसमें 50-50 रुपया पहले लेकर के, डेढ़-डेढ़ सौ रुपया, जिन लोगों के घर गिरे हैं, उन लोगों में बांटा गया। शांति व्यवस्था की हालत यह है कि पिछले तीन महीने के अन्तर्गत में 167 लाशों का वहां पोस्ट मार्टम हुआ, शेष जो रिकार्ड में नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़िये। सिधौली में हालत यह है कि एक राजा का दिन दहाड़े मर्डर हो गया। आज पूरे सीतापुर जिले के अन्तर्गत ला एण्ड आर्डर की पोजिशन ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो 25 हजार रुपया मिलना चाहिए बेकार लोगों को, वह सारा का सारा बैंकों में रखा हुआ है, किसी को बंट नहीं रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर वहां के सांसद श्री राम लाल राही जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से, सरकार से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय। माननीय मंत्रीजी और उनकी सरकार के लोग किसी उच्च अधिकारी को वहां पर भेजें और सारी चीजों की जांच की जाय। जो उनकी मांगे हैं, जो जिलाधिकारी को दी गयी हैं उन सारे सवाल पर वहां पर जांच होनी चाहिए। माननीय सांसद जो अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उसको अविलम्ब तुड़वाने की कोशिश होनी चाहिए। उनकी दशा गम्भीर हो रही है। मान्यवर, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहते हुए, आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को कोई आदेश दें, जिससे कि वहां पर कोई जाय और उनकी भूख हड़ताल तुड़वायी जाय और सारे मामलों की जांच की जाय।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जहां तक राम लाल जी की भूख हड़ताल का संबंध है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्तार अनीस से निवेदन करूंगा, क्योंकि उनका भी इस भूख हड़ताल में बड़ा हाथ रहा है, यह उनसे निवेदन करें कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। मान्यवर, इन्होंने जो बिन्दु उठाया है और जो माननीय मुख्तार अनीस ने बिन्दु उठाया स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बाबत और चाहे बीस सूत्रीय कार्यक्रम की कोई चीज हो या कोई भी चीज हो, जिससे जनपद की जनता का सम्बन्ध है, उसमें कोई गड़बड़ी बताते हैं, तो सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि उसकी जांच करें। मैं आयुक्त, लखनऊ डिवीजन को आदेश दे रहा हूं कि वहां की सारी बातों को, जो इसमें कही गयी हैं, उनकी स्वयं वहां जाकर, जांच करें। ला एण्ड आर्डर की बाबत जो इन्होंने कहा तो इसमें डायरेक्टर, जनरल पुलिस को लिखा जा रहा है कि

वहां के बारे में जांच करें, और जो उचित कार्यवाही हो, वह करें।

श्री मुख्तार अनीस— इ

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज ही लखनऊ मण्डल के आयुक्त को भेजें, मैं भी स्वयं उनके साथ चला जाऊंगा और वहां की स्थिति दिखा दी जायेगी।

* श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, यह बहुत ही दुख की बात है कि 31 मार्च को बांदा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्रीराम संजीवन सिंह एडवोकेट की हत्या कर दी गयी। यह चिन्ताजनक प्रश्न है और बड़ा गम्भीर मामला है। श्रीमान् जी, मैं अनेकों बार इस बात को इस सदन में उठा चुका हूं कि आज बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में आज इस प्रकार के अराजक तत्वों की भरमार है और श्रीमान् जी, बांदा जनपद का जो पुलिस अधीक्षक है, यह मेरी स्वयं की सुनिश्चित जानकारी में है कि वे इस प्रकार के अपराधी तत्वों को खुले रूप से संरक्षण देते हैं।

मुझे यहां तक भी जानकारी है कि अपने कमरे में अपने कार्यालय में इस प्रकार के संगीन-संगीन अपराधों में संलग्न अपराधी आज उनके साथ बैठते हैं और चाय पीते हैं। आज सारे कार्यकर्ता जो कि सार्वजनिक जीवन में हैं, उनका जीवन इसलिए असुरक्षित है कि जनादेश के लिए और जनहित में आज हमको इस प्रकार के अपराधी तत्वों को पकड़ने के लिए इस सदन के माध्यम से शासन को जानकारी देनी पड़ती है, हम प्रश्न लगाते हैं और वहां पर डी0 आई0 जी0 और इस प्रकार के लोगों को पत्र लिखते हैं। उन लोगों को जिस प्रकार का संरक्षण मिल रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, उसके लिए हम प्रदर्शन करते हैं और खुले रूप से विरोध करते हैं। इसी के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन हुआ है और साजिशपूर्वक ढंग से हमारे महामंत्री की हत्या की गयी है। वह नौजवान व्यक्ति था 28-30 वर्ष की उम्र का नौजवान था, सच्चा समाजसेवी था, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था और बांदा के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्रसंघ का अध्यक्ष था। वह एक ऐसा व्यक्ति था, जिसकी तरफ उंगली उठाने वाला आज एक भी व्यक्ति नहीं है। आज खल्लमखुल्ला रूप से उसकी हत्या कर दी गयी है। पुलिस प्रशासन जिस प्रकार इसको टालने की कोशिश कर रहा है, वह निन्दनीय है।

मैंने आज जानकारी प्राप्त की है, उसकी हत्या उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्दर हुई है, किन्तु उसकी बरामदगी मध्य प्रदेश की सीमा पर दिखायी जा रही है। हमारे यहां से दो-दो कि0 मी0 पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमायें मिलती हैं। यह मामला गम्भीर है। सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता दुखी हैं। आपके निर्देशों के बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव उठाया था कि आज हम लोगों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है। संगीन अपराधियों के जिस प्रकार से खुले पत्र प्राप्त होते हैं, उनके घिराव का सामना करना पड़ता है, आज हमारी आम जिन्दगी सुरक्षित नहीं रह गयी है। उसी के परिणामस्वरूप महामंत्री की हत्या कर दी गयी है। बुन्देलखण्ड की कानून व्यवस्था सरकार के नियन्त्रण में नहीं है। मैं खुले रूप से कहता हूं कि इसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाय। मैं उन तथ्यों को देने को तैयार हूं कि बांदा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस प्रकार के अपराधी तत्वों को खुले रूप से संरक्षण देते हैं। यह मामला बहुत गंभीर है। मांग करता हूं कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के अन्दर साजिश-पूर्वक ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ऐसी हत्यायें हो रही हैं, यदि सदन के अन्दर सारे तथ्यों को चर्चा के द्वारा कहने का अवसर नहीं मिला तो कई हत्यायें और भी हो सकती हैं। मैं मांग करता हूं कि इस पर कार्य स्थगित किया जाय और चर्चा करायी जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं केवल एक मिनट लेना चाहूंगा। वैसे राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने विस्तार से वर्णन कर दिया है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस ट्रक में बैठकर राम सजीवन सिंह बांदा से बाहर निकला, उस ट्रक को रोका गया, लोगों ने पूछा कि कौन व्यक्ति जा रहा है, पुष्टि हो गयी। वहां पर पुलिस के लोग भी थे। आगे जाने पर ट्रक को रोक-कर उनको मारा जाता है, हत्या की जाती है, राइफल और बन्दूक छीन ली गयीं। जो बहुत गम्भीर बात है, मान्यवर वह यह कि मैंने राम संजीवन सिंह की सुरक्षा के बारे में एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैं इसे देखूंगा क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि पुलिस इनके पीछे पड़ी हुयी है क्योंकि यह एक निर्भीक और साहसी कार्यकर्ता था और हुआ भी यही कि हमारे इस अच्छे कार्यकर्ता को हम से छीन लिया गया और उसके लिये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी और इसकी पुष्टि इसी बात से हो जाती है कि उसका ट्रक रोका गया और आगे फिर रोक कर उसे मार दिया गया इसलिए इस बिन्दु को देखते हुए और इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय अग्निहोत्री जी की बात पर मैं बल देता हूं।

(शोर)

*श्री अम्मार रिजवी

मान्यवर यह बहुत बड़े दुख और साथ ही आश्चर्य की बात भी है, दुख इसलिए है कि हमारे एक नवजवान की हत्या हुई और आश्चर्य इस बात पर है कि जब उनके पास राइफलें थीं तो उन्होंने अपने बचाव के लिए हाथ-पैर क्यों नहीं मारे और उन राइफलों का प्रयोग अपने बचाव में क्यों नहीं किया जब उनके ऊपर प्राण-घातक हमले हो रहे थे, इसलिए बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है फिर भी मैं मामले की जांच डी0 आई0 जी0 रेंज इलाहाबाद द्वारा करवा रहा हूं अगर इस जांच से आप लोगों में से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा तो जिस एजेंसी से आप कहेंगे उससे जांच करवा दी जायेगी और जैसा कि भाई अग्निहोत्री जी ने कहा है कि इसमें राजनीतिक हाथ है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि इस संबंध में हमारे दल की ओर से किसी प्रकार का कोई राजनीतिक हाथ नहीं है, यह मामला पूर्णतया ला एण्ड-आर्डर का है, जिसकी जांच कराई जा रही है। ताकि आपके समक्ष सारे तथ्य रख सकूं और समस्त बातें आपके सामने आ जाएं।

(शोर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शंकर सिंह–

मान्यवर, जांच से पहले वहां के एस0 पी0 को पहले हटाया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सर्वश्री सरदार सिंह, मुख्तार अनीस और श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी सुना। मैंने श्री सरदार सिंह की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है और जहां तक मुख्तार अनीस की सूचना का प्रश्न है, मैं उनसे कहूंगा कि पहले वह सीतापुर जायें और भूख-हड़ताल को तुड़वायें और तब मामले की जांच इत्यादि हो और उसके अनुसार उस पर कार्यवाही हो। और जहां तक श्री अग्निहोत्री की सूचना का संबंध है, उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए दे दिया है। माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच करवाकर इसकी इत्तिला मुझे भी दें और संबंधित सदस्य को भी, तब इसके अनुसार यदि जरूरी समझा जायेगा तो इस संबंध में सी0 आई0 डी0 जांच करवा दी जायेगी। तो नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुईं, मैंने सबको अस्वीकार कर दिया है।

(घोर व्यवधान)

(सदन के आगे फ्लोर पर श्री रुद्र प्रताप सिंह और श्री सन्त बख्श रावत आकर नारे लगाने लगे।)

*श्री रुद्र प्रताप सिंह–

जब तक हमारे मामले में आप आश्वासन नहीं दिलाएंगे तब तक हम अपने स्थान पर नहीं जायेंगे, मान्यवर, हमारे यहां बड़ा अन्याय हो रहा है गांव में लोगों को मारा-पीटा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले आप अपने स्थान पर जायं।

(श्री सन्त बख्श रावत अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

एकदम नहीं जाऊंगा, आप सुनने का आश्वासन दीजिये तब जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रुद्र प्रताप सिंह, कृपया अपने स्थान पर जायें।

(श्री मुख्तार अनीस उनको अपने साथ ले जाने के लिये आये परन्तु वे उनके साथ अपने स्थान पर नहीं गये।)

श्री रुद्र प्रताप सिंह–

केवल हमें अपने प्रश्न पर जांच चाहिए।

(श्री मोहन सिंह श्री रुद्र प्रताप सिंह को आकर उनके स्थान पर वापस ले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय रुद्र प्रताप सिंह जी की सूचना का जहां तक संबंध है, उसे शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये, जांच के लिये, भेजा है। इसके जांच की सूचना मुझको शीघ्र दी जाय यदि उससे मैं सन्तुष्ट नहीं होऊंगा तो आगे जांच के लिये आदेश दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना है यह नियम 51 में आयी हुई है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, निवेदन यह है कि इस संबंध में मैंने भी एक सूचना दी थी लेकिन मैंने उस पर बल नहीं दिया। परम्परा के अनुसार आपने उसे पढ़ा भी नहीं। माननीय रुद्र प्रताप सिंह जो प्रश्न उठाना चाहते हैं वह हरिजन उत्पीड़न से संबंधित है। हरिजन का उत्पीड़न हुआ है, आप इनकी वेदना को समझने का प्रयास करें वैसे तो आपका निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन मान्यवर, आप विशेष परिस्थितियों में पुनर्विचार भी करते हैं। इसलिये निवेदन यह है कि नियम 51 या नियम 56 में आप इसको सुनने की कृपा करें क्योंकि वह अनुशासित प्रधानाचार्य हैं। यदि आज किन्हीं परिस्थितियों में सुनना संभव न हो तो आप इसे कल सुन लीजिये, आप स्वयं देखेंगे कि सारे तथ्य वास्तविकता पर आधारित हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो हम बाद में करेंगे। लेकिन यह कहना कि हम "बेल" में आ जायेंगे, या मेरी मेज पर आ जायें यह ठीक नहीं है। यह सब गलत बात है।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 79 सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81- हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,17,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं सैनिक कल्याण विभाग की बजट 1984-85 को प्रस्तुत करते समय आपके माध्यम से यह सूचित करना चाहूंगी कि राजस्व लेखा शीर्षक के अधीन 66 लाख 8 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है, प्रस्तावित है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह विभाग जो हमारे सैनिक रिटायर्ड हो चुके हैं, एवं जो अपंग हैं, एवं (इस समय 1 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए।) उनके परिवारों के कल्याण के लिए यह विभाग है और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इसका मुख्यालय लखनऊ में है, और 53 जनपदों में इसकी शाखायें हैं। मैं खुशी की बात आपको बताना चाहती हूं, इस में हमने जो भूतपूर्व सैनिकों और जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी दो हजार विधवाओं के लिए उनकी मासिक पेंशन के लिए 12 लाख रुपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है और उनको 50 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।

मान्यवर, सैनिकों के लिए हम विश्राम गृह बना रही हैं, एक हल्द्वानी में बन चुका है और उत्तरकाशी एवं गोपेश्वर में बन रहे हैं। मान्यवर, हम एक नयी बात करने जा रही है वह यह है कि महावीर चक्र और वीर चक्र जिन सैनिकों को मिल चुका है उनको हम वर्ष में 300 रुपये और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

200 रुपये 30 वर्षों तक देते रहेंगे। मान्यवर, इस विभाग के अन्तर्गत पिछले वर्ष 156 लोगों को उनके भवन निर्माण के लिए प्रत्येक को 5 हजार रुपये दिये हैं और पिछले साल जो विशेष बात हुई है वह यह है कि 12 जिलों में हमने जहां पर 35 हजार सैनिक, भूतपूर्व सैनिक हैं उन जिलों में हमने अपनी योजना को सुदृढ़ करने के लिए वहां पर यूनिट्स खोल रहे हैं, वहां पर हमने आफीसर्स नियुक्त किए हैं, तो 12 जीपों का प्रबन्ध किया गया है, ताकि हमारा विभाग सुदृढ़ हो सके और कल्याण कार्य हो सके।

मान्यवर, यह बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमने उनके लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोला है, जिसमें पिछले वर्ष 83-84 में जहां पर 100 सैनिकों को, जो भूतपूर्व हैं या जो निवृत्त होने वाले हैं, विशेष ट्रेनिंग दी है। जैसे मुर्गी पालन में या ट्रान्जिस्टर बनाने में या पुर्जे बनाने के लिए ट्रेनिंग दी है। पाल्ट्री फारमिंग में भी कुछ भूतपूर्व सैनिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त फिशरी के लिए ट्रेन्ड कर रहे हैं क्योंकि हम चाहती हैं कि यह लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहें। वहां पर जो छोटे-छोटे उद्योग हैं जैसे ट्रैक्टर बनाना या ट्रान्जिस्टर बनाना, इनका प्रशिक्षण इन को मिले और यह लोग गांवों में ही रहें।

मान्यवर, हमें पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के लोग उन वीर सिपाहियों के लिए अपने मन में हमदर्दी रखते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। मान्यवर, यह वह वीर सिपाही हैं जिन्होंने चार बार विदेशियों के हमले को रोका और चारों बार अपने देश को बहुत बड़े खतरे से निकाला तथा देश की एक इन्च भूमि पर वह घुसने नहीं पाये।

और एक झोपड़ी के अन्दर भी नहीं झांक पाये। ये वे वीर सिपाही हैं जिन्होंने भारतवर्ष के झंडे को ऊंचा रखा है। उन सैनिकों के लिये हम जितना भी करें, वह कम है और मैं समझती हूं कि यदि हमें पक्ष और विपक्ष का सहयोग मिला तो हम उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दे सकेंगे और उनके परिवारों को जो कि स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी विधवाओं को हम सुरक्षित कर सकेंगे और उनका कल्याण कर सकेंगे। यह हंसने की बात नहीं है बल्कि गम्भीरता से सोचने की बात है। यदि हम यहां पर उनके प्रति अपने उद्गार प्रकट करें, सहानुभूति के भाव प्रकट करें तो सुदूर सीमा प्रान्त में खड़े हुए सिपाही को और बल मिलेगा और उसका साहस भी बढ़ेगा।

अब मैं हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट के बारे में कहना चाहती हूं मान्यवर, यह एक ऐसा विभाग है जिसका ज्यादा सम्बन्ध हरिजनों और महिलाओं से है। हरिजन हमारे देश में हजारों वर्षों से शोषित और पिछड़ा हुआ वर्ग रहा है। महिलायें सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित और पिछड़ी हुई हैं। आज घर-घर में उनका शोषण होता है और घर-घर में उनसे काम के साथ बेगार भी ली जाती है। मुझे आप यह बतायें कि आप अपने घर की महिला को कितनी कैजुअल देते हैं, कितनी मेडिकल लीव देते हैं और कितनी बार छुट्टी लेकर मायके जाने की इजाजत देते हैं?

श्री मोहन सिंह–

मुख्य मंत्री जी आज भी अपनी पत्नी से खाना पकवाते हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

खाना बनाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप समझते हैं कि मैं घर में खाना नहीं बनाती हूं अपने परिवार के लिये? इस अधिकार को कोई महिला नहीं छोड़ना चाहेगी। यह उसका अधिकार है। मान्यवर, मैं कह रही थी कि आज हरिजनों की महिलायें सबसे पिछड़ी हुई हैं। देश में अगर कोई जाति है तो वह है महिलायें और उसमें भी हरिजनों की उनके कल्याणार्थ, उनमें शिक्षा के प्रचार हेतु, उनमें फैले अंधकार के निवारण हेतु उनके उत्थान हेतु, उनके विकास के लिये आज यह बजट आपकी आज्ञा से प्रस्तुत है।

मान्यवर, राजस्व लेखे के अधीन आयोजनागत पक्ष में 54,56,06,000 रुपये और आयोजनेत्तर में 28,34,58,000 रुपये का प्राविधान है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुअनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जातियों के लिये जो इस बजट में प्राविधान है वह 45,06,01,000 रुपये आयोजनागत में है और आयोजनेत्तर में 25,16,46,000 रुपये हैं। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण के अधीन विकलांगों की शिक्षा एवं महिला कल्याण, परिवार एवं बाल कल्याण, निर्धनों एवं निराश्रितों के कल्याण एवं नशाबन्दी प्रचार के लिए आयोजनागत पक्ष में 9,58,000 रुपये तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 3,15,95,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त धर्मार्थ प्रयोजनाओं के लिये 95,000 रुपये और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये 87,000 रुपये का प्राविधान है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

तब तो पूरा समाज कल्याण हो गया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आपका जब समय आयेगा तो मान्यवर, आप अपना मधुर भाषण दीजियेगा।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, पाण्डेय जी समाज कल्याण के बजट पर बाधा डाल रहे हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप चाहे जितना बोलें मैं अपनी बात से टस से मस नहीं होने वाली हूं, इतनी आसानी से मैं नरबस नहीं होने वाली हूं। हमारे हरिजन, जनजाति और पिछड़ी जाति एवं उनमें महिलायें जो हैं वह सबसे पिछड़ी हुई हैं। तो महिलाओं का और भी गम्भीर विषय है। आज कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें मां न हो, बेटी न हो या बहन न हो या बच्चों की मां न हो। तो एक परिवार में चार व्यक्ति ऐसे हैं जो पिछड़े हैं और केवल एक पांचवां पुरुष है, घर का पिता है बाकी पूरा घर यानी चार महिलायें पिछड़ी हुई हैं जो अंधकार में डूबी हुई हैं। तो उस परिवार का कल्याण नहीं हो सकता है, यह नामुमकिन है, असम्भव है। तो यह अंधकार और पिछड़ापन किस लिये है वह इसलिए है कि महिलायें अशिक्षित हैं इसी प्रकार हमारे हरिजन भाई हैं। तो हमारा प्रथम उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम किस प्रकार इनके अंधकार को दूर करें।

शिक्षा का अंधकार दूर करने के लिए हमारा शिक्षा विभाग है जिसका बजट आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। लेकिन इसमें हरिजन विभाग की तरफ से भी काफी कार्य शिक्षा के प्रसार में

हो रहा है जिसके लिए हमने अपने बजट में प्राविधान किया है। शिक्षा के पूरे कार्यक्रम में जहां तक बच्चों की फीस का सम्बन्ध है उसकी छात्रवृत्ति का सम्बन्ध है उसमें हमने 37 करोड़ 34 लाख 45 हजार रुपये का प्राविधान किया है जिसमें 22 करोड़ 88 लाख 69 हजार पोस्ट मैट्रिक यानी एकादस कक्षा तक के लिए है उसके पश्चात् जो उच्चतर शिक्षा के बच्चों की फीस पूरी तरह हरिजन बच्चों की फीस माफ है। एक कक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक उनकी फीस माफ है। तो एक से 10 तक के लिए 8 करोड़ 61 लाख 85 हजार है छात्रवृत्ति के लिये एवं 2 करोड़ 37 लाख 55 हजार यह फीस माफी के लिए प्राविधान हमारे बजट में है और हमारा प्रयास है कि हम हरिजनों को विशेष रूप से जो हरिजन बाहुल्य गांव हैं वहां पर हरिजनों की अपनी पाठशालाओं के द्वारा शिक्षा का प्रसार कर सकें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि विधायकों की पत्नियों के सुधार के लिए कोई व्यवस्था की गयी है?

श्री अधिष्ठाता–

प्रत्येक महिला के लिए किया है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, प्रत्येक स्त्री समाज के लिए है। अगर माननीय विधायक चाहते हैं कि उनकी पत्नी के लिए कुछ कमी महसूस हो रही है तो मैं अपनी सर्विस आफर करती हूं और रोज कोचिंग करने के लिए तैयार हूं। मान्यवर, हरिजन पाठशालायें 295 चल रही हैं जो मान्यता प्राप्त हैं जिनको पूरा खर्च हम देते हैं। इसके अलावा अनावर्तक पाठशालायें 559 हैं। आश्रम पद्धति के 36 विद्यालय हैं जिनको हम पूरा व्यय करते हैं जैसे बच्चों को खाना, रहना एवं कपड़ों की व्यवस्था हम करते हैं, 33 सरकारी और 3 स्वैच्छिक यह विद्यालय हैं। हरिजन छात्रावास 110 एवं पुस्तकालय 85 हैं, इन्हीं के लिये बजट में प्राविधान किया है।

मान्यवर, जहां तक फीस का सम्बन्ध है अभी मैंने निवेदन किया कि पूरी माफ है लेकिन इसमें अभी तक यह प्राविधान था कि 500 रुपये की जिसके अभिभावक की आय है उसके बच्चों की फीस माफ होती थी लेकिन अब यह प्राविधान कर दिया है कि 750 रुपये आय की लिमिट बढ़ा दिया है और उनके बच्चों की फीस माफ होगी। मान्यवर, 9-10 कक्षा के बारे में बताना चाहती हूं कि छात्रवृत्ति शत-प्रतिशत 1984-85 से प्राविधान कर दिया है।

मान्यवर, जो छात्र कक्षा 10 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं और एक हजार रुपये वेतन उनके अभिभावकों का है तो वह छात्र चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल या पालीटेक्नीक में छात्र हैं। उनकी फीस माफ करते हैं और शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति देते हैं। जो हमको केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

इसके अतिरिक्त उन बच्चों को जिनके माता पिता अस्वास्थ्यकर कार्यों जैसे चमड़े का कार्य, मेहतर का कार्य या जो भिस्ती हैं उनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिये जो प्रतिमास खर्चा देते हैं उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिनके माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाने में अक्षम हैं या गरीब हैं उनको 15 रुपये महीने देते हैं। प्राइमरी स्कूल

में प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेरिट में जो बच्चे पास होते हैं उनको छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया गया है। हाई स्कूल एवं दशमोत्तर कक्षाओं में हम मेरिट पर स्कालरशिप देते हैं।

मान्यवर, खुशी है बताने में कि 21-22 हरिजन बच्चे और एक पिछड़ी जाति का बच्चा 38 पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनके रहने खाने, पुस्तकों के खर्च के लिये ढाई लाख रुपये का प्राविधान है। इसमें एक बच्चे के ऊपर काफी खर्च होता है और हम चाहते हैं कि और पब्लिक स्कूलों में हरिजन बच्चों के एडमीशन की आज्ञा मिल जाये।

मान्यवर, हायर एजूकेशन में, उच्चतर शिक्षा में, पास होने के लिये, प्रवेश के लिये, हमारे विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण कक्षा 9-10 और 11 एवं 12 कक्षाओं को साइन्स की स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिये हमने प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो छात्र जाना चाहते हैं उनको भी विशेष कोचिंग का प्रबन्ध किया गया है। और उसके लिये 15 लाख रुपये खर्च करते हैं। पी0 सी0 एस0 की ट्रेनिंग देने के लिए इलाहाबाद में दो और लखनऊ में एक शासकीय केन्द्र है। इंजीनियरिंग के लिए रुड़की में एक केन्द्र है, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को परीक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है।

एक सदस्य–

यहीं पर मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एम0 डी0, एम0 एस0 और एम0 टेक0 कोर्सों में क्या आरक्षण है, क्योंकि अपनी जानकारी है कि वहां पर उनसे नाम पूछे जाते हैं और जिनके नाम के आगे चौबे, दुबे, वाजपेई आदि लगा है, उनको ही प्रवेश दिया जाता है? क्या हरिजनों को इनमें भी सही तरह से प्रवेश मिलेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

कोई ऐसा केस आपके सामने हो, जिसमें आरक्षण का उल्लंघन किया गया हो शासन की नीति के विरोध में, तो आप उसका केस मुझे दें और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि चाहे कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग विभाग हो, उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाएगी, माफ नहीं किया जाएगा।

हमारी परमप्रिय नेता, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी, विश्व विख्यात नेता हैं, वह महिलाओं के पिछड़ेपन की तरफ बराबर जागरूक हैं, उन्होंने बड़ा साहस और आत्मबल महिलाओं में पैदा किया है, जो पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का संचालन कर रही हैं। महिलाएं अगर सब शिक्षित होंगी तो एक दिन वह चमत्कार हो जाएगा कि साक्षात दुर्गा, भगवती यहां आकर आपको दर्शन देंगी। (व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मोहन सिंह जी, आपके सामने तीन-तीन देवियां बैठी हैं, दर्शन हो गये, फिर भी आप तृप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री मोहन सिंह–

इसमें से एक मेरे ससुराल की हैं...

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

उसको आप देवी नहीं मानते हैं क्या? तो फिर आप क्या मानते हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अनुसूचित जाति और जनजाति के

लिए 29 जनपदों में छात्रों तथा 8 जनपदों में छात्राओं के छात्रावास निर्माण हो चुके हैं। साथ ही पांच छात्रों के और 2 छात्राओं के और निर्माणाधीन हैं, जिसमें प्रत्येक में 50 छात्र और छात्राएं रहेंगे। मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण की ओर भी हमारा ध्यान है, ताकि उसमें भी हमारे हरिजन-अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके स्वतः रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिये हमारी परमप्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का एक विशेष कार्यक्रम है। उनको प्रशिक्षण देने के लिये 3 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं—नैनीताल, बख्शी-का-तालाब (लखनऊ) तथा गोरखपुर में, और लखनऊ में भी एक पालीटेक्निक है, जिसमें हरिजन छात्रों को हम प्रशिक्षण देते हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

इसके लिए बधाई।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

धन्यवाद। अनुसूचित जाति और जनजाति के बीमार लोगों के इलाज और उनकी कन्याओं के विवाह के लिए भी हमने बजट में 3 लाख रुपये का प्राविधान किया है। हरिजन महिलाओं को सिलाई-मशीन देने के लिये 1 लाख रुपये का प्राविधान किया है। आवासीय योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में दो हजार रुपये और पर्वतीय क्षेत्र में 3 हजार रुपये अनुदान देने का भी प्राविधान हमने किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए, दुकान बनाने के लिये 12 लाख 30 हजार रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है। उत्पीड़ित हरिजनों के लिए भी बजट में 10 लाख रुपये का प्राविधान किया है ताकि ऐसे हरिजनों को जिनकी हत्या हो जाती है, या जिनका सामान लूट लिया जाता है, या और किसी तरह से उत्पीड़न होता है, उनको सहायता दी जा सके।

यह बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में विधवा महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है। आजीविका का कोई साधन न होने के कारण वे अपने बच्चों तक का भरण-पोषण नहीं कर पाती हैं। अब तक 10,500 विधवाओं को पेन्शन दी जाती थी। पहली जनवरी, 1984 से यह निर्णय लिया गया है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी, श्री श्रीपति मिश्र तथा भूतपूर्व समाज कल्याण मंत्री श्री गुलाब सेहरा जी भी कर चुके हैं, उसके अन्तर्गत 10 हजार अन्य विधवाओं को भी पेन्शन देने का प्राविधान इस बजट में किया गया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

इसके लिये आपको बधाई है, यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी और श्री गुलाब सेहरा जी ने किया है, आपने स्वयं अपनी तरफ से विधवाओं के लिए कितनी बढ़ोत्तरी की? (हंसी)

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो कुछ माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है उसकी प्रेरणा उनको किसी महिला से ही मिली होगी (हंसी)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हम विधवाओं के कल्याण के लिए जितना भी करें वह कम है। मेरा तो सौभाग्य होगा यदि किसी विधवा को मैं उंगली पकड़ कर किसी आसन पर बिठा सकूं।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आदरणीया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की विधवाओं के लिए तो जो कुछ किया है उसके लिये वे बधाई की पात्र हैं, पर उन्होंने विधुर पुरुषों के लिए भी क्या कुछ किया है? (हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, एक स्कीम हमारी 1980-81 से चल रही है और वह है बाल विकास योजना। यह अभी तक 105 विकास खण्डों में प्रचलित है। 1984-85 में 86 और विकास खंडों में यह योजना शुरू की जायेगी। इसके अन्तर्गत 5 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। यह रोजगार अधिकतर बहनों और बेटियों को या विधवाओं को मिलता है।

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के जो 8 जिले हैं उसमें इसको किस तरह लागू करेंगे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैंने कहा कि 105 विकास खंडों में यह चल रही है और 46 विकास खंडों में यह आरम्भ कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी प्रार्थना है कि इनको रोकिये मत दिल खोल कर कह लेने दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, महिलाओं की जो समस्यायें हैं उनको कहने में और उनके प्रति सहानुभूति उजागर करने में कुछ समय तो लगेगा ही जहां पुरुषों का पत्थर दिल है तो उसको पिघलाने में टाइम तो लगता है। मान्यवर, यह जो दहेज की प्रथा है जिसका शिकार महिलायें होती हैं यह हमारे देश के लिए कलंक है। इसका उन्मूलन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करने के लिये हम विचार कर रहे हैं। हम अपने विभाग के द्वारा बड़े वृहद रूप में इसका प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं। गांव-गांव और घर-घर में दहेज उन्मूलन का प्रचार करना चाहते हैं ताकि इस दहेज प्रथा का पूरी तरीके से उन्मूलन हो और हमारी कन्याओं का भविष्य उज्जवल हो।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। आपको बाद में भी कहने का मौका मिलेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त विशेष समन्वित योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थित में सुधार लाने के लिए है जिसके अंतर्गत जिन विकास खंडों में 20 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वहां पर उनके लिये योजनायें चलायी जाती हैं। हरिजनों को रोजगार दिलाने के लिए रिक्शा, ठेला, खड़खड़ा आदि चीजों के लिए इस योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। इसमें जैसे रिक्शे की कीमत 12 सौ रुपये है तो आधा ऋण और आधा अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 404 विकास खंडों का चयन किया गया है। इसमें हमारा प्रयास यह है कि जो गरीब हरिजन हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाय। हमारा लक्ष्य 30 लाख हरिजन परिवार हैं,

15 लाख छठीं पंचवर्षीय योजना में और 15 लाख सातवीं पंचवर्षीय योजना में और इसमें लगभग 12 लाख परिवारों को छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है। जो हमारा लक्ष्य है 1990 तक में 30 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का आश्वासन देती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इसके अतिरिक्त सघन विकास योजना के अन्तर्गत दूकानें बनाने के लिये, लघु सिंचाई के लिये, जमीन खरीदने के लिये हरिजनों को पैसा दे रहे हैं जिसमें 6250 दूकानें बन चुकी हैं। 2900 दूकानें निर्माणाधीन हैं। 835 पम्पसेट लग चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत 30 हजार लोगों की लगभग 25 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मद्य निषेध के बारे में लगभग 21 लाख 95 हजार रुपये का प्राविधान किया है। इसे हम प्रचार तथा प्रसार पर खर्च करेंगे। गांव के जो गरीब लोग हैं विशेषकर हरिजन हैं उनमें मद्य निषेध की आदत डाली जाय और उनके परिवारों का विकास हो इसलिये यह पैसा खर्च किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सम्मानित सदन के सामने प्रस्तुत करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष दोनों, हरिजनों और महिलाओं की दशा को देखते हुए, पूरे सहयोग के साथ इस बजट को पास करेंगे।

(श्री सन्त बख्श रावत का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रावत जी, एक निवेदन है। बोलने वालों की काफी लम्बी लिस्ट है, इसलिए आप 15 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रावत जी, अगर आप उचित समझें तो आगे आ जायं।

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने अभी सैनिक कल्याण का बजट प्रस्तुत करते हुए सैनिकों के बारे में तमाम कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया है, वैसे लेखानुदान को सम्मिलित करते हुए, इस विधेयक को सैनिक कल्याण के लिए 66 लाख 8 हजार रुपये की स्वीकृति इसमें मांगी गयी है। इस कार्य में वैसे जो कल्याणकारी कार्य हैं, इसमें 16 लाख 7 हजार रु0 व्यय होगा, बाकी 50 लाख, 1 हजार का व्यय, यह प्रशासनिक व्यय होगा। स्थिति यह है वैसे व्यवस्था है नियमों में कि प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वे लोग जो देश की सीमा की रक्षा में अपनी आहुति देते

है, जो बच कर आते हैं, उनके लिए क्या देंगे ? इसलिए मान्यवर, मैं यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। यही नहीं, मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने सैनिक के बारे में कुछ बातें कही हैं कि उनसे मुर्गियां पलवाई जायेंगी, बकरियां और मछलियां पलवाई जायंगी, इस तरह की योजनाओं की घोषणा की है। पदक प्राप्त लोगों को 300 रुपये दिया जायगा। मेरे पास 22 अगस्त, 1983 का स्वतंत्र भारत है इसमें पदक प्राप्त भूतपूर्व सैनिक की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। हरदोई जनपद में एक पदक प्राप्त सैनिक था, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। यह है सैनिक निदेशालय, जहां पर इनके सैनिकों की सुनवाई नहीं होती है।

मान्यवर, यह केन्द्रीय सरकार, हमारी भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कहना है कि सैनिकों का बहुत बड़ा कल्याण करेंगी। एक तरफ तो वह कहती है कि प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को अनेक सुविधायें दी जायंगी, दूसरी तरफ प्रतिवादन दिया जायगा कि सेना के अधिकारियों को फिर से नौकरी करने पर रोक लगायेंगे। इसमें कौन सी बात सही है। माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी, तब वह बतायेंगी कि कौन बात सही है। इसमें स्वतंत्र भारत अखबार के दिनांक 22 अगस्त, 1983 में भी कहा गया है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यह जो सैनिक कल्याण का बजट है, यह मात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिखावा मात्र है। मान्यवर, इसमें कुछ उनका कल्याण होने वाला नहीं है।

(2 बजकर 10 मिनट पर)

मान्यवर, इसी के साथ-साथ हरिजन समाज कल्याण विभाग के लिये मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में लेखानुदान को सम्मिलित करते हुए यह धनराशि 82,90,64,000 है। 11 करोड़ 57 लाख 75 हजार प्रशासनिक खर्च करेंगे। इस तरह से 71 करोड़ 32 लाख 79 हजार जनता के कार्यों पर व्यय करने की व्यवस्था की है। मैं कैसे उम्मीद करूं कि यह सारा पैसा जनता के ऊपर व्यय होगा। पिछले वर्षों में हरिजन विभाग को जो धनराशि की गयी है, उसका उपयोग नहीं किया गया, विभाग ने जो धनराशि समर्पित किया। जिनके आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 79-80 में 54-49 लाख 80-81 में 27.01 लाख, 81-82- में 70-99 लाख, 82-83 में एक करोड़, 22 लाख, 23 हजार, 83-84 में एक लाख 42 हजार समर्पित किया। मैं कैसे अपेक्षा करूं कि यह विभाग हरिजनों का कल्याण करेगा। जो धनराशि इनको दी जाती है, उसका यह विभाग उपयोग नहीं कर पाता है।

मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों के ऊपर उत्तर प्रदेश में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो हरिजन के लिए जो धनराशि आवंटित की जाती है, वह उसको मिल नहीं पाती है। दूसरी तरफ समाज में इस बात की चर्चा होती है कि हरिजनों के लिये यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। धरातल पर उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। यह योजनायें अधिकारियों और कर्मचारियों के हित पोषण के लिये हो सकती हैं। प्रदेश के हरिजन जनता के लिए नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं

हरिजन विभाग में जो योजनायें बनी हैं, उससे हरिजनों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और न मिलने वाला है। बजट का ब्योरेवार अनुमान के ऊपर टिप्पणी करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसमें सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनायें अस्पृश्यता निवारण की बात कही गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर कोई व्यय नहीं होता है एक लाख 2 हजार की धनराशि है, इस धनराशि का कोई सदुपयोग नहीं होता है। यह व्यर्थ की योजना है। मंत्री जी ने घोषणा किया कि जहां अत्याचार होगा, हम 10 हजार रुपया, जब कोई हरिजन मारा जायेगा तो दूंगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह तो बेहमई में ठाकुर जाति के लोग मारे गये थे, तो इस प्रदेश की सरकार ने 10 हजार रुपया दिया था। मैंने 82 में इसको कहा था और इस सरकार ने खीझ कर इसको उसके बराबर कर दिया है। यह कोई हरिजनों की पीठ पर गुड नहीं लगा रहे हैं। इसी के साथ-साथ अनुसूचित जाति सहायता अंशदान और राज्य सहायता है। इसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बीमारी की इलाज के लिये सहायता दी जाती है। इसमें पक्षपात होता है। जो एप्रोच वाले हैं, उनको मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है। शादी विवाह में गरीब हरिजनों की सहायता के लिये विभाग ने कुछ व्यवस्था की है। मान्यवर, लखनऊ जनपद में मेरी जानकारी है कि किसी व्यक्ति को अनुदान नहीं मिला। भले ही तत्कालीन राज्य मंत्री श्री गुलाब सेहरा ने अपनी बिरादरी के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी पार्टी के विधायक के कहने पर लोगों को अनुदान दिया हो। यह अनुदान पक्षपात पूर्ण ढंग से मिलता है और पात्र व्यक्ति को यह नहीं मिल पाता है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं हमारी मंत्री जी, विकास खण्डों में सर्वाधिक विकास के लिए जो योजना है इसमें 50 प्रतिशत पर भारत सरकार का अनुदान है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलती है उसको समुचित उपयोग नहीं होता है उसका परिणाम यह होता है कि दूसरे वर्ष दूसरी योजना में काम करने की बात होती है तो केन्द्र सरकार से आवंटन हो जाता है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, विकलांगों की बात आती है विकलांगों के लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। एक तरफ तो हमारी दीदी कहती हैं कि गरीबों को, विकलांगों को और जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता करेंगे लेकिन इसमें धनराशि की कमी की गयी है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजकीय नेत्रहीन महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र तथा आश्रित कर्मशाला मान्यवर, इसमें केवल 1 लाख 50 हजार रुपया दिया गया है। मान्यवर, इस कर्मशाला में आप देखें कि तीन छात्र हैं तीन छात्रों पर इतना खर्चा नहीं हो सकता है इस तरह से हरिजनों के नाम पर इनके विभाग के लोग इनके अधिकारी लूट कर रहे हैं इसकी जांच करवा लें। मान्यवर, अभी इन्होंने कहा है कि निःशुल्क यात्रा विकलांगों के लिए, करने के आदेश दिये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं ऐसी कौन सी

रूपरेखा है जिसमें विकलांगों को पास दिये गये। इसमें माननीय मंत्री जी जब जबाब देंगी तो इस बारे में बतायेंगी। इसके साथ ही साथ शिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला की स्थापना इलाहाबाद, उत्तरकाशी, वाराणसी यह प्रदेश में तीन जगह है इस तरह की कर्मशालाओं की स्थापना पूरे प्रदेश में होनी चाहिये। इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाना चाहिए।

इसी तरह से मान्यवर, परिवार एवं बाल कल्याण है। यह योजना तीन स्थानों पर चल रही है मिर्जापुर, बलिया, इलाहाबाद यह प्रदेश में तीन स्थानों पर है इसकी स्थापना पूरे प्रदेश में समस्त जनपदों में करनी चाहिए। मान्यवर, बाल सदन का जिक्र अभी माननीय मंत्री जी ने किया। यह मेरठ, कानपुर, रायबरेली, देवरिया, सीतापुर पांच जनपदों में है इसको सभी जनपदों में होना चाहिए। इसके अलावा मान्यवर, आठ जनपदों में निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण की योजना है। यह फैजाबाद, मथुरा, सहारनपुर एवं पंच महानगरों में इसकी व्यवस्था है इसमें पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, नशाबन्दी की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की। इसमें एक तरफ तो दारू पिलाकर बर्बाद कराना चाहती है दूसरी तरफ हरिजन विभाग से पैसा लेकर खिलवाड़ करना चाहती है। यह व्यर्थ की योजना है निदेशक हरिजन कल्याण के नियंत्रण में नहीं ली गयी है।

श्री अधिष्ठाता–

आपको फिर समय मिलेगा।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाचार पत्र में निकलता है "हरिजनों पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अत्याचार" 12 सितम्बर, 1983 का जागरण अखबार है। यह नई दिल्ली का अखबार है इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर सर्वाधिक अत्याचार हुए हैं। कानपुर के स्वतंत्र भारत में निकला है कि 'कानपुर में पुलिस हरिजनों को लूट रही है।" यह 17 जनवरी, 1983 का अखबार है माननीय मंत्रीजी पढ़ लें, लाइब्रेरी से लेकर बटैया के हरिजन पुलिस आतंक से मारे-मारे फिर रहे हैं। यह हरिजन पर अत्याचार की स्थिति है।

मान्यवर, बलात्कार की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रेप के मामले, बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स, 9 मार्च, 1984 के अनुसार हरिजनों के साथ बलात्कार के मामले सर्वाधिक हैं। दो हरिजन स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में मामला उठा। यह आज अखबार में 17 मार्च, 1983 को प्रकाशित हुआ। थाने में हरिजन युवती के साथ सामूहिक बलात्कार। यह नवजीवन 11 अगस्त, 1983 में निकला है। समेसी में हरिजन बालिका के साथ अनाचार से आतंक, यह नवजीवन 25, जनवरी, 1984 को निकला है। इसके साथ-साथ मान्यवर, हरिजनों से धोखा धड़ी की बात है। ऋण एनें के नाम पर 15 हरिजनों के साथ धोखा धड़ी, यह मान्यवर, दैनिक जागरण, 30 अगस्त, 1983 को निकला है। नवजीवन, 6 अप्रैल, 1983 को निकला है कि सम्पन्न सवर्णों ने हरिजन बनकर सरकारी नौकरियां हथियाईं। मान्यवर, ऊंची जाति के लोग अब हरिजन बनकर सरकारी नौकरियां हथिया रहे हैं। दैनिक

जागरण, 30, अप्रैल, 1983 में निकला है कि हरिजन अनुदान दिलाने के नाम पर 87 हजार की ठगी। मान्यवर, इस तरह से हरिजनों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ आपके निदेशालय के प्रीतम सिंह ने निदेशक ने 6 लोगों को सेवा से निकाल दिया था उसके बाद कुछ और लोगों की भर्ती हुई। भर्ती कैसे की गयी, पैसे लेकर। पैसे लेकर भर्ती होती है। मान्यवर, मेरे पास कई शासनादेश हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

रावत जी, करीब-करीब सभी प्वाइन्ट इसमें आ गये। और लोग भी कटौती के प्रस्ताव के लिये कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव रखता हूं और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण सभी बजट महत्वपूर्ण होते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग 5-5 मिनट से अधिक न बोलें।

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का दुर्भाग्य समझता हूं कि यह हरिजन कल्याण विभाग का बजट है, और दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं, और लीडर हैं कम से कम वह हरिजन कल्याण विभाग को तो बख्श देवें क्योंकि यह गरीब वर्ग का बजट है और अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लें। हरिजनों के कितने हिमायती हैं ये लोग, देखने वाली बात है। मैं हरिजन कल्याण मंत्री जी को बधाई देता हूं और अपनी सरकार को बधाई देता हूं कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का काफी विकास हो रहा है। मेरे क्षेत्र खटीमा में 4 करोड़ 27 लाख रुपये की एक जनजाति योजना शुरू हो रही है, हमारे माननीय मंत्री जी, हरिजन कल्याण विभाग यहां पर बैठी हुई हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि योजना तो वहां शुरू हो गई है, लेकिन वह रुपया अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। आपकी सारी मशीनरी वहां पहुंच गई है। यह योजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिल कर वहां पर चलाई जा रही है। जब मैंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि पैसा क्यों नहीं आया तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी प्रदेश सरकार से पैसा आना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने भूतपूर्व और वर्तमान सैनिकों की बात कही। श्रीमन्, हमारे भीमताल में एक रा0 इ0 कालेज है। वहां का जो प्रधानाचार्य है, वह बड़ा अत्याचार कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने लिखकर भी दिया था। उस प्रधानाचार्य ने 14 हरिजन छात्रों को स्कूल से निकाल दिया है और एक लड़की थी, उसे भी स्कूल से निकाल दिया है। हमारे खैरना में एक स्कूल है। करोड़ों रुपए बजट में हरिजन छात्रों को वजीफा देने हेतु मिलता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सन् 1982 से जो पैसा हरिजन छात्रों के लिए वजीफे में बजट द्वारा मिला था, उस प्रधानाचार्य ने वह सब खा दिया है। और वहां पर जो हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी

हैं, उनकी भी उसमें मिली-भगत है, इसीलिए वह रुपया खाया जा रहा है। यह एक मिसाल नहीं है प्रदेश की, अस्तु कई मामले इस प्रदेश में ऐसे हैं। हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी चाहे प्रदेश के हों या जिले के इन सभी की मिली भगत इसमें है।

श्रीमन्, आज प्रदेश के अन्दर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हमारे जिले में राजस्व मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी है। हरिजनों को भूमि के पट्टे दिये जा रहे हैं लेकिन अभी भी कई हरिजनों को वह पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। श्रीमन्, अब मैं हरिजन छात्रावासों की बात करता हूं। 1962 की बात है, उस वक्त मैं जिला परिषद् कमिश्नर था, उस वक्त भी मैंने नैनीताल में हरिजन छात्रावास के लिए कहा था, किन्तु आज तक नैनीताल में एक भी हरिजन छात्रावास नहीं है। 7 लाख रुपया मंजूर है लेकिन आज भी जिले के अधिकारियों की मेहरबानी की वजह से वहां पर छात्रावास नहीं बन पा रहा है। मैं तो मान्यवर, माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह बता रहा हूं कि जिलों में आपके जिले के अधिकारी इस प्रकार का काम कर रहे हैं।

हरिजन छात्रावास खटीमा और सितारगंज में आश्रम पद्धति पर है। मैं नहीं चाहता हूं कि उसका डिवीजन हो। मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के बच्चों को व जन-जाति के बच्चों को वहां पर अलग-अलग न रखा जाय। जिस प्रकार वहां पर जन-जाति के बच्चों को प्रवेश मिलता है उसी प्रकार अनुसूचित जाति के बच्चों को भी प्रवेश मिलना चाहिए।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि भीमताल और खैरना के स्कूलों में जो अनियमिततायें वहां के प्रधानाचार्यों द्वारा की जा रही हैं, उनकी जांच की जाय।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं। जनजाति निगम और हरिजन कल्याण विभाग में पिछले 2 महीनों में काफी गबन हुआ है, जिसकी वजह से जनजाति निगम के एक लिपिक ने नैनीताल के झील में कूदकर आत्महत्या कर दी। इसके बावजूद भी हरिजन कल्याण विभाग के अधिकारी और जनजाति निगम के अधिकारी इस मामले को छुपाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने एक ईमानदार आफिसर श्री चौबे को वहां पर भेजा। उन्होंने सन् 1972 से लेकर अब तक के मामलों को पकड़ा। मैं चाहूंगा कि आप जनजाति निगम के अधिकारियों से पूछताछ करें और इस मामले की जांच करायें और जो दोषी अधिकारी पाये जायं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव हमारे विरोधी भाई ने रखा है, मुझे विश्वास है कि वह उसे वापस ले लेंगे।

श्री यमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, यह हरिजन समाज कल्याण विभाग जो बना हुआ है इसके उद्देश्यों

की बाबत तमाम बातें माननीया मंत्री जी ने कहीं । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह विभाग जो है, यह हरिजनों के प्रति वफादार नहीं है । मान्यवर, इस विभाग के द्वारा प्रदेश के तमाम हरिजनों को लूटा जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है । मान्यवर, जो यहां से उनके उत्थान, उनके विकास के लिये अनुदान जाता है, वह अधिकांशतः उनके पास न पहुंचकर, अफसरों की जेबों में चला जाता है । मान्यवर, इसी प्रकार से इस विभाग के अन्तर्गत तमाम योजनाएं, बाल विकास योजनाएं, लागू की जाती हैं, उनमें भी तमाम घपले हैं । मान्यवर, इन योजनाओं की बाबत मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारे जनपद बाराबंकी में हमारा यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इसके अन्तर्गत विकास खंड फतेहपुर और विकास खण्ड निन्दूरा है। मान्यवर, इस क्षेत्र में अधिकांश संख्या हरिजनों की है । इसमें यह बाल विकास योजना लागू नहीं की गयी है। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में, ग्रामीणों के विकास के लिये, हरिजनों के विकास के लिये, यह योजनायें वहां लागू की जाय । मान्यवर, नौकरियों में निर्धारित आरक्षण का कोटा हर विभाग में पूरा नहीं है । मान्यवर, संविधान में इसकी बाबत व्यवस्था है, प्रर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन फिर भी यह विभाग में कोटा पूरा नहीं है । आप देखें-चाहे शिक्षा विभाग हो, न्याय विभाग हो, या सिंचाई विभाग हो-कहीं आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है । मान्यवर, यही नहीं, सचिवालय में भी यह कोटा पूरा नहीं है । सचिवालय के तमाम विभागों में विभिन्न पदों का कोटा पूरा नहीं है और पदोन्नतियों में भी इनके साथ अन्याय किया जाता है इनके पदों पर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं । मान्यवर, इन पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर यह छात्रवृत्ति की व्यवस्था है विद्यालयों में क्या होता है कि वहां पर काफी धन जाता है यहां से छात्रवृत्ति के नाम पर, लेकिन उस पैसे को मान्यवर, छात्रों को नहीं दिया जाता है, नाना प्रकार से उसमें गबन किये जाते हैं ।

मान्यवर, यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सिलाई-कढाई के केन्द्रों की स्थापना होती है विभाग के द्वारा लेकिन उसका हर जगह भी कार्यान्वियन नहीं किया जाता है । मान्यवर, हमारे जनपद में तमाम कढ़ाई सिलाई केन्द्रों की स्थापना के लिये लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के विकास के लिये यह सरकार भी छोटे-छोटे काम के लिये ऋण देती है लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका पूर्ण रूप से विकास हो और इसमें मैं चाहता हूं कि उनके लिये अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बसों की भी व्यवस्था की जाय और उसके लिये 75 प्रतिशत अनुदान स्वीकार करें-इसमें इस तरह से उनका विकास हो सकेगा । मान्यवर, हमारे जनपद में पुष्टाहार योजना, और बाल विकास योजना और इस विभाग से संबंधित जो भी उनके उत्थान और विकास की योजनाएं हैं, उनको लागू किया जाय, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपका समय समाप्त । आप बैठें ।

श्री यमुना प्रसाद–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो धन यहां से जाता है मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसकी बाबत जो योजनाएं हैं उनका पैसा पात्र व्यक्तियों के पास न पहुंचकर अधिकारियों की जेबों में चला जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । मैंने माननीय संकठा प्रसाद शास्त्री को बुला लिया है ।

*श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा रखे गये बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की लिस्ट है, जिसमें अगरिया, खरवार और गोंडइन जातियों का मसला जो है, इस समय गम्भीरता धारण किये हुए है ।

यह गोंड जाति के लोग मिर्जापुर के एक हिस्से में रहते हैं । उत्तर प्रदेश में गोंड जो कहते हैं वह कहार के बराबर हैं, वह भी हरिजन होने का लाभ ले लेते हैं । खरवार जाति के लोग हरिजन हैं । इसी प्रकार एक जाति है अग्रहरि, वह अगरिया जाति के नाम से लाभ ले लेते हैं । इस तरह का जो लाभ लिया जा रहा है यह इसलिये लिया जा रहा है कि यह लोग जिलाधिकारी या तहसीलदार के द्वारा हरिजन होने का प्रमाण-पत्र ले लेते हैं।

निवेदन यह करना है कि शासन की तरफ से हरिजन कल्याण अधिकारी को यह अधिकार दिया जाय कि वह हरिजनों से सम्बन्धित लोगों की सनद खुद दे और चाहे नौकरी में हो या चुनाव में हो, उसे ही माना जाय, जिससे गड़बड़ियां पकड़ी जा सकें । अगर ऐसा नहीं हुआ तो विधान सभा में जो उम्मीदवार बनाये जाते हैं, वहां भी यह सनद लाकर अपने को उम्मीदवार घोषित करा लेते हैं और बाद में जब पिटीशन दाखिल होता है तब सारी चीजें सामने आती हैं । ऐसा प्रमाण गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र का है, जहां से झिलमिट राम जी हरिजन जाति के थे । उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी । जैसे गोंड जाति का उम्मीदवार उस अनुसूचित जाति के पक्ष में खड़ा हो गया, इसलिये चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया । इसीलिये मैं कहता हूं कि जातीय प्रमाण-पत्र केवल हरिजन कल्याण अधिकारी से ही लिया जाय और उसको हर जगह मान्यता दी जाय ।

(लाल बत्ती जलने पर)

अन्त में केवल एक कहावत कहूंगा कि-बन्दर बांटे सीरनी अपने ही खा जाय । अगर इसकी तरफ ध्यान दिया जाय तो हरिजनों को केन्द्र सरकार द्वारा धन जो दिया जा रहा है वह 50 प्रतिशत छूट दी जा रही है और 50 प्रतिशत लोन दिया जा रहा है बैंक द्वारा लोन तो उनको (हरिजनों को) दिया जा रहा है लेकिन 50 प्रतिशत की सुविधा दूसरे लोग बांटकर खा रहे हैं । उनको लाभ नहीं मिल रहा है । अलग-अलग विभागों में योजनायें लागू कर दी गयी हैं । जब हरिजन कल्याण विभाग बना हुआ है तो सारी समस्याओं को हरिजन कल्याण विभाग द्वारा देखा जाना चाहिये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फिर अनेकों विभागों में उनके कल्याण की योजनाओं को बांटकर उनको नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है ? हरिजन कल्याण विभाग के द्वारा ही सारी योजनायें पूरी करायी जायं । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन समाज कल्याण के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

अभी मेरे पूर्व जो कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य बोल रहे थे श्री भिलमिट राम जी वाले प्रश्न पर, तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कहार जाति से संबंधित मामला पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया है कि वे अपनी जाति अगहरिया लिखवाना शुरू कर दिया प्राथमिक कक्षाओं में, इसी आधार पर भिलमिट राम जी के मामले में-छेदी राम बनाम भिलमिट राम मुकदमा संख्या 688/81 29 नवम्बर, 1983 को सर्वोच्च न्यायालय में फैसला हुआ, जिसमें चुनाव अवैध हो गया । जब मैं 1980 में चुनकर आया तो गोरखपुर से सरजू प्रसाद गोंड़ लड़े, संयोग से वह हार गये, उसी समय पिटीशन चलवाया था, कलेक्टर को भी लिखकर दिया, यहां प्रश्न भी किया था, तब राजाज्ञा जारी हुई, लेकिन वह राजाज्ञा भी अपूर्ण है । जब तक प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश की कक्षाओं पर भली प्रकार चैकिंग नहीं होती है और दूसरे स्थानों पर, जहां पर मूलतः गोंड़ जाकर वह बसते हैं, वहां पर उनके मूल स्थान के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र नहीं मांगा जाता है, तब तक इस समस्या का निदान सम्भव नहीं है । क्योंकि गोंड़ मूल रूप से कैमूर की पहाड़ियों के आस पास के निवासी हैं ।

मान्यवर, इसके साथ ही गोरखपुर में मंतू नामक एक हरिजन है और रामदास नामक एक कहार। इस कहार ने गोंड़ का प्रमाण-पत्र लेकर रोडवेज में काम करने वाले इस मंतू को प्रत्यावर्तित करवा दिया, इस मामले में मैंने बड़ा प्रयास किया परन्तु कोई हल नहीं निकल सका और तीसरी बात मान्यवर, गोरखपुर में डी0सी0 हास्टल जो किसी एक भाटिया की भूमि पर बना हुआ है, तो जो वहां का हरिजन समाज कल्याण अधिकारी रहा है उसने भाटिया के पक्ष में बयान हलफी देकर मुकदमे को हरवाया जिससे वहां के छात्रों को निकलवाने की प्रक्रिया हुई, जिससे बड़ी उथल-पुथल मची, तब मैंने जिलाधिकारी, गोरखपुर को एक पत्र दिया, जिसके आधार परर यह मामला रुका इसलिए मैं शासन से और इस आदरणीय सदन से व माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले को देखा जाए बहुत गम्भीर मामला है । और इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि आज से लगभग 13-14 वर्षों पूर्व एक शासनादेश हुआ था कि हरिजनों को कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए 5 हजार दिया जायेगा और उस भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी द्वारा होगा । लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आबादी की भूमि हो या किसी भी किस्म की भूमि हो उन सब का रेट फिक्स हो गये हैं । तो इस तरह से 5 हजार में केवल 4-5 डिस्मिल भूमि ही मिल पायेगी जिस पर खेती का हो पाना संभव न होगा, इसलिए इस रकम को बढ़ाये जाने से हर साल यह पैसा सरेंडर हो जाता है ।

इसलिए मेरी मांग है माननीय मंत्री जी से कि इस पैसे को और बढ़ाया जाय। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि ए0टी0एस0 में पहाड़ी क्षेत्रों में 70/- से लेकर 100/- मय दूध और भोजन देने की बात की गयी है और मैदानी क्षेत्र में 55 से 75 रु0 तक, इसमें ही हरिजन छात्रों को खाना और दूध वगैरह दिया जायेगा माननीय अधिष्ठाता महोदय आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि इस राशि में यह कैसे सम्भव हो सकेगा। इसलिए मेरी मांग है कि इस रकम को भी बढ़ाया जाए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्राइमरी कक्षा में 4 से 5 तक के छात्रों को छात्र-वृत्ति जो देने की बात की गयी है उसमें यह कहा गया है कि जो छात्र प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आयेंगे उन्हें प्रति माह सिर्फ 5 रु0 छात्र-वृत्ति के रूप में दिये जायेंगे। तो मान्यवर, यह आप स्वयं सोच सकते हैं कि इस राशि से छात्रों का क्या भला हो सकेगा यह बहुत ही अपर्याप्त राशि है, इसे भी मैं बढ़ाने की मांग करता हूं। साथ ही यह भी इस आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि जो विधायक अपने वोट के लालच में कहार को गोंड व अन्य इसी प्रकार के प्रमाण-पत्र जातिय दे देते हैं, उनको रोक लगायी जाए और इसके लिए आवश्यक कानून बनाए जाए क्योंकि जिले के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यह कह देते हैं कि हम क्या करें माननीय विधायक की रिकमेंडशन पर यदि हम कार्यवाही न करें तो क्या करें लेकिन इससे बाद में फंसता है समाज इसलिए ऐसे प्रमाण-पत्र जो विधायकों द्वारा दे दिये जाते हैं, वह न दिये जाएं तब तक सम्पूर्ण जानकारी साथ में न हो। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे परम मित्र, सहयोगी भाई कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस दल हरिजन विरोधी दल है। मान्यवर, चुनाव के दौरान यह आम बात कही जाती है कि हरिजन क्षेत्र में सवर्ण वोट देने कम जाते हैं लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव आया है वह भी हरिजन सदस्य के जरिये से कराया गया है। इससे प्रकट होता है कि उनको हरिजनों के प्रति कितनी ज्यादा सहानुभूति है।

श्री सन्त बख्श रावत–

यह बात गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, चुप रहूं तो चुभन होती है, बोलूं तो तेरी रुसवाई है। असलियत तो कड़वी होती ही है लेकिन सत्य तो सत्य ही है।

अब मैं हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो जमीन क्रय करने की स्थिति है उसमें आपने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन है। इसी संबंध में पहले बुधवार को तारांकित प्रश्न संख्या 19 में आपने एक प्रश्न को स्वीकार कराया था उसमें आपने कहा था कि

जमीन खरीद में ऐसे खरीददार को प्राथमिकता दी जाती है, तो कहीं इसी वजह से कि उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी रहे इसलिये उनको दण्डित नहीं किया गया, केवल बी0डी0ओ0 की ही जांच करके उसको छोड़ दिया। जिलाधिकारी को दण्डित किया जाना चाहिये था। मेरा सुझाव है कि उस जिलाधिकारी को भी और उस कमेटी के सदस्यों की जांच की जानी चाहिये। इसके अलावा उस कमेटी के सदस्य स्थानीय विधायक, ब्लाक प्रमुख, बी0 डी0 ओ0, एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 ये सभी लोग कमेटी में हों तब जमीन खरीदी जाय और उसका बंटवारा हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जो नलकूप लगाने की व्यवस्था है कि हरिजनों के जहां पर खेत हैं वहां के लिये यह व्यवस्था है। लेकिन मेरा दावा है कि अकबरपुर में एक-आध नलकूप जो लगाये भी गये हैं, वे चल नहीं रहे हैं। मेरा कहना है कि इस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले जो अधिकारी व कर्मचारी हैं और जिन्होंने ऐसा काम किया है उन्हें दण्डित किया जाय।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि हरिजनों के आवास के संबंध में जो प्राविधान है उसमें धन कम है जबकि चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसमें धन को और बढ़ाया जाय।

(लाल बत्ती होने पर-)

मान्यवर, मैं दो सूत्र में अपनी बात को कहकर समाप्त करता हूं। चौथी बात मुझको यह कहनी है कि जिला कार्यालय से यह हरिजन बाहुल्य क्षेत्र की एक सूची तैयार की गयी है जो कि बिलकुल फर्जी है। इसमें लिखा है कि अकबरपुर में हरियेमपुर, हरदेवपुर, नरायनपुर खुर्द, हुसैनपुर हरैया, परमानन्दपुर, खेरा, बिलहारी आदि गांव अकबरपुर क्षेत्र में हैं जहां कि हरिजनों का बाहुल्य है मान्यवर, मेरा दावा है कि अकबरपुर क्षेत्र में जो ये गांव शामिल किये गये हैं वह वहां पर है ही नहीं। वहां पर 25 हजार की हरिजनों की आबादी है जबकि उन्होंने इसमें लिखा है कि वहां पर 40 हजार की हरिजन आबादी है। जो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि हरिजन बाहुल्य गांव का आप सर्वेक्षण कराइये, हम लोग नाम देंगे। यह फर्जी सर्वेक्षण की सूची है, ऐसे फर्जी काम करने वालों को दण्डित किया जाय।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन लड़कों और लड़कियों को शैक्षिक सुविधा देने की बात कही जाती है। यह सुविधा हमारे विधान सभा क्षेत्र, अकबरपुर को अभी तक नहीं मिली है। यदि मिली हो तो आप इसकी जानकारी मुझ को दे दें, इसकी भी जांच करायी जाय। अगर मालूम हो तो बता दें कि कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले कौन से परिवार हैं, कौन से स्कूल हैं, जिनको आप सुविधा देते हैं, आप बता दें। इन शब्दों के साथ मैं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम जी राम–

मान्यवर, अगर हम अपनी पूरी बात नहीं रख पाते हैं और अपने विचार नहीं स्पष्ट कर पाते हैं तो हमारे बोलने का औचित्य क्या है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कम से कम 5 मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत लम्बी लिस्ट बोलने वालों की है। मेरा प्रयास है कि सभी लोग कुछ न कुछ कह लें।

श्री राम सागर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आजादी के इतने लम्बे अर्से के बाद कुछ वर्षों को छोड़कर और लगातार एक ही पार्टी और या यह कहिए कि एक ही परिवार की हुकूमत रही, लेकिन हरिजनों की आज हालत क्या है? आर्थिक मामलों में हरिजनों की हालत खराब है। आज भी हमारे गांवों में लोगों की ऐसी स्थिति है कि एक महिला के पास एक ही धोती है, वह आधी पहन कर नहाती है और जब वह सूख जाती है तो दूसरी ओर की धोती पहनती है और भीगी शेष धोती को सुखाती है मान्यवर, हरिजनों की इस तरह की स्थिति है। मान्यवर, जाड़े में गरीबों की हालत यह है कि सूरज की रोशनी निकलने के बाद अपना रात भर का जाड़ा खत्म करने के लिए लड़के एक दूसरे को ढकेलते हैं कि तुम मेरी धूप की रोशनी छोड़ो। अब मान्यवर, मैं हरिजनों के उत्पीड़न की बात कहना चाहता हूं कि हरिजन मारे जाते हैं, दहेलीपुर और साढ़ूपुर का काण्ड आप ले लें। रावत जी ने अभी बाराबंकी के थाना भवइके बटईया काण्ड की चर्चा की। एक गर्भवती हरिजन महिला और 60 साल के बूढ़े आदमी को गोली से मार दिया गया, इस तरह से हरिजनों पर उत्पीड़न हो रहा है।

मान्यवर, समाज कल्याण मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को जगत माता और हरिजनों की माता कहा है। मान्यवर, आपकी यह जो किताब है समाज कल्याण विभाग की उसके पृष्ठ 57 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरे फैजाबाद मंडल में बाल विकास योजना लागू की गयी है। हमारे मंडल में 6 जिले हैं और 6 जनपदों में बाल विकास योजना 18 ब्लाकों में चालू है, जिनमें से 10 ब्लाक केवल प्रधान मंत्री के सुपुत्र राजीव गांधी के क्षेत्र में हैं और शेष 8 ब्लाक शेष 5 जनपदों में हैं। इस प्रकार से यह भेदभाव बरता जा रहा है। मैं कहूंगा कि यह दूसरों की माता हो सकती हैं, लेकिन हरिजनों की और मेरे जनपद की सौतेली मां हैं। जिस तरह से बाल विकास योजना को आवंटित किया है कि 10 केन्द्र उनके क्षेत्र में और 8 केन्द्र पूरे मंडल में हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इनके 20 सूत्री कार्यक्रम जो हरिजनों के उत्थान के लिये है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। स्वतः रोजगार के लिये जो धन दिया जाता है और इसके लिये बैंक में जो लोग जाते हैं तो उनको 10 प्रतिशत देना पड़ता है, कहीं 20 प्रतिशत तक पैसा देकर वे वहां से पैसा लाते हैं। मान्यवर, जो यह पैसा नहीं दे सकता उनको पैसा नहीं मिलता है। जब उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो वे कौन सा रोजगार चला सकते हैं। . . . (व्यवधान)।

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। इन्होंने रेडियो के द्वारा बराबर यह प्रसारित करने की कोशिश की कि प्रदेश के अंदर हरिजन आबादी में विद्युतीकरण हो रहा है। मान्यवर, आप इसकी जांच करवा लीजिये। उससे आपको प्रमाण मिल जायेगा कि उन बस्तियों में जहां बिजली के लिये पोल लगे हैं, खम्भे खड़े हैं

वहां पर तार नहीं लगे हैं, यदि तार लगे हैं तो उनमें बल्ब नहीं हैं और जहां सब कुछ है वहां बिजली भूल से भी नहीं जाती है और ये घोषणा करते हैं कि हरिजन आबादी के अंदर विद्युतीकरण हो गया है। मेरे जनपद बाराबंकी में तहसील हैदरगंज के घरगुइया गांव में एक हरिजन कालोनी बनाई गयी कि हरिजनों के लिये आवासगृह बनेंगे। डी0एम0 ने उसका उद्घाटन किया। किन्तु उसमें जो बोर्ड लगा है वह सीमेंट का है इसलिये वही केवल रह गया है, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। मेरे जनपद में नसीपुर एक गांव है जहां हरिजन के नाम पर सवर्ण आदमी जैसे किसी के नाम के सामने तिवारी लिखा है, तो वह हटाकर यह बता दिया कि वह हरिजन है, और इस तरह से हरिजनों के नाम पर 6 आवास बन गये। वह मामला मैंने सदन में उठाया और अनुसूचित जाति कमेटी में भी वह मामला उठाया था।

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हरिजनों के लिये दुहाई देने वाली सरकार है और जो माननीय मंत्री जी यहां घोषणा करते हैं कि प्रधान मंत्री जगत की माता है, अपने को भी मां की ममता से जोड़े ही रखती हैं, लेकिन कह सकता हूं कि जो जगत जननी हैं वह देश की और हरिजनों की माता नहीं उनकी सौतेली मां हो सकती हैं। यह कहते हुये मैं माननीय रावत जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री रामजी राम–

जनाब अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने वजीर साहब का प्रस्ताव जो उन्होंने हरिजन और समाज कल्याण विभाग के लिये अनुदान मांगा है, उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जनाब, मैं आपके जरिये से दरख्वास्त करूंगा कि हरिजनों के मुताल्लिक जो भी इमदाद सरकार की तरफ से हो रही है उसका सही-सही पालन होना चाहिए और मैं इसके लिये उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। उन्होंने इधर पिछले दो साल से विभाग के अन्दर काफी मेहनत से काम किया है। मैं हरिजनों की दुर्दशा के ऊपर सबसे पहले एक शेर पेश करना चाहता हूं:

अब और क्या गिरायेंगे वे अपनी
निगाह से, इतने हुए जलील कि
खुद्दार हो गये।

जनाब अधिष्ठाता महोदय, सरकार के रहम-करम पर जो कुछ भी हो रहा है, हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हम मुस्तकिल तौर पर अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह जो ऐसी जाति के लोग हैं, जिसे सवर्ण कहते हैं उनके दिल और दिमाग साफ होने चाहिए। इन सारी स्कीमों के लागू होने की बात कौन कहे, ये अपने मकसद को पूरा करने में जुट जाते हैं इसलिये जो कुछ भी स्कीम है वे मुकम्मिल तौर पर गांवों में लागू नहीं हो पाती है। इसलिये मैं आपके जरिये से अर्ज करना चाहूंगा कि वे इस चीज को देखें। एक चीज और कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आयुक्त हैं वह पहले आई0ए0एस0 होता था, वह अब पी0 सी0 एस0 रैंक का कर दिया। अब जरा निष्पक्ष रूप से देखें आइ0ए0एस0 के बदले उसे पी0 सी0 एस0 क्यों किया गया है। हमारी इन आफिसरों की नीयत साफ नहीं है अगर नीयत साफ होती तो उसे आइ0ए0एस0 कैडर का करना चाहिये था इसलिए उसे आई0 ए0 एस0 कैडर का बना दें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं छुआछूत के बारे में कहना चाहता हूं जो आप नौकरी के समय फार्म भरवाते हैं उसमें एक कालम होना चाहिये कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अंतर्जातीय विवाह करूंगा और छुआछूत को नहीं मानूंगा और जो लोग अपनी जाति-बिरादरी से ऊपर उठकर अंतर्जातीय विवाह करेंगे उनको प्राथमिकता प्रदान की जाय। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे जो सवर्ण पंडित हैं जो हमारे हक को लेना चाहते हैं हरिजन लड़की से शादी करके मैं कहना चाहता हूं विधायक जी से कि वे अपनी लड़की की शादी हरिजन से क्यों नहीं करते।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं यह जो उत्पीड़न के बारे में हंगामा होता है। मेरी जानकारी है कि यह जो उत्पीड़न है वह जागरण की निशानी है आज यह काफिला कुर्बानी से आगे बढ़ेगा।

कदम चूम लेती है खुद बढ़ कर मंजिल
मुसाफिर अगर आप हिम्मत न हारे।

अगर आप रुकावट नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से यह लोग अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

एक बात अब मैं सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूं। अभी इस बारे में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने एलान किया है जिसका हरिजन और महिला संघ उत्तर प्रदेश ने स्वागत किया है। उन्होंने एलान किया है कि 3 साल में हम आरक्षण पूरा कर देंगे। उसका हमने स्वागत किया है और हमें विश्वास है कि हरिजनों का कोटा पूरा करेंगे। अभी तक तो शून्य प्रतिशत भी पूरा नहीं किया है जो निर्धारित कोटा है उसको तो भर देते हैं लेकिन पिछला जो बकाया है उसको भरने का प्रावधान नहीं किया है (लालबत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो ड्यू प्रमोशन है उसको तो दे दें। पहले आपने 5 साल का समय रखा था दक्षता पूर्ण होने की बात करते थे उसे फिर 7 साल किया गया और ज्यों-ज्यों वह दक्षता प्राप्त कर रहे हैं और पढ़-लिख रहे हैं, टेकनीकल एजूकेशन पा रहे हैं उसका समय बढ़ाते जा रहे हैं। 5 साल से अब सुना है उसे 15 साल कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है, हमारी सरकार उनको देना चाहती है उसमें कोई कमी नहीं कर रही है लेकिन अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है। हम इस तरह के बजट भाषण कर देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है – सुबह होती है शाम होती है और उम्र यों ही तमाम होती है। तो बजट भाषण होते रहेंगे लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान होना मुश्किल है। यह बजट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है इसमें बहुत काम है जो पैसा दिया गया है वह कम है और यह प्लानिंग विभाग जो है वह इसके बजट में कटौती करने को भेज देता है और अड़ंगा डालने की कोशिश की जाती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कोई सक्रिय रूप रेखा हमारे सामने आना चाहिये। सरकार की जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान है, इसके अन्तर्गत बैंक कर्म-

(इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

चारी सहयोग नहीं देते हैं, वे हरिजनों को हरजाई कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त, कृपया बैठें।

श्री रामजी राम–

मेरा तजुर्बा इस बात का है कि जो योजना आप इन हरिजनों के कल्याण की बनाते हैं उसका लाभ, आपके कर्मचारियों की उदासीनता और हरिजन विरोधी रवैये के कारण, उतना नहीं पहुंच पाता जितना कि हरिजनों को पहुंचना चाहिये। यह जो बजट आपने रखा है यह भी दुगुना होना चाहिये था। हरिजन अधिकारी के अधिकारों को भी और बढ़ाया जाना चाहिये। जो हरिजन अध्यापक होते हैं, उनको रखा नहीं जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रोज-रोज की यह फर्ज अदायगी की जगह सक्रिय काम होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, भारतवर्ष के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल के क्यों न हों, जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उनमें से किसी की भी आज यह हिम्मत नहीं है कि वे अपने को हरिजन विरोधी कह सकें क्योंकि देश में 25 प्रतिशत हरिजनों की संख्या है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी विचार-धारा का क्यों न हो, वह हरिजन विरोधी अपने को कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। माननीय सदस्य ने कहा कि हरिजन माननीय सदस्य ने इस बजट में कटौती का प्रस्ताव रख दिया, कटौती का प्रस्ताव रखने से वह हरिजन विरोधी नहीं हो सकता, दो साल पहले माता प्रसाद पाण्डेय ने ही यह प्रस्ताव रखा था। (व्यवधान)

मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों के विरोधी केवल हरिजन हैं। इस प्रदेश के अन्दर 67 जातियां ऐसी हैं जो हरिजनों की लिस्ट में आती हैं। लेकिन वे कभी भी अपने को हरिजन नहीं कहते। अगर 66 से पूछा जायेगा कि तुम किस जाति के हो, तो कोई कहेगा कि वह जाटव है, कोई कहेगा पासी है, कोई यह नहीं कहेगा कि वह हरिजन है। वह यह समझता है कि हरिजन तो केवल बाल्मीकि ही हैं, बाकी नहीं हैं। भोटिया लोग अपने को

(3 बजकर 10 मिनट पर)

हरिजन नहीं कहते हैं। जो शिल्पकार हैं उनको कहते हैं कि वह हरिजन हैं और उन शिल्पकारों की हालत बहुत खराब है। गुफाओं में रहते हैं उनकी रोजी-रोटी का कोई जरिया नहीं है।

मान्यवर, श्रीमती जी ने बड़े जोर शोर से कहा कि हमने यह-यह कर दिया है। उन्होंने उत्पीड़न की बात बतायी। तो मान्यवर, जो हमारे सदन की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जातियों संबंधी कमेटी है उसका यह 16वां प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन हरदोई जिले में एक ग्राम नूरपुर में जहां पर 4 हरिजनों का झूठा इंकाउन्टर हुआ था उस संबंध में यह प्रतिवेदन है। जो हरदोई के जिलाधिकारी हैं उन्होंने इन हरिजनों के बारे में जो लिखा है उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। डी0एम0 का लेटर 4 अप्रैल, 83 का है। मिस्टर एच0एल0 विरदी, जिलाधिकारी, हरदोई का लेटर है। उन्होंने कहा है कि यह जो 4 व्यक्ति मारे गये हैं और एफ0 आई0आर0 में अज्ञात लिखा गया है इन चारों मृतकों का कोई आपराधिक इतिहास थाने में अभिलेखों में नहीं है। तो यह डी0एम0 ने क्वेरी पर अंतिम रिपोर्ट दी है। पुलिस वालों ने कह दिया कि यह बदमाश थे। तो इस पर इंक्वायरी की गयी और डी0एम0 ने लेटर लिखा कि चारों में से आपराधिक इतिहास किसी का नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन के मुताबिक क्या पुलिस वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही की गयी है? आप जरा इसको मालूम करेंगी तो पता चलेगा कि आप कितने गहरे में हैं। श्रीमन् आज 36 साल हो गये हैं। कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि 18 परसेंट रिजर्वेशन करेंगे हालांकि इनकी आबादी 25 परसेंट है। तो फिर यह 18 परसेंट रिजर्वेशन क्यों रखा गया है? 25 परसेन्ट क्यों नहीं रखा गया? यह जो 7 परसेंट बचता है यह किसके गले में अटक गया है, जब दिया गया है तो पूरा दिया जाता। इस रिजर्वेशन के लिये जिसकी किताब इतनी मोटी हो गयी है आपने भी देखा होगा कि आदेश पर आदेश और निर्देश पर निर्देश इसमें हैं कि जिले स्तर पर के विभाग से पहली अप्रैल को अपने सूबे के विभाग में सूचना जायेगी कि वहां पर रिजर्वेशन का क्या प्रतिशत है। इसी तरह सूबे का विभाग, डिपार्टमेंटल हेड 10 अप्रैल तक शासन को सूचना भेजेगा कि मेरे विभाग में यह प्रतिशत है। इसमें यह भी है कि जो अधिकारी 10 अप्रैल तक नहीं भेजेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जरा आप मालूम कीजिये कि 10 अप्रैल तक जिन अधिकारियों ने सूचना नहीं प्रस्तुत की है उसमें से कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है यदि नहीं की गयी है तो क्यों नहीं की गयी है? यह जो आपकी पुस्तिका है उसमें अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत दिया गया है। क्लास वन में 5.8 प्रतिशत है। क्लास 2 में 6.21 है। क्लास-3 में 12.59 है तथा क्लास-4 में 18.73 है। शायद मंत्री जी ने इसमें स्वीपर्स को शामिल कर लिया है जबकि उनको शामिल नहीं किया जाता है।

मान्यवर, इसी तरह से जो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि क्लास-1 में 0.20 परसेंट है। क्लास-2 में 0.32 है। क्लास-3 में 0.31 है और क्लास-4 में 0.44 परसेंट है। तो यह हालत उनके रिजर्वेशन की है। इसी प्रकार से जो निगम हैं या स्थानीय निकाय हैं उनमें भी रिजर्वेशन पूरा नहीं है। निगमों में जो इनकी स्थिति है तो क्लास-1 में 2.6 परसेंट है। क्लास-2 में 2.82 है। क्लास-3 में 8.07 है और क्लास-4 में 15.76 परसेंट हरिजन हैं। यही हालत अनुसूचित जनजातियों की है। क्लास-1 में इनका प्रतिशत निल है। क्लास-2 में 0.10 है। क्लास-3 में इनका प्रतिशत 0.24 है। तो यह रिजर्वेशन की हालत है तो इतना भारी अनुदान देते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है। आपके कानपुर में जो छात्रावास चल रहे हैं, विजीलेंस की रिपोर्ट आ चुकी है कि हरिजनों के नाम पर ठाकुरों के लड़के हरिजन बनकर स्कालरशिप ले रहे हैं। 60-60 फर्जी नाम लिख कर अनुदान वसूल कर रहे हैं। विजीलेंस की रिपोर्ट है, उसमें यह आ चुका है। एटा जिले के अंदर 9 स्कूल फर्जी चल रहे हैं, जिसमें 3 लाख, 63 हजार, 92 पै0 का अनुदान लिया जा चुका है। इसकी भी जांच हो चुकी है। वहां पर हरिजनों के नाम पर एक स्कूल भी मौके पर नहीं है। अन्त में मैं एक बात कहता हूं कि विधवाओं को और बुड्ढों को जो भी पेंशन देते हैं, उसका सरलीकरण कीजिए। जो पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार और माननीय बिहारी लाल जी और मेरी जरूरत पड़ती है, जो पेंशन देना चाहते हैं, विधवाओं को, तो उसका सरलीकरण कीजिए कि जो विधवायें हों, आपका प्रधान जिसको लिखकर

भेज दें, उसको आप मंजूर कर दीजिए। यही बात कहकर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो हरिजन एवं समाज कल्याण से संबंधित बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी को और कटौती के प्रस्ताव रखने वाले भाई रावत जी को सुनने के बाद बहुत सारी समस्याएं जो माननीय सदस्यगणों ने कही हैं, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात का मैं प्रयास करूंगा और यह प्रयास करते हुए ही मैं अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं। आज जबकि हम हाउस में बैठते हैं और चुनाव का समय जब नजदीक आ जाता है, तो हरिजनों के कल्याण के लिए अनेकानेक घोषणायें की जाती हैं और उसकी चर्चा भी बड़े जोर-शोर से की जाती है और अब चुनाव निकट आया है–'आज का आलाम में है सन्नाटा तो है मेरी तलाश, कल इसी दुनियां की शिकवा था मेरी फरियाद से।' जब फरियाद हम करते हैं, तब तो कोई आवश्यकता नहीं और जब वक्त आता है तो कहते हैं कि मुझसे फरियाद नहीं की गयी और जैसे-जैसे चुनाव के दिन आ रहे हैं हरिजन और उनके कल्याण की योजनाएं हैं, उनको खूब, जोर-शोर से प्रचारित किया जाता है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबका हाल करीब-करीब यही है। मैं इस पर, किसी पार्टी पर चोट की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह सब दलों पर लागू होता है और यह नियम हर पार्टी की सरकार पर लागू होता है।

माननीय मंत्री जी, आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि आखिर उस धनराशि का प्राविधान किया गया है, तो अब तक उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ। मुझे जहां तक जानकारी है और पूछने पर पता चला है, वह यह है कि इस आशय की पूर्ति हेतु किसी भी धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया है। दिनांक 8-10-83 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में आयोजित हरिजन सम्मेलन में घोषणा की थी कि इंकम लाइन लिमिट 500 के स्थान पर 750 कर दी गयी है तथा दशनोत्तर के लिए 1 हजार के स्थान पर 1500 कर दी गयी है और आश्रम पद्धति के विद्यालयों को 125 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से प्राविधान करने की घोषणा की गयी। मैं नहीं समझ पाया कि इस घोषणा का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि इसके अनुपालन के लिए विभाग ने 4 करोड़ मांगा था, जिसके विरुद्ध शासन द्वारा केवल 5 लाख रुपया दिया गया। हरिजन कल्याण के चर्चित कीर्तिमान का अपने प्रदेश का यह छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने एक घोषणा और की है जो सूचना विभाग की डायरी में छपी है कि शासन के निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति के माता-पिता जो अपनी लड़कियों को कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, उनके बच्चों को सरकार वजीफा देगी, साथ ही 15 रुपये महीने की अपार्चुनिटी कास्ट भी उन माता-पिता को देगी, जो अपनी लड़कियों को प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल भेजेंगे।

माननीय मंत्री, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में वे कौन-कौन से जिले हैं, जहां पर आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के माता-पिता को 15 रुपये मासिक की अपार्चुनिटी कास्ट का भुगतान किया है ताकि वह सूची माननीय सदस्य के समक्ष आ जाय और वह समझ सकें कि यह योजना भी आपकी घोषणा तक सीमित है और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका है। यह अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है और चिन्ताजनक है मैं इससे आगे चलता हूं। 8-10-83 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने लखनऊ में घोषणा की थी कि इनकम लिस्ट में 500 के स्थान पर साढ़े सात सौ कर दिया गया है तथा दशमोत्तर के लिये एक हजार के स्थान पर पन्द्रह सौ कर दिया गया है। आश्रम पद्धति के विद्यालयों के लिये 125 रुपया प्रति छात्र प्राविधान करने की घोषणा की थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की 8-10-83 की घोषणा को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। इससे ज्यादा चिन्ता और दुःख की बात क्या हो सकती है? इसके अनुपालन में विभाग ने 4 करोड़ की मांग की थी, जिसके विरुद्ध आपको श्रीमन् जानकर आश्चर्य होगा, इस सरकार के पास क्या जवाब है, कि विभाग ने 4 करोड़ मांगा था और इसके विरुद्ध दिया गया 5 लाख मात्र। यह हरिजन कल्याण की चर्चित कीर्तिमान का एक उदाहरण है। जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया है। अखबार में सुर्खियों में छपेगा कि सरकार ने हरिजनों के लिये बहुत किया।

श्रीमन्, इससे भी अधिक आश्चर्य और दुख की बात है, जिसको मैं आपके माध्यम से सदन के सामने कहना चाहता हूं। बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर का नाम केवल हरिजनों से नहीं जुड़ा है। वह हमारे देश के संविधान के निर्माता थे, वह फाउन्डर फादर आफ कांस्टीट्यूशां हैं। हर बिरादरी के लोग बाबा साहब के नाम पर श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री एवं गुलाब सेहरा जी ने आगरा में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करते हुये कहा था कि 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपको हैरानी होगी, सूचना विभाग की जो डायरी मिली है, उसमें जो 84 के लिये शासन द्वारा घोषित छुट्टियों की लिस्ट छपी है, उसमें 14 अप्रैल को महावीर जयन्ती लिखा है। महावीर जयन्ती से मुझे कोई शिकायत नहीं है। सौभाग्य बश दोनों एक दिन पड़ी। कर्मचारियों के लिये सौभाग्य या दुख की बात है कि उसी दिन द्वितीय शनिवार है। चूंकि इस साल द्वितीय शनिवार था, तो इस साल तो इसको निभा ही सकते थे। महाबीर जयन्ती आबलिक बाबा साहब डाक्टर भीम राव अम्बेदकर जन्म दिवस लिख सकते थे या बाबा साहब जयन्ती आबलिक महावीर जयन्ती लिख सकते थे। इससे और बड़ा दिवालियापन और मस्तिष्क का खोखलापन क्या हो सकता है। मैं अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि माननीय सदन के माननीय सदस्य गण मेरी भावना से अपने को सम्बद्ध करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फाउन्डर फादर आफ कांस्टीट्यूशन के जन्म दिन को छुट्टी घोषित न करना इस सरकार के दिवालियापन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती है। इसके लिये हम सब को शर्म आनी चाहिये। इस साल जो गलती हुई इसको आगामी वर्षों में सुधार कर लें। 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी घोषित

कर दी जाय और सूचना विभाग की डायरी में इसका उल्लेख किया जाय।

एक चीज और कहना चाहता हूं। संचालित विभागीय तथा स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों, जिनकी संख्या 10 हजार है, उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और इस संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को 100 रुपया मासिक दिया जाता है। जो नियम सरकार ने बनाया है। मिनिमम वेजेज एक्ट क्या यह उसका उल्लंघन नहीं है। जिस सरकार ने कानून बनाया है क्या उसी को उसको तोड़ने का हक है? यह उसका उल्लंघन नहीं है? क्या इस सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा होना चाहिये? मान्यवर, आज डिस्ट्रिक्ट वेल्फेयर आफिसर की क्या हालत है। उसका कार्यालय कचेहरियों में जहां पेशाब घर होता है, वहां बनाया जाता है।

जहां पर मान्यवर बहुत दुर्गन्ध आती आती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर (एडवोकेट)–

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं चाहूंगा कि हरिजनों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कार्यवाही कीजिए। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि:–

"न पूछो क्या गुजरती है दिल खुददार पर अक्सर
जब किसी नामेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है।
हमारे सामने जिसने बहारे-अंजुमन लूटी
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।
कभी-कभी ऐसा भी होता है जमाने में
कि रहजन को अमीरे कारवां कहना ही पड़ता है।"

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामस्वरूप निम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गौरीशंकर जी ने बहुत सारी बातें बतायीं। इससे पहले माननीय मंत्री जी ने बताया कि सरकार ने क्या कल्याण हरिजनों का किया है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 37 साल आजादी के गुजरने के बाद भी इस देश और प्रदेश से मनु की स्मृति समाप्त नहीं हुई। हर चीज मनु के आधार पर की जा रही है। मान्यवर, हरिजन नाम का शब्द संविधान के अन्दर नहीं था लेकिन उसका प्रचार जो है इन्होंने किया और इस कांग्रेस पार्टी ने किया। उस टाइम में जो शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति थे आज उनको हरिजन कहा जा रहा है। लेकिन कोई फर्क नहीं आया। मान्यवर, हरिजन शब्द भी कहते हैं तो कहते हरिजन भक्त हैं। मान्यवर, केवल हरिजन कह लेने से कुछ नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब तक इस मनुस्मृति को इस देश से प्रदेश से समाप्त नहीं किया जाएगा, उसकी भावना को समाप्त नहीं किया जायेगा। तब तक इस प्रदेश के हरिजनों का उत्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो सकता है । मान्यवर, यह सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैं ।

निदेशालय को इन्होंने आरक्षण दिया । हरिजन निदेशालय है उसके अन्दर 7.3 प्रतिशत पूरा हुआ है । मेरा निश्चित रूप से दावा है कि सेक्रेटेरिएट में हेड आफ द डिपार्टमेंट का आरक्षण, उनके पदों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होगा तो किसी भी तरीके से आरक्षण पूरा नहीं हो सकता है । न ही अच्छे कानून बन सकते हैं ।

मेरा सुबह प्रश्न था और मैं आपके शासनादेश जो दिनांक 11-11-80 का है और 27-12-80 का शासनादेश है । 5 नवम्बर, 1980 को इसमें यह प्राविधान किया गया है कि जो भी सरकार दूकान, मकान, भू-खंड बनायेगी या नगरपालिका या महापालिका बनायेगी उसमें 18 प्रतिशत का कोटा होगा । मान्यवर, कहीं भी कोटे का ध्यान नहीं रखा जा रहा है । माननीय मंत्री जी अपना भाषण पढ़ रही थीं तो उन्होंने कहा कि हरिजन उत्पीड़न के लिए जिनकी हत्यायें की जाती हैं उनको सरकार 10 हजार रुपया देती है । मान्यवर, 10 हजार कीमत निर्धारित कर दी गयी है हरिजनों की । मान्यवर, अगर किसी का उत्पीड़न किया जाता है तो उसको 500 रुपए से 1,000 तक दिया जाता है, तो मान्यवर, हरिजनों का मूल्य आंक दिया गया है । इनको प्रस्ताव लाना चाहिए था जो लोग हरिजनों का उत्पीड़न करेंगे या मारेंगे उनको फांसी दिलाने के लिए मुकदमा लड़ा जायेगा और हर हालत में फांसी दिलाने का प्रयास किया जायेगा चाहे कितना भी वे अपनी तरफ से किसी हरिजन के लिए कुछ कर रहे हैं । जब किसी हरिजन का कत्ल होता है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार होता है, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तो सरकार कहती है कि हरिजनों का उत्पीड़न हुआ है, जिससे थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि बोलें न । इससे ज्यादा शर्म और हया की बात और क्या हो सकती है? कत्लेआम किया जाता रहे और सरकार पैसे के बल पर आश्वासन देती रहे कि न्याय दिलायेंगे ।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार उनको न्याय नहीं दिला सकती है । लेकिन, मैं इसके साथ ही यह भी बतलाना चाहता हूं कि आज हरिजन के अन्दर, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के अन्दर जाग्रति आयी है और यह सरकार जानती है कि आज हरिजन इस बात को समझ गया है कि यह सरकार कुछ देने वाली नहीं है । आज रेलवे एक्सीडेन्ट होता है तो चर्चा होती है कि रेलवे ट्रैफिक अधिकारी हरिजन पदोन्नत हो गया था, इसलिए एक्सीडेन्ट हो गया । कानून व्यवस्था खराब होती है तो कहते हैं कि हरिजन की पदोन्नति कर दी थी इसलिए कानून व्यवस्था खराब हो गयी । हरिजन की यह स्थिति है और जो सरकार के आंकड़े हैं, उनको देखकर बता रहा हूं कि (1) आरक्षण पूरा किया है क्लास वन में 5 से 8 प्रतिशत, क्लास दो में 6.21 प्रतिशत । तो एक तरफ तो यह आंकड़े हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब इसलिए होती है कि हरिजन को आरक्षण देकर पदोन्नत कर दिया गया है । और उनको ज्ञान नहीं होता । मान्यवर, यही स्थिति इनकी न्याय प्रणाली की है । न्याय प्रणाली में जो हरिजन या पिछड़े लोग हैं, उनकी तरफ देखा जाय व्यक्तिगत रूप से नजर दौड़ाई जाय तो सरकार ने 163 के आंकड़े पेश किए हैं, पूरे प्रदेश के अन्दर जो हरिजन अधिकारी हैं 163 और इनमें से 40 का टर्मिनेशन कर दिया गया है,

बाकी के खिलाफ सी0 आई0 डी0 या और अन्य इन्क्वायरी चल रही है । यह स्थिति हरिजन सर्विस मैटर्स के अन्दर है । जहां तक किसान, मजदूर आदि के आवंटन का सवाल है कि उनको जमीनें दे दी हैं या 20सूत्री कार्यक्रम में उनका भला कर रहे हैं तो उसकी स्थिति सबको स्पष्ट रूप से मालूम है कि हरिजनों के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस स्कीम को बन्द करा दें । मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हरिजनों के आवास के लिए धन आवंटित किया गया और उसके बाद इन्होंने एक जी0 ओ0 जारी किया और उसमें कह दिया कि जो इस प्लान के अंदर पैसा है उसको डिस्ट्रिक्ट प्लान वाले खर्च नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार मेरे जनपद से सवा दो लाख रुपया सरेण्डर करके मंगा लिया । मैंने पूछा तो कहा गया कि वित्त मंत्रालय की स्वीकृति नहीं थी इसलिए पैसा नहीं दिया जा सकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब यह सदन बजट पास करता है और सदन स्वीकृति दे देता है तब वित्त मंत्रालय को क्या अधिकार रह जाता है और उस पैसे को खर्च न करने देने का क्या औचित्य है । मान्यवर, इस तरह से कोई विभाग ऐसा नहीं है, जहां यह न होता हो । मान्यवर, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इस तरह से जो बजट हरिजनों के नाम से दिया जा रहा है, उसे खर्च करने की व्यवस्था क्यों नहीं होती है । ऐसी स्थिति में किस तरह से इनका कल्याण करेंगे या इनका उत्थान करेंगे । हां, यह कह सकते हैं साढ़ूपुर, देवली, रामपुरा या कफलटा में लोग हरिजनों का उत्पीड़न कर रहे हैं और कातिलों की सुनवाई नहीं हो रही है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन कातिलों के लिए कम से कम कोई ऐसा प्राविधान करें कि खून के बदले खून और नहीं तो हरिजन अपने आप अपने हाथ में न्याय ले लेंगे ।

श्रीमती महारानी दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे हरिजन समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं । मान्यवर, जब भी हरिजन समाज से संबंधित कोई प्रश्न इस आदरणीय सदन में उठा, तो मैंने 4 साल से यह देखा है कि हमेशा सरकार को चलाने वाले दल के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर बौछार करते रहे हैं । आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि न तो आज कोई प्रमुख घटना है और न ही कोई व्यक्तिगत समस्या है, आज जब प्रदेश के करोड़ों हरिजन समाज के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, बच्चों, निर्धन और असहाय लोगों के ऊपर बजट चल रहा है, तो न तो यहां पर विरोधी दल के नेता उपस्थित हैं, न ही सचेतक उपस्थित हैं और न ही उनकी कोई सीनियर नेता ही यहां उपस्थित हैं । इससे साफ जाहिर है कि वोट के नाम पर अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए, उत्तर प्रदेश में इन असहाय लोगों को गुमराह करने के लिए झूठे नारे लगाये जाते हैं । आज जिस बजट द्वारा हरिजन समाज, विकलांग, नेत्रहीन, असहाय, निर्धन बच्चों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता है कि इन गरीब लोगों के लिए

आप कटौती का प्रस्ताव लाकर, इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मूल उद्देश्य है कि यहां पर गरीबों को किस तरह से ऊंचा उठाया जाय, हमारे प्रदेश में जो मातायें-बहिनें हैं, अगर वे किसी तरह से, दुर्भाग्य से विधवायें हो जाती हैं, तो उनके भविष्य को किस तरह से आगे बढ़ाया जाय, हमारी माताओं के पास, जिनका कोई सहारा नहीं है और जो विधवायें हो जाती हैं, उनको समाज में रहने के लिए कौन सी योजनायें चलाई जायं, चाहे वह विधवा पेन्शन हो या वृद्धा पेन्शन हो, कई महत्वपूर्ण योजनायें सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से उनके उत्थान के लिए रखी गयी हैं । आज इससे प्रदेश का बहुत बड़ा विकास हुआ है ।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं । यह जो बजट है, यह केवल हरिजन समाज का है, मैं समझती हूं कि इसके लिए एक मजबूत शब्द होना चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण बजट है और हमारे समाज को एक नई दिशा देने वाला बजट है, परन्तु इस बजट में कुछ पेचीदगियां हैं, जिससे हमारा हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का उनसे डाइरेक्ट संबद्ध नहीं है । यही कारण है कि पिछले 4 साल से विधायिका के रूप में मैं जो समझ सकी हूं, समाज कल्याण विभाग कोई प्रगति नहीं कर सका है । जिस तरह से इस बजट में प्लानिंग होती है, इसमें कटौती प्रारम्भ में ही हो जाती है, यह कटौती नहीं होनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों की नियुक्तियों के बारे में । हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का नियुक्ति से सीधा संबंध नहीं है, यह एकीकरण विभाग से जुड़ा हुआ है । इस संबंध में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप इसके ऊपर विशेष रूप से कदम उठायें और साथ ही साथ इस सरकार से भी चाहूंगी कि इस विभाग में जो नियुक्तियां होती हैं, उसका अधिकार हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को दिया जाय और एकीकरण विभाग से इसे अलग किया जाय ।

तीसरी बात हरिजन उत्पीड़न की है । इसका मुख्य कारण यह है कि हरिजन विभाग का जो सेल बना हुआ है वह पुलिस से संबद्ध है। इसीलिए जितनी समस्याएं आती हैं, वह पुलिस विभाग द्वारा देखी जाती हैं या पुलिस विभाग द्वारा उनकी जांच की जाती है, इसीलिए मेरा सुझाव है कि इसे भी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बद्ध कर दिया जाय और पुलिस विभाग से इसे अलग कर दिया जाय। ।

चौथी बात है हरिजन छात्रवृत्ति । आज जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और नियोजन उस हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन से मेरी मांग है कि छात्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाया जाय । जहां तक कोटे की बात है उसे पूरा किया जाना चाहिए । जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती हूं । माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि प्रदेश में जितने जिले हैं, उन संपूर्ण जिलों से आप आंकड़े मंगवा लें और उनकी जांच करने के बाद आप इस कोटे को पूरा करवा दें।

मैं पुनः इस विचारधारा के साथ कि यह बजट महिलाओं बच्चों, विकलांगों, नेत्रहीनों और हरिजन समाज के उत्थान के लिए रखा गया है, हृदय से इसका समर्थन करती हूं और असहाय, विकलांग, नेत्रहीन, निर्धन बच्चों के उत्थान हेतु जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, यह समझ कर उसका विरोध करती हूं कि यह

कटौती का प्रस्ताव इस प्रदेश को किस दिशा में ले जायेगा।

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । मान्यवर, मैं इस पक्ष द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, जनपद चमोली में 2 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं । एक हरिजन अनुसूचित जाति का थिरपात में है और दूसरा भोटिया जनजाति का है जो जोशीमठ में है । जब इन दोनों विद्यालयों की स्थापना हुई थी, उसी समय यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष इन विद्यालयों में नई कक्षायें खोली जायेंगी, जब तक यह हाईस्कूल तक नहीं हो जायेंगे, तब तक कक्षायें खुलती रहेंगी । मान्यवर, यह विद्यालय जूनियर हाईस्कूल स्तर तक हैं, काफी वर्ष इनको खुले हुए हो गए हैं, अभी तक इनका उच्चीकरण नहीं हुआ है । मान्यवर, अनुसूचित जाति के इन आश्रम पद्धति विद्यालयों में न तो अभी तक भवन है और न छात्रावास की कोई व्यवस्था है। मैं निरन्तर यहां पर प्रस्ताव भेज रहा हूं और हमेशा शासन से मांग कर रहा हूं कि वहां पर आप आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन का निर्माण करायें और छात्रावासों का निर्माण करायें । इस साल इनका जवाब यह आया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, इन आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, जिसमें मात्र 100 रुपए मासिक प्रति छात्र दिया जाता है, मान्यवर, इस महंगाई के जमाने में इतने रुपए से क्या होगा? मैं चाहूंगा कि इसकी राशि को बढ़ना चाहिए । माननीय बिहारीलाल जी ने एक सुझाव रखा था कि जो यह इस प्रकार के आश्रम पद्धति विद्यालय हैं उनमें यह नहीं होना चाहिए कि उनमें सिर्फ हरिजनों के लड़के पढ़ें, इन विद्यालयों में आपके सब वर्ग के लड़कों को उसमें प्रवेश मिलना चाहिए, यह बात अलग है कि आप उसमें हरिजनों छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दें परन्तु वहां पर सभी वर्गों को एक साथ पढ़ने की व्यवस्था रहनी चाहिए और इसी प्रकार छात्रावासों में भी सभी वर्गों के बच्चों के एक साथ रहने की व्यवस्था रहनी चाहिए । सबको एक साथ मिलाकर रखना चाहिए, ताकि उनमें अलगाव की भावना न आये । मान्यवर, भोटिया जनजाति के बारे में कहा गया. . . .

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे हैं, यह सम्मिलित किए जायं ।

श्री अधिष्ठाता–

जब तक माननीय सदस्य न बैठें, आप न बोलें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, भोटिया जनजाति में आते हैं, भोटिया जो हरिजन हैं, उसको भी जनजाति में रख दिया गया । जनजाति में रखने से उनको सिर्फ दो प्रतिशत आरक्षण की सुविधा है, उनके अनुसूचित जाति में न होने से वह 18 प्रतिशत आरक्षण सुविधा से वंचित हो गए हैं और मान्यवर, हरिजनों के लिए बहुत सी योजनायें हैं, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है, बहुत सी योजनायें हैं, तो वह जनजाति में आने की वजह से उनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है। मान्यगर, उनकी बाबत कहना चाहूंगा कि आज भी स्थिति यह है कि वह भोटिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हरिजन आज भी गुफाओं में रहते हैं, उनके पास मकान नहीं है। तो, मेरा यह सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि उन भोटिया हरिजनों को, जनजाति से हटा कर के, अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखें। मान्यवर, पिथौरागढ़ में अनुवाल जाति के लोग रहते हैं, जो भोटिया परिवार के लोगों की भेड़ बकरी चराकर, अपनी जीविका चलाते हैं, वह पुस्तैनी से यह काम कर रहे हैं, उनके पास न तो अपने मकान हैं, न तो खेती है और न कोई व्यवसाय है मैंने यह प्रस्ताव किया था कि उन अनुवाल लोगों के जो मालिक हैं भोटिया लोग, जिनकी वे बकरी चराते हैं, उनको तो आरक्षण मिलता है और जो उनके नौकर हैं अनुवाल वे अब भी बकरी चरा रहे हैं। उनको भी पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाय ताकि उन्हें भी लाभ मिले।

*श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया। मैं केवल आपके द्वारा कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले महोदय से दो-तीन सवाल करना चाहता हूं। आप लाख डेढ़ लाख के प्रतिनिधि हैं, जिनमें कुछ हरिजन भी हैं, क्या आपने कटौती प्रस्ताव को पेश करने से पहले उनसे, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, पूछा है कि इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करके आप सारी सुविधायें नष्ट करने वाले हैं और इस बारे में उनकी क्या राय है? आप लोग एक तरफ तो शिकायत करते हैं कि जिनको आप कहते हैं उनको वजीफा नहीं मिलता, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलती, छात्रावास नहीं बनता, दूसरी तरफ आप कटौती का प्रस्ताव पेश करते हैं। कटौती के प्रस्ताव से कोई सुविधा हरिजनों को नहीं मिलेगी। एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूं सौभाग्य या दुर्भाग्य-वश आपको भी 1977 से 80 तक इस मुल्क की बागडोर सम्भालने का जनता ने मौका दिया था, लेकिन आप 5 वर्ष भी निबाह नहीं सके। जितना समय निबाहा उसमें आपने क्या किया? क्या उस समय हरिजन समाज कल्याण का बजट नहीं पेश होता था? अन्त में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं अभी यहां पर शिकायत की गयी कि अहरिजन लोग हरिजनों का उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं। रियासत हुसैन साहब ने बड़े मौके से इसको उछाला। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वक्त तो काफी लोग विभाग में हरिजन हैं, हरिजन हैड मास्टर हैं, हरिजन मास्टर हैं....

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप निम–

आंकड़े पढ़ लो, फिर बात करो।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

आंकड़े आप पढ़ लीजिए, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कि हरिजनों का उत्थान रोकने वाले हरिजन ही हैं, दूसरे लोग नहीं हैं। हम अगर हरिजनों का कुछ नुकसान करते तब तो जरूर अनजस्टीफाइड है। इसलिए मैं कहता हूं कि हरिजन बिचौलिया, हरिजन नेता ही उनका नुकसान करता है और दूसरे लोग नहीं करते हैं। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी आंकड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात की गयी और तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए गए । मैं भी आपके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 2 अक्टूबर, 1980 से लागू किया गया और प्रबन्ध समिति के समक्ष जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वह वर्ष 80-81, 81-82 तथा 82-83 के थे । इसमें लगभग 12 करोड़ 6 लाख रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया।

तीन वित्तीय वर्षों में जो लक्ष्य रखा गया था, वह 12,06,42 रु0 में तीस लाख परिवारों को लाभान्वित करने का हांलाकि यह लक्ष्य भी पूरा नहीं किया गया । तो इस हिसाब से प्रत्येक ब्लाक में केवल साढ़े 11 परिवार ही लाभान्वित हो सकेंगे तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है यदि उसको यह पूरा भी कर लें तो उससे यह तीस लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में तीन सौ वर्ष लगायेंगे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 50 परसेंट हरिजन परिवार हैं जिसमें से 65 फिसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वैसे सामान्य लोगों में 55 परसेंट हैं जो गरीब रेखा से नीचे हैं तो इस हिसाब से आज तीस लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या तीन सौ वर्षों तक इन लोगों को दाने दाने का मोहताज बनाकर रखना चाहते हैं, तो मैं यह गणित के हिसाब से आप से बात कर रहा हूं इस हिसाब से तो आप इन लोगों को उठाने के लिए कई शताब्दियां लगायेंगे ।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर, 1980 से पूर्व की बात जैसा कि हमारे जिले के वयोवृद्ध नेता माननीय चतुर्वेदी साहब ने कहा अपनी बात के दौरान कि हरिजनों के लिए उनके उत्थान के लिए ही स्पेशल कम्पानेंट प्लान बनाया गया है तो मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर, 80 से पूर्व जो अंत्योदय योजना बनी थी जो पूरे प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक में लागू हुई थी उसमें हरिजनों की संख्या सबसे अधिक थी और आज के मुकाबले में कई गुनी थी, वह अंत्योदय योजना से शत-प्रतिशत लाभान्वित हुई थी, लेकिन जो जो योजना आज बनाई गयी है, उससे हरिजनों का उत्थान कई शताब्दियों से पूर्व संभव नहीं है और इन दोनों योजनाओं में जो फर्क है (अंत्योदय और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में) वह यह कि अंत्योदय में सभी गरीबों को ऊपर उठाने का काम किया गया था और इस स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में सिर्फ हरिजनों के उत्थान की बात की गई है । इस प्रक्रिया से समाज के अन्दर एक विषाक्त वातावरण पैदा कर दिया है क्योंकि अन्य जाति के लोग यह महसूस करते हैं कि यह योजना केवल हरिजनों के उत्थान संबंधी ही है और इसमें किसी अन्य जाति के लोगों का उत्थान संभव नहीं है और अन्य गरीबों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे हरिजनों को आज सामाजिक दुर्भावना का शिकार होना पड़ रहा है । साथ ही फिर मैं यही कहूंगा कि इस योजना से अंत्योदय योजना के मुकाबले में 10 वां हिस्सा भी हरिजनों को लाभ नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और जो माननीय मंत्री जी ने बजट रक्खा है मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री विशन लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं हरिजन कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध

करता हूं । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह जो हरिजन का बजट पेश किया गया है इसमें यह ठीक है कि हरिजन बच्चों को नवीं क्लास से शिक्षा की सुविधा दी जा रही है, आवास की सुविधा दी जा रही है और पेयजल व्यवस्था की भी सुविधा है । लेकिन यह जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें इतनी सुविधायें देने का तो प्राविधान है नहीं क्योंकि इसकी धनराशि कम है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए और आठवीं, नवीं तथा दसवीं क्लास के बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा है, उन्हें वजीफा दिया जाना चाहिए । हरिजनों की जो लिस्ट बनी है वह बहुत ही डिफेक्टिव है क्योंकि हरिजन के नाम से सवर्ण लोग लाभ उठा रहे हैं।

हमारे यहां जुलाहे नाम से एक जाति है जो कि सवर्ण है लेकिन उन्होंने भुइयार शब्द का लाभ उठा लिया है और इस तरह से हरिजनों को प्रदान की जाने वाली सारी सुविधाओं का लाभ वे उठा रहे हैं । इसी तरह से श्रीमन्, ब्राह्मण लोग भी लाभ उठा लिए है और पिछड़ी जाति का भी फायदा लोग उठा रहे हैं । लकड़ी का काम करने वाले भी इन तीनों वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं । गड़रिये भी हरिजनों को दिये जाने वाले फायदे उठा रहे हैं और अपने नाम के आगे उन्होंने धनगढ़ शब्द लगा लिया है। सन्त रैदास के खानदान वाले लोग जो अपने को रविवंशी कहते हैं, उनका नाम हरिजनों की सूची में नहीं है । फर्जी जातियों को हरिजनों की सूची से हटाया जाय जो गलत नाम से सारे लाभ उठा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार से संस्तुति की जाय कि हरिजनों की सूची में रविवंशी लोगों के नामों को जोड़ा जाय ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो हरिजनों को आवासीय सुविधा दी गयी है, गांवों में जो आप इनको घर दे रहे हैं ठीक है पहले कोल्हू चलता था तो लोग उस जगह पर परिस्थिति विशेष में इकट्ठे हो जाया करते थे और वहीं पर उन्हें जाड़ा, गर्मी और बरसात में संरक्षण भी मिल जाता था लेकिन अब क्रेशर चलाने के कारण से उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं रह गई है जहां कि वे कोई मिलन स्थान बना सकें । मैं हरिजन कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एक हरिजन मिलन केन्द्र की स्थापना प्रत्येक गांव में की जाय और उसके नजदीक ही पेयजल की व्यवस्था की जाय ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चकबन्दी विभाग से मंत्री जी हस्तक्षेप करके हरिजनों की जमीनों को इकट्ठी करा दें और उनको सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री रुद्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपको धन्यवाद है इसलिए कि इतनी उठक-बैठक के अथक परिश्रम के बाद आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है कि मैं हरिजन कल्याण विभाग के बजट पर अपनी कुछ बातें कह सकूं ।

बहुत सख्त अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि वर्तमान हरिजन कल्याण मंत्री जी जब शिक्षा मंत्री थीं उस समय उन्होंने शिक्षा के मामले पर ध्यान नहीं दिया । मान्यवर, हमारे प्रदेश में दो तरह की शिक्षा है । एक प्राइमरी पाठशालायें हैं, दूसरी पाठशालाएं हरिजन विभाग के माध्यम से चलती हैं और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राइमरी पाठशालाएं बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा चलाई जाती हैं। मान्यवर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सरकार जो हरिजनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाने की जो हामी भरती है, हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने वाले अध्यापकों के लिए न जी0 पी0 एफ0 की व्यवस्था है, न एल0 आई0 सी0 की व्यवस्था है, न पेन्शन की व्यवस्था है और न उनके लिए ग्रेच्युटी की व्यवस्था है। वहां पर कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मैनेजमेंट को अनुदान दिया जाय और कुछ हरिजन अधिकारियों को अनुदान दिया जाये, उससे उनका पेट चलता है। हरिजनों के नाम से वह स्कूल है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समाज ने आज तक हरिजनों और सवर्णों का भेद दूर नहीं किया और वोट लेने के लिए दो खेमों में उनको बांटे हुए है, तो मैं क्या आशा करूं कि यह हरिजनों का उद्धार करेंगे। उनको घोषणा करना चाहिए कि हरिजन स्कूलों का नाम बदलकर बेसिक शिक्षा परिषद कर देना चाहिए। जो सुविधाएं बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को दी जाती हैं, वह इन हरिजन पाठशालाओं को नहीं दी जाती हैं। मेरा तो मत यह है कि पूरी हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों को एक जुट होकर एक मत होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का जी0 पी0 एफ0, बीमा, पेंशन की व्यवस्था है, उसी तरह से इनके लिए भी प्राविधान करना चाहिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। यहां से योजनाएं जिले में जाती हैं, प्राइमरी पाठशालाएं बन रही हैं, यह इनके कागजों पर बन रही हैं।

मैं हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि एक भी हरिजन पाठशाला के पास अपनी बिल्डिंग नहीं है। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और मुसलमान लोग हरिजनों के नाम पर स्कूल खोलते हैं। इन हरिजन पाठशालाओं में हरिजन और सवर्ण अध्यापक रखते हैं, लड़कों के फर्जी नाम लिखे जाते हैं और शासन से ग्रान्ट ले जाते हैं और गुलाब सेहरा का उन पर हस्ताक्षर हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन हरिजन पाठशालाओं को बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में 'मर्ज' कर देना चाहिए और उनके अध्यापकों को भी वही सुविधायें देनी चाहिए जो बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को मिलती हैं।

मान्यवर, सन् 1979 में उनके वेतन का पुनरीक्षण हुआ, लेकिन उनको पुनरीक्षित वेतन अभी तक नहीं मिला। उनको वह पुनरीक्षित वेतन मिलेगा या नहीं, इस विभाग के सचिव और डाइरेक्टर को लिखकर मैंने दिसम्बर में दिया कि वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों ने तत्काल वायरलेस किया और तब उनको वेतन मिला। माननीय मंत्री जी आप वेतन नहीं दिला सकती थीं।

मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी ने विधवाओं के बारे में बहुत जोर शोर से कहा और कहा कि वे विधवाओं की समर्थक हैं। बिलरी नाम की महिला है, जिसकी आयु 76 वर्ष की है और वह गाड़े टोला रामनगर पोस्ट रामपुर अवस्थी जिला देवरिया की रहने वाली है, उसको डेढ़ साल से पेंशन नहीं मिली है। हरिजन विभाग में जाती है तो कहा जाता है कि 100

रुपये दो तो उसकी पेंशन दिला दी जाये। हमारे जनपद में एक मामला गबन का है, उसमें सभी लोग सस्पेण्ड हुए केवल एक बचा है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हरिजनों के जाति प्रमाण-पत्र दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इससे विधायकों को बरी कर दें अथवा इस प्रकार का अंकुश लगा दें कि अगर विधायक गलत प्रमाण-पत्र देता है तो उस पर कोई न कोई अंकुश रहे। अन्त में मैं एक मामला इस निदेशालय के बारे में कहना चाहता हूं, काशी राम नाम का लिपिक है, उसने दो लाख रुपया अध्यापकों से ले लिया कि आप लोगों को ग्रान्ट दिलवा देंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के भ्रष्ट कर्मचारी को हटाकर जांच करें और हरिजन स्कूलों के अध्यापकों को जी0 पी0 एफ0 और बीमा आदि की सुविधायें दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें हरिजन एवं समाज कल्याण के बजट पर जो कि माननीय बख्शी जी ने रखा है, के समर्थन में बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों के अन्दर समाज कल्याण विभाग की जो छवि बनी है और जो धनराशि हरिजनों के लिए इन दो वर्षों के बीच में दी गयी है और सेक्रेटेरियेट से जितना प्रभावी कार्य हो रहा है जनपद के स्तर पर काम होता तो मैं समझता हूं कि काफी विकास इस दिशा में होता। यह इस बात का सबूत है कि आज जो हम यहां पर लूट खसूट की चर्चा करते हैं, जिलों के अन्दर इतना धन दिया जाता है इसीलिये उसकी लूट की चर्चा कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो पैसा दिया जा रहा है, उसको कौन लूट रहा है, लूट करने वालों का नाम नहीं बताया जा रहा है, केवल चर्चा ही हम यहां पर कर रहे हैं। आप जिलों में जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों से बात करते तब तो कुछ काम होता लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहां पर विधान सभा में जितनी गरमी और जोश से हरिजनों के लिए जो घड़ियाली आंसू बहाये जा रहे हैं, यदि यह जोश आप जिलों में जाकर हरिजनों के प्रति दिखावें तो बहुत कल्याण हो सकता है।

जब यहां पर जनता पार्टी का शासन रहा, तीन साल तक आपने शासन किया, उस बीच आपने हरिजनों का रिजर्वेशन समाप्त करने के लिये रिजोल्यूशन किया। यह आपकी नीयत हरिजनों के प्रति थी। तत्कालीन गवर्नर एम0 चेन्ना रेड्डी के रहते श्रीमती इंदिरा गांधी एवं हमारी सरकार जब शासन में आई तो जनता पार्टी का जो यह रिजोल्यूशन था उनके लिये रिजर्वेशन समाप्त करने का, उसने उसको रोका। आज उनके प्रति आपकी हमदर्दी हो गयी है। मैं इसके विषय में डेटा देना चाहता हूं। जनरल भाषण तो सब दे सकते हैं और सब इसके बारे में कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है लेकिन आखिर बेईमान कौन है, इसका जजमेंट कौन करेगा। भ्रष्टाचार कहां पर है, यह बताते तो हम मान लेते।

मान्यवर, इलाहाबाद में अखिल भारतीय स्तर का एक हरिजन आश्रम हरिजन सेवक संघ है। वह करोड़ों रुपये की संस्था है। यह संस्था महात्मा गांधी ने हरिजनों के उत्थान के लिए बनायी थी। यहां पर नेपाल से और मद्रास तक

के हरिजन आते थे। लेकिन जैसे जनता पार्टी की सरकार आयी तो उस पर पूरी तरह से लूट खसोट शुरू हो गयी। एक तमाशा बन गया। यहां पर डाइरेक्टर साहब बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं। उस मामले में हाई कोर्ट से स्टे करके हरिजनों की सेवा जबरन समाप्त करना चाहते हैं। इस संस्था के मैनेजर अध्यक्ष जनता पार्टी के लोग बने हुए हैं। विरोधी दलों के लोगों का इस संस्था में कितना योगदान है, वे कितने प्रयत्नशील हैं, इस संस्था के बारे में यदि पूरी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाय तो उससे साबित हो जायेगा कि घड़ियाली आंसू विरोध पक्ष के लोग बहाते हैं या प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के लोग हरिजनों के हितैषी हैं। मैं कटौती के प्रस्ताव रखने वाले महोदय माननीय रावत जी से कहूंगा कि हरिजनों के बारे में जो वे कहते हैं कि लूट हो रही है, तो यह रिपोर्ट आयेगी उससे मालूम हो जायेगा।

हरिजन छात्रावासों के बारे में कहना चाहता हूं। इन छात्रावासों के लिए सरकार अनुदान दे रही है लेकिन उस पैसे का उपभोग कौन लोग कर रहे हैं। मैं इस माननीय सदन से कहना चाहूंगा कि जो आज प्रदेश में ऐसे छात्रावास चल रहे हैं उनकी भी सारी रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की जाय तो मालूम हो जायेगा कि ऐसे कौन पार्टी के लोग हैं जिनकी जेबों में यह पैसा जा रहा है, लेकिन छात्रावासों की क्या दुर्दशा है। जो हरिजनों के लिए प्राइमरी स्कूल हैं, शैक्षिक संस्थायें हैं उनकी भी यही हालत है। मेरे क्षेत्र में आश्रम पद्धति का एक स्कूल खोला गया लेकिन इस बजट में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि वह कब खोला गया है, कब उसके लिये स्वीकृति हुई है, मुझे नहीं बताया गया है। उसको सदन में प्रस्तुत किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समाज कल्याण विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। काफी देर से यहां पर इस बजट पर चर्चा चल रही है बजट से परे भी समाज पर इसमें चर्चा हुई मैं उसके लिए कोई आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं और न मैं आंकड़ों में पड़ना चाहता हूं क्योंकि यह आंकड़े कोई परिणाम नहीं दे रहे हैं चाहे कितना ही धन आवंटित करें उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। पिछले 10 वर्षों में 0.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर आ सकी है। जो धन आवंटित किया जाता है उससे कोई कारगर परिणाम नहीं आ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज में गरीब होना, पिछड़ा होना अलग बात है और जातिगत दृष्टिकोण से पिछड़ा होना दूसरी बात है। तो इनका उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न इनको न कर दें। उसके लिए हमें जोरदार ढंग से प्रयत्न करना चाहिये। इन परिवारों के लिए थोड़ा सा धन दे देना मकान बनाने के लिए दो हजार रुपया दे देना या दो सौ और तीन सौ रुपये का अनुदान देकर इनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जा सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। जैसा माननीय केदार नाथ सिंह जी ने कहा इनके लिए विशेष योजना बनाई जाय और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य होना चाहिये तभी इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है।

दूसरी बात यहां पर शादियों की कही गयी और यह भी बात आई कि सवर्ण दबाये हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समाज में अकेले कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, समाज को साथ लेकर चलना पड़ेगा और इसमें से राजनीतिक भावना को निकालना होगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा (लाल बत्ती होने पर) मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। यहां पर माननीय मंत्री जी बैठे हैं इनके विभाग में अच्छे अधिकारियों को प्रताड़ित किया जाता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं हमारे बस्ती जिले में एक नोहर प्रसाद नाम का अधिकारी था, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। इनके विभाग से हरिजन आश्रम पद्धति के स्कूल के लिए 40 हजार रुपये का अनुदान दिया गया जिसको माननीय मंत्री जी का संरक्षण था। हमने कहा गलत है उसकी जांच होनी चाहिये उस अधिकारी ने जांच की और कहा कि इस प्रकार का कोई स्कूल नहीं है तो इस पर उसको प्रताड़ित किया गया और वहां से बनारस ट्रांसफर कर दिया. . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप का समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

उसके बाद उसे बनारस ट्रांसफर किया गया। वहां पर बाल विकास परियोजना के लिए सामान की आपूर्ति के लिए टेंडर मांगे गये जो लोएस्ट टेंडर था उसे उस हरिजन अधिकारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन जिलाधिकारी ने कहा सामान कोआपरेटिव के जरिये से लिया जाय। लेकिन उसका टेंडर सबसे अधिक था। परन्तु कोआपरेटिव के पास कोई अपना सामान नहीं था उन्होंने बाहर से व्यापारियों से सामान खरीद कर पूर्ति की। इस पर उस अधिकारी ने यहां सूचना देकर उसे अस्वीकार कर दिया सहकारिता विभाग को अपने आप सामान देना चाहिए न कि व्यापारियों से टेंडर मांग कर, उनसे सामान खरीद कर। इस पर जिलाधिकारी नाराज हो गये और वहां से पहाड़ पर उसका ट्रांसफर कर दिया।

(श्री हरदेव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी, समय बहुत कम है बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं इसलिए दो दो मिनट सबको दे रहे हैं ताकि अपने क्षेत्र की समस्यायें रख सकें। दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और हरिजन एवं समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण बजट पर जो आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो कटौती का प्रस्ताव उधर से रखा गया है उनकी आदत है। जब इनकी सत्ता थी तो उस समय उनके जो अस्थायी प्रधान मंत्री थे उन्होंने यहां हरिजन कल्याण के लिए 28 करोड़ रुपया दिया था लेकिन जब हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा जी आईं तो उन्होंने इसे 49 करोड़ रुपया कर दिया है, तो हमारी सरकार की यह मंशा है कि वह इससे अंदाज लगा सकते हैं और

यह भी निर्देश कर दिया कि इसका सदुपयोग होना चाहिये। तो यह रुपया उन गरीबों के उत्थान के लिए जाता है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे जिले में गौड़ और तुरहा जाति के लोग रहते हैं जो अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। यह जन जाति में आते हैं। इनको अनुसूचित जाति का फायदा नहीं मिलना चाहिये। यह इस जाति का, आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। यह गौड़ पीवा जाति के लोग राजघरानों में रहते हैं।

मैं चाहूंगा कि आप इसकी समीक्षा करायें और ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में न रखें बल्कि इन्हें अन्य कमजोर वर्ग में रखा जाय।

(श्री लल्लू सिंह चौहान का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरदेव–

मैं चाहता हूं, मान्यवर, मुझे 5 मिनट दीजिये...

श्री अधिष्ठाता–

अब समय नहीं है। आप कृपया बैठें। मैंने श्री लल्लू सिंह को बुला लिया है। आप अपने सुझाव जो रह गये हैं लिख कर मंत्री जी के पास भेज दें। अब समय नहीं है।

(श्री हरदेव के न बैठने तथा श्री लल्लू सिंह चौहान व श्री हरदेव दोनों के साथ-साथ बोलने पर)

माननीय हरदेव जी बोल रहे हैं यह कुछ लिखा नहीं जायेगा। आप बैठें, अब आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी।

*श्री लल्लू सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने तथा अपने कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

मान्यवर, 1982 में राज्य सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचना अधिकारी के 5 पदों को भरे जाने हेतु लिखा। 3 मार्च, 1983 को जब विधान सभा में इसका प्रश्न आया तो माननीय गुलाब सेहरा जी ने, जो उस समय इस विभाग के मंत्री थे, यह कहा था कि इन पदों पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई नियुक्ति नहीं की है, इन पर हम एडहाक नियुक्ति करेंगे। आज तक उन पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इसी से पता चलता है कि यह सरकार कितनी हरिजन विरोधी है और कितनी उदासीनता से काम करती है। जो घोषणा यहां सदन में हरिजन समाज कल्याण विभाग के मंत्री होने की हैसियत से श्री गुलाब सेहरा जी ने की वह निरर्थक सिद्ध हुई।

एक बात मैं हरिजन छात्रावास जो निजी क्षेत्र के हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। इन पर सरकार का नियन्त्रण न होने के कारण वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है। देखने में यह आता है कि छात्र होस्टल में रहते ही नहीं, फर्जी अपने को होस्टलर दिखाकर 55 रुपये के स्थान पर 90 रुपये या 75 रुपये के स्थान पर 125 रुपये ले रहे हैं। इससे एक ओर तो सरकारी खर्च निरर्थक हो रहा है, दूसरी ओर होस्टल में रहकर छात्रों का जो विकास होना चाहिये, जिस प्रकार की उनकी पढ़ाई होनी चाहिये, वह नहीं हो पाती है। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, अगर इस पर खर्च हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक ही इलाज है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर नगर पालिका में, सरकारी क्षेत्र में हरिजन होस्टल्स का निर्माण किया जाय और खाने पीने की, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल क्लासेज की सुन्दर व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात मैं बाल विकास योजना के बारे में कहना चाहता हूं। क्या रायबरेली, सुल्तानपुर के लिये इस संबंध में कोई दूसरा मापदण्ड है? आगरा मण्डल में केवल एक ब्लाक में है जबकि कुछ अन्य मण्डलों में 20-20 ब्लाकों में यह योजना चलायी जा रही है। तो यह भेद क्यों है? इस भेद की नीति से हरिजनों का विकास नहीं होगा समाज के पिछड़े लोगों का विकास नहीं होगा। विकास तभी हो सकता है कि समन्वय करके, बैलेंस करके सभी गरीबों को चाहे वह किसी जाति के हों उनका कल्याण किया जाय। हरिजन तथा समाज कल्याण तभी सम्भव होगा जब इनको आर्थिक रूप से ऊपर उठाया जाय, तभी इनका उत्थान होगा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीया हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, काफी देर से विचारों का आदान प्रदान दोनों तरफ से चल रहा है। मैं आशा करता था कि कम से कम जो हमारे कटौती के प्रस्तावक महोदय हैं वह ऐसी बातें सदन के सामने रखेंगे जिससे हमको सुनने और सीखने का मौका मिलेगा। दुर्भाग्य देश और प्रदेश का है कि जब कोई बजट सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर सुझाव न देकर तमाम अनर्गल चर्चायें शुरू की जाती हैं जिससे बड़ा क्षोभ होता है। मान्यवर, मैं 2 हजार वर्ष पूर्व की बात कहना चाहता हूं, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक का इतिहास बताना चाहता हूं। इस देश का इतिहास बताता है कि 2 हजार वर्षों से इनकी स्थिति क्या रही है। आजादी के बाद इन 35-36 सालों में श्रीमती इन्दिरा गांधी, महात्मा गांधी की छत्र-छाया में पंडित जवाहर लाल नेहरू के वरद हस्त से उनके आशीर्वाद से हरिजनों के लिये क्या नहीं किया गया है, कौन सी कमी रह गयी है कि इनको कमियां नजर आ रही हैं। मान्यवर, एक शेर की दो लाइनें कहना चाहता हूं :—

दिल में आता है लगा दूं आग कोहेतूर में,
फिर ख्याल आता है मूसा बे-वतन हो जायेगा।

मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ जब हरिजनों का उत्थान माननीय इन्दिरा गांधी की हुकूमत और माननीय श्रीपति मिश्र की हुकूमत में यह सरकार करना चाहती है और हरिजनों को उस सीमा के पार ले जाना चाहती है जहां से उनका दुख दर्द पीछे छूट जाता है तो इन लोगों को जो उधर बैठे हैं पीड़ा होने लगती है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम हरिजनों के बड़े हमदर्द हैं लेकिन मैं यह समझ नहीं पाता हूं कि किस परिस्थिति में आपने यह कटौती का प्रस्ताव यहां रखा है। कौन सी ऐसी चीज है जो आज हरिजनों के लिये नहीं की गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

अभी कुछ लोग बोलने के जोश में अपने होश खो बैठे। उन्होंने कहा कि अमुक दल की लड़कियों को हमारे पास भेजा जाय। सदन में इतनी गन्दी बात नहीं कहनी चाहिये। आज के समाज में जब हरिजन दरोगा होता है या डी0 एम0 होता है तो सभी लोग जाकर उसका अभिवादन करते हैं, इस तरह की जाति और धर्म के नाम पर कलंक लगाने वाली बातें यह कुछ लोग करते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूं कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के माध्यम से, आई0 आर0 डी0 के माध्यम से हरिजन समाज कल्याण के माध्यम से जितनी सुख सुविधायें श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में श्रीपति मिश्र की सरकार ने दिया है उतनी कभी नहीं दी गयीं। मान्यवर, जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने रिजर्वेशन को समाप्त करने की घोषणा की और केन्द्र की ताकत से उसको रोक दिया।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री राम सागर–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम सागर को बुला लिया है, उनको सुनने के बाद आपको सुनूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

व्यवस्था का प्रश्न लम्बित नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम सागर को बुला लिया है।

श्री राम सागर–

अभी बोलते हुए माननीय सदस्यों ने हरिजन समाज कल्याण के बजट पर बार-बार माननीय मुख्य मंत्री को बधाई दी।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था का प्रश्न उठायें। भाषण न करें।

श्री राम सागर–

मुख्य मंत्री का जिला फैजाबाद मण्डल में आता है इन्होंने बाल विकास परियोजना अपने यहां 10 ब्लाकों में लागू की है....

(व्यवधान)

यह सौतेला व्यवहार किया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें। जब मंत्री जी बोल लेंगे तो उसके बाद स्पष्टीकरण कर लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा, इसके लिये जो समय दिया, मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, अभी हमारे साथी मिश्रा जी बोलते हुए यह कह गये कि हरिजनों के लिये क्या

कुछ नहीं किया गया कदाचित उनका आशय इस बात से नहीं है कि उनके लिये सब कुछ कर दिया गया और अगर उनका आशय इस बात से है कि हरिजनों के लिये सब कुछ कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें नहीं दिया गया, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या, एक-एक हजार बीघे के फार्मों को बांटकर गरीबों को दिया गया, टाटा, बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया की सम्पत्ति को क्या गरीबों में बांटा गया। क्या इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर के जन्म दिवस को छुट्टी घोषित किया गया ? हरिजनों को जो कुछ दिया गया वह संविधान के तहत दिया गया और अगर इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में न की गयी होती और इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोगों का वश चलता तो इस देश का संविधान बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर द्वारा लिखा गया संविधान न होता, बल्कि मनुस्मृति इस देश की संविधान होती।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

मैंने यह कहा कि हरिजनों के लिये क्या नहीं किया गया। आजादी के बाद हरिजनों को उस स्थान पर पहुंचा दिया गया, इनको वह सब कुछ दिया गया जो दो हजार साल में नहीं मिला था।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपका मन्तव्य समझ गया हूं। मैं कार्यवाही देख लूंगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

पहली बात तो यह है कि कुमायूं अनुसूचित जनजाति निगम है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस सम्बन्ध में हमारे नैनीताल के कांग्रेस के अध्यक्ष पीताम्बर दत्त पन्त के लड़के ने आत्म-हत्या की। मान्यवर, कुमायूं जनजाति निगम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। नैनीताल जनपद के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पीताम्बर पंत का लड़का जो उस विभाग में कार्य करता था उसने आत्महत्या की। इसकी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध कोई कार्य-वाही नहीं हुई। इस लड़के ने आत्म-हत्या के पूर्व उच्च अधिकारियों के नाम लिखकर भी दिया था। जिलाधिकारी को भी लिखकर दिया था। मान्यवर, अभी तक दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी तुरन्त होनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में एक हुड़-किया जाति है जो नाच-गाने करके अपनी जीविका चलाते हैं। जब से रेडियो वगैरह का आविष्कार हुआ, टेलीविजन वगैरह चला तब से इनका धन्धा खराब हो गया। मान्यवर, इनको सुविधा देनी चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि हमारे प्रदेश में ही नहीं, हमारे हिन्दुस्तान में हमारी वे महिलायें जो कि बाल-विधवा हो गयी हैं, आज उनकी हालत बड़ी खराब है, अनिवार्य रूप से उन महिलाओं को सरकार को काम देना चाहिए। अगर सरकार काम नहीं दे सकती तो उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे राष्ट्र के ऊपर परिवार नियोजन में बहुत बड़ा उपकार किये हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गांवों में तमाम महिलायें हैं जिन्हें यह लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप सर्वे करें और अनिवार्य रूप से सबको सहायता दें। मान्यवर, गांवों में

ज्यादातर महिलायें जो निराश्रित हैं जिनका कोई सहारा नहीं है उनको आप सुविधा दीजिये। चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन समाज कल्याण विभाग से कुछ लोग ही लाभ उठाते हैं वही लोग लाभ उठाते हैं या और चीजें जो हैं जैसे आवास की सुविधा, अनुदान, सिलाई मशीन जानवरों की सुविधायें आदि हैं उन सब चीजों का लाभ कुछ ही व्यक्ति उठाते हैं, तो अपने को हरिजन नहीं मानते और न हरिजनों से कोई सम्पर्क रखते हैं, उनके बीच बैठने में भी घृणा करते हैं, लेकिन वे चालाक लोग हरिजनों के नाम पर सारा लाभ उठा लेते हैं। मान्यवर, इसकी जांच कराइये और सही लोगों को इसका लाभ दीजिये।

मान्यवर, मुख्य बात यह है कि ग्रामीण अंचलों में, जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें वह लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा निवेदन है कि सही व्यक्तियों को इसका लाभ पहुंचाया जाय।

*श्रीमती सुमनलता–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने हरिजन एवं समाज कल्याण और सैनिक कल्याण के बजट के समर्थन में बोलने के लिए मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मान्यवर, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग मात्र दिखावा पसन्द करते हैं। ठोस जो बात है उसको कभी इन्होंने पसन्द नहीं किया। हमें इस बात का गर्व है, उत्तर प्रदेश के हरिजनों को इस बात का गर्व है कि ऐसी पार्टी सरकार के रूप में है जिसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने वास्तव में उनके विकास की बात सोची। मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूं और माननीय विरोधी पक्ष के लोगों से जिन्होंने हमेशा हमारी जनता को चाहे वह हरिजन हो, चाहे किसी भी वर्ग के हों उनको एक दिखावे के रूप में ही यह योजनायें रही। मैं ज्यादा बात न कहकर दो तीन बातें माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जैसी कि हमारी सरकार की योजना है 20 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रारूप है उसके हिसाब से जो वृद्धावस्था पेंशन और जो छात्रों की छात्रवृत्ति की बात है उसमें काफी सुधार हुआ है। लेकिन उससे ही हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए बल्कि उसमें हमें ज्यादा छात्रों और विधवाओं को पेंशन मिलनी चाहिए।

मैं कानपुर महानगर से चुनकर आती हूं। वहां की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी, हमारे जनपद कानपुर में वृद्धावस्था पेंशन और हरिजनों को जो छात्रवृत्ति देने की बात है उसमें काफी हमारे जो हरिजन छात्र हैं उनको सही रूप में छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाती हैं। उसमें सुधार करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि जो कामकाजी महिलाओं के छात्रावास की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। उसका हमारे कानपुर में अभाव है। कानपुर में एक कामकाजी महिलाओं का छात्रावास बनवाने की कृपा करें। दूसरी बात मैं सैनिक कल्याण के विषय में कहना चाहूंगी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सही रूप में सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सन्त बख्श रावत जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। विशेष रूप से श्री संकठा प्रसाद जी, श्री बिहारी लाल जी, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा माननीय रामजी राम और माननीय गौरी शंकर जी का बहुत आभारी हूं। जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी जी ने कहा कि कटौती का प्रस्ताव रखना उचित नहीं था। मैं कहना चाहूंगा कि कटौती का प्रस्ताव एक परम्परा है जिसके तहत रखा जाता है। यह सरकार के लिए एक दर्पण का काम करता है जिसमें सरकर अपनी कमियों को देख सके और दूर कर सके। माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी तो क्या इस विभाग का बजट रखा गया था। उस समय भी यह औपचारिकता पूरी की गयी थी और माननीय गुलाब सेहरा जी जो हैं इनके पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। माननीय सदस्यों ने हरिजन विभाग में व्याप्त व्यापक कमियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं संक्षेप में कुछ समस्याओं के बारे में विचार व्यक्त करता हूं। हमारे हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक हरिजन प्राइमरी पाठशाला में कार्यरत शिक्षिका थी, वेतन न मिलने के कारण...

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, नई बस्ती में वह प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाती थी। कई माह से उसको वेतन नहीं मिला, जिसके कारण उसका निधन हो गया। यह समाचार 'स्वतंत्र भारत' में 25-2-84 को निकला है। मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी गई है। जहां हरिजन विभाग द्वारा प्राइमरी पाठशाला खोली जाती हैं। वहां मान्यवर हरिजन प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों को सही वेतन नहीं मिलता है। 1978 में मान्यवर, हरिजन प्राइमरी पाठशाला में कार्यरत अध्यापकों को वेतन दिलाने के लिए एक शासनादेश हुआ था, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इस शासनादेश को पूरा पढ़ने में तो समय लगेगा इस शासनादेश की संख्या पढ़ दूं। शासनादेश की संख्या थी 1778-23 7-8-71801-74 दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के विन्दु 6-7 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से कहूंगा वह इस पर अमल करें। इसके साथ ही साथ दूसरा शासनादेश संख्या है 748-26-1-2-2-जी (54) 79 दिनांक 17 जनवरी 1979 को यह हुआ है इस शासनादेश में लिखा है मान्यवर, कि मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जितने पदों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वेतन आयोग-1979-80 के प्रतिवेदन अथवा शासकीय संकल्पों के सम्बन्ध में वेतन विसंगतियों के दूर करने के बारे में है, इसमें मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद् के समान वेतन दें और जैसा कि श्री रुद्र प्रताप सिंह जी ने बताया, उनको पेंशन और ग्रेच्युटी आदि की सुविधा भी दें।

मान्यवर, जो हरिजन पाठशालाएं निजी क्षेत्र में हैं, उनके भवनों के अनुरक्षण

की व्यवस्था सरकार नहीं करती। सरकार को उनके भवनों के अनुरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये।

मान्यवर, अब मैं आरक्षण के बारे में कहूंगा। इसके बारे में रियासत हुसैन साहब ने विस्तार से पहले ही कहा है। मैं केवल एक दो विभागों के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी में स्वीपर्स को छोड़कर कहीं भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। मान्यवर, राज्य योजना आयोग में प्रथम श्रेणी के 9 पद हैं, जिनमें से एक में भी अनुसूचित जाति का आदमी नहीं है, वहां द्वितीय श्रेणी के 24 पदों में से मात्र एक अनुसूचित जाति का आदमी है, तृतीय श्रेणी के 60 पदों में से केवल 5 पर अनुसूचित जाति का आदमी है, इसी तरह से चतुर्थ श्रेणी के 54 पदों में से केवल एक पर अनुसूचित जाति का आदमी है। इस तरह से अनुसूचित जाति का कोटा कहीं भी पूरा नहीं है। राज्य विद्युत परिषद् में, जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उनके आदेश थे कि जब तक अनुसूचित जाति का कोटा पूरा न हो जाय, तब तक उनके पद खाली रखे जायेंगे। उनके आदेशों का उल्लंघन करते हुए राज्य विद्युत परिषद् में 20-9-81 से 31-12-81 तक तृतीय श्रेणी के पद पर 831 नियुक्तियां की गयीं इसमें 25 प्रतिशत के हिसाब से 208 अनुसूचित जाति के होने चाहिए थे लेकिन मात्र 22 ही लिये गये। इसी तरह से इसी अवधि में चतुर्थ श्रेणी के पद पर 7 लोग भर्ती किये गये। इसमें भी मान्यवर, आरक्षण के कोटे के अनुसार 2 लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए थी लेकिन एक ही आदमी लिया गया। इस तरह से मान्यवर, आज प्रदेश में हरिजनों की जो योजनाएं हैं स्पेशल कांम्पोनेन्ट प्लान हैं, जिनके अन्तर्गत हरिजनों को दुकानें बनाकर दी हैं, मैं इसमें लखनऊ जनपद का उदाहरण देना चाहता हूं मोहनलालगंज तहसील में जितनी दुकानें बनी हैं, उसमें मात्र 10 दुकानों को छोड़कर अन्य में कोई हरिजन नहीं गये वे दुकानें घटिया बनी हैं। उनके निर्माण में 50 प्रतिशत से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने खाया है। मान्यवर, यदि हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं तो सारी धनराशि हरिजन विभाग के माध्यम से खर्च करनी चाहिए। जिलाधिकारी को पैसा नहीं देना चाहिये। जिला हरिजन कल्याण अधिकारी पूरे जनपद का कार्य देखता है, उसको जीप की सुविधा नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि जिला हरिजन कल्याण अधिकारी को जीप की सुविधा दी जाय। इसी के साथ-साथ मान्यवर, हमारे प्रदेश भर में कहीं भी जिला हरिजन एवं समाज-कल्याण कार्यालय भवन नहीं हैं। इसके लिये भवन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी और सम्मानित सदस्यगण इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैंने पक्ष एवं विपक्ष दोनों ओर के माननीय विधायकों के भाषण सुने और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूं कि उसमें मुझे कई अच्छे सुझाव दिये गये। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हरिजनों पर अत्याचार होने की बात कही। यह भी कहा कि वहां पर उनके क्षेत्र में विद्युत नहीं पहुंच रही है, वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां पर गरीबी बहुत है, वहां पर रोजी की

साधन नहीं है। वहीं पर यह भी सुझाव दिये गये कि वहां पर बिजली पहुंचनी चाहिए, वहां पर लोगों को रोजगार दिलाया जाय, और वहां पर महिलाओं के तन पर कपड़ा होना चाहिए। यदि आप में यह जाग्रति है और आपकी यह भावना है कि महिलाओं के तन पर कपड़ा होना चाहिए, उसके बदन पर धोती होनी चाहिए और एक दूरस्थ गरीब हरिजन की झोपड़ी में विद्युत होनी चाहिए..

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी समय का ध्यान रखें। 5.00 बजे तक इसे समाप्त हो जाना है और यही यहां की परम्परा रही है। इसलिए उचित यही होगा कि आप बजट पर ही बोलें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूं कि यह भावना आपको किसने दी है, यह भावना आपको हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दी है। यह जो भावना आज आप लोग प्रकट कर रहे हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के ही शब्द हैं, जिन्हें आप लोग कह रहे हैं। यह जो प्रेरणा आपको मिली है, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरागांधी जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम से ही आपको मिली है। आज वह विश्व की नेता हैं और विश्व का मार्ग-दर्शन कर रही हैं। गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने का जो स्वप्न है, वह किसने आपके मन में उजागर किया, वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपके मन में दीप्तिमान किया।

मान्यवर, वर्ष 1981-82 में विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का जो लक्ष्य था वह दो पंचवर्षीय योजना में अर्थात् 1980 से 1990 तक 30 लाख का है। हम हजारों में बात नहीं करते हैं, लाखों में बात करते हैं। 1981-82 में 4 लाख 50 हजार, 1982-83 में 4 लाख 50 हजार और 1983-84 में 4 लाख 50 हजार, इस प्रकार इन 3 वर्षों में लगभग हमने 12 से ऊपर व्यक्तियों और परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। हम दावा करते हैं कि 1985 से पहले ही हम 15 लाख का टारगेट पूरा कर लेंगे। और 1990 तक हम अपने 30 लाख के लक्ष्य को पूरा करके दिखा देंगे।

मान्यवर, किसी भी डेमोक्रेसी का एक स्वभाव होता है और उसका अपना नेचर होता है कि जो कोई भी कल्याण का काम होता है, उसमें जन-समूह के सहयोग की आवश्यकता होती है, जो डिक्टेटरशिप में नहीं होती है, डिक्टेटरशिप में केवल एक ही व्यक्ति की हुकूमत चलती है। प्रजातंत्रवाद में 67 करोड़ की जनता हुकूमत करती है। चाहे महिला के कल्याण का काम हो, शिक्षा के कल्याण का काम हो, हरिजन के कल्याण का काम हो या फिर और कोई कल्याणकारी काम हो, उसमें पक्ष और विपक्ष तथा गरीब और अमीर दोनों का सहयोग अपेक्षित होता है और सबके योगदान की आवश्यकता होती है। आप योगदान दीजिए, हम बिल्कुल एक रेल गाड़ी की चाल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, जितने भी हरिजन भाई हैं और जितनी भी महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं जो मान्यवर, हर घर में हैं, आपके अपने घरों में ही यदि महिलाओं का कल्याण न हो, तो एक बख्शी दीदी क्या जादू करेगी?

मान्यवर, हर घर में एक बहन है, एक मां है, एक पत्नी है और एक बेटी है, तो उनके कल्याण के लिये आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप सहयोग दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाती

हूं कि हम अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में सक्षम हैं, हरिजन एवं महिलायें, जो सबसे अधिक पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका अवश्य कल्याण करने में, उनके जीवन में विद्या का प्रकाश उत्पन्न करने में हम लोग जरूर सफल होंगे। भ्रष्टाचार की बात उठायी गयी और छात्रवृत्ति की बाबत कहा गया। छात्रवृत्ति देने में हमने एक स्कीम दी है जिससे कि हम छात्रवृत्ति बच्चों को समय से दे सकें और हमने उसके भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये यह स्कीम निकाली है कि उनके जो एकाउंट्स हैं, छात्र/छात्राओं के, वह बैंक में खोले जायं, ताकि किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो एवं जो अन्य बातों में जहां पर भी कोई भ्रष्टाचार है, मिसयूज आफ फण्ड्स हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जो भी इस तरह के केस प्रकाश में आयेंगे, या आप बतलायेंगे हम उन भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे जांच करेंगे और चाहे कोई बड़े से बड़ा अधिकारी भी होगा, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारी श्रीपति मिश्र जी की सरकार, यह पूरी सरकार, हमारी पार्टी कटिबद्ध है कि हमारी इंदिरा गांधी जी की जो भी उनकी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन करेंगे एवं भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे। बिशन लाल जी ने एक प्रपोजल रखा था कि "रवि वंशियों" को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाय, तो इसमें कहना चाहूंगी कि इसकी बाबत जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी। एक गौरी शंकर जी ने बात कहा, डाक्टर अम्बेदकर जयंती के विषय में, तो उसके विषय में, विचार करेंगे और जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह हम अवश्य करेंगे।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने मेरा संदर्भ दिया है, इसलिए मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरा जिक्र किया मान्यवर, आज सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं। मान्यवर, उनके सदन में उपस्थित होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आगरा की उस पब्लिक मीटिंग में जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृपा करके घोषणा की थी कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेदकर जयंती को गजटेड अवकाश के रूप में मनाया जायेगा। मान्यवर, दुर्भाग्यवश यह जो सूचना विभाग की डायरी है, उत्तर प्रदेश 1984, इसमें मान्यवर, 14 अप्रैल के आगे महाबीर जयंती छाप करके छोड़ दिया गया है। इसमें डाक्टर अम्बेदकर जन्म दिवस को आंबलिक करके हो सकता है। मान्यवर, यह दूसरी बात है कि उस दिन सेकेंड सटरडे पड़ गया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उसकी बाबत घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी आज सदन में कर दें, जो उन्होंने आगरा की पब्लिक मीटिंग में की थी और जो हिन्दुस्तान के तमाम अखबारों में भी छपी थी। मान्यवर, यह घोषित कर दें कि डाक्टर भीम राव अम्बेदकर की जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को अवकाश का दिन घोषित किया जायेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह जिक्र किया गया कि उच्च जाति के लोग आरक्षण के नाम पर हरिजन बन जाते हैं और नौकरियां ले लेते हैं। मान्यवर, अगर ऐसा कोई केस मेरे पास आता है, तो मैं उसमें जांच कराऊंगी और उसके विरुद्ध ऐसी जालसाजी के विरुद्ध हम उचित न्यायिक कार्यवाही करने की चेष्टा अवश्य करेंगे। मान्यवर, कहा गया कि हरि-

जनों का आरक्षण नौकरी में है और भी बहुत जगहों पर है, लेकिन उसमें उनको पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनको सर्विसेज नहीं मिल रही है उसकी बाबत मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हरिजनों को आरक्षण के कोटे के अन्तर्गत उनको नौकरियां दी जायं, उनको प्रवेश दिया जाय विद्यालयों में और इस बात की युद्ध स्तर पर श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और हर प्रदेश में इस बात को चालू किया है। हमारी जो सरकार है, पंडित श्रीपति मिश्र जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, मैं कहना चाहूंगी कि उनके नेतृत्व में इसकी बाबत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है बड़ी लगन से काम हो रहा है कि हम उस आरक्षण नीति के अन्तर्गत हम उन हरिजनों को, अधिक से अधिक रूप में, हम उनको नौकरियां दिला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मुझे पूरी आशा है कि पक्ष और विपक्ष के लोग दिल में समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं कि यह कटौती का प्रस्ताव बिल्कुल बेकार है इसे वह वापस ले लें तो तो बहुत अच्छा हो वरना जो भाषण हुए हैं उससे स्पष्ट है कि आपके अन्दर भी 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूरी आस्था है और उसी को क्रियान्वित करने के लिये सुझाव देते हैं, जिसके लिये मैं आभारी हूं। इसके साथ ही बजट प्रस्तुत करती हूं और आशा करती हूं कि शत प्रतिशत मत से यह पास किया जायगा।

तिलक हाल में सदन के सदस्यों को संस्कृत पढ़ाये जाने का आयोजन संस्कृत परिषद् द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं इस आदरणीय सदन में एक सूचना देना चाहता हूं। संस्कृत परिषद् की तरफ से तिलक हाल में माननीय सदस्यों को संस्कृत पढ़ाने का आयोजन किया गया है 8-10 दिन तक, आज से कार्यवाही आरम्भ हो गयी है। अगर कुछ समय निकाल सकें तो वहां पर पहुंचने का कष्ट करें।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (क्रमागत)

(श्री सन्त बख्श रावत को सम्बोधित करते हुए।)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री सन्त बख्श रावत–

जी नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखा अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि

के अतिरिक्त 49,56,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81–हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,17,98,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैंने माननीय सरदार सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री भीखा लाल द्वारा दी गयी सूचना, जो लखनऊ जनपद की नगराम पुलिस द्वारा चमन लाल नामक एक युवक की हत्या, के सम्बन्ध में है को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

(मद संख्या-11 पुकारे जाने पर।)

श्री गौरी शंकर, एडवोकेट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो मैंने सन्दर्भित किया था, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि डायरी गलती से छप गयी है और 14 अप्रैल छुट्टी का दिन घोषित किया गया है, अतः इसे भी संशोधित कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठें।

लखनऊ शहर के महानगर के एक दुकानदार श्री अनूप सिंह, उनके बड़े भाई और पिता की पुलिस द्वारा पिटाई से उत्पन्न असंतोष होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22-3-84 को लगभग 12.30 बजे दिन वादी श्री सुशील कुमार पाण्डेय निवासी बी-1923, इन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर द्वारा तीन व्यक्ति त्रिलोकी नाथ दीक्षित, शैलेन्द्र व अफरोज के विरुद्ध थाना महानगर पर धारा 307 भा0द0वि0 व5 इक्सपलोसिव एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इस अभियोग की विवेचना थाना महानगर के उप निरीक्षक श्री आलोक प्रभाकर अवस्थी द्वारा प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान वे घटना स्थल पर गये और गोल मार्केट के पास स्थित दुकान के दुकानदारों से पूछ-ताछ करने लगे। पूछ-ताछ के दौरान उप निरीक्षक श्री अवस्थी एवं श्री अनूप सिंह जो गोल मार्केट स्थित कामर्शियल फोटो स्टेट की दुकान पर बैठे थे, के मध्य वाद-विवाद हो गया तथा श्री अनूप सिंह को थाना महानगर ले जाया गया। थाने पर श्री अनूप सिंह के भाई श्री आनन्द सिंह व पिता श्री नरेश सिंह के पहुंचने पर पुलिस जन से उनका वाद-विवाद व मार पीट होना बताया जाता है। जब इसकी सूचना क्षेत्रीय दुकानदारों को हुई तो वे नारे लगाते हुए थाना महानगर पहुंचे।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा गया हुआ माना गया।

सूचना पाकर जिलाधिकारी एवं ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंच गये और स्थिति को नियंत्रण में किया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में श्री आनन्द बिहारी सिंह पुत्र श्री नरेश सिंह की लिखित रिपोर्ट पर उप निरीक्षक आलोक प्रभाकर अवस्थी व दो तीन अन्य सिपाहियों के विरुद्ध धारा 392/452/323/307 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। उप निरीक्षक आलोक प्रभाकर अवस्थी को निलम्बित कर उक्त अभियोग के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर लिया गया। श्री अनूप सिंह, श्री आनन्द सिंह व श्री नरेश सिंह को डाक्टरी परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया।

उप निरीक्षक आलोक प्रभाकर अवस्थी ने भी उक्त घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग धारा 394/353/332 भारतीय दण्ड विधान का पंजीकृत कराया है। उक्त पंजीकृत अभियोगों की विवेचना थानाध्यक्ष अलीगंज द्वारा प्रचलित है।]

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्वश्री अनूप सिंह व नरेश सिंह ने जो थाने में रिपोर्ट लिखाई उसमें क्या इन दोषी व्यक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी लिखवाए थे? यदि हां, तो उन शिकायतों के आधार पर उन पर क्या कार्यवाही अब तक हुयी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

एक एस0आई0 के खिलाफ और 4-5 अन्य सिपाहीगण के खिलाफ शिकायत है। जहां तक इस परिवार के साथ यह घटना का सवाल है, हमारी भी इस घराने से अच्छी जान-पहचान है, मैं इनके घर भी गया था। और उस एस0आई0 को सस्पेंड कर दिया गया है उसके हथकड़ी लगाकर उसे जेल भी भेज दिया गया जहां आज वह बन्दी है। हमारी इस कार्यवाही से वह परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं और जो भी हो, सरकार इस मामले में पूर्णतया सचेष्ट है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने बताया कि उस एस0आई0 को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया है, उसके खिलाफ किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया है और उसे गिरफ्तार कब किया गया है और साथ ही दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के संभ्रांत परिवार व अन्य लोगों के साथ आये दिन घटनाएं होती रहती हैं, इनके रोकने के लिये सरकार की ओर से अब तक क्या व्यवस्था की गयी है? या इस पर कोई बात विचाराधीन है सरकार में?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, यह घटना 22 तारीख की है, 22 तारीख को ही उस एस0आई0 को गिरफ्तार किया गया है और जहां तक सरकार की नीति का सवाल है, सरकार ऐसे मामले में बहुत सजग है और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने के लिए सदैव तत्पर है।

श्री मोहन सिंह–

इस वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि घटना के तुरन्त बाद सर्वश्री अनूप सिंह, आनन्द सिंह और नरेश सिंह को डाक्टरी परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा गया है तो डाक्टरी परीक्षण के बाद इन लोगों के कितनी चोटें आयीं क्या इसकी सूचना आपको मिली है? यदि हां, तो यह बताने का कष्ट करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

वह डाक्टरी रिपोर्ट मेरे पास है, कहिए तो पढ़ दूं। सरसरी तौर पर मैं अनूप सिंह की चोटों के बारे में बता रहा हूं कंट्रीयूजन 15 सें0मी0×2 सेंटी0मी0 बाईं बाह में, नेक्स्ट कंट्रीयूजन 4×2 से0मी0 बाईं कोहनी के जोड़ पर, नेक्स्ट

कंट्रीयूजन 4×2 से0 मी0 बायीं हाथ के पीछे की ओर नेक्स्ट कंट्रीयूजन 4×1 1/2 से0मी0 आन दि लैफ्ट बैक एण्ड बिलो दि रिस्ट ज्वाइंट और बाकी कुछ चोट आंख वगैरह पर भी आयी है जिससे खून वगैरह निकल आया। पूरा परिवार इस कार्यवाही से संतुष्ट है और उस सिपाही को सेवा से निकाले जाने पर भी मामला विचाराधीन है यदि वह परमानेन्ट नहीं है। तो सरकार की तरफ से कोई कसर इस मामले में बाकी नहीं रही है।

ग्राम उदयपुर, जिला कानपुर देहात के श्री पुत्ती लाल की हत्या में पुलिस का कथित हाथ होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 17-3-84 को 10-35 बजे श्रीमती शिवरानी पत्नी श्री राम लाल धोबी, निवासी उदईपुर, जनपद कानपुर देहात ने थाना घाटमपुर में अपने पुत्र पुत्ती लाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद 7 अभियुक्तों द्वारा दिनांक 17-3-84 को प्रातः लगभग 5-30 बजे नदी पर जाते समय पकड़कर कुछ दूर ले जाकर गले में रस्सी बांधकर मार डालने तथा लाश को जामुन के पेड़ पर लटका देने की लिखित सूचना दी। इस सूचना पर अपराध संख्या-107 धारा 147/302 भा0दं0वि0 बनाम मोबरन लाल आदि पंजीकृत हुआ।

इस घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाए जाने के सम्बन्ध में कुछ लोगों द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर देहात के समक्ष प्रदर्शन किया गया तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की मांग की गई। इस पर अभियोग की विवेचना विशेष जांच प्रकोष्ठ को सौंप दी गई। यह कहना सही नहीं है कि मृतक पुत्ती लाल को लोग घर बुलाकर ले गये थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

दिनांक 20-3-1984 को श्री राम आसरे अग्निहोत्री अध्यक्ष, जनता पार्टी ने लगभग 50 अन्य लोगों के साथ जिलाधिकारी कानपुर देहात के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें पुत्ती लाल की हत्या में अभियुक्तों को झूठा फंसाए जाने तथा इंचार्ज चौकी भीतरगांव, थाना घाटमपुर की साजिश से यह हत्या होने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात तथा क्षेत्राधिकारी, घाटमपुर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वादिनी या अन्य किसी व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की इस हत्या में साजिश होने तथा अभियुक्तों को झूठा फंसाए जाने की बात नहीं कही। वादिनी तथा उसके पति ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया।

श्री महावीर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट में मृतक पुत्ती लाल गवाह नहीं था।

हत्या से संबंधित अभियोग की विवेचना पूर्ण होने पर ही सही तथ्यों का पता चल सकेगा

इस घटना से कानपुर की जनता में असुरक्षा, भय, असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न होने जैसी स्थिति नहीं है।]

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि जिस पुत्ती लाल की हत्या की गयी है। तो इसमें जो महावीर सिंह के विरुद्ध जो मुकदमा धारा 3/7 ई0सी0 के तहत दर्ज हुआ था, इस मामले को पुलिस से मिलकर समाप्त कर दिया गया है और

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी बात अभियुक्तों द्वारा जो पुत्ती लाल को सवेरे घर से बुलाकार ले गये और नदी के किनारे उसके गले में रस्सी बांध कर उसे जामुन के पेड़ में लटका कर उसकी हत्या कर दी गयी। तो इस सिलसिले में मैं यह चाहूंगा कि सम्पूर्ण जांच कर पूरी तरह से अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और दूसरी बात जांच से पूर्व क्या वहां का अर्थात् भीतरगांव, थाना घाटमपुर का जो चौकी इंचार्ज है, उसको वहां से हटाकर जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, इसको मैंने देखा। जो आरोप इसमें लगाये गये हैं एफ0आई0आर0 में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि उसको घर से बुलाकर मारा गया। मृतक की माता ने रिपोर्ट लिखायी कि वह सुबह जंगल के लिये चला था कि रास्ते में उसकी मौत हो गयी। पुलिस, अधीक्षक कानपुर देहात तथा क्षेत्राधिकारी घाटमपुर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वादिनी या अन्य किसी व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की इस हत्या में साजिश होने तथा अभियुक्तों को झूठा फसाये जाने की बात नहीं की। इस वजह से वहां कार्यवाही कुछ रुक सी गयी। माननीय सदस्य ने जो कहा है सी0आई0डी0 इन्क्वायरी के सम्बन्ध में तो इसमें कार्यवाही करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 6 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
2 अप्रैल, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

सूची ग्राम रसूलपुर में चना मिनीकिट बीज वितरण का विवरण

			चना मिनीकिट बीज का वितरण एवं विवरण			
कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	चना की मात्रा (कि0ग्रा0)	डी0ए0 पी0 की मात्रा (कि0ग्रा0)	योग	दिनाँक
सर्वश्री						
1 अब्दुल कदीर	मु0 शेर	रसूलपुर	12	20	1	28–10–83
2 शत्रुहन	रामसरन	,,	12	20	1	
3 ब्रजपाल	अहरवा	,,	12	20	1	बीज वितरण
4 शिवप्रसाद	तुलसी	,,	12	20	1	प्रधान की संस्तुति
5 रघुनाथ	लुदुरूँ	,,	12	20	1	पर प्रमुख
6 मु0 यूसुफ	मु0यूसुफ	,,	12	20	1	द्वारा कराया गया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

संलग्नक : एक

नत्थी नम्बर–1

कुलाबा समिति के गठन की तिथियाँ व सदस्यों के नाम

कुलाबा नं0 7—

समिति के गठन की तिथि 8–5–80

अन्य बैठकों की तिथि .. 8–8–80, 17–9–80, 4–11–80, 1–1–83 व 1–3–83।

समिति के सदस्यों के नाम .. अध्यक्ष—श्री राम अधीन पुत्र बालकिशन, ग्राम चाँदन।
उपाध्यक्ष—फूलचन्द्र पुत्र हरक राय।
सदस्य—बनवारी लाल पुत्र तारा दास
सदस्य—चन्द्र पाल पुत्र बाल किसन
सचिव—तेजपाल सिंह, स0भू0सं0नि0

कुलाबा नं0 8—

समिति के गठन की तिथि 5–6–80

अन्य बैठकों की तिथि .. 8–8–80, 6–12–80, 1–2–83, 28-2-83

समिति के सदस्यों के नाम .. अध्यक्ष—श्री माता प्रसाद पुत्र पाटनदीन
उपाध्यक्ष—श्री शौकत अली पुत्र वाहिद अली
सदस्य—श्री अब्दुल अली पुत्र वाहिद अली
" श्री हबीब अली पुत्र मोहियादीन
" श्री लक्ष्मण पुत्र बल्लू
सचिव—श्री तेजपाल सिंह, स0भू0सं0नि0।

कुलाबा नं0 9—

समिति के गठन की तिथि .. 17–6–80

अन्य बैठकों की तिथि .. 25–6–80, 3–7–80, 30–10–80, 6–12–82, 12–12–82

समिति के सदस्यों के नाम .. अध्यक्ष—श्री नजीर पुत्र बाँके
उपाध्यक्ष—श्री रामअधीन पुत्र बाल किशन
सदस्य—श्री चन्द्र पाल पुत्र बालकिशन
" श्री भल्लर पुत्र जगनू
" श्री फूल चन्द्र पुत्र हरक राय
सचिव—श्री तेजपाल सिंह, स0भ0सं0नि0।

कुलाबा नं0 10—

समिति के गठन की तिथि .. 18–5–80

अन्य बैठकों की तिथि .. 11–6–80, 21–6–80, 3–12–80, 2–11–82

समिति के सदस्यों के नाम .. अध्यक्ष—श्री नजीर पुत्र बाँके
उपाध्यक्ष—रामअधीन पुत्र बालकिशन
सदस्य—श्री सुरेश पुत्र सनेही
श्री राम सनेह पुत्र ललती
सचिव—श्री तेजपाल सिंह, स0भू0सं0नि0।

ह0 भूमि संरक्षण अधिकारी,
शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास
परियोजना, लखनऊ।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सख्या–63 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर ।)

संलग्नक :2

नत्थी नं0 2

सम्बन्धित कुलाबों पर निष्पादित कच्ची व पक्की नालियों का विवरण

कुलाबा नं0–7		
कच्ची नाली किमी0	.. ..	6.894
पक्की नाली किमी0	.. ..	0.180
कुलाबा नं0–8		
कच्ची नाली किमी0	.. ..	1.666
पक्की नाली किमी0	.. ..	0.208
कुलाबा नं0–9		
कच्ची नाली किमी0	.. ..	0.914
पक्की नाली किमी0	.. ..	..
कुलाबा नं0–10		
कच्ची नाली किमी0	.. ..	3.576
पक्की नाली किमी0	.. ..	..

ह0 भूमि संरक्षण अधिकारी,
शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास
परियोजना, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर ।)

क्रम-सं0	पत्र का दिनांक	शिकायत
1	2	3
1	31 जनवरी, 1981	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में अनुसूचित /जनजाति के आरक्षित कोटे की पूर्ति में शिक्षा विभाग द्वारा शिथिलता बरती जा रही है ।
2	12 मार्च, 1981	शिक्षा विभाग आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों की उपेक्षा कर शासन तथा जन-प्रतिनिधियों को नियमों की उलझन में डालकर गुमराह कर रहा है, जबकि उसकी कोई सेवा नियमावली नहीं है ।
3	15 अगस्त, 1981	जिन लोगों द्वारा शिक्षा–2 अनुभाग का कार्य चल रहा है वे अनुसूचित जाति व जनजाति के विरोधी हैं और वे शासन की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, अतः वे सरकार के विरोधी हैं ।
4	2 अक्तूबर, 1981	शिक्षा विभाग की शिथिलता और उदासीनता के कारण अनुसूचित जाति के सी0टी0 से पदोन्नत अध्यापकों को अभी तक एल0टी0 वेतनक्रम में स्थायी नहीं किया है । फलतः विभाग की गल्ती के कारण अनुसूचित जाति के ऐसे अध्यापकों को अग्रेतर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है ।
5	14 नवम्बर, 1981	शिक्षा विभाग की दोहरी नीति है तथा अनिवार्य अर्हता का बहाना बना कर अनुसूचित जाति/जन-जाति के अध्यापकों को पदोन्नति से वंचित करने की कुछ लोगों की यह साजिश मात्र है ।
6	11 मई, 1982	शासन के शिक्षा–2 अनुभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ भेदभाव तथा अन्याय किया जा रहा है ।

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 153 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62 पर।)

श्री नेगी एम एल0ए0 द्वारा प्रस्तुत पत्रों में की गयी शिकायतें, संस्तुतियों एवं मागों का विवरण

क्रम- सं0	पत्र का दिनाँक	शिकायत	संस्तुति	माँग
1	2	3	4	5
1	20-4-82	स्थायीकरण के अभाव में अग्रेतर पदोन्नति से न वंचित करने के शासन के आदेशों के बावजूद श्री कस्बी दास कन्याल की अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान (एस0ई0एस0जी0) में पदोन्नति नहीं किया गया है।	श्री कन्याल की आरक्षित कोटे के अन्तर्गत एस0 ई0 एस0 (जी) में पदोन्नति कर दी जाय।	श्री कन्याल को एस0 ई0 एस0 जी0 पदोन्नत करने के आदेश निर्गत किये जायं।
2	21-6-82	एस0ई0एस0जी0 में पदोन्नति हेतु चूंकि पात्रता शर्तों के बारे में शिक्षा (2) अनुभाग, शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा मन्त्री द्वारा अलग-अलग सूचनाएं दी जाती हैं अतः स्पष्ट है कि शिक्षा (2) अनुभाग आरक्षण और अन्य आदेशों की अनदेखी कर अनुसूचित जाति / जन जाति के साथ भेदभाव कर रहा है।	चूंकि अनुसूचित जाति /जनजाति का कोटा बहुत कम पूरा हुआ है अतः आरक्षित कोटे के अन्तर्गत श्री कन्याल को पदोन्नति दे दी जाय।	अनुसूचित जाति/जन जाति के साथ किए जा रहे भेदभाव तथा अन्याय को समाप्त किया जाय।
3	2-8-82	शासन द्वारा जब स्थाईकरण के अभाव में अग्रेतर पदोन्नति से न वंचित किए जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं तब श्री कन्याल को एस0ई0एस0जी0 में क्यों पदोन्नति नहीं दी जा रही है ? जब श्रेणी	नोशनल प्रमोशन देकर अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनक्रम का आरक्षित कोटा पूरा किया जाना चाहिए।	स्तम्भ (3) में मांगी गई सूचनाएं शिक्षा निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जायं।

1	2	3	4	5
		II/श्रेणी 1 में पदोन्नति हेतु स्थायीकरण की शर्त आवश्यक नहीं है तो एस0ई0एस0(जी0) में पदोन्नति हेतु अस्थाई करण की शर्त को जो आवश्यक बता कर अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ भेद-भाव क्यों किया जा रहा है ?		
4	28-9-82	श्री कन्याल को न तो आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत किया जा रहा है और न ही नेशनल प्रमोशन दिया जा रहा है जिससे स्पष्ट है कि श्री कन्याल के प्रकरण को लटकाया जा रहा है।	श्री कन्याल को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज) वेतनमान में आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति दे दी जाय।	इस पत्र में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराई जायं।

टिप्पणी—शासन के पत्र संख्या 7087(3)/15-2-82-36(26)/82 दिनांक 3-1-83 में इस पत्र का उल्लेख नहीं है।

सत्यमेव जयते

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर ।)

क्रम सं0	मुख्य शिकायतें
1	अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राज0) वेतनमान में अनुसूचित जाति/जन जाति के आरक्षित कोटे की पूर्ति में शिक्षा विभाग द्वारा शिथिलता बरती जा रही है ।
2	शिक्षा विभाग आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों की उपेक्षा कर शासन तथा जन-प्रतिनिधियों को नियमों की उलझन में डालकर गुमराह कर रहा है, जबकि उसकी कोई सेवा नियमावली नहीं है ।
3	जिन लोगों द्वारा शिक्षा–2 अनुभाग का कार्य चल रहा है वे अनुसूचित जाति व जन-जाति के विरोधी हैं और वे शासन की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, अतः वे सरकार के विरोधी हैं ।
4	शिक्षा विभाग की शिथिलता और उदासीनता के कारण अनुसूचित जाति के सी0टी0 से पदोन्नत अध्यापकों को अभी तक एल0टी0 वेतनक्रम में स्थायी नहीं किया गया है । फलतः विभाग की गलती के कारण अनुसूचित जाति के ऐसे अध्यापकों को अग्रेतर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है ।
5	शिक्षा विभाग की दोहरी नीति है तथा अतिकर्य अर्हताओं का बहाना बनाकर अनुसूचित जाति तथा जन-जाति अध्यापकों को पदोन्नति से वंचित करने की कुछ लोगों की यह साजिश मात्र है ।
6	शासन के शिक्षा–2 अनुभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के साथ भेद-भाव तथा अन्याय किया जा रहा है ।

पी0एस0यू0पी0–एल0 103 वि0 सभा (144)–1985–8130